चतुर्दश माला, खंड 27, अंक 27

गुरुवार, 10 मई, 2007
20 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 27 में अंक 21 से 32 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 63
Dated 1 May 2008

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 27, गुरुवार, 10 मई, 2007/20 वैशाख, 1929 (शक)

विषय — **कॉलम**

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ 1–2

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 502 से 521 3–48

अतारांकित प्रश्न संख्या 4835 से 5047 49–400

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

डी.वी.डी. गीताजंलि को जारी करने के कार्यक्रम तथा 1857 एक यश गाथा-ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम 401–402

सदस्य द्वारा त्यागपत्र 402

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 403

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 404–410

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 411–412

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 411–412

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 10 मई, 2007/20 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आज एक कृतज्ञ राष्ट्र भारत के ''स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम'' की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है।

1857 का विद्रोह भारत की आजादी की लड़ाई की एक युगान्तकारी घटना थी। यह एक विराट लहर थी जो हमारे देशवासियों में आजादी पाने के लिए सुलग रहे आक्रोश से फूटी थी। सैनिक बगावत के रूप में मेरठ में शुरू हुए इस विद्रोह का समूचे देश पर गहरा असर पड़ा। इस लोकप्रिय और स्वत: स्फूर्त विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देश के लोगों में एक ऐसा जज्बा पैदा कर दिया कि देश के अन्य भागों में भी इस तरह का विद्रोह फूट पड़ा। इस घटना से स्वराज की भावना जगी, जिसने राष्ट्रपिता और अन्य महान स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व के लिए प्रेरित किया और अन्तत: 90 वर्ष पश्चात् 1947 में देश आजाद हुआ। अत: स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के ज्ञात-अज्ञात नायकों का महान बलिदान व्यर्थ नहीं गया।

भारतीय जनमानस की विदेशी शासन से छुटकारा पाने की इस दृढ़ इच्छा ने एकता और धार्मिक सौहार्द की भावना को भी सुदृढ़ किया।

आइए, इस पावन अवसर पर हम सभी बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों के इस उत्कृष्ट बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण करें और स्वयं को देश में एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के प्रति पुन: समर्पित करें।

अब सभा इन शहीदों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात कैसे सुन सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप लोग नहीं चाहते कि क्वैश्चन आवर चले?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप प्रश्न काल को चलने नहीं देना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय, श्री शैलेन्द्र कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे सदन की कार्यवाही चलाने दीजिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय श्री महेश कनोडीया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदयः कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यदि ऐसा ही होता रहेगा तो कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः इस तरह से मत बोलिए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.04½ बजे

(इस समय, श्री देवेन्द्र प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए तथा सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

तेल और गैस अन्वेषणों हेतु सहायता

***502. श्री संतोष गंगवारः**
श्री धर्मेन्द्र प्रधानः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार तेल और गैस अन्वेषणों हेतु अन्य देशों की सहायता ले रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत किन-किन देशों में इस प्रकार के अन्वेषण कर रहा है; और

(घ) संयुक्त अन्वेषणों की निबंधन एवं शर्तें क्या हैं तथा इनमें कितनी सफलता मिली है?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (घ) जी, हां। ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए सरकार ने विदेशी सरकारों और विदेशी कम्पनियों के साथ सम्मिलित होने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में अंतर-सरकारी समझौता-ज्ञापन/करारों के माध्यम से हमारे देश में विदेशी अन्वेषण रकबे, नवीनतम प्रौद्योगिकी और निवेश प्राप्त करने के लिए हाइड्रोकार्बन समृद्ध देशों की सरकारों से सहायता प्राप्त करना सम्मिलित है। सरकार ने हमारे एनईएलपी दरों में सरकारी स्तर पर संवाद के माध्यम से विदेशी अन्वेषण और उत्पादन कम्पनियों की प्रतिभागिता मांगी है।

विदेश में तेल इक्विटी में निवेश के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के प्रयासस्वरूप भारतीय तेल पीएसयूज नामतः आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन विदेश लिमिटेड (ओवीएल), आयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोलम्बिया, क्यूबा, मिस्र, गेबन, ईरान, इराक, लीबिया, म्यामार, नाइजीरिया-साओ-टोम-प्रिंसाइपे जेडीए, नाइजीरिया, ओमान, कतर, रूस, सूडान, सीरिया, तिमोर और आस्ट्रेलिया, वियतनाम और यमन सहित बीस से अधिक देशों में अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) परिसम्पत्तियों का अर्जन किया है। उपर्युक्त निवेशों में से वियतनाम, सूडान, रूस, सीरिया और कोलम्बिया में छह परियोजनाओं में उत्पादन पहले ही आरम्भ हो चुका है। संयुक्त अन्वेषण के निबंधन और शर्तों का सामान्य रूप से परियोजना के लिए संयुक्त प्रचालन करार और उत्पादन हिस्सेदारी करार में उल्लेख किया जाता है, जो प्रत्येक परियोजना के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।

ओबीएल ने वर्ष 2003 में तेल और गैस का उत्पादन आरम्भ किया और वर्ष 2006-07 में लगभग 7.81 एमएमटी तेल और तेल समकक्ष गैस (ओ+ओईजी) का उत्पादन किया।

[हिन्दी]

मालगाड़ियों की गति

***503. श्री थावरचन्द गेहलोतः**
श्री चंद्रकांत खैरेः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मालगाड़ियों की औसत गति कितनी थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मालगाड़ियों की गति बढ़ाई गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेल द्वारा माल की ढुलाई के दौरान माल के नुकसान के बारे में जोन-वार कितने दावे प्राप्त हुए तथा कितने दावों का निपटान किया गया और कितनी मुआवजे की राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) लंबित दावों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान डीजल और विद्युत कर्षण हेतु सभी मालगाड़ियों की औसत गति इस प्रकार है:

वर्ष	सभी मालगाड़ियों की औसत गति (किलोमीटर/घंटा)				
	बड़ी लाइन		मीटर लाइन	सभी कर्षण	
	डीजल	बिजली	डीजल	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
2003-04	22.1	24.0	17.0	23.3	17.0
2004-05	22.8	24.7	16.9	23.8	16.9
2005-06	23.3	25.0	16.3	24.2	16.3

एक नियत समय अनुसूची एवं निर्धारित गतियों पर चलने वाली यात्री गाड़ियों के विपरीत मालगाड़ियों की गति कम होना निश्चित है। किसी भी खंड पर मालगाड़ी की गति विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है जिसमें अधिकतम अनुमेय गति, लाइन का इकहरी अथवा दोहरी होना, सिगनल प्रणाली की किस्म और यात्री एवं मालगाड़ियों की संख्या शामिल है क्योंकि यात्री गाड़ियों को अग्रता देनी पड़ती है। बहरहाल, अलग-अलग मालगाड़ियों की गति के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान रेल पारवहन के दौरान माल की क्षति के संबंध में प्राप्त हुए एवं निपटाए गए दावों की संख्या प्रदत्त मुआवजा राशि के साथ आगे दर्शाई गई है:

रेलवे	वर्ष	कुल प्राप्त दावों की संख्या	निपटाए गए कुल दावों की संख्या	प्रदत्त मुआवजा राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
मध्य	2003-04	4027	3689	257.86
	2004-05	3867	3211	163.44
	2005-06	3857	3593	74.06
पूर्व	2003-04	14494	9706	268.96
	2004-05	9402	4621	263.02
	2005-06	8475	4512	118.65
उत्तर	2003-04	9822	9053	642.24
	2004-05	7806	7039	214.17
	2005-06	8401	7358	186.78
पूर्वोत्तर	2003-04	4431	4082	38.42
	2004-05	3770	3426	24.39
	2005-06	2356	2125	14.56

1	2	3	4	5
पूर्वोत्तर सीमा	2003-04	13056	12009	612.72
	2004-05	15858	13648	482.72
	2005-06	11151	9276	609.37
दक्षिण	2003-04	3736	3380	84.79
	2004-05	2334	2129	31.42
	2005-06	2090	1952	77.57
दक्षिण मध्य	2003-04	2511	2071	80.68
	2004-05	1929	1529	63.96
	2005-06	1778	1694	196.71
दक्षिण पूर्व	2003-04	8355	6870	276.26
	2004-05	5040	4718	258.56
	2005-06	2694	2402	270.81
पश्चिम	2003-04	3765	3298	113.02
	2004-05	2700	2252	53.88
	2005-06	1891	1636	60.10
पूर्व मध्य	2003-04	6296	4060	13.05
	2004-05	9807	7946	45.84
	2005-06	5176	4714	37.01
पूर्व तट	2003-04	2187	1995	22.77
	2004-05	1726	1551	56.11
	2005-06	1403	1276	44.33
उत्तर मध्य	2003-04	3976	3161	6.56
	2004-05	4916	4042	12.02
	2005-06	4253	3754	15.13
उत्तर पश्चिम	2003-04	2212	1974	4.64
	2004-05	1209	1180	17.07
	2005-06	615	592	12.23

1	2	3	4	5
दक्षिण पूर्व मध्य	2003-04	2310	1613	2.00
	2004-05	2350	1659	5.28
	2005-06	1835	1276	4.47
दक्षिण पश्चिम	2003-04	1001	864	11.76
	2004-05	919	850	7.75
	2005-06	1031	991	2.96
पश्चिम मध्य	2003-04	1861	937	9.74
	2004-05	3821	3185	18.32
	2005-06	2276	1987	34.12
जोड़	2003-04	84040	68762	2445.47
	2004-05	77454	62986	1717.95
	2005-06	59282	49138	1758.86

(घ) लंबित दावों के निपटान हेतु उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(1) विलंब से बचने के लिए सामान परेषणों के नुकसान, कमी, क्षति आदि के विभिन्न प्रकार के दावा मामलों के निपटान के लिए छह महीने का अधिकतम समय निर्धारित किया गया है।

(2) दावों के त्वरित एवं निर्बाध निपटान के लिए प्रत्येक जोन में पण्यवार विशेष कक्ष स्थापित किए गए हैं।

(3) गंतव्य पर न पहुंचने वाले परेषण का शीघ्रातिशीघ्र पता लगाने एवं मेल स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों पर ''प्राप्त नहीं कोष्ठ'' स्थापित किए गए हैं।

(4) समय बाधित एवं मुकदमा बाधित मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए महाप्रबंधकों को धनराशि संबंधी पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(5) ग्राहक अनुकूल रवैया रखने और रेल ग्राहकों के लिए असुविधा को कम करने की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थलों पर सहायक दावा कार्यालयों की स्थापना की गई है।

(6) विलंब से बचने के लिए दावों के निपटान हेतु अंतर-रेलवे देयता एवं कर्मचारी दायित्व के पूर्व निर्धारण को समाप्त कर दिया गया है।

(7) दावा कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत एवं वेब साध्य बनाया गया है। अब ग्राहक दावा कार्यालय जाए बिना आनलाइन अपना दावा दायर कर सकते हैं एवं अपने दावे की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

कोचिंग एवं संबद्ध सहायता योजना के अंतर्गत धनराशि

***504. श्री हेमलाल मुर्मु:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों हेतु कोचिंग एवं संबद्ध सहायता योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि जारी की गई और इसके अंतर्गत कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों और अन्य निकायों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्रीय शेयर में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और संबद्ध सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2004-05, 2006-07 तक जारी सहायता-अनुदान और लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अब तक कोई सहायता अनुदान जारी नहीं किया गया है।

(ख) प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि इन योजनाओं से लक्षित वर्गों के शैक्षिक कौशलों को बढ़ाने में सहायता मिली है, इससे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ स्पर्धा करने के उनके परिदृश्य में सुधार हुआ है।

(ग) और (घ) कोचिंग और संबद्ध सहायता की योजना को पुन: तैयार किया गया और अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग की नई योजना को अप्रैल, 2007 में अनुसूचित किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ नई योजना में कोचिंग प्रदान करने के लिए चयनित प्रतिष्ठित कोचिंग केन्द्रों को भारत सरकार द्वारा कोचिंग व्यय का शत-प्रतिशत निधियन प्रदान करने का प्रावधान है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों सहित कमजोर वर्गों को कोचिंग और संबद्ध सहायता की योजना के अंतर्गत जारी निधियों और इससे लाभ प्राप्त लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07	
		जारी राशि (लाख रुपए)	लाभार्थियों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए)	लाभार्थियों की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए)	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	76.37	1628	64.02	940	155.15	3272
2.	असम	13.55	240	3.64	80	8.51	200
3.	बिहार	21.3	280	0	0	6.58	160
4.	छत्तीसगढ़	5.04	160	1.94	60	4.5	120
5.	हरियाणा	20.00	780	15.56	800	0	0
6.	हिमाचल प्रदेश	0	0	2.53	60	5.43	80
7.	जम्मू-कश्मीर	1.86	40	1.85	40	3.71	0
8.	झारखंड	0	0	3.12	80	0	0
9.	कर्नाटक	9.44	220	5.38	40	7.63	200
10.	मध्य प्रदेश	125.82	2770	18.57	560	14.57	280
11.	महाराष्ट्र	35.89	440	18.61	300	31.49	540
12.	मणिपुर	14.48	240	15.83	280	22.89	480
13.	मिजोरम	0	0	1.35	40	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	उड़ीसा	4.88	0	0	0	3.92	120
15.	पंजाब	28.03	510	5.84	240	0.00	0
16.	राजस्थान	9.68	200	27.72	660	39.89	705
17.	तमिलनाडु	13.38	220	6.26	100	15.03	180
18.	उत्तर प्रदेश	58.56	1251	28.29	320	36.11	120
19.	उत्तरांचल	6.45	100	5.41	100	0	0
20.	पश्चिम बंगाल	4.94	120	0	0	17.68	180
21.	चंडीगढ़	0	0	2.53	60	2.53	0
22.	दिल्ली	22.56	733	25.97	446	15.15	90
23.	पांडिचेरी	23.36	320	0	0	0.00	0
	कुल	495.59	10252	254.42	5206	390.77	6727

सरकारी-निजी भागीदारी से रेलवे स्टेशनों का निर्माण/उन्नयन

***505. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे निजी-सरकारी भागीदारी से नए रेलवे स्टेशन बनाने अथवा वर्तमान स्टेशनों का उन्नयन करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी-सरकारी भागीदारी के साथ निर्मित किए जा रहे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे कार्यों में रेलवे तथा निजी क्षेत्र का कितना-कितना प्रतिशत हिस्सा है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (घ) जी, हां। अभी तक उन्नीस स्टेशनों अर्थात् पुणे, कारनक बंदर (मुंबई), हवड़ा, लखनऊ, आनंद विहार (दिल्ली), बिजवासन (दिल्ली), अमृतसर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, वाराणसी, चेन्नई, तिरूवनंतपुरम, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, पटना, भुवनेश्वर, मथुरा, बेंगलुरू और भोपाल को निजी-सार्वजनिक भागीदारी के साथ निर्माण/उन्नयन हेतु चिह्नित किया गया है। इनमें से आनंद विहार और बिजवासन नए स्टेशन होंगे। इन सभी मामलों में रेलवे की ओर से वाणिज्यिक उपयोग के लिए भूमि एवं आकाश क्षेत्र मुहैया कराया जाएगा।

एलपीजी के उत्पादन के लिए नई तकनीक

***506. श्री रशीद मसूद:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने एलपीजी के उत्पादन के लिए एक नई तकनीक का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई तकनीक की सहायता से एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है;

(घ) इस तकनीक के कारण एलपीजी के आयात में कितनी कमी आने की संभावना है;

(ङ) क्या इस नई तकनीक की मदद से पेट्रो-रसायनों का उत्पादन भी किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) जी, हां। इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) ने इंडमैक्स प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकसित की है जिसको रिफाइनरियों में एलपीजी का अधिकतम उत्पादन करने के लिए पेटेंट कर दिया गया है। इस प्रौद्योगिकी से वर्तमान कैटेलिटिक क्रेकिंग प्रौद्योगिकी की तुलना में एलपीजी का उत्पादन दुगुना किया जा सकता है।

(ग) इंडमैक्स प्रौद्योगिकी को ग्रासरूट रिफाइनरी परियोजना तथा ऐसी रिफाइनरियों, जो नई कैटेलिटिक क्रेकिंग इकाइयों को स्थापित करती हैं, के लिए कार्यान्वित किया जा सकता है। यह जून, 2003 से गुवाहाटी रिफाइनरी में चल रही है। इस पारादीप रिफाइनरी (आईओसीएल) औ बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल) के लिए भी चुना गया है। इन इकाइयों को चालू करने के बाद पारादीप रिफाइनरी से प्रति वर्ष 0.90 मिलियन टन प्रति वर्ष और बीआरपीएल से 0.226 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी का उत्पादन होने की आशा है। इनका वर्ष 2010-2011 में उत्पादन आरंभ करने की संभावना है।

(घ) 11वीं योजनावधि के अन्त में देश में एलपीजी की समग्र उपलब्धता अनुमानित मांग के लगभग बराबर होने का अनुमान है। ऐसा परिशोधन क्षमता विस्तार तथा इंडमैक्स प्रौद्योगिकी इकाइयों की स्थापना के कारण है।

(ङ) और (च) जी, हां। इंडमैक्स प्रौद्योगिकी प्रोपाइलीन, ब्यूटीलीन, और एथाइलीन का उत्पादन कर सकती है जिसका इस्तेमाल पेट्रोरसायन उत्पादन में किया जा सकता है।

[अनुवाद]

बीएचईएल द्वारा विद्युत परियोजना उपकरणों की आपूर्ति

***507. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने बीएचईल द्वारा विद्युत परियोजना उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब का मुद्दा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विलम्ब से आपूर्ति किए जाने के मामले की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ने बीएचईएल के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के प्रयास किए है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (च) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) और दामोदर घाटी कारपोरेशन (डीवीसी), द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना में बीएचईएल को ठेके पर दी गई 19 परियोजनाओं में से, भेल ने 6 परियोजनाओं में हुए विलम्ब के बारे में इन दो संगठनों से सूचना प्राप्त की है। तेरह परियोजनाओं में विलम्ब नहीं हुआ है। शेष 6 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं जिसमें 2 से 4 महीने के बीच विलम्ब हुआ है और शेष चार परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है। वर्षों से भेल ने सभी विद्युत परियोजनाओं के परियोजना कार्यान्वयन के आवर्तन समय को सफलतापूर्वक कम कर दिया है, विशेष रूप से 500 मेगावाट के लिए 54 महीने का समय घटाकर 36 महीने कर दिया गया है तथा 210 मेगावाट के लिए 48 महीने का समय घटाकर 27 महीने कर दिया गया है। हालांकि एनटीपीसी सहित ग्राहकों द्वारा दसवीं योजना के विगत दो वर्षों में आर्डरों के एकत्र हो जाने के कारण तथा ग्राहकों के आदानों में भी हुए विलम्ब, कानून और व्यवस्था की संदिग्ध स्थिति तथा कुछेक उपस्कर विनिर्माण के लिए अपेक्षित आयातित कम्पोनेंट्स की विश्वव्यापी कमी के कारण कुछ परियोजनाओं में थोड़ा समय और लगा।

भविष्य में इस विलम्ब से बचने के लिए भेल ने प्रमुख उपाय किए है; जिनमें निम्नलिखित शामिल है:-

* विक्रेता आधार का विस्तार करना
* दीर्घकालीन मदों के लिए अग्रिम विनिर्माणी कार्रवाई (ए.एम.ए.)
* थोक प्राप्ति
* कार्यस्थल पर स्थापना के लिए टूल्स और संयंत्रों का विस्तार
* स्थापना अभिकरण आधारित वृद्धि
* सामग्रियों का मानकीकरण
* विक्रेताओं के साथ दर संविदा
* थ्री शिफ्ट आपरेशन्स और निम्न प्रौद्योगिकी विनिर्माणी की आऊटसोर्सिंग
* रिटायर्ड इरेक्शन/कमीशनिंग विशेषज्ञों की सेवा का लाभ उठाना

विद्युत सृजन में 11वीं और 12वीं योजनाओं की मांग को पूरा करने के लिए बीएचईएल (भेल) दिसम्बर, 2007 तक अपनी विनिर्माणी क्षमता 6,000 मेगावाट से 10,000 मेगावाट तक 11वीं योजना के दौरान 15,000 मेगावाट तक बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं। भेल ने अति महत्वपूर्ण थर्मल सेटों तथा उन्नत श्रेणी के गैस टरबाइनों की विनिर्माणी क्षमता प्राप्त करने हेतु विश्व में प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रबंधकों के साथ भी समझौता किया है।

उपयोग में नहीं लाई जा रही रक्षा भूमि का खुदरा व्यवसाय के लिए आबंटन

***508. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''एसोचैम'' ने सरकार से उपयोग में नहीं लायी जा रही रक्षा भूमि का खुदरा व्यवसाय के लिए आबंटन करने का अनुरोध किया है जैसाकि दिनांक 24 मार्च, 2007 के ''नवभारत टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्थलों/स्मारकों का रख-रखाव और संरक्षण

***509. श्री रामदास आठवले:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थितिनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा राज्य-वार कितने ऐतिहासिक स्थलों/स्मारकों/धार्मिक स्थलों का रख-रखाव/परिरक्षण/संरक्षण किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रख-रखाव/परिरक्षण/संरक्षण के लिए कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों से ऐतिहासिक स्थलों/स्मारकों/कीर्तिस्तम्भों के रख-रखाव/संरक्षण/परिरक्षण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) केन्द्र द्वारा परिरक्षित ऐसे स्मारकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें एएसआई द्वारा रख-रखाव/परिरक्षण के लिए निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) अद्यतन स्थिति के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित घोषित और अनुरक्षित ऐतिहासिक स्थानों/स्मारकों/धार्मिक स्थानों की संख्या 3667 है। राज्य-वार सूची विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास के लिए आबंटित निधियां तथा किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2004-05	9344.00	9288.00
2005-06	10042.06	10194.54
2006-07	10860.43	10816.89

(ग) से (ङ) चालू वर्ष के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ऐतिहासिक स्थानों/स्मारकों/कीर्तिस्तम्भों के रख-रखाव/संरक्षण के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, पूर्व के वर्षों में स्मारकों/ऐतिहासिक स्थानों के संरक्षण/संरचनात्मक मरम्मतों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे जिन्हें डिपाजिट कार्यों के रूप में किया गया था। ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोई भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक रख-रखाव/संरक्षण के लिए निजी पार्टियों को नहीं सौंपा गया है। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी पहल के जरिए केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर संरक्षण/सुविधाओं के विकास के लिए सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के कार्पोरेटों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्मारकों/स्थलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	137
2.	असम	53
3.	अरुणाचल प्रदेश	5
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	175
7.	दमन एवं दीव	12
8.	गोवा	21
9.	गुजरात	202
10.	हरियाणा	90
11.	हिमाचल प्रदेश	40
12.	जम्मू-कश्मीर	69
13.	झारखण्ड	12
14.	केरल	26
15.	कर्नाटक	507
16.	महाराष्ट्र	286
17.	मध्य प्रदेश	286
18.	मणिपुर	1
19.	मेघालय	8
20.	नागालैंड	4
21.	उड़ीसा	78
22.	पंजाब	31
23.	पाण्डिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	7
24.	राजस्थान	162
25.	सिक्किम	3
26.	तमिलनाडु	413
27.	त्रिपुरा	5
28.	उत्तर प्रदेश	742
29.	उत्तरांचल	42
30.	पश्चिम बंगाल	133
	कुल	3667

विवरण II

सिविल डिपाजिट कार्य

राज्य तथा केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण कार्य हेतु राज्य सरकारों के स्वीकृत प्रस्ताव

क्र.सं.	स्मारक का नाम	जमा की गई राशि (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	**हरियाणा सरकार**	
1.	छत्ता राय बाल मुकुन्द दास, नारनौल	90.00
2.	पीर तुकमान का मकबरा तथा मस्जिद, नारनौल	35.00
3.	चोर गुम्बद, नारनौल	29.00
4.	मिर्जा अलीजान का तख्त तथा बाउली, नारनौल	31.00
5.	विश्वामित्र का टीला, पेहोवा	16.00
6.	यूरोपीय कब्रिस्तान, अम्बाला कैन्ट	15.00
7.	बौद्ध स्तूप, चनेटी, यमुना नगर	17.00
8.	शीश महल, फारूख नगर, गुड़गांव	30.00
9.	दरगाह चार कुतुब, हांसी	12.00
10.	देहरा मन्दिर, फिरोजपुर झिरखा	35.00
11.	शेख तैय्यब का मकबरा, कैथल	11.00

1	2	3
12.	प्राचीन स्थल, भीरदाना, फतेहाबाद	2.00
13.	जहाज कोठी, हिसार	53.00
14.	विश्वामित्र का टीला (भूमि की खरीद)	6.65
15.	जोनल संग्रहालय, हिसार	22.00
	कुल	404.65
2.	**झारखंड सरकार**	
1.	मन्दिर समूह, हाराडीह	20.00
2.	दुम्बरी हिल मुरहु, रांची	10.00
3.	टंगीनाथ मन्दिर समूह, डुमरी, गुमला	25.00
4.	मलुटी मन्दिर समूह, डुमका	30.00
5.	पलामू किला (प्राचीन तथा नया) बारवाडीह, लटेहार	50.00
6.	शाहपुर किला, चैनपुर, मेदनी नगर	20.00
	कुल	155.00
3.	**महाराष्ट्र सरकार**	
1.	शिवनेरी किला, जूनार (केन्द्रीय संरक्षित स्मारक)	197.00

विवरण III

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन स्मारकों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण-राष्ट्रीय संस्कृति निधि परियोजनाएं

क्र.सं.	स्मारक का नाम	प्रायोजक एजेन्सी का नाम	राज्य	परियोजना के लिए नियत निधि	अभ्युक्तियां
1.	ताजमहल, आगरा	इंडियन होटल्स कम्पनी लिमिटेड (टाटा समूह)	उत्तर प्रदेश	1.87 करोड़ रुपए	कार्य प्रगति पर है
2	जन्तर-मन्तर	एपीजे सुरेन्द्र पार्क होटल्स लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	10 लाख रुपए	कार्य प्रगति पर है
3.	लोदी गार्डन स्थित स्मारक	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1.00 करोड़ रुपए	
4.	जैसलमेर किला, जैसलमेर	विश्व स्मारक निधि	राजस्थान	4,39,000 अमरीकी डालर तथा 4 करोड़ रुपए भा.पु.स. द्वारा	कार्य प्रगति पर है
5.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	इंडियन आयल फाउंडेशन	उड़ीसा	25.00 करोड़ रुपए	
6.	कन्हेरी गुफाएं, मुम्बई		महाराष्ट्र		
7.	मंदिर समूह, खजुराहो		मध्य प्रदेश		
8.	स्मारक समूह, हम्पी		कर्नाटक		
9.	वारंगल किला, वारंगल		आंध्र प्रदेश		

हानि में हिस्सेदारी

***510. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुखः क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के तेलशोधन कारखानों को तेल विपणन कंपनियों द्वारा एलपीजी और कैरोसीन की बिक्री में हो रही हानि का भार वहन करने में हिस्सेदारी निभाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकारी/निजी क्षेत्र के तेलशोधन कारखानों की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) जी, हां। 2003 के अंत से अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में अभूतपूर्व, तीव्र और उछालदार वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार ने जून, 2004 में पणधारकों नामतः तेल कंपनियों सरकार और उपभोक्ताओं के बीच बोझ में सुनीतिसंगत हिस्सेदारी के सिद्धांत को स्पष्ट किया। सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने छूट देते हुए घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल के विपणन में उनके द्वारा झेली गई अल्पवसूलियों के बोझ में हिस्सेदारी करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों के साथ वार्ता की।

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को 4393 करोड़ रुपये की राशि के बराबर छूट उपलब्ध कराई।

[अनुवाद]

कच्चे तेल की कीमतें

***511. श्री तथागत सत्पथीः क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के रूझान मुद्दे के मद्देनजर सरकार का पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को और घटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत छह महीनों के दौरान कच्चे तेल की कीमतों का माह-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है; और

(घ) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिति क्या रही?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ग) जी, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें एक बार फिर मजबूत होनी शुरू हो गई हैं और नवम्बर, 2006 से सामान्यतया बढ़ गई हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है। इस समय भारतीय बास्केट कच्चे तेल की कीमत लगभग 65 अमरीकी डालर प्रति बैरल है।

अगस्त, 2006 के बदा तेल की विश्वव्यापी रूप से कीमतों में आई नरमी को ध्यान में रखते हुए, जब भारतीय बास्केट 75 अमरीकी डालर की उच्चतम कीमत पर पहुंच गया और मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करने के लिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30.11.2006 को और दोबारा 16.2.2007 को कम की गई। प्रत्येक बार यह कमी पेट्रोल और डीजल के लिए क्रमशः 2/- रुपए प्रति लीटर और 1/- प्रति लीटर की गई थी (दिल्ली की कीमत)। पीडीएस मिट्टी तेल की कीमत मार्च 2002 से संशोधित नहीं की गई हैं और घरेलू एलपीजी की कीमत नवम्बर, 2004 में पिछली बार संशोधित की गई थी।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों अर्थात् आईओसी, एचपीसी, बीपीसी और आईबीपी के वित्तीय वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर, 2006) के नवीनतम उपलब्ध कर पश्चात लाभ के ब्यौरे नीचे दिये गये हैः-

(करोड़ रु.)

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों का कर पश्चात लाभ	2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर, 2006) (गैर लेखा परीक्षित)
आईओसी	5889.80*
एचपीसी	1021.63
बीपीसी	1135.50
आईबीपी	106.98

*इसमें 3225 करोड़ रुपए के ओएनजीसी के शेयरों की बिक्री पर हुआ लाभ सम्मिलित है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों का रूख

अवधि	मासिक औसत कच्चा तेल* (भारतीय बास्केट) डालर/बीबीएल
नवम्बर, 06	57.80
दिसम्बर, 06	60.35
जनवरी, 07	52.53
फरवरी, 07	56.53
मार्च, 07	60.26
अप्रैल, 07	65.52

भारतीय कच्चे तेल की बास्केट का संघटन अम्लीय ग्रेडों और स्वीट ग्रेड के लिए ब्रेंट (डेटिड) के लिए ओमान और दुबई की औसत, 59.8:40.42 औसत में दर्शाता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

*512. **श्री जोवाकिम बखला:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "एसोसिएशन आफ चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री" ने सरकार को वर्ष 2006-07 में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में कोई पत्र (पेपर) प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) एसोसिएशन आफ चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए विभिन्न नीतिगत पहल के बारे में सुझाव दिए/सिफारिशें की हैं। इनमें ठेका खेती के प्रोत्साहन के जरिए प्रसंस्करण उद्योग को कच्ची सामग्री की उपलब्धता, कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम का प्रतिस्थापन, विदेशी बाजारों में भारतीय खाद्य उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए मियादी ऋण और कार्यशील पूंजी हेतु संस्थागत वित्त तक पहुंच शामिल हैं। कराधान और साख से संबंधित सिफारिशों में प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में बैंक ऋण हेतु सभी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का उनके आकार पर ध्यान दिए बिना वर्गीकरण, ब्राण्ड वाले और गैर ब्राण्ड वाले खाद्य उत्पादों के अन्तर को दूर करने के लिए इस क्षेत्र के लिए कराधान ढांचे में संशोधन करना और उसे युक्तिसंगत बनाना, मूल खाद्यों के लिए पैकेजिंग सामग्री पर उत्पाद शुल्क को समाप्त करना और खाद्य प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग मशीनरी/शीत श्रृंखला उपकरण पर उत्पाद शुल्क में कमी करना शामिल हैं। इस आलेख में खाद्य कानूनों, मानकों, प्रवर्तन एजेंसियों की बहुलता को दूर करने, और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अपर्याप्तता, नमूना लेने की विधियों, निरीक्षण और परीक्षण के संबंध में सूचना की कमी का भी उल्लेख किया गया है। इसमें खाद्य निरीक्षकों की प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षाओं और इस उद्योग के असंगठित क्षेत्र में जीएमपी, जीएचपी और एचएसीसीपी जैसे खाद्य स्वास्थ्यकर मानकों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें खाद्य सुरक्षा और विनियमन, उभरते अंतर्राष्ट्रीय रूखों, गुणवत्ता अपेक्षाओं और प्रक्रिया संबंधी जानकारी से संबंधित मुद्दों को शामिल करते हुए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने का उल्लेख है। विशेषकर प्रबंधन कार्यक्रमों आदि की पेशकश द्वारा उद्योग की शैक्षणिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को सतत आधार पर पूरा करने के लिए विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है।

सरकार चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दिए गए अधिकांश सुझावों को संबोधित कर रही है। 11वीं योजना स्कीमें में मंत्रालय बुनियादी ढांचा विकास संबंधी पुनः तैयार की गई स्कीम के अंतर्गत बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित कर रहा है जिसके अंतर्गत मेगा खाद्य पार्कों, शीत श्रृंखला सुविधाओं, मूल्यवर्धित केन्द्रों, पैकेजिंग केन्द्रों आदि की स्थापना के लिए सहायता दी जाएगी। गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान एवं विकास तथा संवर्धनात्मक कार्यकलापों जैसी स्कीमों, मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीमों आदि और हरियाणा (कुण्डली) में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में गुणवत्ता तथा मानव संसाधन विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया जाएगा। आशा है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किराए के परिसर में लघु अवधि पाठ्यक्रम शुरू कर देगा। आशा है कि यह संस्थान तृतीय वर्ष के दौरान पूर्ण रूप से परिचालन योग्य हो जाएगा।

सुझाए गए माडल अधिनियम के आधार पर, कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में सुधार करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने संबंधित राज्य स्तरीय अधिनियमों में उपयुक्त रूप से सुधार करके कृषि विपणन क्षेत्रों में सुधारों की शुरूआत कर दी है। शुरू किए जाने वाले प्रमुख सुधारों में प्रत्यक्ष

बिक्री के लिए प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों तथा उपभोक्ता/किसान बाजारों की स्थापना और ठेका खेती व्यवस्थाओं के लिए संस्थागत सहायता तंत्र शुरू करना शामिल है। सरकार भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए संभावित बाजारों वाले देशों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय बाजार समझौते और विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय समझौते कर रही है ताकि खेत उपजों समेत भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में संयंत्र और मशीनरी में निवेश के संबंध में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की पात्रता जोकि पूर्व में 5 करोड़ रुपये थी, को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया है। कर ढांचे का सुसंगतीकरण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और चालू वर्ष के बजट के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग को विभिन्न कर प्रोत्साहन दिए गए हैं जिसमें लघु उद्योग के लिए उत्पाद शुल्क की छूट सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करना शामिल है। 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अनधिक खुदरा कीमत वाले बिस्कुटों पर उत्पाद शुल्क को 8% से घटाकर 0% किया गया है। इंस्टेंट मिक्सेज समेत सभी प्रकर के फूड मिक्सेज पर उत्पाद शुल्क को 8% से घटाकर 0% और प्रशीतित वैनों (प्रशीतित मोटर वाहनों) पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% किया गया है। सोयाबड़ी (खाद्य संपूरकों) और खाने के लिए तैयार पैक खाद्यों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी पर उत्पाद शुल्क को 7.5% से कम करके 5% और सूरजमुखी तेल (कच्चा) पर उत्पाद शुल्क को 65% से कम करके 50% और सूरजमुखी तेल (परिष्कृत) पर उत्पाद शुल्क को 75% से कम करके 60% किया गया है। परिष्कृत खाने योग्य तेल के मामले में 4% के विशेष अतिरिक्त शुल्क को समाप्त किया गया है। प्रौद्योगिकी कारोबार इन्क्यूबेटरों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सेवाकर से छूट दी गई है और इसी तरह उनके इन्क्यूबेटीस जिनका सालाना कारोबार 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को प्रथम तीन वर्षों के लिए सेवाकर से छूट दी गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विनियमित करने वाले खाद्य कानूनों की बहुलता के कारण उद्योग द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने "खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006" शीर्षक से एक समेकित खाद्य कानून अधिनियमित किया है जिसे संसद द्वारा पारित और 24.08.2006 को अधिसूचित किया जा चुका है। उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया जाने वाला खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उद्योग की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं समेत स्वास्थ्यकर खाद्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों को संबोधित करेगा। सरकार का प्रस्ताव 11वीं योजना में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर बड़ी संख्या में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सहायता देकर गुणवत्ता परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचा विकास को सुदृढ़ करने का है।

[हिन्दी]

ओएनजीसी और ओआईएल को दिए गए तेल ब्लाक

***513. श्री रामजीलाल सुमनः**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तेल के दोहन के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को अब तक तेल के कई ब्लाक आबंटित किए जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कंपनियों में से प्रत्येक को मार्च, 2007 तक आबंटित किये तेल ब्लाकों के नाम क्या हैं और तेल के भंडारों की मात्रा का ब्लाक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों कंपनियों द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों, विशेषकर विदेशी तेल कंपनियों के साथ व्यापार समझौते करने के बाद ही कच्चे तेल का दोहन शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इन दोनों सरकारी तेल कंपनियों के निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ समझौते करने के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) जी, हां। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को अब तक हुए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) बोली के छह दौरों के अंतर्गत कुल 86 अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए हैं। प्रदान किए गए ब्लाकों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। एनईएलपी के अंतर्गत ओएनजीसी और ओआईएल को प्रदान किए गए ब्लाकों में अब तक किसी तेल और गैस भंडार का पता नहीं लगा है। तथापि, ओएनजीसी ने अब तक छह एनईएलपी ब्लाकों में गैस खोजे की हैं और ये खोजें मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में है। इन छह ब्लाकों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) ओएनजीसी और ओआईएल उन संबंधित परिसंघ भागीदारों के साथ संयुक्त प्रचालन कराए (जेओए) करते है, जहां ब्लाक कम्पनियों के परिसंघ को दिए गए हैं।

संयुक्त प्रचालक करार इन दो कम्पनियों और परिसंघ भागीदारों सार्वजनिक और निजी दोनों, जो बोली के समय गठित किए जाते है, के बीच अन्वेषण और उत्पादन मामलों से संबंधित होते हैं।

विवरण I

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	पीआई (%) के साथ परिसंघ	संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख
1	2	3	4
1.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2	ओएनजीसी (90) व सीईआईएल (10)	12.04.2000
2.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/4	ओएनजीसी (85) व ओआईएल (15)	12.04.2000
3.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/5	ओएनजीसी (100)	12.04.2000
4.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/3	ओएनजीसी (100)	12.04.2000
5.	एमबी-ओएसएन-97/4	ओएनजीसी (70) व आईओसी (30)	12.04.2000
6.	केजी-ओएसएन-97/1	ओएनजीसी (100)	12.04.2000
7.	एमएन-ओएसएन-97/3	ओएनजीसी (85) व गेल (15)	12.04.2000
8.	केके-ओएसएन-97/3	ओएनजीसी (100)	त्याग दिया
9.	जीएस-डीडब्ल्यूएन-2000/1	ओएनजीसी (100)	17.07.2001
10.	एमबी-डीडब्ल्यूएन-2000/1	ओएनजीसी (85) व आईओसी (15)	17.07.2001
11.	जीएस-डीडब्ल्यूएन-2000/2	ओएनजीसी (85) व गेल (15)	17.07.2001
12.	एमबी-डीडब्ल्यूएन-2000/2	ओएनजीसी (50), आईओसी (15), गेल (15), आएआईएल (10) व जीएसपीसी (10)	17.07.2001
13.	केके-डीडब्ल्यूएन-2000/4	ओएनजीसी (100)	17.07.2001
14.	एमबी-ओएसएन-2000/1	ओएनजीसी (75), आईओसी (15) व जीएसपीसी (10)	17.07.2001
15.	सीवाई-ओएसएन-2000/1	ओएनजीसी (100)	17.07.2001
16.	सीवाई-ओएसएन-2000/2	ओएनजीसी (100)	17.07.2001
17.	एमएन-ओएसएन-2000/1	ओएनजीसी (100)	17.07.2001
18.	एनएन-ओएसएन-2000/2	ओएनजीसी (40), आईओसी (20), गेल (20), व ओआईएल (20)	17.07.2001
19.	डब्ल्यूबी-ओएसएन-2000/1	ओएनजीसी (85) व आईओसी (15)	17.07.2001
20.	केके-डीडब्ल्यूएन-2000/2	ओएनजीसी व गेल	त्याग दिया
21.	केके-ओएसएन-2000/1	ओएनजीसी	त्याग दिया
22.	डब्ल्यूबी-ओएनएन-2000/1	ओएनजीसी व आईओसी	त्याग दिया
23.	जीवी-ओएनएन-2000/1	ओएनजीसी व आईओसी	त्याग दिया

1	2	3	4
24.	केके-डीडब्ल्यूएन-2001/3	ओएनजीसी (100)	04.02.2003
25.	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2001/1	ओएनजीसी (80) व ओआईएल (20)	04.02.2003
26.	जीएस-ओएसएन-2001/1	ओएनजीसी (100)	04.02.2003
27.	केके-ओएसएन-2001/2	ओएनजीसी (100)	04.02.2003
28.	केके-ओएसएन-2001/3	ओएनजीसी (100)	04.02.2003
29.	एएओएनएन-2001/1	ओएनजीसी (100)	04.02.2003
30.	एए-ओएनएन-2001/2	ओएनजीसी (80) व आईओसी (20)	04.02.2003
31.	एए-ओएनएन-2001/3	ओएनजीसी (85) व ओआईएल (15)	04.02.2003
32.	एए-ओएनएन-2001/4	ओएनजीसी (100)	04.02.2003
33.	एचएफ-ओएनएन-2001/1	ओएनजीसी (100)	04.02.2003
34.	सीबी-ओएनएन-2001/1	ओएनजीसी (70) व सीईआईएल (15)	04.02.2003
35.	पीजी-ओएनएन-2001/1	ओएनजीसी (100)	04.02.2003
36.	जीएस-डीडब्ल्यूएन-2002/1	ओएनजीसी (100)	06.02.2004
37.	केके-डीडब्ल्यूएन-2002/2	ओएनजीसी (80) व एचपीसीएल (20)	06.02.2004
38.	केके-डीडब्ल्यूएन-2002/3	ओएनजीसी (80) व एचपीसीएल (20)	06.02.2004
39.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2002/1	ओएनजीसी (70) व सीईआईएल (15)	06.02.2004
40.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2002/1	ओएनजीसी (70) व ओआईएल (30)	06.02.2004
41.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2002/2	ओएनजीसी (100)	06.02.2004
42.	एनईसी-डीडब्ल्यूएन-2002/2	ओएनजीसी (100)	06.02.2004
43.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2002/1	ओएनजीसी (100)	06.02.2004
44.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2002/2	ओएनजीसी (100)	06.02.2004
45.	एए-ओएनएन-2002/4	ओएनजीसी (90) व ओआईएल (10)	06.02.2004
46.	सीबी-ओएनएन-2002/1	ओएनजीसी (70) व सीईजीबीआई (30)	06.02.2004
47.	सीवाई-ओएनएन-2002/2	ओएनजीसी (60) व बीपीसीएल (40)	06.02.2004
48.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2003/1	ओएनजीसी (100)	23.09.2005
49.	सीबी-ओएसएन-2003/1	ओएनजीसी (100)	23.09.2005
50.	जीएस-ओएसएन-2003/1	ओएनजीसी (51) व सीईआईएल (49)	23.09.2005

1	2	3	4
51.	केके-डीडब्ल्यूएन-2004/1	ओएनजीसी (45), केर्न इंडिया लि. (40) व टाटा (15)	02.03.2007
52.	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/1	ओएनजीसी (70)-जीएसपीसी (10)-एचपीसीएल (10)-गेल (10)	02.03.2007
53.	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/2	ओएनजीसी (70)-जीएसपीसी (10)-एचपीसीएल (10)-गेल (10)	02.03.2007
54.	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/3	ओएनजीसी (70)-जीएसपीसी (10)-एचपीसीएल (10)-गेल (10)	02.03.2007
55.	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/4	ओएनजीसी (70)-जीएसपीसी (10)-एचपीसीएल (10)-गेल (10)	02.03.2007
56.	सीवाई-पीआरडीडब्ल्यूएन-2004/1	ओएनजीसी (70)-जीएसपीसी (10)-एचपीसीएल (10)-गेल (10)	02.03.2007
57.	सीवाई-पीआरडीडब्ल्यूएन-2004/2	ओएनजीसी (70)-जीएसपीसी (10)-एचपीसीएल (10)-गेल (10)	02.03.2007
58.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/1	ओएनजीसी (70)-जीएसपीसी (10)-एचपीसीएल (10)-गेल (10)	02.03.2007
59.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/2	ओएनजीसी (70)-जीएसपीसी (10)-एचपीसीएल (10)-गेल (10)	02.03.2007
60.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/3	ओएनजीसी (70)-जीएसपीसी (10)-एचपीसीएल (10)-गेल (10)	02.03.2007
61.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/5	ओएनजीसी (50)-जीएसपीसी (10)-एचपीसीएल (10)-गेल (10)-ओआईएल (10)-बीपीसीएल (10)	02.03.2007
62.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/6	ओएनजीसी (60)-जीएसपीसी (10)-एचपीसीएल (10)-गेल (10)-आएआईएल (10)	02.03.2007
63.	जीएस-ओएसएन-2004/1	ओएनजीसी (100)	02.03.2007
64.	केजी-ओएसएन-2004/1	ओएनजीसी (55)-बीजीईपीआई (45)	02.03.2007
65.	पीए-ओएनएन-2004/1	ओएनजीसी (100)	02.03.2007
66.	जीवी-ओएनएन-2004/1	ओएनजीसी (100)	02.03.2007
67.	वीएन-ओएनएन-2004/1	ओएनजीसी (100)	02.03.2007
68.	वीएन-ओएनएन-2004/2	ओएनजीसी (100)	02.03.2007
69.	सीबी-ओएनएन-2004/1	ओएनजीसी (50)-जीएसपीसी (40)-हेरामेक (10)	02.03.2007

1	2	3	4
70.	सीबी-ओएनएन-2004/2	ओएनजीसी (50)-जीएसपीसी (40)-सुनेत्रा रिसर्च लि. (10)	02.03.2007
71.	सीबी-ओएनएन-2004/3	ओएनजीसी (40)-जीएसपीसी (35)-एनसर्च (25)	02.03.2007
72.	सीबी-ओएनएन-2004/4	ओएनजीसी (50)-जीएसपीसी (40)-हेरामेक (10)	02.03.2007
73.	सीवाई-ओएनएन-2004/1	ओएनजीसी (80)-बीपीसीएल (20)	02.03.2007
74.	सीवाई-ओएनएन-2004/2	ओएनजीसी (80)-बीपीसीएल (20)	02.03.2007

ओआईएल को एनईएलपी के विभिन्न दौरों के अंतर्गत दिए गए अन्वेषण ब्लाक

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	परिसंघ का नाम	अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख
75.	आरजे-ओएनएन-2000/1	ओआईएल (100)	17.07.2001
76.	एमएन-ओएनएन-2000/1	ओआईएल (40) व ओएनजीसी (20)	17.07.2001
77.	आरजे-ओएनएन-2001/1	ओआईएल (100)	17.07.2001
78.	एए-ओएनएन-2002/3	ओआईएल (30) व ओएनजीसी (70)	06.02.2004
79.	आरजे-ओएनएन-2002/1	ओआईएल (60) व ओएनजीसी (40)	06.02.2004
80.	एए-ओएनएन-2003/3	ओआईएल (85) एचपीसीएल (15)	23.09.2005
81.	एमजेड-ओएनएन-2004/1	ओआईएल (75)-संटेरा (10)-शिववाणी (15)	02.03.2007
82.	एए-ओएनएन-2004/1	ओआईएल (85)-शिववाणी (15)	02.03.2007
83.	एए-ओएनएन-2004/2	ओआईएल (90)-संटेरा (10)	02.03.2007
84.	आरजे-ओएनएन-2004/2	ओआईएल (75)-ज्यो ग्लोबल (25)	02.03.2007
85.	आरजे-ओएनएन-2004/3	ओआईएल (60)-ज्यो ग्लोबल (25) एचपीसीएल (15)	02.03.2007
86.	केजी-ओएनएन-2004/1	ओआईएल (90)-ज्यो ग्लोबल (10)	02.03.2007

विवरण II

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	क्षेत्र/स्थान	प्रकार
1.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2-ए	के जी गहन जल	गैस
2.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2-यू	के जी गहन जल	गैस
3.	केजी-डीडब्ल्यूएन-एस-1	के जी गहन जल	गैस
4.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2-यूडी-1	के जी गहन जल	गैस
5.	एमएन-ओएसएन-2000/2	महानदी	गैस
6.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2-डब्ल्यू	के जी गहन जल	गैस

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

***514. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री श्रीचन्द कृपलानी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 'मीटर गेज' तथा 'नैरो गेज' रेल लाइनों की जोन-वार/राज्य-वार लम्बाई कितनी है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान आमान परिवर्तन की पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आमान परिवर्तन परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण रेलवे को कई हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आमान परिवर्तन की सभी चालू/लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) 31.3.2006 की स्थिति (अद्यतन उपलब्ध स्थिति) के अनुसार देश में मीटर गेज लाइनों और छोटी लाइनों की लंबाई (मार्ग किलोमीटर) राज्यवार एवं जोनवार इस प्रकार है:-

राज्य का नाम	मार्ग किलोमीटर	
	मीटर लाइन	छोटी लाइन
1	2	3
आंध्र प्रदेश	328.96	शून्य
अरुणाचल प्रदेश	1.26	शून्य
असम	1057.12	शून्य
बिहार	1099.27	शून्य
छत्तीसगढ़	शून्य	89.20
दिल्ली	21.74	शून्य
गुजरात	1474.75	786.67
हरियाणा	316.37	3.41
हिमाचल प्रदेश	शून्य	245.78
कर्नाटक	398.27	शून्य
केरल	116.89	शून्य
मध्य प्रदेश	500.25	708.08
महाराष्ट्र	429.37	733.01
मणिपुर	1.35	शून्य
मिजोरम	1.50	शून्य
नागालैंड	1.72	शून्य
उड़ीसा	शून्य	37.36
पंजाब	शून्य	11.66
राजस्थान	2200.54	86.76
तमिलनाडु	1812.49	शून्य
त्रिपुरा	64.42	शून्य
उत्तर प्रदेश	1707.94	2.03
उत्तरांचल	61.15	शून्य
पश्चिम बंगाल	238.93	220.01

नोट: शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कोई मीटर लाइन/छोटी लाइन नहीं है।

रेलवे जोन का नाम	मार्ग किलोमीटर	
	मीटर लाइन	छोटी लाइन
1	2	3
मध्य	शून्य	572.52
पूर्व	शून्य	132.53
पूर्व मध्य	721.95	शून्य
पूर्व तट	शून्य	शून्य
उत्तर	87.71	260.85
उत्तर मध्य	46.48	283.59

1	2	3
पूर्वोत्तर	1854.31	शून्य
पूर्वोत्तर सीमा	1611.92	87.48
उत्तर पश्चिम	2509.63	शून्य
दक्षिण	1929.38	शून्य
दक्षिण मध्य	828.51	शून्य
दक्षिण पूर्व	शून्य	37.36
दक्षिण पूर्व मध्य	शून्य	757.97
दक्षिण पश्चिम	398.27	शून्य
पश्चिम	1846.13	786.67
पश्चिम मध्य	शून्य	शून्य

(ख) पिछले पांच वर्ष के दौरान मीटर लाइन/छोटी लाइन से बड़ी लाइनों में बदले गए रेलपथ की लंबाई नीचे उल्लिखित है:

वर्ष	आमान परिवर्तन (रेलपथ किलोमीटर)
2002-03	830
2003-04	854
2004-05	779
2005-06	744
2006-07	1082

(ग) और (घ) अधिकांश महत्वपूर्ण मार्गों को पहले ही बड़ी लाइन में बदला जा चुका है। शेष मीटर लाइन/छोटी लाइन खंडों पर सामान्यत: अत्यधिक कम यातायात है और रेलवे को इन खंडों पर गाड़ी सेवाओं के परिचालन पर हानि उठानी पड़ रही है। पिछले तीन वर्ष के दौरान मीटर लाइन/छोटी लाइन प्रणाली पर हुई हानियां इस प्रकार हैं:

वर्ष	हानि (करोड़ रुपयों)
2004-05	2977
2005-06	2771
2006-07	अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

(ङ) चालू परियोजनाओं में तेजी लाने हेतु पिछले कुछ वर्षों के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अनेक पहलकदमियां की गई हैं जैसे राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए परियोजना निर्दिष्ट वित्तपोषण, रक्षा मंत्रालय से वित्तपोषण, सार्वजनिक निजी भागीदारी, रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए बजट से इतर पहलकदमियां। इनके अलावा, कुछ आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए संसाधनों के आंतरिक सृजन के माध्यम से भी धन मुहैया कराया जा रहा है।

बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर चौकीदार तैनात करना

***515. डा. टोकचोम मैन्या:**
श्री एस. अजय कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय चौकीदार वाले और बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों की राज्य/जोन-वार संख्या कितनी है;

(ख) बिना चौकीदार वाले उन रेलवे फाटकों का ब्यौरा क्या है जहां पर चौकीदार तैनात किए गए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान इस हेतु राज्य-वार/जोन-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान बिना चौकीदार वाले उन रेलवे फाटकों का राज्य/जोन-वार ब्यौरा क्या है जिन पर चौकीदार तैनात किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर चौकीदार तैनात किए जाने के लिए निजी पार्टियों को आमंत्रित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (ग) समपारों के ब्यौरे जोन-वार रखे जाते हैं। 01.04.2006 तक चौकीदार वाले और बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या नीचे दी गई है। बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या और पिछले तीन वर्षों के दौरान समपारों पर चौकीदार तैनात किए जाने का लक्ष्य एवं वास्तविक और 2007-08 के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

रेलवे	चौकीदार वाले समपारों की संख्या	बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या*	2004-05 से 2007-08 के दौरान चौकीदार की तैनाती हेतु लक्ष्यबद्ध बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या				2004-05 से 2006-07 के दौरान चौकीदार तैनात किए गए समपारों की संख्या		
			2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2004-05	2005-06	2006-07
मध्य	932	503	02	06	0	03	0	06	0
पूर्व	912	379	11	0	0	01	11	11	01
उत्तर	2333	2021	10	62	80	100	10	43	24
पूर्वोत्तर	1008	1729	10	20	40	17	24	21	28
पूर्वोत्तर सीमा	673	1092	10	13	01	06	06	14	08
दक्षिण	1714	1333	05	50	60	100	05	51	49
दक्षिण मध्य	1241	1373	15	33	27	20	15	37	12
दक्षिण पूर्व	414	964	10	12	03	06	04	02	03
पश्चिम	1743	2901	10	35	53	55	04	26	29
पूर्व मध्य	962	879	35	20	10	10	21	10	05
पूर्व तट	437	985	20	20	26	0	20	22	14
उत्तर मध्य	1009	625	30	20	15	20	24	02	09
उत्तर पश्चिम	1320	1414	15	30	24	54	18	05	21
दक्षिण पूर्व मध्य	405	821	15	15	03	15	13	19	12
दक्षिण पश्चिम	617	913	10	25	21	30	12	22	17
पश्चिम मध्य	880	365	03	04	05	10	03	0	04
कुल	16,600	18,297	211	365	369	447	190	291	236

*नहर क्रांसिग और ''डी'' श्रेणी के मवेशी समपारों को छोड़कर

(घ) अभी तक नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार के अवसरों का सृजन

***516. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा पर्याप्त राजस्व का अर्जन और रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2003-04 में प्रसंस्कृत खाद्य का उपभोग 4,60,000 करोड़ रुपये मूल्य का था। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र गहन

रोजगार वाला क्षेत्र है और इसमें प्रति 10 लाख के निवेश से आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्यक्ष रूप से 1.8 और अप्रत्यक्ष रूप से 6.4 रोजगार उत्पन्न होते हैं। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार, बड़े और मंझौले लघु उद्योगों के मामले में वर्ष 2004 से 2006 की अवधि के दौरान कुल 758 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का प्रस्ताव किया गया है जिससे लगभग 78360 रोजगार उत्पन्न होंगे। लघु उद्योग मंत्रालय के अनुसार, लघु उद्योग क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में रोजगार का अनुमान 36 लाख से अधिक लगाया गया है। कृषि उपज को बाजार उपलब्ध कराने से भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बढ़ोत्तरी हुई है क्योंकि इससे किसानों की आय में और बढ़ोत्तरी होती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर विजन, 2015 को अंतिम रूप दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समूह आधारित तथा मांग आधारित खेती, खेत से बाजार तक खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा विकास के समेकन की प्राप्ति, एक गतिशील खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संवर्धन की परिकल्पना की गई है जिससे जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20%, मूल्यवर्धन को 20% से बढ़ाकर 35% और विश्व खाद्य व्यापार में अंशदान को 1.5% से बढ़ाकर 3% करते हुए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार को वर्ष 2015 तक तिगुना किया जा सके। विजन 2015 के तहत रणनीतिक हस्तक्षेप के लिए पहचाने गए प्रणोद क्षेत्र मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना करना, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण, शीत-श्रृंखला/मूल्यवर्धन तथा परिरक्षण बुनियादी ढांचा, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान की स्थापना द्वारा क्षमता निर्माण, खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 का निर्माण, गली-सड़क किनारे बिकने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता उन्नयन तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन हैं। सरकार ने विजन 2015 को कार्यान्वित करने के लिए इससे संबंधित एक विस्तृत कार्य योजना के साथ-साथ रणनीतियों की पहचान की है। आगामी 10 वर्षों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है जिसमें से 10% निवेश सरकार द्वारा, 45% वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा तथा 45% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा।

अनुमान है कि विजन 2015 को साकार बनाने से 1.8 प्रत्यक्ष और 6.4 अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा। कृषि क्षेत्र में, रोजगार सृजन में भूमिहीन मजदूर, लघु और सीमांत किसान, खेत पर विस्तार सेवाएं, सफाई, छंटाई, पैकिंग, परिवहन क्षेत्र, शीत श्रृंखला, आदानों की आपूर्ति, औद्योगिक प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण केंद्रों और फुटकर/विपणन संभार-तंत्र आदि शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त समुद्री उत्पाद, डेरी, पाल्ट्री और मांस प्रसंस्करण आदि जैसे गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार सृजित होगा।

[हिन्दी]

शीतागारों की क्षमता

***517. श्री बापू हरी चौरे:**
श्री संजय धोत्रे:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विद्यमान शीतागारों की क्षमता बढ़ाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान के रूप में कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 10वीं योजना अवधि के दौरान अपनी योजना स्कीमों के जरिए खाद्य प्रसंस्करण हेतु बुनियादी ढांचे जिसमें नियंत्रित/संशोधित वातावरण सुविधा वाले विशेष प्रकार के शीतागारों तथा प्रसंस्करण यूनिटों के अभिन्न अंग अथवा खाद्य पार्कों में सामान्य सुविधा वाले शीतागारों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण शामिल है, के विकास को बढ़ावा दे रहा है। 10वीं योजना स्कीम के तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य की लागत के 25% तक तथा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% तक जिसकी अधिकतम सीमा दोनों मामलों में 75 लाख रुपये है, सहायता दी जाती है।

वर्तमान में 81% से अधिक शीतागार क्षमता आलू के लिए है, जबकि फल-सब्जियों, मांस और मछली, दूध और दूध से बनी वस्तुओं समेत अन्य जल्दी खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं के लिए कुल क्षमता की लगभग 1.5 क्षमता ही है। जल्दी खराब होने वाली उपज के परिरक्षण और मूल्यवर्धन के लिए आधुनिक शीत श्रृंखला स्थापना को ध्यान में रखते हुए 11वीं योजना अवधि के दौरान मंत्रालय का प्रस्ताव विभिन्न स्तरों यानी खेत पर मूल प्रसंस्करण केंद्र-सह-शीत श्रृंखला, एकत्रीकरण/संग्रहण केंद्र तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वितरण केंद्र पर समेकित शीत श्रृंखला संबंधी बुनियादी

सुविधाएं स्थापित करने के लिए पुनः तैयार व्यापक शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम शुरू करने का है।

फसल कटाई के बाद कुछ ही घंटों में उपज खराब होनी शुरू हो जाती है इसलिए किसानों को सशक्त करने के वास्ते खेत पर कूलिंग और प्रारंभिक प्रसंस्करण महत्वपूर्ण है। खेत पर उक्त बुनियादी सुविधाओं से किसानों को अपनी उपज को परिरक्षित और मूल्यवर्धित करने में मदद मिलेगी जिससे उसे बेहतर कीमतें मिलेंगी। इस श्रृंखला में अगला स्तर एकत्रीकरण केंद्र होंगे जहां दूरवर्ती क्षेत्रों के निजी खेतों की उपज का संग्रहण/छंटाई होगी और उनकी सप्लाई आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वितरण केंद्रों, प्रसंस्करण यूनिटों तथा समीप के उपभोक्ता केंद्रों को करने के लिए शीतागारों में रखा जाएगा। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वितरण केन्द्रों में सामग्री हैंडलिंग उपकरण, प्रशीतन, अलग-अलग त्वरित प्रशीतन/ब्लास्ट फ्रीजिंग सुविधा, प्रशीतन/नियंत्रित वातावरण/परिवर्तित वातावरण वाले शीतागार, आधुनिक पैकेजिंग सुविधाएं, एक्सरे, वे-ब्रिज आदि जैसे सहायक उपकरणों आदि जैसी समेकित बुनियादी सुविधाएं होंगी।

शीतागारों समेत बुनियादी सुविधा विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बजट में 100 करोड़ रुपये कर प्रस्ताव किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समग्र विकास के लिए अपनी विभिन्न योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता दे रहा है। पिछले 3 सालों के दौरान विभिन्न योजना स्कीमों के तहत मंत्रालय द्वारा व्यय की गई राशि निम्नलिखित है:-

वर्ष	रुपए करोड़ में
2004-2005	80.42
2005-2006	119.65
2006-2007	152.96

होटल उद्योग को उद्योग का दर्जा

***518. श्री सज्जन कुमार:**
डा. राजेश मिश्रा:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी मुद्रा अर्जित करने की क्षमता के मद्देनजर होटल उद्योग को उद्योग का दर्जा दिए जाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों द्वारा लगातार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) उद्योग के दर्जे की घोषणा राज्य सरकार का विषयवस्तु है। जबकि पर्यटन मंत्रालय में होटलों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने हेतु कभी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है, कर अवकाश के साथ अवसंरचना का दर्जा प्रदान करने हेतु अनेक बार अनुरोध प्राप्त हुए। 1.4.2007 से 31.3.2010 के बीच दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा फरीदाबाद, गुड़गांव, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में बनने वाले 2, 3 और 4 सितारा श्रेणी के नए होटलों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80-आई डी (1) के अधीन 2007-08 के बजट में 5 वर्षों के लिए कर अवकाश की घोषणा की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग) ने पहाड़ी राज्यों जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों के लिए इन राज्यों में स्थापित इको टूरिज्म उद्योगों सहित, कुछ पहचान किए गए थ्रस्ट उद्योगों के लिए उत्पाद शुल्क, आयकर छूट, निवेश इमदाद के अंतर्गत छूट देते हुए पैकेजों की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों के 2 सितारा एवं उससे ऊपर की श्रेणी के होटलों को भी कुछ प्रोत्साहन दिए गए हैं।

[अनुवाद]

लोक जनजातीय कला और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन

***519. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न जनजातियों की लोक जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए कोई योजना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों/अभिकरणों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जनजातीय संस्कृति और लोक कला के परिरक्षण

और संवर्धन के संबंध में संस्कृति मंत्रालय के अनेक कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता द्वारा प्रायोजित अनेक कार्यक्रम शामिल है। इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय की 'जनजातीय/लोक कला तथा संस्कृति के परिरक्षण और संवर्धन संबंधी एक विशिष्ट स्कीम'' सहित अन्य अनवरत स्कीमें हैं। इस स्कीम के तहत जनजातीय/लोक कला और संस्कृति के परिरक्षण में कार्यरत जनजातीय तथा गैर-जनजातीय दोनों तरह के स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) 'जनजातीय/लोक कला तथा संस्कृति के परिरक्षण और संवर्धन संबंधी स्कीम' के तहत गत तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वित्त वर्ष	जारी की गई राशि
2004-05	1,26,02,000/- रु.
2005-06	1,85,00,000/- रु.
2006-07	1,22,50,000/- रु.

रेलवे में निजी इक्विटी भागीदार

*520. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार मौजूदा पटरियों को बदलने, पत्तन संपर्क आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं में अपने निजी इक्विटी भागीदारों (प्राइवेट इक्विटी पार्टनर) की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो अग्रणी भागीदारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान बदली गई रेल की पटरियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (ग) निजी भागीदारी बढ़ाने के विचार से, रेलवे अनेक पत्तन संपर्क और अन्य रेल अवसंरचना परियोजनाओं को लागू कर रही है। कुछेक अग्रणी निजी कंपनियों में, जिन्होंने ऐसी परियोजनाओं को लागू करने हेतु इक्विटी निवेश में किया है और जिनके द्वारा निवेश किए जाने की संभावना है, मुंद्रा पत्तन एवं एस.ई.जे. लिमिटेड, गुजरात पिपावाव पत्तन लिमिटेड, कृष्णापत्तनम पत्तन कंपनी लिमिटेड, अदानी पेट्रोनेट (डहेज) पत्तन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, मैसर्स रूंगटा माइन्स लिमिटेड, मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एम.एस.पी.एल. लिमिटेड और मैसर्स मिनरल एंटरप्राइज लिमिटेड शामिल हैं। रेलपथ नवीकरण कार्य निजी इक्विटी भागीदारी के साथ किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

निजी एयरलाइनों पर बकाया राशि

*521. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई निजी एयरलाइनों ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी एयरलाइनों से बकाया राशियों की वसूली करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी हां, 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार विभिन्न निजी एयरलाइनों से बकाया राशि (लाख रुपये में) के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

* एयर डेक्कन-3312.44, एयर सहारा-1340.66, कासमिक एयर प्राइवेट लिमिटेड-63.46, गो एयर-663.76, इंटर ग्लोब एविएशन (इंडिगो)-101.58, जगसन एयरलाइंस-196.86, जेट एयरवेज-2617.91, किंगफिशर एयरलाइंस-2281.38, पारामाउंट एयरवेज-376.91, स्पाइसजेट-602.76, कांटिनेंटल एविएशन प्रा. लिमिटेड-130.16, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस-1530.76, एलबी एयरलाइंस-111.86, गर्ग एविएशन-61.00, एनइपीसी एयरलाइंस-347.05, स्काईलाइन एनइपीसी-168.97, वीआईएफ-24.80, बंगाल एयर-69.55, एमइएससीओ-368.22, राजपूताना एविएशन-4.00 और अन्य 191.84।

(ग) प्रचालनरत एयरलाइनों की ओर बकाया राशि में चालू बकाया भी शामिल है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन एयरलाइनों को उधार सुविधाओं की अनुमति देने के लिए प्रतिभूति जमा कराती है। चूक के मामले में प्रतिभूति राशि का नकदीकरण कर लिया जाएगा। गैर प्रचालनरत एयरलाइनों के संबंध में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कानूनी कार्रवाई, विवाचन तथा बकाया वसूलने के लिए लोक सम्पत्ति बेदखली अधिनियम के तहत कार्रवाई आरंभ करती है।

[हिन्दी]

बांसवाड़ा जिले को रेल से जोड़ना

4835. श्री धनसिंह रावत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बांसवाड़ा जिले को रेल से जोड़ने के लिए चार बार सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण किन-किन तारीखों पर कराया गया है और उस पर कितनी धनराशि खर्च कराई गई है;

(ग) क्या रतलाम से बांसवाड़ा-दुर्गापुर तक के लिए भी रेल लाइन हेतु पहले सर्वेक्षण कराया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बांसावड़ा जिले के जनजातीय क्षेत्रों को रेल से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) बांसवाड़ा में रेल संपर्क की व्यवस्था करने के संबंध में किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	सर्वेक्षण	अवधि	सर्वेक्षण के लिए खर्च की गई धनराशि	स्थिति
1.	रतलाम-बांसवाड़ा-डुंगरपुर	2002-03	27.00 लाख रुपए	सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया और कार्य शुरू नहीं किया गया।
2.	रतलाम-बांसवाड़ा-डुंगरपुर	2004-05	1.30 लाख रुपए	सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया और कार्य शुरू नहीं किया गया।
3.	दाहोद-बांसवाड़ा	2004-05	61.20 लाख रुपए	सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया और कार्य शुरू नहीं किया गया।
4.	रतलाम-बांसवाड़ा	2007-08	-	अद्यतन सर्वेक्षण को 2007-08 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) रतलाम-बांसवाड़ा के लिए अद्यतन सर्वेक्षण 5.28 लाख रुपए की लागत पर वर्ष 2007-08 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

रेलगाड़ियों में कीटों और चूहों पर कीटनाशकों का छिड़काव

4836. श्री गणेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले रेलगाड़ियों में कीटों और चूहों से छुटकारा पाने के लिए कितनी बार कीटनाशकों का छिड़काव किया गया;

(ख) क्या छिड़काव नियमित अवधि पर किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो छिड़कावों के बावजूद कीटों और चूहों से सबसे अधिक प्रभावित रेलगाड़ियों के नाम क्या है;

(घ) क्या उक्त रेलगाड़ियों में छिड़काव की नियमित अवधि को कम किया जाएगा;

(ङ) क्या रेलवे का विचार सभी रेलगाड़ियों में कीटों और चूहों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए कोई अभियान चलाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) प्रत्येक रेलवे द्वारा बेस अनुरक्षण डिपुओं में नियमित उपाय के रूप में सवारी डिब्बों में नाशी जीवों/कृन्तक नियंत्रण उपचार किया जाता है। बेस अनुरक्षण डिपु इस कार्य को नियमित अवधियों में करते हैं जिसका विनिश्चय आवश्यकता के आधार पर उनके द्वारा अनुरक्षित सभी गाड़ियों में जिनमें मध्य प्रदेश में चल रही/ या मध्य प्रदेश में गुजरने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं।

(ग) से (च) कीड़ों और चूहों से अत्यधिक प्रभावित कोई गाड़ी नहीं है क्योंकि यात्रियों से शिकायतें प्राप्त होने पर इनकी

रोकथाम और अधिक की जाती है और इसलिए समय के अनुसार स्थिति में बदलाव आता रहता है। इसके अलावा, कीड़ा लगने का स्तर भी काफी हद तक परिचालन की स्थिति पर निर्भर करता है। क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे गाड़ियों, सवारी डिब्बा डिपुओं तथा टर्मिनलों जहां पर सवारी डिब्बों का अनुरक्षण किया जाता है तथा उनको रखा जाता है, में साफ और स्वस्थ माहौल बनाए रखें। ऐसे उपचार की आवृत्ति में विविधता बनायी रखी जाती है ताकि कीड़ा लगने के स्तर को जहां तक संभव है निम्नतम रखा जा सके।

[अनुवाद]

भारतीय वायुसेना की फायरिंग रेंज पर अतिक्रमण

4837. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण फायरिंग रेंज पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों ने वास्तव में अपने कब्जे में ले लिया है, जैसाकि दिनांक 8 अप्रैल, 2007 के "हिंदुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) फायरिंग रेंज पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों से कब्जा छुड़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) वायु सेना स्टेशन, तेजपुर के नियंत्रणाधीन दुलांग मुख रेंज के कुल 4150 एकड़ क्षेत्र में से लगभग 60 एकड़ पर मुख्यत: अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

(ग) राज्य सरकार से सलाह करते हुए ऐसे अतिक्रमणों को हटाने के लिए हमेशा प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्रम ठेकेदारों द्वारा चलाए जाने वाले जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र

4838. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खुदरा बिक्री केन्द्रों को चालू किए जाने के बाद से आज तक इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों (सैटूंडा) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के खुदरा बिक्री केन्द्रों (अर्निया पीठ) को चलाने वाले श्रम ठेकेदारों के नाम क्या है;

(ख) इन केन्द्रों को चलाए जाने के बाद से आज तक उक्त दोनों जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों पर कितना पेट्रोल और डीजल बेचा गया;

(ग) उक्त दोनों जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए श्रम ठेकेदारों की नियुक्ति और संबद्ध तेल कंपनियों के साथ श्रम ठेकेदारों के ठेके के बीच कितना अंतर है; और

(घ) दोनों उक्त जुबली बिक्री केन्द्रों के लिए भूमि की खरीद के लिए विज्ञापन सहित दोनों तेल कंपनियों द्वारा सभी मदों पर आज तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) के जुबली आर ओ (सैटूंडा) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के जुबली आर ओ (अर्निया पीठ) के चालू होने से अब तक इन्हें प्रचालित करने वाले श्रम ठेकेदारों के नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आईओसी ने सूचित किया है कि सैटूंडा के जुबली आर ओ के चालू होने के बाद से उसमें 1524 कि.ली. एचएसडी और 340 कि.ली. एमएस की बिक्री हुई। एचपीसीएल ने सूचित किया है कि अर्निया पीठ के जुबली आर ओ के चालू होने के बाद से उसमें 4389 कि.ली. एचएसडी और 705 कि.ली. एमएस की बिक्री हुई।

(ग) आईओसी ने सूचित किया है कि सैटूंडा के जुबली आर ओ के लिए श्रम ठेकेदारों की नियुक्ति के बीच कोई समय-अन्तराल नहीं है। एचपीसीएल ने सूचित किया है कि अर्निया पीठ के जुबली आर ओ के लिए श्रम ठेकेदार की नियुक्ति 15.11.2000 से की गई थी। उसके बाद श्रम ठेकेदार की चयन प्रक्रिया के अनुसार उसी ठेकेदार को 15.11.2002 से 14.11.2004 तक के लिए पुन: नियुक्त किया गया। 14.11.2004 के आगे ठेके की अवधि अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई क्योंकि नवनियुक्त तदर्थ डीलर जून 2005 में खुदरा बिक्री लाइसेंस प्राप्त कर सका।

(घ) सैटूंडा जुबली आर ओ पर आईओसी को जमीन की कीमत सहित 217.83 लाख रु. खर्च करने पड़े थे। अर्निया पीठ जुबली आर ओ पर एचपीसीएल को जमीन की कीमत सहित कुल 90.45 लाख रु. खर्च करने पड़े।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	आरओ का नाम	श्रमिक ठेकेदार का नाम	अवधि	
				से	तक
1.	आईओसी	सतरूंडा आरओ	(1) श्री शरद गोयल	26.04.2001	23.7.2004
			(2) मैसर्स स्पीडवेज, रतलाम	24.7.2004	24.7.2006
			(3) श्री शिव प्रसाद बच्चू	25.7.2006	जारी है
2.	एचपीसीएल	अर्निया पीठ आरओ	(1) श्री याहा खान	15.11.2000	14.11.2004 (करार की अवधि को और 6 माह के लिए बढ़ाया गया)
			(2) मैसर्स शिव शक्ति सेल्स एंड सर्विस जाओरा	28.6.2005 (तदर्थ प्रचालन)	जारी है

[अनुवाद]

दिल्ली में वक्फ संपत्तियां

4839. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 172 वक्फ संपत्तियां ए.एस.आई. के अनधिकृत कब्जे में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में ए.एस.आई. द्वारा वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने अनधिकृत कब्जे के लिए एएसआई के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वक्फ संपत्तियों को और देरी किए बिना दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपा जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) सच्चर समिति की रिपोर्ट में सम्पूर्ण भारत की ऐसी संपत्तियों की निदर्शी सूची दी गई है जिनके बारे में दावा किया जाता है कि यह निजी तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा की गई है। इस सूची में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले 172 स्मारक शामिल हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चूंकि स्मारकों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाता है, इसलिए दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत कब्जे का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

सच्चर समिति रिपोर्ट में उल्लिखित दिल्ली में स्थित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक का नाम तथा पता
1	2
1.	मुबारक खान का गुम्बद नामक मकबरा मुहम्मद शाह, लोधी रोड
2.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), वजीरपुर
3.	दरगाह, खसरा सं. 71, लाडो सराय (19 बिस्वा)
4.	दरगाह तथा मस्जिद, खसरा सं. 72, लाडो सराय (2 बीघा, 18 बिस्वा)
5.	अनाम मकबरा, गांव वजीरपुर

1	2
6.	अनाम मकबरा, गांव वजीरपुर
7.	दरगाह तथा मस्जिद, खसरा सं. 73, लाडो सराय (1 बीघा, 18 बिस्वा)
8.	मकबरा नजफ खान, कुतुब रोड
9.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), गांव वजीरपुर
10.	दरगाह, खसरा सं. 74, लाडो सराय (6 बिस्वा)
11.	मस्जिद कुदुसिया बाग, अलीपुर रोड
12.	मकबरा महाबत खान, अलीपुर रोड
13.	मस्जिद (ईदगाह), गांव वजीरपुर
14.	दरगाह तथा मस्जिद वजीराबाद वाली खसरा सं. 93
15.	हिन्दूराव अस्पताल के निकट दरगाह पीर घैब, खसरा सं. 321, हिन्दूराव रोड (2 बीघा, 2 बिस्वा)
16.	मकबरा मुहम्मद खान (तीन बुर्ज), गांव मोहम्मदपुर
17.	मस्जिद के निकट मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), मोहम्मदपुर गांव के अन्दर
18.	जामा मस्जिद, कोटला फिरोज शाह के अन्दर, मथुरा रोड
19.	गुम्बद नामक मकबरा गांव मोहम्मदपुर
20.	मकबरा ग्यासुद्दीन तुगलक, गांव तुगलकाबाद
21.	मस्जिद (नाम सुनिश्चित किया जाना है), गांव मोहम्मदपुर
22.	मस्जिद कदम शाही, गांव तुगलकाबाद
23.	मकबरा गोल गुम्बद, लोधी रोड (कब्रे तथा अहाता)
24.	मुस्लिम कब्रगाह तथा मकबरा, खसरा सं. 634-ए, गांव मोहम्मदपुर, मुनिरका
25.	बुर्जी खान का गुम्बद, हौजखास
26.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), आर.के. पुरम
27.	मकबरा (छोटी गुमटी), आर.के. पुरम

1	2
28.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), गांव हौजखास
29.	मस्जिद हेली रोड, कोठी सं. 4 के पीछे, कनाट प्लेस
30.	मुंडा गुम्बद नामक मकबरा, आर.के. पुरम
31.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), गांव हौजखास
32.	मकबरा सफदरजंग के भीतर मस्जिद तथा मदरसा, तुगलक रोड
33.	मस्जिद, मुंडा गुम्बद के पश्चिम, आर.के. पुरम
34.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), गांव हौजखास
35.	मकबरा लाल बंगला, गोल्फ क्लब, वेलेजली रोड
36.	मुनीर खान का गुम्बद नामक मकबरा, गांव मुनिरका
37.	गुम्बद (नाम सुनिश्चित किया जाना है), फिरोज शाह के मकबरा के सामने, गांव हौजखास
38.	मकबरा सईद आबिद, दिल्ली गोल्फ क्लब अहाता के अन्दर
39.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), गांव हौजखास
40.	मकबरा गोल्फ क्लब, दिल्ली गोल्फ क्लब के अन्दर
41.	मकबरा फिरोजशाह तुगलक, हौजखास
42.	मकबरा संगखारा, नेशनल स्टेडियम के अन्दर, भैरो रोड
43.	मस्जिद हौजखास
44.	मकबरा संग-ए-सुर्ख, बाउंड्री के अन्दर, नेशनल स्टेडियम, भैरो रोड
45.	ईदगाह हौजखास
46.	मस्जिद लोधी रोड (लोधी के मकबरे के अन्दर)
47.	मकबरा लोधी रोड, कोठी सं. 28 के निकट
48.	मकबरा लोधी रोड, कोठी सं. 38 के निकट, गोल्फ लिंक, गोल्फ रोड
49.	मस्जिद कोहना, पुराना किला के अन्दर एनडीएमसी क्षेत्र, मथुरा रोड

1	2
50.	मस्जिद खैरूल मंजिल, शेर शाह गेट के निकट, मथुरा रोड
51.	मकबरा बेगम जान, गोल्फ क्लब परिसर के अन्दर (मकबरा)
52.	ईदगाह, गांव खरेरा
53.	मस्जिद मखदूम, गांव खरेरा, ग्रीन पार्क
54.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), गांव खरेरा, महरौली रोड
55.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है) वायरलेस विभाग के तार बाड़ क्षेत्र के अन्दर खसरा सं. 303
56.	छोटी गुंमटी नामक मकबरा, गांव खरेरा, महरौली रोड
57.	दीदी का गुम्बद नामक मकबरा, महरौली रोड
58.	पोती का गुम्बद नामक मकबरा, गांव खरेरा, महरौली रोड
59.	बीरन का गुम्बद नामक मकबरा, गांव खरेरा, महरौली रोड
60.	सकरी गुमटी नामक मकबरा, गांव खरेरा, महरौली रोड
61.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), खसरा सं. 606, रेलवे कालोनी के निकट
62.	मस्जिद दरवेश, गांव खरेरा, ग्रीन पार्क
63.	नीली मस्जिद, ग्रीन पार्क
64.	मकबरा युसुफ कत्तल, गांव खिरकी, मालवीय नगर
65.	मुस्लिम कब्रगाह, खसरा सं. 152, गांव खिरकी (1 बीघा 6 बिस्वा)
66.	मुस्लिम कब्रगाह अलीगंज, खसरा सं. 556 लोधी रोड के साथ
67.	मुस्लिम कब्रगाह, खसरा सं. 1012/603, 1013/603, कैंट नगर, झारखंडी रोड, शाहदरा (16 बीघा 19 बिस्वा)
68.	मस्जिद, इन्द्रप्रस्थ, खसरा सं. 540/1, हुमायूं मकबरा के पीछे

1	2
69.	मकबरा शमसुद्दीन, मोहम्मद अफाक खान, बस्ती निजामुद्दीन
70.	मकबरा मिर्जा अजीज कोकलताश (चौसठ खम्बा), निजामुद्दीन
71.	मस्जिद अरब की सराय, बस्ती निजामुद्दीन
72.	मकबरा ईसा खान, बस्ती निजामुद्दीन
73.	मस्जिद ईसा खान नामक मस्जिद, निजामुद्दीन
74.	मस्जिद अपारवली, अरब की सराय के अन्दर, निजामुद्दीन
75.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), मस्जिद दाऊद सराय के पश्चिम
76.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), मस्जिद दाऊद सराय के निकट
77.	मकबरा मौलाना जमाली कमाली, गांव दाऊद सराय
78.	मस्जिद जमाली कमाली, गांव दाऊद सराय
79.	मकबरा सुल्तान बलबन, गांव दाऊद सराय
80.	मकबरा खान शहीद, गांव दाऊद सराय
81.	मस्जिद दाऊद सराय, गांव दाऊद सराय
82.	नै वाला मकबरा नामक मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), बस्ती निजामुद्दीन
83.	नीला गुम्बद नामक मकबरा फाहिम खान, निजामुद्दीन
84.	अफसरवाला नामक मदरसा, बस्ती निजामुद्दीन
85.	मकबरा बाराखम्बा, बस्ती निजामुद्दीन
86.	बाराखम्बा नामक मकबरा, बस्ती निजामुद्दीन
87.	मकबरा खान-ए-खाना अब्दुल रहीम खान, बस्ती निजामुद्दीन
88.	बु हालिमा का मकबरा, हुमायूं मकबरा के मुख्य द्वार के निकट, निजामुद्दीन
89.	बड़े बताशे वाला महल नामक मुजफ्फर हुसैन का मकबरा, बस्ती निजामुद्दीन

1	2
90.	खेटे बताशे वाला महल नामक मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), बस्ती निजामुद्दीन
91.	हुमायूं का मकबरा, निजामुद्दीन
92.	मकबरा मिर्जा जहांगीर, बस्ती निजामुद्दीन
93.	खानकाह तथा चिल्लाह हजरत निजामुद्दीन औलिया (आरएच), निजामुद्दीन
94.	मस्जिद बेगमपुर, गांव बेगमपुर, मालवीय नगर
95.	दरगाह हसन खान नामक मुस्लिम कब्रगाह, खसरा नं. 201/1 गांव नैब सराय की आबादी के बाहर
96.	मुस्लिम कब्रगाह, खसरा सं. 29/19 (2 बीघा 10 बिस्वा)
97.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), गांव शाहपुर जाट
98.	मस्जिद मोहमदीवाली, गांव शाहपुर जाट
99.	मुस्लिम कब्रगाह, खसरा सं. 14, मस्जिद मोहमदी के पीछे, गांव शाहपुर जाट
100.	मकबरा सुन्दरवाला बुर्ज, बस्ती निजामुद्दीन
101.	मकबरा सुन्दरवाला महल, बस्ती निजामुद्दीन
102.	मकबरा जहांआरा, बस्ती निजामुद्दीन
103.	मकबरा मोहम्मद शाह, बस्ती निजामुद्दीन
104.	खाककाह कालू सराय, गांव कालू सराय
105.	दरगाह हजरत ख्वाजा तायुर खान खाकी नामक दरगाह (खसरा सं. 238 का भाग, अलीगंज), लोधी कालोनी
106.	कुतुब मीनार के पूर्वी गेट के निकट मस्जिद, महरौली
107.	भुल भुलैया नामक मकबरा आदम खान, महरौली
108.	मुस्लिम कब्रगाह, खसरा सं. 1845, कुतुब मीनार अहाता के अन्दर, महरौली
109.	कब्रो वाला मकबरा, कब्रों वाले दो मकबरे, कोठी सं. 3 के पीछे, साधना एन्क्लेव, पंचशील पार्क
110.	दरगाह हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी के भीतर मोती मस्जिद, महरौली (जफर महल के निकट महरौली स्थित दरगाह हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी के भीतर)

1	2
111.	कुतुब मीनार महरौली के निकट मकबरा इमाम जामिन (कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा के दक्षिण-पूर्व में मकबरा जिसमें कब्रे हैं और अहाता बनाया गया है)
112.	मुबारक शाह सुल्तान का मकबरा, गांव कोटला मुबारकपुर, गांव मुबारकपुर कोटला की आबादी की भीतर (खुली भूमि सहित मकबरा)
113.	छोटे खान का गुम्बद के नाम से मशहूर मकबरा, गांव कोटला मुबारकपुर से गांव मुबारकपुर कोटला में मकबरा काले खान के पूर्व तक (मकबरा तथा इसके साथ लगी भूमि)
114.	बड़े खान का गुम्बद के नाम से मशहूर मकबरा, गांव मुबारकपुर कोटला से गांव मुबारकपुर कोटला में मकबरा काले खान के पश्चिम तक (गुम्बद वाले मकबरा सहित इसके भीतर की कब्रे)
115.	काले का गुम्बद के नाम से मशहूर मकबरा, गांव मुबारकपुर कोटला से गांव मुबारकपुर कोटला के उत्तर पश्चिम तक (कब्रों सहित मकबरा)
116.	मस्जिद कोटला मुबारकपुर, मुबारक शाह सुल्तान के मकबरे से लगे गांव की आबादी के भीतर मुबारकपुर कोटला गांव (पत्थर से निर्मित मस्जिद)
117.	दरिया खान का मकबरा तथा दरगाह, गांव मुबारकपुर कोटला, किदवई नगर (बड़े खान के मकबरे के दक्षिण पश्चिम में)
118.	भोरे खान का मकबरा, गांव मुबारकपुर कोटला, गांव मुबारकपुर कोटला में बड़े खान के मकबरे के दक्षिण पूर्व में (गुम्बददार मकबरा)
119.	सुल्तान अल्लाउद्दीन का मकबरा, महरोली (मस्जिद कुवातुल-इस्लाम के दक्षिण पश्चिम में गुम्बददार मकबरा)
120.	मस्जिद तथा बड़ा गुम्बदी नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र, लोदी मकबरा के भीतर, (अहाता के भीतर तीन वेज गुम्बद वाले दालान सहित मस्जिद)
121.	सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमाश का मकबरा, महरोली मस्जिद कुवातुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण पूर्व में तथा कुतुब मीनार के पास (भूमिगत कम्पार्टमेंट में एक कब्र के ऊपर गुम्बद रहित मकबरा)

1	2
122.	सिकन्दर लोधी का मकबरा, लोधी रोड, वक्फ राजा इब्राहिम लोधी नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र लोधी रोड पर लोधी मकबरा के भीतर (कब्र सहित गुम्बद वाला मकबरा जो अहाता दीवार के भीतर है)
123.	मस्जिद कुवात उल इस्लाम वक्फ कुतुबुद्दीन ऐबक आफ इंडिया, कुतुब मीनार के निकट, महरोली
124.	शीश गुम्बद नामक मकबरा, एनडीएमसी क्षेत्र (मकबरा के अन्दर मस्जिद तथा बारा गुम्बद), लोधी रोड (आठ कब्रों के ऊपर गुम्बद नुमा मकबरा)
125.	मुस्लिम कब्रगाह, खसरा संख्या 1841 कुतुब मीमार अहाता के अन्दर
126.	मुस्लिम कब्रगाह, खसरा संख्या 1834 कुतुब मीनार अहाता के अन्दर
127.	मुस्लिम कब्रगाह, खसरा संख्या 1835 कुतुब मीनार अहाता के अन्दर
128.	मुस्लिम कब्रगाह, सराय कबीरूद्दीन अलियास शेख सराय, खसरा संख्या 489/35 तथा 487/439/53
129.	मकबरा रोशन आरा बेगम वक्फ सम्राट औरंगजेब, रोशन आरा बाग के अन्दर वार्ड 7, सब्जी मण्डी
130.	मस्जिद बारादरी, मकबरा लाल गुम्बद के उत्तर पश्चिम, पंचशील नगर (मस्जिद तथा अहाता दीवार)
131.	लाल गुम्बद नामक मकबरा शेख कबीरूद्दीन औलिया, गांव शेख सराय के पश्चिम (मकबरा तथा पक्का अहाता)
132.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), मस्जिद बारादरी के पूर्व, गांव शेख सराय (कब्र के ऊपर गुम्बदनुमा संरचना)
133.	चोरों का कुनवां वाला नामक मुस्लिम कब्रगाह, तहसील महरोली (कुनवां बदरूल इस्लाम गांव के निकट खसरा सं. 349, छत्तरपुर)
134.	मुस्लिम कब्रगाह, तहसील खसरा सं. 559 बुद्ध तन्ती के नाम से प्रसिद्ध भू खण्ड के पास, गांव छत्तरपुर (कब्रगाह बिखरी हुई कब्रे)

1	2
135.	मस्जिद मुंडी के नाम से प्रसिद्ध ईदगाह, महरोली क्षेत्र, लाडो सराय, महरोली गुड़गांवा रोड लाडो सराय के पास (ईदगाह, पुख्ता)
136.	मकबरा (नाम पता किया जाना है) खसरा सं. 153 राजों की बेन के उत्तर में लगभग 50 यार्ड, लाडो सराय महरोली (तीन संगमरमर की कब्रों के ऊपर मकबरा तथा भूमि सहित अहाते के भीतर कुछ और कब्रे)
137.	मकबरा (नाम पता किया जाना है) राजों की बेंन से पश्चिम की ओर लगभग 50 यार्ड गांव लाडो सराय, महरोली (मकबरे, कब्र से ऊपर छत्तरी)
138.	मकबरा (नाम पता किया जाना है) राजों की बेंन से पश्चिम की ओर गांव लाडो सराय, तहसील महरोली (कब्र के ऊपर गुम्बददार मकबरा)
139.	मस्जिद लाडो सराय, गांव लाडो सराय में बाग नजीर के दक्षिण से 100 यार्ड तहसील महरोली
140.	मकबरा (नाम पता किया जाना है) 8 बिस्वा
141.	मस्जिद राजा की बेंन, खसरा नं. 153 राजा की बेंन का पश्चिम, गांव लाडो सराय, महरोली (मस्जिद, खुली भूमि)
142.	दीवार नुमा मस्जिद, लाडो सराय गांव में राजा की बेंन के दक्षिण में 50 यार्ड, महरोली (दीवार नुमा मस्जिद तथा साथ में आंगन में कुछ कब्रे)
143.	मस्जिद (दीवार नुमा) मस्जिद का पश्चिम, वीरन का गुम्बद, गांव खरेवा, महरोली रोड (संख्या 59 में प्रविष्ट) दीवार नुमा मस्जिद, आंगन में एक कब्र
144.	दरगाह तथा मस्जिद, खसरा संख्या 70, लाडो सराय
145.	मकबरा बबलोल लोधी वाकिफ राजा सिकन्दर लोधी, नई दिल्ली नगर पालिका, चिराग दिल्ली, दरगाह हजरत रोशन के बाहर, चिराग दिल्ली (मकबरा)
146.	मस्जिद मोठ, गांव मस्जिद मोठ, सिकन्दर शाह लोधी के मियां भोलिया वासिर द्वारा निर्मित, गांव मस्जिद मोठ की आबादी के केन्द्र में (मस्जिद)

1	2
147.	मकबरा अनाम, खसरा नं. 259 (एक बीघा चार बीस्वा) 374 (5 बिस्वा) 385 (छ बिस्वा) 481 (बीघा पांच बिस्वा) कब्रगाह (तीन बीघा) भीतर एक मस्जिद
148.	मुस्लिम कब्रगाह, खसरा सं. 51, सिविल स्टेशन
149.	कुतुब मीनार के सामने मस्जिद, महरौली
150.	लाल किला के अन्दर मोती मस्जिद
151.	पुराना किला के अन्दर मस्जिद कोहना (प्राचीन)
152.	मकबरा रोशनआरा बेगम, रोशन आरा बाग के अन्दर, सब्जी मंडी
153.	दरगाह सैय्यद नूर मोहम्मद दलानी, 19/1 लोधी एस्टेट
154.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), 15/2, गांव अलीगंज, रेलवे कालोनी मकबरा के निकट
155.	मकबरा (601), गुम्बद लोधी रोड, मकबरा कब्रगाह तथा अहाता
156.	मकबरा गोला गुम्बद, लोधी रोड
157.	मकबरा शमसुद्दीन मोहम्मद ऐजा खान, बस्ती निजामुद्दीन
158.	मस्जिद अरब की सराय, बस्ती निजामुद्दीन
159.	मकबरा ईसा खान, बस्ती निजामुद्दीन
160.	अपारवली नामक मस्जिद, बस्ती निजामुद्दीन
161.	मस्जिद अफसर वाला, बस्ती निजामुद्दीन
162.	सब्ज बुर्ज नामक मकबरा, निजामुद्दीन
163.	बाराखम्बा नामक मकबरा, निजामुद्दीन
164.	बु हालिमा का मकबरा, बस्ती निजामुद्दीन
165.	बड़े बताशे वाला महल नामक मुजफ्फर हुसैन का मकबरा, निजामुद्दीन
166.	छोटे बताशे वाला महल नामक मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), निजामुद्दीन
167.	नैवाला मकबरा, निजामुद्दीन
168.	मकबरा फाहिम खान, निजामुद्दीन
169.	मस्जिद बारादरी, गांव शेख सराय
170.	वक्फ तकला मस्जिद मोठ, खसरा सं. 18
171.	मस्जिद बारादरी, गांव शेख सराय
172.	मकबरा (नाम सुनिश्चित किया जाना है), गांव याकूतपुर, खसरा सं. 50, क्षेत्र 9 बिस्वा

[हिन्दी]

रेलगाड़ी को छपरा जंक्शन तक बढ़ाया जाना

4840. **श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण के व्यक्तियों के विरोध के बावजूद वाराणसी और चेन्नई के बीच चलने वाली गंगा-कावेरी एक्सप्रेस को बढ़ाकर छपरा जंक्शन तक कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी को आगे तक बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार रेलगाड़ी को आगे तक बढ़ाए जाने के इस निर्णय को वापस लेने तथा गंगा-कावेरी एक्सप्रेस को पुनः चेन्नई से वाराणसी तक करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) छपरा और चेन्नई के बीच एक सीधी गाड़ी की मांग को पूरा करने के क्रम में गाड़ी सं. 2669/2770 गंगा-कावेरी एक्सप्रेस को छपरा तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। इस गाड़ी की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए इसके गंतव्य स्थल से पहले वाराणसी में समाप्त करना फिलहाल वांछनीय नहीं है।

[अनुवाद]

पर्यटन विकास योजनाओं का विलय

4841. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "समेकित पर्यटन केंद्र विकास" और "उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास" योजनाओं का विलय करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विलय की गई योजनाओं के अंतर्गत विश्व स्तरीय पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु पहचाने गए प्रमुख पर्यटन गंतव्यों के राज्य-वार, विशेषकर हरियाणा में नाम क्या हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) जी, हां। इन योजनाओं को ''गंतव्यों और परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास'' के रूप में विलय कर दिया गया है जिसमें वृहत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता को बढ़ा दिया गया है।

विलीन योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 के दौरान 57543.51 लाख रुपए की राशि की 151 परियोजनाएं (हरियाणा राज्य के लिए 600.00 लाख रुपए की 2 परियोजनाएं शामिल हैं) और वर्ष 2006-07 के दौरान 64714.84 लाख रुपए की 173 परियोजनाएं (हरियाणा राज्य के लिए 1811.16 लाख रुपए की 2 परियोजनाएं शामिल हैं) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान गंतव्यों तथा परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास की विलीन योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

परियोजना का नाम	योजना	स्वीकृत
1	2	3
राज्य का नाम : आंध्र प्रदेश		
1. सिंगूर अभ्यारण्य	गंतव्य	433.96
2. रात्रि बाजार, शिल्परमन	गंतव्य	500.00
3. निचली कृष्णा घाटी बौद्ध परिपथ	परिपथ	789.97
4. विशाखापत्तनम-अराकू घाटी परिपथ	परिपथ	771.86
	कुल	2495.79
राज्य का नाम : अरुणाचल प्रदेश		
1. गैरा झील का विकास	गंतव्य	373.00
2. डिब्रूगढ़-पासीघाट-डेयोंग एरिंग परिपथ	परिपथ	299.00
3. देवमाली में पासीघाटी पर्यटक लाज में बहुउद्देशीय हाल का निर्माण	परिपथ	161.00
4. ग्राम रेंगो, पूर्वी शियांग जिले का विकास	ग्रामीण पर्यटन	49.62
6. गर्म झरना, जिया का विकास	गंतव्य	262.00
6. शियांग परिपथ	परिपथ	778.94
	कुल	1923.56
राज्य का नाम : असम		
1. पूर्वोत्तर परिपथ का विकास	परिपथ	280.00
2. साहसिक पर्यटन, काजीरंगा	गंतव्य	44.95

1	2	3
3. कोकराझार में इको-पर्यटन	गंतव्य	460.00
4. ग्राम असरीकण्डी, जिला धुबरी का विकास	ग्रामीण पर्यटन	48.97
5. मानस-काजीरंगा परिपथ का विकास	परिपथ	781.00
6. धुबरी-गोलपारा-सिलचर परिपथ	परिपथ	432.28
	कुल	2047.20
राज्य का नाम : बिहार		
1. बोधगया-नालंदा-राजगीर परिपथ	परिपथ	768.12
2. कांवरिया परिपथ	परिपथ	443.12
	कुल	1211.24
राज्य का नाम : छत्तीसगढ़		
1. मैनपट्ट का विकास	गंतव्य	468.41
2. कोंडगांव, बस्तर का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
3. रायपुर-कोडर-सिरपुर परिपथ	परिपथ	714.46
4. रायपुर-भोरामदेव परिपथ	परिपथ	447.72
	कुल	1680.59
राज्य का नाम : दमन एवं दीव		
1. दीव में पार्क का गंतव्य विकास	गंतव्य	84.00
2. दीव का सौन्दर्यीकरण	गंतव्य	54.58
3. बंदरचौक का विकास	गंतव्य	44.12
4. स्मारकों का प्रदीप्तिकरण	गंतव्य	79.58
	कुल	262.28
राज्य का नाम : गुजरात		
1. अदालज में थीम पार्क का विकास	गंतव्य	480.00
2. डायनासोर फोसिल पार्क	गंतव्य	345.00
3. माण्डवी, कच्छ का विकास	गंतव्य	428.31
4. दांडी का विकास	गंतव्य	380.27
5. सपूतारा का विकास	गंतव्य	378.00
	कुल	2011.58

1	2	3
राज्य का नाम : हरियाणा		
1. करनाल का विकास	गंतव्य	159.00
2. रोहतक का विकास	गंतव्य	441.00
	कुल	600.00
राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश		
1. चौड़ी-बेहल, मनाली में टी आर सी	गंतव्य	30.00
2. डलहौजी-भरमौर-कस्बा परिपथ	परिपथ	790.00
3. मण्डी-बिलासपुर परिपथ का विकास	परिपथ	800.00
	कुल	1620.00
राज्य का नाम : जम्मू-कश्मीर		
1. अखनूर में चेनाब नदी मुहाने की विकास योजना	गंतव्य	142.00
2. बच्चन डिपो में पर्यटक परिसर	गंतव्य	491.00
3. ग्राम ड्रंग, जिला बारामूला में ग्रामीण पर्यटन का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
4. ग्राम सूरीनसर, जिला जम्मू में ग्रामीण पर्यटन का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
5. ग्राम गगनगीर, जिला श्रीनगर में ग्रामीण पर्यटन का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
6. ग्राम पहलगाम, जिला अनन्तनाग में ग्रामीण पर्यटन का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
7. ग्राम झेरी, जिला जम्मू में ग्रामीण पर्यटन का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
8. जम्मू-राजौरी-पुंछ परिपथ का विकास	परिपथ	688.00
9. जम्मू-लखनपुर-बासौली-बानी-सरथल परिपथ का विकास	परिपथ	799.69
10. पटनीटाप विकास प्राधिकरण	गंतव्य	461.00
11. पहलगाम विकास प्राधिकरण	गंतव्य	432.00
12. सोनमर्ग विकास प्राधिकरण	गंतव्य	379.46
13. लद्दाख का विकास	गंतव्य	497.00
14. स्कीइंग के लिए कोंगडूर का विकास	गंतव्य	435.00
15. अमरनाथ जी में टेम्परेरी कैम्प की स्थापना	परिपथ	700.00
16. भदरवाह-किश्तवार-श्रीनगर परिपथ का विकास	परिपथ	691.13
17. शिवखोरी, उधमपुर का विकास	गंतव्य	411.51
18. गुलमर्ग में गोल्फ कोर्स का विकास	गंतव्य	200.00
	कुल	6577.79

1	2	3
राज्य का नाम : झारखंड		
1. रांची-बेतला-नेतरहाट का विकास	परिपथ	798.00
2. देवघर का विकास	गंतव्य	417.57
	कुल	1215.57
राज्य का नाम : कर्नाटक		
1. जोगफाल्स का विकास	गंतव्य	462.52
2. मैसूर का विकास	गंतव्य	353.89
3. मंगलौर-उदीपी परिपथ	परिपथ	698.00
	कुल	1514.41
राज्य का नाम : केरल		
1. अल्लापुझा हैरिटेज परिपथ	परिपथ	800.00
2. उत्तरी तट परिपथ	परिपथ	798.00
3. थेक्कीनाड मैदान, थ्रिसूर	गंतव्य	489.00
4. तीर्थ पर्यटक परिपथ	गंतव्य	704.45
5. थ्रिसूर में एलिफेंट पार्क	गंतव्य	349.50
6. पोनमुडी का विकास	गंतव्य	256.08
7. मुन्नार का नवीकरण	गंतव्य	398.85
	कुल	3795.88
राज्य का नाम : मध्य प्रदेश		
1. बालाघाट में कुटीरों का निर्माण	गंतव्य	34.16
2. ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो परिपथ	परिपथ	461.09
3. ग्रामीण पर्यटन के लिए ओरछा का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
4. बुरहानपुर का विकास	गंतव्य	449.00
5. इंदौर का विकास	गंतव्य	482.69
6. ग्वालियर-शिवपुरी-चंदेरी परिपथ का विकास	परिपथ	800.00
7. सांची-भोपाल-भीमबेटका परिपथ	परिपथ	715.45
8. हालिडे होम, पंचमढ़ी का उन्नयन	गंतव्य	20.00
	कुल	3012.39

1	2	3
राज्य का नाम : महाराष्ट्र		
1. मुम्बई में टीआरसी का निर्माण	गंतव्य	44.32
2. माथेरन का विकास	गंतव्य	451.42
3. कोंकण रिवेरा, फेस-3 का विकास	परिपथ	594.17
4. सिंहगढ़ किले का नवीकरण	गंतव्य	470.11
5. करला का विकास	गंतव्य	485.02
	कुल	2045.04
राज्य का नाम : मिजोरम		
1. मिजोरम का गंतव्य विकास	गंतव्य	341.00
2. रीक तथा बेरवातलेंग का विकास	गंतव्य	479.49
3. उत्तरी पर्यटक परिपथ	परिपथ	783.92
	कुल	1604.41
राज्य का नाम : नागालैंड		
1. पर्यटन हबों का विकास	गंतव्य	209.65
2. पर्यटक रिजार्ट दोयांग	गंतव्य	64.00
3. प्रधान मंत्री पैकेज के अधीन ग्रामीण पर्यटन	गंतव्य	250.00
4. जून्हेबोटो सतोई रेंज का विकास	गंतव्य	447.37
5. मोकोकचुंग-लोंगलेंग-मोन परिपथ	परिपथ	747.95
	कुल	1718.97
राज्य का नाम : उड़ीसा		
1. साखी गोपाल का विकास	गंतव्य	460.96
2. गोपालपुर आन सी का विकास	गंतव्य	447.22
3. तप्तापानी का विकास	गंतव्य	500.00
4. भुवनेश्वर-धौली-पुरी-कोणार्क परिपथ	परिपथ	720.09
5. चिल्का झील का विकास	गंतव्य	389.05
6. ग्रामीण पर्यटन परियोजना के रूप में जिला मयूरभंज में खिचिंग का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
	कुल	2567.32

1	2	3
राज्य का नाम : पांडिचेरी		
1. यनम का विकास	गंतव्य	464.39
	कुल	464.39
राज्य का नाम : पंजाब		
1. अमृतसर का विकास	गंतव्य	482.80
2. वाघा सीमा का विकास	गंतव्य	484.58
3. पटियाला का विकास	गंतव्य	460.29
	कुल	1427.67
राज्य का नाम : राजस्थान		
1. जयपुर में आमेर किले में ध्वनि व प्रकाश शो	गंतव्य	129.26
2. जयपुर का विकास	गंतव्य	464.32
3. मेवाड़-वागढ़ परिपथ	परिपथ	580.00
4. ब्रजभूमि धार्मिक परिपथ	परिपथ	477.07
5. पुष्कर का विकास	गंतव्य	434.04
6. अम्बर, जयपुर में एलिफेंट विलेज का विकास	गंतव्य	492.18
	कुल	2576.87
राज्य का नाम : सिक्किम		
1. सोरेंग का गंतव्य विकास	गंतव्य	436.17
2. पूर्वी सिक्किम का परिपथ विकास	परिपथ	355.00
3. रंगपो-सिंगतम-लम्तार परिपथ	परिपथ	800.00
4. सांग मरताम में पर्यटक ट्रेकिंग ट्रेल्स	गंतव्य	418.42
5. पूर्वी सिक्किम में रेकडोंग तिनतेक परिपथ	परिपथ	678.30
	कुल	2687.89
राज्य का नाम : तमिलनाडु		
1. आदिशंकर मंगाडु-थिरूवोत्रियर-चिदम्बरम-त्रिचेन्दूर पर्यटक परिपथ	परिपथ	443.00
2. जैन तीर्थ क्षेत्र परिपथ	परिपथ	192.00
3. थंजावुर में ध्वनि एवं प्रकाश शो	गंतव्य	150.00

1	2	3
4. क्षतिग्रस्त टीटीडीसी की परिसम्पत्तियों की पुनर्बहाली	गंतव्य	499.50
5. विदूगल मुरूगन परिपथ	परिपथ	798.97
6. थिरूकुरूनगुडी, तिरूनेलवेली का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
7. ग्रामीण पर्यटन के लिए रामनाथपुरम में देवीपट्टीनम नवभाषणनम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
8. कोडईकनाल का विकास	गंतव्य	470.19
9. थिरूवनामलाई का विकास	गंतव्य	459.45
10. रामेश्वरम का विकास	गंतव्य	426.42
11. चोझानट्टु थिरूपथिगल परिपथ	परिपथ	500.00
12. थिरूपुदईमरथुर, जिला तिरूनेलवेली में ग्रामीण पर्यटन का विकास	ग्रामीण पर्यटन	49.55
13. रामेश्वरम में इको-पर्यटन सह पक्षी केन्द्र की स्थापना	गंतव्य	42.50
14. मामलापुरम में ओडियो गाइड सुविधा	गंतव्य	88.04
	कुल	4219.62
राज्य का नाम : त्रिपुरा		
1. उत्तरी पश्चिमी त्रिपुरा का परिपथ विकास	परिपथ	252.33
2. अगरतला का गंतव्य विकास	गंतव्य	459.00
	कुल	711.33
राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश		
1. बिठूर में नानाराव स्मारक का विकास	गंतव्य	422.17
2. गढ़मुक्तेश्वर, बृज घाट का विकास	गंतव्य	256.80
3. काली वाहन मंदिर, इटावा का सौन्दर्यीकरण	गंतव्य	46.90
4. इटावा के टी सी मंदिर का सौन्दर्यीकरण	गंतव्य	55.68
5. मथुरा के गोवर्धन छत्तरी का जीर्णोद्धार	गंतव्य	58.60
6. रायबरेली का विकास	गंतव्य	490.27
7. प्रतापगढ़, घिसरनाथ बांध का विकास	गंतव्य	258.09
8. मिरजापुर-चुनार-रोबार्टगंज परिपथ	परिपथ	800.00
9. रायबरेली के भीतरग्राम ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	49.52

1	2	3
10. बलिया के सुरातल का विकास	गंतव्य	205.20
11. आगरा का विकास एवं जीर्णोद्धार	परिपथ	767.00
12. दुधवा-कटरिया घाट परिपथ	परिपथ	312.60
13. जिला मथुरा के मुखारी गांव का विकास	ग्रामीण पर्यटन	45.89
14. कटेनियाघाट वन्य जीव अभ्यारण्य का विकास	परिपथ	105.00
	कुल	3873.72
राज्य का नाम : उत्तरांचल		
1. दयाराबुगियाल के लिए शीत क्रीड़ा उपकरण	गंतव्य	134.41
2. नैनीताल-रानीखेत-अलमोड़ा परिपथ	परिपथ	697.51
3. ग्राम अगोड़ा (डोडीताल), उत्तरकाशी में ग्रामीण पर्यटन का विकास	ग्रामीण पर्यटन	48.50
4. मुट्टाड में हब ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	48.05
5. चेकोनी बोरा, चम्पावत में ग्रामीण पर्यटन	ग्रामीण पर्यटन	44.20
6. ग्राम कोटी, इंदरौली में ग्रामीण पर्यटन	ग्रामीण पर्यटन	47.10
7. ग्राम माना, चमौली में ग्रामीण पर्यटन	ग्रामीण पर्यटन	50.00
8. ग्राम साड़ी, जिला रूद्रप्रयाग में देवरिया ताल में ग्रामीण पर्यटन	ग्रामीण पर्यटन	45.14
9. हेमकुण्ड-गंगरिया-फूलों की घाटी परिपथ	परिपथ	653.13
10. केदारनाथ का विकास	गंतव्य	453.13
11. गंगोत्री का विकास	गंतव्य	481.42
	कुल	2703.00
राज्य का नाम : पश्चिम बंगाल		
1. कूच बिहार का विकास	गंतव्य	475.00
2. कालीघाट का पुनर्विकास	गंतव्य	500.00
	कुल	975.00

वर्ष 2006-07 के दौरान गंतव्यों और परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास के लिए विलीन योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजना

राज्य का नाम : आंध्र प्रदेश		
1. लखनावरम झील, वारंगल के लिए ईको पर्यटन परियोजना	गंतव्य	468.63
2. भावीकोण्डा-थोटलाकोण्डा-पाठरालाकोण्डा को बीच परिपथ का विकास	परिपथ	571.93

1		2	3
3.	गोलकोण्डा कुतुब शाही टोम्ब-हाकिमपेट-शाइकपेट-सराय का विकास	परिपथ	500.00
		कुल	1540.56
राज्य का नाम : अरुणाचल प्रदेश			
1.	यागबो, डम्बुक-लोवर दीबांग घाटी में हैरिटेज स्थलों का संरक्षण	गंतव्य	283.22
2.	परसुराम कुण्ड, लोहित में पर्यटक परिसर	गंतव्य	462.68
3.	जिला उपरी सुबनसिरी के ग्राम लिगु का विकास	ग्रामीण पर्यटन	46.00
4.	जिला पश्चिमी शियांग के इगो-निकटे ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	46.50
5.	डेरक-वाकरो-टेरू-हाउलियांग परिपथ का विकास	परिपथ	772.26
6.	पापुमपारे में होलोंगी में पर्यटक रिजार्ट का विकास	गंतव्य	167.14
		कुल	1777.80
राज्य का नाम : असम			
1.	कामाख्या और हाजो के सैटेलाइट टाउनशीप का विकास	गंतव्य	436.54
2.	शिवसागर का विकास	गंतव्य	369.05
3.	ओरांग-तेजपुर-भालुकपोंग-बिश्वनाथ-चइरियाली-गोहपुर का विकास	परिपथ	798.00
4.	ब्रह्मपुत्र अशोक में एकीकृत कन्वेंशन एण्ड वैलनेस सेंटर का निर्माण	गंतव्य	454.28
5.	रीवर फ्रंट का विकास एवं क्रूज वैसल	गंतव्य	365.52
		कुल	2423.39
राज्य का नाम : बिहार			
1.	बोधगया-नालंदा-राजगीर परिपथ का विकास	परिपथ	1922.42
		कुल	1922.42
राज्य का नाम : छत्तीसगढ़			
1.	राजमेरगढ़ (अमरकंटक) का विकास	गंतव्य	275.73
2.	राजिम का विकास	गंतव्य	295.95
3.	जगदलपुर-नगरनार-मछकोटे-पुलचा-कोलेंग परिपथ का विकास	परिपथ	730.20
4.	चित्रकोट का विकास	गंतव्य	278.45

1	2	3
5. मलहार का विकास	गंतव्य	216.21
6. बाइगा परिपथ - रंगाखार-सारोदा-अवारापाणिया-जलेश्वर धाम का विकास	परिपथ	683.80
7. कमार परिपथ-पेंडुका-देवधारा-ओध का विकास	परिपथ	562.86
8. जिला रायपुर के मानाटुटा ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
9. जिला कबीरधाम के चिल्पी ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	48.75
10. भोरामदेव का अवसंरचना एवं गंतव्य विकास	गंतव्य	331.97
	कुल	3473.92
राज्य का नाम : दिल्ली		
1. स्मारकों का प्रदीप्तिकरण	गंतव्य	2375.09
	कुल	2375.09
राज्य का नाम : गुजरात		
1. जुनागढ़-पोरबन्दर-वेरावल-द्वारका का विकास	परिपथ	329.83
2. नवसारी जिले के दाण्डी ग्राम में ग्रामीण पर्यटन	ग्रामीण पर्यटन	50.00
	कुल	379.83
राज्य का नाम : हरियाणा		
1. बढखल झील का विकास	गंतव्य	181.13
2. कुरूक्षेत्र-पानीपत-पिंजोर परिपथ	परिपथ	1630.03
	कुल	1811.16
राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश		
1. रोहरू-चन्शाल का विकास	गंतव्य	260.00
2. सराहान-श्रीखण्ड का विकास	गंतव्य	416.00
3. धर्मशाला का विकास	गंतव्य	340.00
4. तीर्थ परिपथ का विकास	परिपथ	780.00
5. बारोह ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
	कुल	1846.00
राज्य का नाम : जम्मू-कश्मीर		
1. भदरवाह का विकास	गंतव्य	303.72
2. पूंछ का विकास	गंतव्य	243.52

1	2	3
3. कोकेरनाग का विकास	गंतव्य	287.82
4. किश्तवार का विकास	गंतव्य	271.86
5. लाखनपुर का विकास	गंतव्य	264.10
6. रजौरी का विकास	गंतव्य	249.55
7. मुबारक मण्डी और सोसियो-कल्चरल कम हैरिटेज सेंटर का विकास	गंतव्य	437.00
8. अनंतनाग जिले के अकिनगाम ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
9. कुण्ड घाटी में वासकनाग ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	48.53
10. जम्मू जिले के डोरी देगेयर ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
11. पहलगाम में सेनीटेशन सिस्टम का सुधार	गंतव्य	495.75
12. पहलगाम में बेताब वाडी क्षेत्र का विकास	गंतव्य	238.00
13. गुलमर्ग के लिए स्नो क्लीयरिंग और ग्रुमींग मशीनों की प्राप्ति	गंतव्य	447.41
14. सोनमर्ग में यूथ होस्टल और साहसिक क्रीड़ाएं	गंतव्य	190.91
15. बोटापथरी का कैम्पिंग साइट के रूप में विकास	गंतव्य	202.61
16. लेह के आस-पास पर्यटक सुविधाओं का विकास	गंतव्य	458.70
17. कारगिल का विकास	गंतव्य	484.00
18. सोनमर्ग में श्रीनगर-लेह राजमार्ग	गंतव्य	100.00
19. बुंगुस घाटी का विकास	गंतव्य	231.28
	कुल	5054.76
राज्य का नाम : झारखंड		
1. रांची-राजरप्पा-हजारीबाग का विकास	परिपथ	775.78
2. साहिबगंज-राजमहल का एकीकृत विकास	गंतव्य	131.47
	कुल	907.25
राज्य का नाम : कर्नाटक		
1. वाइल्डरनेश पर्यटन का विकास	परिपथ	226.88
2. लिंगामक्की गार्डन का विकास	गंतव्य	494.98
3. बंगलौर के पास मुथियालामाडु (पार्ट वैली) का विकास	गंतव्य	293.81

1	2	3
4. धारवाड़ शहर में बारो संघनाकारी पार्क का सौन्दर्यीकरण	गंतव्य	308.22
	कुल	1323.89
राज्य का नाम : केरल		
1. पदमनाभपुरम पैलेस परिसर का विकास	गंतव्य	308.19
2. इदुकी जिले के अन्नाकारा ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	46.00
3. अरनाकुलम जिले के कालाडी ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	47.20
4. दक्षिणी ईको-पर्यटन परिपथ	परिपथ	581.78
5. रानीपुरम का विकास	गंतव्य	357.01
6. कुमाराकोम का विकास	गंतव्य	234.35
7. नय्यर बांध का विकास	गंतव्य	302.53
8. इरिंगल का विकास	गंतव्य	392.00
9. मालनकारा बांध का विकास	गंतव्य	332.41
10. वजहनी का विकास	गंतव्य	305.54
11. वाघामोन का विकास	गंतव्य	334.46
12. धर्मडोंम का विकास	गंतव्य	356.00
13. पीची का विकास	गंतव्य	131.93
14. थालाशेरी का हैरिटेज परिपथ विकास	परिपथ	429.62
15. इदुकी जिले के अन्नाकारा का विकास	ग्रामीण पर्यटन	46.00
	कुल	4205.02
राज्य का नाम : मध्य प्रदेश		
1. माण्डु का विकास	गंतव्य	471.74
2. पन्ना का का विकास	गंतव्य	421.36
3. नर्मदा परिक्रमा-I का विकास	परिपथ	665.00
4. नर्मदा परिक्रमा-II का विकास	परिपथ	774.99
5. भोपाल का विकास	गंतव्य	499.47
6. जबलपुर का विकास	गंतव्य	460.43
7. मईहर का विकास	गंतव्य	296.79
8. उज्जैन जिले के ग्राम आमला का विकास	ग्रामीण पर्यटन	48.69
	कुल	3638.47

1	2	3
राज्य का नाम : महाराष्ट्र		
1. महाबलेश्वर का विकास	गंतव्य	480.57
2. कुंकेश्वर का विकास	गंतव्य	314.04
3. कोल्हापुर परिपथ का विकास	परिपथ	704.03
4. फोर्ट परिपथ का विकास	परिपथ	728.44
5. औरंगाबाद शिल्प ग्राम का विकास	गंतव्य	442.16
6. ग्राम मोराची चिंचौली, जिला पुणे	ग्रामीण पर्यटन	50.00
	कुल	2719.24
राज्य का नाम : मणिपुर		
1. इम्फाल का विकास	गंतव्य	418.00
2. जिला थोनबाल के खौगीयन ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	49.75
3. जिला तामेनलौग के नौनी ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	46.31
4. जिला पूर्वी इम्फाल के ग्राम एन्ड्रो का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
5. इम्फाल में इको-पर्यटन का विकास	गंतव्य	345.29
	कुल	909.35
राज्य का नाम : मेघालय		
1. पूर्वी जेन्तीया हिल्स में लालौग ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
2. तुरा का विकास	गंतव्य	487.00
3. विलियम नगर-जकारेम-नरतयांग का विकास	परिपथ	800.00
4. पश्चिमी गारो हिल्स जिले में ग्राम सासतग्रे	ग्रामीण पर्यटन	38.49
	कुल	1375.49
राज्य का नाम : मिजोरम		
1. दक्षिणी पर्यटक परिपथ का विकास	परिपथ	768.10
2. पूर्वी पर्यटक परिपथ का विकास	परिपथ	782.78
3. चलफिलतलांग का विकास	गंतव्य	499.00
4. चतलांग का विकास	गंतव्य	487.45
	कुल	2537.33

1	2	3
राज्य का नाम : नागालैंड		
1. वोखा-नुई लैण्ड-जालूकी परिपथ का विकास	परिपथ	728.00
2. जुन्हेबोटो-किफिरि परिपथ का विकास	परिपथ	678.66
3. जुन्हेबोटो-अइजुटो का विकास	गंतव्य	438.94
4. टुओफेमा, काहिमा पर्यटक यात्रा गंतव्य	गंतव्य	464.72
	कुल	2310.32
राज्य का नाम : उड़ीसा		
1. सिमलीपाल का विकास	गंतव्य	297.12
2. बारगढ़ जिले के बरपाली ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
3. खुर्दा जिले के हीरापुर ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
4. गंजम जिले के पदमनावपुर ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
5. अंगूल जिले के देउलझारी ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
6. चांदीपुर-तलसारी का विकास	परिपथ	800.00
7. कोरापुट-देवमाली-गुप्तेश्वर परिपथ	परिपथ	692.00
8. भीतरकनिका का विकास	गंतव्य	383.22
9. सतकोसिया का विकास	गंतव्य	424.50
	कुल	2796.84
राज्य का नाम : पांडिचेरी		
1. माहे का रिवर साइड और बीच विकास	गंतव्य	500.00
	कुल	500.00
राज्य का नाम : पंजाब		
1. फ्रीडम ट्रेल का विकास	परिपथ	784.45
2. तीर्थ परिपथ का विकास	परिपथ	800.00
3. होशियारपुर जिले के भूतगढ़ ग्राम में ग्रामीण पर्यटन	ग्रामीण पर्यटन	50.00
4. कपूरथला का एकीकृत विकास	गंतव्य	361.10
5. रोपड़ का एकीकृत विकास	गंतव्य	331.27
6. रोपड़ जिले के चमकौर साहिब ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	46.00

1		2	3
7.	मोहाली जिले के जैन्ती माजरी ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
8.	पटियाला जिले के छत ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	45.55
		कुल	2468.37
राज्य का नाम : राजस्थान			
1.	झालावाड़ का विकास	गंतव्य	281.71
2.	उदयपुर का विकास	गंतव्य	276.68
3.	ग्राम हल्दीघाटी का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
4.	जैसलमेर का विकास	गंतव्य	315.45
		कुल	923.84
राज्य का नाम : सिक्किम			
1.	सरमशा का विकास	गंतव्य	452.55
2.	यांगयांग/धाप्पड़ से भाले डुंगा तक ट्रेकिंग ट्रेल का विकास	गंतव्य	115.07
3.	सोरेंग का विकास	गंतव्य	498.96
4.	अरितर, फोडोंग का विकास	गंतव्य	145.17
5.	लेप्चा हेरिटेज सेंटर का विकास	गंतव्य	171.22
6.	तीर्थ पर्यटन का विकास और पूर्वी सिक्किम के सांग में अन्य अवसंरचना	गंतव्य	375.55
7.	सोमगो में पर्यटक अवसंरचना	गंतव्य	384.64
8.	बोजे में कौम्युनिटि पार्क और ही पुल में वाटर गार्डन का विकास	गंतव्य	441.81
		कुल	2584.97
राज्य का नाम : तमिलनाडु			
1.	मदुरै का विकास	गंतव्य	478.03
2.	थेनी जिले के थडियाकुडिसाइ ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
3.	थेनी जिले के कोम्बाई ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
4.	कन्याकुमारी का विकास	गंतव्य	258.52
5.	तंजावूर का विकास	गंतव्य	427.46
6.	पूलियानचौलाई का विकास	गंतव्य	97.02
7.	चेन्नई-मामलापुरम परिपथ का विकास	परिपथ	452.78
		कुल	1813.81

1	2	3
राज्य का नाम : त्रिपुरा		
1. चातुरदेश देवताबारी का विकास	गंतव्य	274.00
	कुल	274.00
राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश		
1. वाराणसी का विकास	गंतव्य	786.00
2. आगरा का जीर्णोद्धार	गंतव्य	758.00
3. अलीगढ़ का विकास	गंतव्य	497.04
4. बांदा का विकास	गंतव्य	397.86
5. ब्रज चोरासी कोस मथुरा का विकास	गंतव्य	441.53
6. महाभारत पर्यटक परिपथ का विकास	परिपथ	445.63
	कुल	3326.06
राज्य का नाम : उत्तरांचल		
1. यमनोत्री का विकास	गंतव्य	448.99
2. बैजनाथ-बीनर्स-बागेश्वर परिपथ का विकास	परिपथ	728.54
3. जिला नैनीताल के आदि कैलास ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
4. जिला नैनीताल के ग्राम पदमपुरी का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
5. जिला उद्धमसिंह नगर के नानकमाता ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	48.82
6. जिला रूद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
7. कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट	गंतव्य	371.15
	कुल	1747.50
राज्य का नाम : पश्चिम बंगाल		
1. चाय पर्यटन का विकास	परिपथ	715.85
2. कलिंगपोंग का विकास	गंतव्य	498.38
3. मुकुटमोनिपुर ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
4. गोकी का विकास	गंतव्य	355.49
5. जिला हुबली के अंतपुर ग्राम का विकास	ग्रामीण पर्यटन	50.00
6. मिदनापुर जिले में पूर्वी बीच पर्यटन	परिपथ	598.02
7. जलपाईगुड़ी जिले में पूर्वी दोआर्स का विकास	परिपथ	683.58
	कुल	2951.32

[हिन्दी]

नरकटियागंज-गौनाहा-भिखनधोरी रेल खंड का आमान परिवर्तन

4842. **श्री कैलाश बैठा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार नरकटियागंज-गौनाहा-भिखनधोरी खंड का आमान परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस रेल खंड पर गौनाहा और भिखनधोरी के बीच महायोगनी अथवा कैरियाश्रम हाल्ट का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) नरकटियागंज-भिखनधोरी (35.8 कि.मी.) के आमान परिवर्तन को चालू जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज (268 कि.मी.) आमान परिवर्तन परियोजना के एक भाग के रूप में 2005-06 में स्वीकृति दी गई थी। नरकटियागंज-भिखनधोरी खंड पर भूमि संबंधी और छोटे पुलों का कार्य शुरू किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चालू रेल परियोजनाएं

4843. **श्री नवीन जिंदल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चालू रेल परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये परियोजनाएं कार्यक्रम के अनुसार चल रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पहले से चल रही नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, रेल विद्युतीकरण और महानगर परिवहन रेल परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या
आंध्र प्रदेश	34
असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	14
बिहार	53
छत्तीसगढ़	15
दिल्ली	6
गुजरात	15
हरियाणा	11
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू-कश्मीर	4
झारखंड	12
कर्नाटक	29
केरल	19
मध्य प्रदेश	13
महाराष्ट्र	28
उड़ीसा	30
पंजाब	9
राजस्थान	19
तमिलनाडु	29
उत्तर प्रदेश	55
उत्तराखंड	4
पश्चिम बंगाल	43

एक से अधिक राज्यों में पड़ने वाली परियोजनाओं की गिनती दोनों राज्यों में की गई है।

(ख) से (घ) वर्षानुवर्ष के आधार पर निधियों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। चालू

परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए विगत कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं जैसे राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए परियोजना विशिष्ट वित्त पोषण के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाकर, रक्षा मंत्रालय से वित्त पोषण करके, राष्ट्रीय रेल विकास योजना के लिए निजी-सार्वजनिक हिस्सेदारी और गैर बजटीय पहल करके।

[हिन्दी]

झांसी-लखनऊ मार्ग पर स्थानीय ट्रेनों की संख्या में वृद्धि

4844. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में झांसी-मणिकपुर-महोबा-लखनऊ मार्गों पर दैनिक यात्रियों हेतु ट्रेनों की संख्या यात्रियों की संख्या के हिसाब से बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे यात्रियों की भीड़े के मद्देनजर उक्त मार्गों पर स्थानीय ट्रेनों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र

4845. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मोटर स्प्रिट (एमएस), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) जैसे परिवहन ईंधन का विपणन करने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा आज तक राज्य-वार कितने खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या इन निजी कंपनियों ने सुदूर क्षेत्रों में अपने कम से कम 5.6% खुदरा बिक्री केन्द्र और कम सेवा वाले क्षेत्रों में अपने कम से कम 5.3% खुदरा बिक्री केंद्र स्थापित करने के अपने दायित्व को पूरा किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन दायित्वों को पूरा न करने के लिए सरकार द्वारा कंपनी-वार क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सरकार ने चार निजी कंपनियों नामत: मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड (ईओएल), मैसर्स शेल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (एसआईएमपीएल) और मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) को परिवहन ईंधनों के विपणन के लिए प्राधिकार प्रदान किए हैं। आरआईएल, यूओएल और एसआईएमपीएल द्वारा दिनांक 1.3.2007 को स्थापित किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दिखाई गई है। तथापि, आरपीएल ने अभी तक देश में कोई खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित नहीं किया है।

(ख) और (ग) निजी कंपनियां कतिपय कारणों से दूर दराज क्षेत्रों में अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों का कम से कम 5.6% और न्यून सेवा क्षेत्रों में अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों का कम से कम 5.3% स्थापित करने का अपना दायित्व पूरा नहीं कर सकी हैं। इस संबंध में स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है ताकि इन दायित्वों को भी पूरा कराना सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

आरआईएल, ईओएल और एसआईएमपीएल द्वारा स्थापित खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निजी कंपनी का नाम		
		आरआईएल	ईओएल	एसआईएमपीएल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	129	73	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	8	-

1	2	3	4	5
3.	असम	18	17	-
4.	बिहार	25	28	-
5.	छत्तीसगढ़	15	-	-
6.	गुजरात	236	179	-
7.	हरियाणा	46	51	-
8.	हिमाचल प्रदेश	7	-	-
9.	झारखंड	33	27	-
10.	कर्नाटक	75	64	14
11.	केरल	40	30	-
12.	मध्य प्रदेश	84	94	-
13.	महाराष्ट्र	144	155	1
14.	मणिपुर	-	4	-
15.	मेघालय	6	4	-
16.	मिजोरम	-	1	-
17.	नागालैंड	1	3	-
18.	उड़ीसा	41	32	-
19.	पंजाब	77	52	-
20.	राजस्थान	106	82	-
21.	सिक्किम	-	1	-
22.	तमिलनाडु	91	54	14
23.	त्रिपुरा	1	1	-
24.	उत्तर प्रदेश	132	151	-
25.	उत्तरांचल	11	-	-
26.	पश्चिम बंगाल	49	37	-
27.	पांडिचेरी	-	1	-
	योग	1367	1149	32

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

4846. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम और अन्य राज्यों में विभिन्न स्रोतों से कितनी प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि और कितनी दर पर रायल्टी का भुगतान किया गया;

(ग) क्या विनियामक माडल के किसी अधिनियम पर इसलिए विचार किया जाता है जिससे कि राज्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधनों की खोज की अपनी नीति बना सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और संयुक्त उद्यम (जेवी)/निजी कम्पनियों द्वारा गुजरात, राजस्थान, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में उत्पादित प्राकृतिक गैस की मात्रा निम्न प्रकार है:-

//एमएमएससीएम

	2004-05	2005-06	2006-07*
गुजरात	3582.4	3710.7	3293.6
राजस्थान	212.75	241.43	242.95
असम	2248.34	2407.61	2525.6
त्रिपुरा	496	480	520
आंध्र प्रदेश	1701	1663	1525
तमिलनाडु	678	906	1130
अरुणाचल प्रदेश	39.79	47.5	34.62

*आंकड़े अनंतिम हैं।

//मिलियन मानक घन मीटर (एमएमएससीएम)

(ख) ओएनजीसी, ओआईएल और संयुक्त उद्यम/निजी कम्पनियों द्वारा वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान प्राकृतिक गैस पर राज्य सरकारों को दी गई रायल्टी की राशि निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07
गुजरात	96.42	72.77	58.38
राजस्थान	2.3	3.78	3.15
असम	22.25	20.67	26.23
त्रिपुरा	6.69	7.38	6.17
आंध्र प्रदेश	30.66	41.56	31.4
तमिलनाडु	12.61	23.84	24.45

ओएनजीसी के संबंध में वर्ष 2006-07 के लिए रायल्टी की राशि दिसम्बर, 2006 तक जोड़ी गई है।

अरुणाचल प्रदेश में उत्पादिक प्राकृतिक गैस आंतरिक खपत के लिए इस्तेमाल हो रही है और जला दी जाती है। तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 की अनुसूची के अनुसार प्राकृतिक गैस पर रायल्टी कूपशीर्ष पर मूल्य का 10% है।

(ग) और (ङ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण

4847. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्रदान करने की योजना का पूरे देश में विस्तार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो शेष जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में किस प्रकार की शारीरिक निशक्तता वाले व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्रदान करने का प्रावधान है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने विकलांग व्यक्तियों ने सहायक उपकरण प्राप्त किए और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) जी, हां। विकलांग व्यक्तियों को सहायक तंत्र और उपकरणों की खरीद/फिटिंग की योजना (एडिप) के अंतर्गत, सहायक तंत्र और उपकरण देश भर में व्यक्तियों को पात्रता के अनुसार वितरित किए जाते हैं।

(घ) यह योजना ऐसी विकलांगताएं, जहां सहायक तंत्र और उपकरण प्रयोग हो सकते हैं, को कवर करती है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या और उन पर खर्च धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2007-08 के दौरान किसी भी राष्ट्रीय संस्थान/गैर-सरकारी संगठनों को कोई अनुदान जारी नहीं की गई है।

विवरण

एडिप योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों और व्यय धनराशि का राज्यवार विवरण

(राशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05		2005-06		2006-07	
		जारी धनराशि	लाभार्थी	जारी धनराशि	लाभार्थी	जारी धनराशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	644.49	29860	376.46	22300	288.44	32000
2.	असम	150.19	6759	355.00	11501	111.00	4000
3.	बिहार	44.50	2050	89.00	6400	109.17	6200
4.	छत्तीसगढ़	63.71	2800	15.00	620	0.00	500
5.	गुजरात	145.00	6615	200.00	9700	12.50	5000
6.	हरियाणा	86.57	4006	58.16	4900	14.50	4000
7.	हिमाचल प्रदेश	7.75	354	12.00	500	10.00	1000

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	जम्मू-कश्मीर	0.50	42	2.75	89	17.25	636
9.	कर्नाटक	95.37	441	73.70	3200	5.00	2800
10.	मध्य प्रदेश	23.00	1111	65.00	4000	15.00	1177
11.	महाराष्ट्र		1438	25.55	21250	67.00	49942
12.	उड़ीसा	420.21	18851	69.27	7100	430.49	15814
13.	पंजाब	37.67	1697	40.00	2150	3.50	313
14.	राजस्थान	625.00	24300	815.00	34500	830.00	72334
15.	तमिलनाडु	92.30	4370	134.49	7550	411.06	12100
16.	उत्तर प्रदेश	2625.44	118009	2720.13	133200	2980.9	25000
17.	उत्तरांचल		11095	10.00	400	347.30	500
18.	पश्चिम बंगाल	233.74	11307	262.18	17200	455.45	22000
19.	दिल्ली	411.89	19425	469.00	24100	755.68	49479
	कुल	6416.79	264530	5792.69	310660	6864.24	629111.93

*नोट- अरुणाचल प्रदेश, गोवा, झारखंड, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु रेलवे भूमि

4848. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने मौजूदा रेलवे स्टेशनों से दूर खाली भूमि के ट्रेकों को वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु उपयोग करना शुरू कर दिया है और नवगठित रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने विकास हेतु 45 से 50 स्थानों को सौंपा है;

(ख) यदि हां, पूरे देश में स्थित इन स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नवंबर, 2006 के बाद से खाली भूमि के वाणिज्यिक विकास हेतु रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आर एल डी ए) को 74 स्थल सौंपे गए हैं।

(ख) ये स्थल पूरी भारतीय रेल पर फैले हुए हैं और इनका आकार 500 वर्ग मीटर से 1,73,0000 वर्ग मीटर के बीच है। स्थलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस प्राधिकरण ने 19.01.2007 से कार्य करना शुरू किया है। अगली कार्रवाई के लिए 13 आवंटित स्थलों का आर एल डी ए ने निरीक्षण कर लिया है और योजनाएं बनाने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है।

विवरण

क्र.सं.	रेलवे	स्थल का नाम
1	2	3
1.	उमरे	ग्वालियर
2.		निराला नगर (कानपुर)
3.	पूरे	बेलगरिया
4.		बिधान नगर

1	2	3
5.		हाली शहर
6.		बालीघाट
7.		कांचरापाडा
8.	पूमरे	गौतम बुद्ध संस्थान, गया
9.	उरे	रेल संस्थान विधान सभा मार्ग, लखनऊ
10.		दिल्ली-सराय रोहिल्ला
11.	दपरे	बेंगलुरू सिटी
12 और 13.	पूतरे	वाबूलामाडुम को छोड़कर विशाखापत्तनम (2 स्थल)
14.	उमरे	ईदगाह
15.		मथुरा जंक्शन
16.		कम्पू कोठी
17.	पूसीरे	करीमगंज
18.		सिल्चर
19.		न्यू कूचबिहार
20.		न्यू अलीपुरद्वार
21.		अलीपुरद्वार
22.		करसोंग
23.		दार्जिलिंग
24.		किशनगंज
25.		कटिहार
26.		जोरहाट
27.		माकुम
28.		सिबसागर
29.		मरघेरिता
30.		बर्धमान रोड, सिलगुडी
31.		न्य जलपाईगुडी के समीप ऊपरी सड़क पुल और जोरपानी के बीच
32.		न्यू जलपाईगुडी स्टेशन के सामने
33.		न्यू जलपाईगुडी के बिजलीघर के सामने
34.		न्यू जलपाईगुडी के नजदीक तीन बत्ती मोड
35.		न्यू जलपाईगुडी के नजदीक परिचलन क्षेत्र
36.		महानंदा कालोनी, सिलीगुडी
37.		दार्जिलिंग मोड की बगल में
38.		डीजल शेड रोड सिलीगुडी
39.		पांचनाई नदी और ट्रांसिट होस्टल, सिलीगुडी
40.		सिलीगुडी में हाकर कार्नर
41.	दमरे	गुंतकल
42.		गुंतकल
43.		औरंगाबाद
44.		हिंगोली स्टेशन क्षेत्र
45.		आदिलाबाद
46.		वाशीम स्टेशन
47.		मुदखेड़
48.		हफीजपेट
49.		विजयवाड़ा के नजदीक रेल अस्पताल
50.		हैदराबाद शहर में लालापेट से कुशागुडा से आने वाली सड़क पर बांयी ओर टी.ए. कैम्प कर्मचारी क्वार्टर के सामने, मौली अली
51.		हैदराबाद शहर में टरनाका एक्स रोड से मौला अली तक आने वाली सड़क पर बांयी ओर मौला अली फ्लाईओवर के समीप
52.	दपूरे	बोकारो-I
53.		बोकारो-II
54.		टाटा
55.	दपूमरे	जोन-II/बी एम वाई

1	2	3
56.		जोन-II एवं III बी एम वाई
57.		जोन III/बी एम वाई के सामने
58.		पी पी यार्ड/बी एम वाई
59.		उरकुरा
60.		कापा
61.		डब्ल्यू आर एस
62.	दपरे	मल्लेश्वरम रेलवे स्टेशन
63.		यशवंतपुर
64.	परे	मानकेवाडि स्टेशन के बगल बी वी सी
65.		मानकेवाडि स्टेशन
66.		मानकेवाडि स्टेशन
67.		तख्तेश्वर स्टेशन
68.		तख्तेश्वर स्टेशन
69.		कृष्णानगर
70.		कृष्णानगर स्टेशन से चैनेज 246
71.		जामनगर-पुराना स्टेशन क्षेत्र
72.		मणिननगर (पश्चिम)
73.		मणिननगर (पूर्व)
74.	सडिका	काक्कापालम पाडि, मणिननगर (मैसर्स लूकास टीवीएस लि.)

[हिन्दी]

मुंबई ट्रेन बम विस्फोट में पीड़ितों को मुआवजा

4849. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल दावा अधिकरण के समक्ष मुआवजों के दावों हेतु मुंबई ट्रेन बम विस्फोट के पीड़ितों से प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है और अब तक कितने मामलों को निपटाया गया है तथा उन्हें कितनी राशि का मुआवजा दिया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में मुआवजा दावे के मामले रेल दावा अधिकरण में अब भी लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) लंबित मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है; और

(ङ) कितने मृतकों के आश्रितों को रोजगार दिया गया है और इस संबंध में कितने मामले लंबित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेल दावा अधिकरण में 493 दुर्घटना दावा मुवाअजे मामले दायर किए गए हैं। उनमें से 174 मामलों का निपटान किया जा चुका है और दावेदारों को 6,55,60,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

(ख) और (ग) 319 मामले लंबित हैं। उनमें से 11 अदद मृत्यु के मामले हाल ही में दायर किए गए हैं और याचिकाकर्ता/प्रतिवादियों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के अभाव के कारण लंबित हैं। 308 अदद चोट के मामले लंबित हैं। चोट के मामलों के फैसलों से पहले, अधिकरण के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले की जांच करने के लिए एक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया है।

(घ) मामलों के निपटान हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है क्योंकि रेल दावा अधिकरण एक अर्ध-न्यायिक निकाय है

(ङ) मृत्त व्यक्तियों के आश्रितों से नियुक्ति हेतु कुल 134 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें से 101 को महाप्रबंधक/पश्चिम रेलवे ने नियुक्ति हेतु अनुमोदित कर दिया है और 33 मामले लंबित हैं।

[अनुवाद]

गांधीधाम-पालनपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

4850. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गांधीधाम-पालनपुर रेल लाइनों के आमान परिवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) गांधीधाम-पालनपुर लाइन का आमान परिवर्तन कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तिरूनेलवेलि-तिरूचेंदूर के बीच आमान परिवर्तन

4851. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे का तिरूनेलवेलि-तिरूचेंदूर तथा विल्लुपुरम-मयीलादुरई के बीच आमान परिवर्तन कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस पर कार्य कब तक शुरू होने/पूर्ण होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) तिरूनेलवेली-तिरूचेन्दूर तथा विल्लुपुरम-मायीलादुरई सेक्शनों का आमान परिवर्तन क्रमशः क्विलोन-तिरूनेलवेली-तिरूचेन्दूर तथा नेतकासी-विरुद्धनगर और तंजावुर-विल्लुपुरम का आमान परिवर्तन परियोजनाओं के भाग के रूप में पहले से ही किया जा रहा है। इस परियोजना की प्रत्याशित लागत क्रमशः 697.13 और 356.90 करोड़ रु. है।

कार्य पहले से ही चल रहा है और 2007-08 के दौरान पूरा होने का लक्ष्य है।

स्टेशनों पर फूड प्लाजा

4852. श्री के.सी. पल्लानी शामीः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे का देश प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनकी स्थापना के लिए विशेष रूप से दक्षिण में किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) फूड प्लाजाओं की स्थापना में कितनी प्रगति की गई है तथा इन्हें पूरा होने/शुरू होने में कितना समय लगेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्तमान में भारतीय रेलवे पर 44 फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाइयां परिचालन में हैं और 126 नए स्थानों को चिन्हित किया गया है। दक्षिण रेलवे पर 13, फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाइयां पहले से ही कार्यरत हैं और 12 नए स्थानों को चिन्हित किया गया है। इनकी स्थापना के लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

पुलिस कर्मियों द्वारा सामान्य सवारी डिब्बों के यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार

4853. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभरः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्वी रेलवे के अंतर्गत पुलिस कर्मी विशेष रूप से घोण्डा, गोरखपुर वाराणसी क्षेत्र में सामान्य सवारी डिब्बों में घुसकर निर्दोष यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनसे पैसे छीन लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान ऐसी कितनी घटनाओं की सूचना मिली है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) ऐसी घटनाएं रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या सख्त उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा, गोरखपुर और वाराणसी क्षेत्र में गाड़ियों के साधारण डिब्बों में पुलिस कर्मियों द्वारा प्रवेश करने और निर्दोष यात्रियों से धन ऐंठने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2006 और 2007 (अप्रैल तक) के दौरान विभिन्न स्टेशनों पर राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल कर्मियों के विरुद्ध 06 मामले रिपोर्ट किए गए हैं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए 06 मामलों में से 04 मामलों में राजकीय रेल पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं जिन पर अदालत में मुकदमा चल रहा है। 01 मामलें में 03 रेल सुरक्षा बल कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और 01 मामले की संबंधित राजकीय रेल पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है।

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

* रेल सुरक्षा बल के आंतरिक सतर्कता समूहों द्वारा नियमित जांच की जाती है और रेल सतर्कता दलों द्वारा भी अक्सर जांच की जाती है।
* मार्गरक्षक ड्यूटी के लिए तैनात किए जाते समय रेसबु कर्मियों के लिए निजी नगदी की घोषणा करनी अनिवार्य बना दी गई है।
* ऐसे कदाचार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण गाड़ियों में पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा अचानक जांचें की जाती हैं।
* पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा गाड़ी मार्गरक्षक एवं अन्य यात्री सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों की नियमित ब्रीफिंग की जाती है।
* दोषी कर्मियों के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई करने के अलावा उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं।
* इस बुराई को रोकने के लिए संयुक्त नीति बनाने हेतु क्षेत्रीय रेल स्तर और मंडल स्तर पर राजकीय रेल पुलिस, राज्य पुलिस और अधिकारियों से साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

4854. श्री एम. अंजनकुमार यादव: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में कौन-कौन से स्मारक केन्द्र द्वारा संरक्षित हैं;

(ख) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे स्मारकों के रखरखाव के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान इन स्मारकों से कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(घ) क्या उक्त स्मारकों की सूची में कतिपय नये स्मारकों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) आन्ध्र प्रदेश में 137 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) चालू वर्ष सहित पिछले वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव हेतु आवंटित निधियां निम्न प्रकार हैं:

2004-05	325.35 लाख रुपये
2005-06	432.67 लाख रुपये
2006-07	661.48 लाख रुपये
2007-08	575.00 लाख रुपये

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन स्मारकों से अर्जित किया गया राजस्व निम्न प्रकार है:

2004-05	128.68 लाख रुपये
2005-06	146.46 लाख रुपये
2006-07	165.76 लाख रुपये

(घ) वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आंध्र प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	पहाड़ी किला और उसके अंदर भवन और पहाड़ी के नीचे की ओर किलेबंदी	गूटी	अनंतपुर
2.	माधवराया मंदिर प्राचीन विष्णु मंदिर	गोरंतला	अनंतपुर
3.	महालक्ष्मी मंदिर की बाहरी दीवार	गोरीपल्ली	अनंतपुर

1	2	3	4
4.	मूर्तियों के समूह	हेमावती	अनंतपुर
5.	प्राचीन मंदिरों का समूह एवं साथ में लगी हुई जमीन	हेमावती	अनंतपुर
6.	चट्टानी छोटी पहाड़ी पर विशाल डाल्मेन	कल्याणदुर्ग	अनंतपुर
7.	मल्लिकार्जुन शिव मंदिर	अनंतपुर	
8.	वीरभद्र मंदिर	लेपाक्षी	अनंतपुर
9.	बासन्माह मंदिर	लेपाक्षी	अनंतपुर
10.	पहाड़ी किला	मडाकासिरा	अनंतपुर
11.	विशाल बुर्ज एवं एक प्राचीन प्रवेशद्वार	मडाकासिरा	अनंतपुर
12.	विस्तृत पहाड़ी किला जिसके साथ बाहर की किलाबंदी, किले के द्वार को छोड़कर	रायादुर्ग	अनंतपुर
13.	महल व राम तथा कृष्ण के दो मंदिर	रायादुर्ग	अनंतपुर
14.	चिंतालारायास्वामी मंदिर	ताडपत्री	अनंतपुर
15	रामेश्वरास्वामी मंदिर	ताडपत्री	अनंतपुर
16.	सीतातीर्थम सीढ़ीदार कुआं जिसका प्रवेश वृष के समान है	पेनुकोंडा	अनंतपुर
17.	पहाड़ी किला तथा उत्तरी प्रवेशद्वार शिलालेख सहित	पेनुकोंडा	अनंतपुर
18.	पहाड़ी पर दुर्ग व ध्वस्त भवन	पेनुकोंडा	अनंतपुर
19.	रामा के बुर्ज के नाम से वाच टावर	पेनुकोंडा	अनंतपुर
20.	छोटा मंडप	पेनुकोंडा	अनंतपुर
21.	प्राचीन गोपुरम	पेनुकोंडा	अनंतपुर
22.	उप कलैक्टर के कार्यालय परिसर में प्राचीन स्तंभ अथवा लैंप पिलर	पेनुकोंडा	अनंतपुर
23.	पहाड़ी किला व एक बड़ी दीवार	रायादुर्ग	अनंतपुर
24.	नीचे की तरफ किला व संरचना	चन्द्रगिरि	चित्तूर
25.	ऊंचा किला	चन्द्रगिरि	चित्तूर
26.	वेंकटेश्वर विष्णु मंदिर	मंगापुरम मिट्टापालम की पल्ली	चित्तूर
27.	चेन्नाकेश्वरास्वामी मंदिर	सोमपल्ली	चित्तूर
28.	किला	गुर्रमकोंडा	चित्तूर
29.	नीचे की तरफ किला, किले की मध्य दीवार, खाई, प्राचीन किले का प्रवेशद्वार, प्राचीन हनुमान मंदिर, प्राचीन मंडप	गुर्रमकोंडा	चित्तूर

1	2	3	4
30.	पल्लीश्वरा मंडैया माडेया मंदिर	कालाकाडा	चित्तूर
31.	परशुमेश्वरा मंदिर	गुडीमल्लम	चित्तूर
32.	महल	गुर्रमकोंडा	चित्तूर
33.	भीमेश्वरा स्वामी मंदिर	पुष्पगिरि कोटलुरु की पल्ली	कुडप्पा
34.	इन्द्रनाधेश्वरा स्वामी मदिर	पुष्पगिरि कोटलुरु की पल्ली	कुडप्पा
35.	कमलासंबनाश्वरा स्वामी मंदिर	पुष्पगिरि कोटलुरु की पल्ली	कुडप्पा
36.	राघवेश्वरा स्वामी मंदिर	पुष्पगिरि कोटलुरु की पल्ली	कुडप्पा
37.	शिवकेशवास्वामी मंदिर	पुष्पगिरि कोटलुरु की पल्ली	कुडप्पा
38.	त्रिकोटेश्वरा स्वामी मंदिर	पुष्पगिरि कोटलुरु की पल्ली	कुडप्पा
39.	वैद्यनाथा स्वामी मंदिर	पुष्पगिरि कोटलुरु की पल्ली	कुडप्पा
40.	प्राचीन ग्राम स्थल	पड्डामुडियम	कुडप्पा
41.	कोंडरामा मंदिर	पड्डामुडियम	कुडप्पा
42.	शिलालेख सहित मुकुंदेश्वर मंदिर	पड्डामुडियम	कुडप्पा
43.	नरसिंह मंदिर	पड्डामुडियम	कुडप्पा
44.	विघ्नेश्वर स्वामी मंदिर	चिलामाकुरु	कुडप्पा
45.	दबे हुए जैन मंदिर के अवशेष	दानाबालापाडु	कुडप्पा
46.	किला व उसके साथ लगा भवन, माधवपेरुमल मंदिर	गंडीकोटा	कुडप्पा
47.	विश्वनाथ स्वामी मंदिर	सिवालपल्लु	कुडप्पा
48.	सैम्यानाथ मंदिर	नंदालुर	कुडप्पा
49.	अथिराला परशुराम मंदिर	पोली	कुडप्पा
50.	श्रीकोदंडारास्वामी मंदिर तथा उसके साथ का भवन	वोंटिमिट्टा	कुडप्पा
51.	किला, खाई व भवन	सिद्धौट	कुडप्पा
52.	शिलालेखों सहित प्राचीन विष्णु मंदिर	पेड्डानुडियम	कुडप्पा
53.	अगतेश्वरास्वामी मंदिर	चिलमकूर	कुडप्पा
54.	ध्वस्त बोद्ध स्तूप तथा अन्य अवशेष	अमरावती	गुंटूर
55.	धरनीकोट के पश्चिम में उत्कीर्ण चट्टान	अमरावती	गुंटूर
56.	ध्वस्त किला	धरनीकोटा	गुंटूर

1	2	3	4
57.	शिलालेख सहित प्राचीन शिव मंदिर	अंयंगरीपालम	गुंटूर
58.	भवनारायणा मंदिर	बापतला	गुंटूर
59.	ध्वस्त बौद्ध स्तूप	भट्टीपरोलू	गुंटूर
60.	कपोतेश्वर मंदिर जिसमें मंदिर स्थल में ही शिलालेखीय स्मारक मंदिर स्थल में स्लैब	छेजरला	गुंटूर
61.	प्राचीन अवशेषों के साथ टीले	ग्रांधेसिरि	गुंटूर
62.	गोपाल मंदिर के समीप उत्कीर्ण संगमरमर का स्तंभ	इपुरु	गुंटूर
63.	प्राचीन बौद्ध अवशेष तथा टीले पर ब्राह्मी शिलालेख	मंचीकल्लु	गुंटूर
64.	प्राचीन अवशेषों सहित टीले	वेलपुर	गुंटूर
65.	पत्थर को काट कर बनाया गया चार मंजिल हिन्दू मंदिर	उंडावल्ली	गुंटूर
66.	मूर्तियों, नक्काशी, आकृतियां तथा अन्य ऐसे ही सामान जिन्हें राजस्व सीमा में खोजा गया	बुद्दाम	गुंटूर
67.	टीला	नागुलावरम	गुंटूर
68.	प्राचीन अवशेषों सहित नागार्जुनकोंडा पहाड़ी	पुल्लारेड्डीगुडेम अगरहारम	गुंटूर
69.	मूर्तियां, नक्काशी व प्राचीन टीले पर आकृतियां	पुल्लारेड्डीगुडेम	गुंटूर
70.	अनुपु तथा नागार्जुन पहाड़ी शिखर पर पुनर्निर्मित स्मारक	नागार्जुनकोंडा	गुंटूर
71.	टीले जिनमें बौद्ध अवशेष हैं जैसे स्तूप	अड्डुरु	पूर्वी गोदावरी
72.	शैलकृत गुफाएं, टंकी तथा बौद्ध स्तूपों के अवशेष, पांडावुला अथवा पांडवाकोंडा की पहाड़ी पर चैत्य व विहार मठ	कापावरम	पूर्वी गोदावरी
73.	कोडावल्ली स्थित बौद्ध अवशेष	कोडावल्ली	पूर्वी गोदावरी
74.	भीमेश्वरा मंदिर	समालकोट भीमावरम	पूर्वी गोदावरी
75.	भीमेश्वरा मंदिर	द्राक्षारामा	पूर्वी गोदावरी
76.	गोल्लिंगेश्वरा मंदिर समूह	बिक्कावोलु	पूर्वी गोदावरी
77.	एकाश्म की गणेश मूर्ति	बिक्कावोलु	पूर्वी गोदावरी
78.	चारमीनार	हैदराबाद	हैदराबाद
79.	गोलकोंडा किला, किलेबंदी	हैदराबाद	हैदराबाद
80.	प्रागैतिहासिक स्थल	जनापेट	खम्माम
81.	प्राचीन स्थल तथा अवशेष जो कि प्लाट नं. 37 के सर्वे में है	मुनागछेरला	कृष्णा

1	2	3	4
82.	टीले के साथ प्राचीन स्थल जिसमें कि बौद्ध स्तूप चिन्हित किया गया है	अल्लरु	कृष्णा
83.	एक टीले में बौद्ध अवशेष	घंटासाला	कृष्णा
84.	टीला जिसमें कि बौद्ध अवशेष व प्राचीन गांव स्थल है	गुडिवाडा	कृष्णा
85.	पहाड़ी जिस पर एक टीला है जो बौद्ध स्तूपों के प्राचीन अवशेषों को चिन्हित करता है।	गुम्मादिडुरु	कृष्णा
86.	बंदर किला	मसूलीपतनम	कृष्णा
	1. शस्त्रागार जिसे किला व कस्टम आफिस के नाम से जाना जाता है, बंदर किला कस्टम आफिस		
	2. घंटाघर		
87.	डच कब्रिस्तान	मसूलीपतनम	कृष्णा
88.	पहाड़ी पर एक स्तूप के बौद्ध अवशेष	जाग्गय्यापेटा	कृष्णा
89.	जाम्मीडोडी में ध्वस्त मंडप के चार स्तंभ	विजयवाडा	कृष्णा
90.	टक्कान्ना गुफाओं के नाम से जानी जाने वाली इन्द्राकिला पहाड़ी पर दो शैलकृत मंदिर, किराटर्जुन स्तंभ तथा स्लैब, इन्द्रकिला पहाड़ी पर उत्कीर्ण स्तंभ तथा मल्लेश्वरा स्वामी मंदिर में स्लैब	विजयवाड़ा	कृष्णा
91.	पहाड़ी पर शैलकृत गुफा मंदिर	मोगलराजापुरम	कृष्णा
92.	मूर्तियां, नक्काशी, आकृतियां तथा ऐसी ही अन्य वस्तुएं जो कि प्राचीन मस्जिद के पास में पाई गई हैं।	गुडूर	कृष्णा
93.	मल्लेश्वरास्वामी मंदिर में उत्कीर्ण स्तंभ व स्लैब	विजयवाडा	कृष्णा
94.	इन्द्रकिला पहाड़ी पर कीरथार्जुन स्तंभ	विजयवाडा	कृष्णा
95.	रमजान मस्जिद के अलावा ध्वस्त किला व भवन	अदोनी	कुरनूल
96.	शिव मंदिर के पूर्व में पड़ा हुआ उत्कीर्ण पत्थर	रायाचोटी	कुरनूल
97.	150 ए.डी. के आंध्र अभिलेखों का उत्कीर्ण शिलाखंड	चिन्नाकादाबुरु	कुरनूल
98.	एक प्रमुख ग्रेनाइड पहाड़ी जिसमें अशोक के शिलालेख हैं।	जोन्नगिरि	कुरनूल
99.	एक अशोक शिलालेख, दो चालुक्य पूर्व के शिलालेख एवं एक चालुक्य के बाद का शिलालेख	राजुलामंडागिरि	कुरनूल
100.	मकबरा जो अब्दुल वहाब खान के मकबरे के नाम से जाना जाता है तथा उसके साथ लगा भवन	कुरनूल	कुरनूल

1	2	3	4
101.	प्राचीन किले के प्रवेशद्वार तथा बुर्जियां, जैसे 1. बुर्जी नं. 1 बीच घंटकी बुर्ज 2. बुर्जी नं. 2 लाल बंगलो बुर्ज 3. गोपाला दरवाजे का प्रवेशद्वार 4. पानीकिडडी का प्रवेशद्वार	कुरनूल	कुरनूल
102.	नंदावरम मंदिर जिसमें कि सुब्रमण्यम की मूर्ति भी है।	नंदावरम	कुरनूल
103.	प्राचीन गुफा मंदिर	यागांति	कुरनूल
104.	उमा-महेश्वरीस्वामी मंदिर	यागांति	कुरनूल
105.	प्राचीन टीला	कोंडापुर	मेडक
106	आलमपुर मंदिर	आलमपुर	महबूबनगर
107.	टीला जिसे बोडिपाती डिब्बा के नाम से जाना जाता है।	रामातीर्थम वारिणी की पल्ली	नेल्लोर
108.	प्राचीन टीला	रामातीर्थम	नेल्लोर
109.	पहाड़ी किला तथा उसके अंदर के प्राचीन भवन	उदयगिरि	नेल्लोर
110.	डोंका के एक हिस्से में कृष्णा मंदिर एवं गोपुरम सहित, कल्याणमंडपम तथा ईंटों का बना हुआ टेंक	उदयगिरि	नेल्लोर
111.	रंगानायाकुला मंदिर	उदयगिरि	प्रकाशम
112.	प्राचीन टीले	कानुपारली	प्रकाशम
113.	भैरवाकोंडा पहाड़ी पर आठ शैलकृत मंदिरों का समूह	कोट्टापल्ली	प्रकाशम
114.	चोला मंदिर	मेटुपल्ले	प्रकाशम
115.	प्राचीन टीला	पेडागंजम	प्रकाशम
116.	पीतीकेश्वरा मंदिर समूह एवं पहुंच मार्ग	पिट्टिकायागुल्ला	प्रकाशम
117.	प्राचीन स्थल	पुसालापाडु	प्रकाशम
118.	रामालिंगेश्वर मंदिर समूह	सतियावेल	प्रकाशम
119.	प्राचीन बौद्ध स्थल	कलिंगापट्नम	श्रीकाकुलम
120.	श्री सोमेश्वर मंदिर	मुखलिंगम	श्रीकाकुलम
121.	भीमेश्वर मंदिर, मुखलिंगेश्वर मंदिर	मुखालिंगेश्वर	श्रीकाकुलम
122.	बौद्ध अवशेष: 1. छ आकृतियां 2. तीन आकृतियां तथा पहाड़ी पर कुछ और आकृतियां 3. एक आकृति 4. तीन आकृतियां	सालीहुंडम	श्रीकाकुलम

1	2	3	4
123.	सालिहुंडम पहाड़ी का पूर्वी भाग जिसमें बौद्ध अवशेष हैं एक चैत्य तथा चार स्तूप	सालीहुंडम	श्रीकाकुलम
124.	प्राचीन बौद्ध टीले जिन्हें स्थानीय रूप से धाना डिब्बालु के नाम से जाना जाता है।	कोट्टुरु गोकीवाडा जंगल के समीप	विशाखापट्नम
125.	बौद्ध शैलकृत स्तूप, डागाबास तथा गुफाएं तथा चैत्य की संरचना के अवशेष तथा इसके बाहरी भवन तथा दो लगी हुई पहाड़ियों, जिन्हें बोजान्ना कोंडा के नाम से जाना जाता है, पर अन्य प्राचीन अवशेष	संकरम	विशाखापट्नम
126.	दुर्गा भैरवकोंडा दुर्गा के नाम से जाना जाने वाला एक प्राचीन स्मारक	नीलावती	विशाखापट्नम
127.	गुरूभक्तोलाकोंडा स्थित ध्वस्त बौद्ध मठ	रामातीर्थलु रामातीर्थम	विशाखापट्नम
128.	प्राचीन, डिब्बेश्वरास्वामीनपुर मंदिर	सारापल्ली सारापल्ले	विजियानगरम
129.	हजार स्तंभी मंदिर	हनमकोंडा	वारंगल
130.	रामप्पा मंदिर	पलमपेट	वारंगल
131.	वारंगल किला, चहारदीवारी व प्रवेश द्वार	वारंगल	वारंगल
132.	टीले जिसमें बौद्ध अवशेष हैं	अरुगोलानु	पश्चिम गोदावरी
133.	टीले स्थानीय रूप से भीमालिंगाडिब्बा के नाम से जाना जाते हैं	डेंडुलुरु	पश्चिम गोदावरी
134.	बौद्ध स्मारक: 1. शैलकृत मंदिर 2. विशाल मठ 3. छोटा मठ 4. ईंटों का चैत्य 5. ध्वस्त मंडप 6. पत्थर का बना हुआ स्तूप तथा स्तूपों के बड़े समूह	गुंटुपल्ले	पश्चिम गोदावरी
135.	धर्मलिंगेश्वरस्वामी पहाड़ी पर गुफाएं व पुरातत्व महत्व की स्तूप की संरचना	जिलाकर्रागुडेम गुटुपल्ले की पल्ली	पश्चिम गोदावरी
136.	पेडावेगी के टीले: डिब्बा नं. 1, डिब्बा नं. 2, डिब्बा नं. 3, डिब्बा नं. 4, डिब्बा नं. 5	पेडावेगी	पश्चिम गोदावरी
137.	प्राचीन टीले	पेडावेगी	पश्चिम गोदावरी

[अनुवाद]

जोरहाट-गोलाघाट गैस पाइपलाइन परियोजना

4855. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोरहाट-गोलाघाट गैस पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन में कोई अनियमितताएं देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के कार्यान्वयन में कौन-कौन सी प्रमुख अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(ग) अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) असम सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम असम गैस कम्पनी लिमिटेड (एजीसीएल) ने जोरहाट-गोलाघाट गैस पाइपलाइन परियोजना का कार्यान्वयन किया है। एजीसीएल के अनुसार जोरहाट-गोलाघाट गैस पाइपलाइन परियोजना में कोई अनियमितताएं नहीं पाई गई।

किन्तु, कुछ समाचार पत्रों में कुछ रिपोर्टें प्रकाशित हुई थी, जिनमें कहा गया था कि डाली गई पाइपलाइन की वास्तविक लम्बाई कम्पनी द्वारा रेकार्ड की गई लम्बाई से कम थी। इस आरोप की जांच असम गैस कम्पनी लिमिटेड की एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति ने की। उसने सम्पूर्ण पाइपलाइन की लम्बाई की मौके पर दोबारा नाप की और आरोप पूर्णतः निराधार पाया गया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कार्पोरेट गवर्नेन्स संबंधी समितियां

4856. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्पोरेट गवर्नेंस के अच्छे मानक लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कापोरेट गवर्नेंस संबंधी विभिन्न समितियों की सिफारिशों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) सरकार ने एक वर्ष के प्रायोगिक चरण हेतु केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन का अनुमोदन किया है। इन दिशा-निर्देशों में निदेशक मण्डल का गठन, लेखा परीक्षा समितियों की भूमिका और शक्तियों जैसे मुद्दे, सहायक कंपनियों, प्रकटीकरण, लेखांकन मानको, जोखिम प्रबंध और अनुपालन तथा इन दिशा-निर्देशों की अनुसूची और क्रियान्वयन आदि जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं।

(ग) और (घ) इन दिशानिर्देशों को एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है जहां पर संबंधित कानूनों, नियमों, अनुदेशों के प्रावधानों और सूचीबद्ध कंपनियों हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के दिशा-निर्देशों को भी ध्यान में रखते हुए सभी दावाधारकों ने भाग लिया है।

जन शताब्दी एक्सप्रेस को इन्टरसिटी एक्सप्रेस में बदलना

4857. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने हावड़ा-माल्दा टाऊन (2665 अप तथा 2066 डाऊन) जन शताब्दी एक्सप्रेस को इन्टसिटी एक्सप्रेस में बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में कई लोक प्रतिनिधियों ने इस निर्णय का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) जी नहीं। बहरहाल, गाड़ी सं. 2065/2066 हावड़ा-माल्दा टाउन जनशताब्दी एक्सप्रेस को इन्टरसिटी एक्सप्रेस में बदलने के लिए संसद सदस्यों और संबंधित विधान सभा सदस्यों से फीडबैक लिया जा रहा है क्योंकि 2065/2066 हावड़ा-माल्दा टाउन जनशताब्दी एक्सप्रेस की लोकप्रियता दोनों दिशाओं में लगभग 59 प्रतिशत है।

नैमेत्तिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करना

4858. श्री नकुल दास राई:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने इसके कुछ मंडलों विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के गुंतकल मंडप में कार्यरत नैमेत्तिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने/आमेलन करने के लिए राख/कोयला उठाने संबंधी कार्य में 10 वर्ष की सेवा की एक शर्त रखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार इसके द्वारा लगाई गई इस सख्त शर्त में कुछ परिवर्तन करने का है, जिससे इनमें से अधिकांश नैमेत्तिक श्रमिकों से विभिन्न रेलवे मंडलों में खपाने/नियमित करने का अवसर छिन गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां, रिट याचिका सं. 433/1998 के संबंध में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर आंध्र प्रदेश में गुंटकल मंडल सहित भारतीय क्षेत्रीय रेलवे को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मंगलौर तथा हासन के बीच आमान परिवर्तन

4859. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगलौर तथा हासन के बीच नव निर्मित बी जी लिंक रेलवे सुरक्षा निदेशालय द्वारा परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस रूट को नियमित यात्रियों तथा माल गाड़ी ट्रैफिक के लिए कब तक खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या रेलवे सुरक्षा निदेशालय ने इस लिंक के घाट खंड पर गति लगाने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) सुब्रमन्या रोड-सकलेशपुर (55 किमी.) घाट खंड को छोड़कर जिसे मई, 2006 से माल यातायात के लिए खोला गया है, को छोड़कर हसन-मंगलौर (183 किमी.) पर निर्माण कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है। रेल संरक्षा आयुक्त ने 10 तथा 11 अप्रैल, 2007 को सुब्रमन्या रोड-सकलेशपुर खंड की सांविधिक जांच आयोजित की है।

बाकी का खंड अब यात्री यातायात के चालू होने के लिए तैयार है।

(ग) और (घ) अत्यधिक ढाल और तीव्र मोड़ के कारण घाट खंड में 30 किमी. प्रति घंटा के गति प्रतिबंध की रेल संरक्षा आयुक्त ने सिफारिश की है।

टी-55 टैंकों की आपूर्ति

4860. श्री मिलिन्द देवरा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने कुछ पुराने टी-55 टैंकों की पूर्वी पड़ौसी देश बर्मा जिसे सैन्य हार्डवेयर की आवश्यकता है, को आपूर्ति करने हेतु अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है;

(ग) भारतीय सेना के पास कितने टी-55 टैंक हैं तथा टैंकों की आपूर्ति बर्मा को किए जाने की संभावना है और इनकी लागत कितनी है;

(घ) टी-55 टैंक की कुल मियाद कितनी है;

(ङ) क्या ये टैंक भारतीय सेना में अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके हैं और इसलिए उन्हें बेचा जा रहा है;

(च) यदि हां, तो क्या टैंकों की उक्त बिक्री के कारण भारतीय सेना पर असर पड़ने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंद में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (छ) चूंकि मांगी गई सूचना संवेदनशील किस्म की है इसलिए ऐसी सूचना प्रकट करना राष्ट्र-हित में नहीं होगा।

अमरीका के साथ समझौता ज्ञापन

4861. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अमरीका-भारत विमानन सहयोग कार्यक्रम (एसीपी) की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों को क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) उक्त समझौता ज्ञापन को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) भारत सरकार ने दिनांक 23 अप्रैल, 2007 को संयुक्त राज्य-भारत विमानन सहयोग कार्यक्रम (एसीपी) की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विमानन प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता आवश्यकताओं की पहचान करने, यू एस विमानन उद्योग की खबरों को संप्रेषित करने तथा फैडरल प्रशासन (एफ ए ए) यू एस टीडीए तथा यूएस वाणिज्य विभाग सहित यूएस सरकार की देखरेख में, समन्वय में सुधार करने सहित भारतीय नागर विमानन उद्योग को यूएस सहायता समन्वय में सुधार करने सहित भारतीय नागर विमानन उद्योग को यूएस सहायता समन्वय में सुधार करना है। इस कार्यक्रम को यूएसटीडीए की सहायता से धन प्राप्त होगा।

यह कार्यक्रम भारतीय विमानन क्षेत्र सुरक्षा, प्रचालन दक्षता तथा प्रणाली क्षमता बढ़ाने, संवृद्ध करने में सहायक होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट

4862. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय धार्मिक एवं अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा क्या सिफारिश की गई तथा इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) इस आयोग का वर्तमान कार्यकाल 15 मई, 2007 तक है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को बंद किया जाना

4863. श्री सुनील खां: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) तथा भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बीबीयूएनएल खुद कोई व्यवसाय नहीं चला रहा और यह बीएससीएल, बीसीएल, बीबीजे तथा बीडब्ल्यूईएल की अपनी नियंत्रक कंपनियों की आय पर पूर्णतः निर्भर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) को बंद करने के लिए एक प्रस्ताव लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) को प्रस्तुत किया गया जिस पर सहमति बन गई। बीआरपीएसई की सिफारिशों के अनुसार, कर्मचारियों से निम्नलिखित दो विकल्पों में से कोई एक को अपनाने के लिए कहा जा सकता है; (1) बीवाईएनएल की किसी अन्य सहायिका में कार्यग्रहण करना, अथवा (2) सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेना। अभी तक सक्षम अधिकारी द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जहां तक बीबीयूएनएल का संबंध है, सरकार के पास बंद करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) बीबीयूएनएल अपनी सहायक कंपनियों पर पूर्णतः निर्भर नहीं है। कार्यशील पूंजी, सावधि ऋण आदि की व्यवस्था करने के अलावा इसके द्वारा तकनीकी तथा वाणिज्यिक सेवाओं के लिए अपनी सहायक कंपनियों से सेवा शुल्क लेने के अलावा यह देशीय तथा निर्यात क्रयादेशों का भी क्रियान्वयन करता है। विगत दो वर्षों के दौरान देशीय तथा निर्यात क्रयादेशों से अर्जित राजस्व के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	राशि (रुपये लाख में)
2005-06	368.56
2004-05	46.70

भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के प्रकार

4864. **श्री अबु अयीश मंडल:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारतीय शास्त्रीय तथा क्रिएटिव नृत्यों के विभिन्न प्रकारों का कोई रिकार्ड है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए मंत्रालय के पास पैनल में रखे गए नृत्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भारतीय विरासत संस्कृति की सूचियों में रवीन्द्रनाट्यम (टैगोर के गानों पर नृत्य) को शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार की अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार विजेताओं को सम्मान देने के मामले की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित करने की योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय, पारम्परिक, लोक तथा जनजातीय आदि नृत्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय नृत्यों की प्रमुख परम्पराएं हैं। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, कुचीपुड़ी, ओडिसी, सत्रिय, मोहिनीअट्टम तथा छऊ। सृजनात्मक तथा प्रायोगिक नृत्यों की साधना विभिन्न कलाकारों तथा समूहों द्वारा अपने-अपने तरीकों से की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (च) इस मामले में कोई समिति गठित नहीं की गई है। तथापि, गुरुदेव टैगोर को श्रद्धांजलि के रूप में संगीत नाटक अकादमी ने 1961 में टैगोर शताब्दी के अवसर पर तथा 1987 में टैगोर की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनकी साहित्यिक कृतियों पर आधारित नृत्य, नाटक तथा रंगमंच के प्रमुख उत्सव आयोजित किए थे।

अहमदाबाद में साइंस सिटी

4865. **श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल:**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री महेश कनोडीया:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात राज्य सरकार से अहमदाबाद में साइंस सिटी परियोजना के विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितनी सहायता राशि संस्वीकृत तथा जारी की गई; और

(घ) कितनी धनराशि को अभी जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय ने गुजरात में अहमदाबाद में एक विज्ञान शहर स्थापित करने हेतु गुजरात विज्ञान शहर परिषद (जीसीएससी) को 9.00 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान करने की सहमति दी है। उक्त 9.00 करोड़ रु. की राशि में से मंत्रालय ने अभी तक 8.00 करोड़ रु. जारी किए हैं। संस्कृति मंत्रालय को, उक्त परियोजना हेतु 1.00 करोड़ रु. की शेष राशि जारी करने के संबंध में जीसीएससी से अनुरोध प्राप्त हुआ है। तथापि, वर्ष 2002-03 के बाद से जीसीएससी के वार्षिक लेखा परीक्षित लेखा-विवरण तथा वर्ष 2005-06 के दौरान, जारी अनुदानों के संबंध में उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण, मंत्रालय 1.00 करोड़ रु. की शेष राशि जारी करने में असमर्थ है।

अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाएं

4866. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितंबर, 2000 से आज तक रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) में अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत सेवारत सशस्त्र सेना कार्मिकों द्वारा पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत मानदंडों के अनुसार चार वर्ष की बढ़ी हुई अवधि समाप्त होने के बावजूद आईडीएसए में काम करना जारी रखने वाले सशस्त्र सेना कार्मिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय हित को नजरअंदाज करते हुए उनके मूल कैडर में उन्हें वापस भेजने की तुलना में संस्थान में "सर्विस मैम्बर्स" तथा उनकी सेवाएं बनाएं रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) सितंबर, 2000 से आज तक आईडीएसए में तैनात सशस्त्र सेना के कार्मिकों द्वारा की गई सभी विदेशी यात्राओं का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) सितंबर से अब तक, भारतीय सेना की संरचना, आतंकवाद, आतंकवाद-रोधी रणनीति, सेना का आधुनिकीकरण, एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य आदि जैसे विषयों पर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान में अध्येतावृत्ति योजना के अधीन सेवारत सशस्त्र सैन्य कार्मिकों द्वारा 28 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

(ख) और (ग) इस समय वायुसेना का एक अफसर चार वर्ष से अधिक समय के लिए रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान में है। यह अफसर, सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रहा है। और इसके लिए कोई अन्य उपयुक्त शोध-कर्ता उपलब्ध नहीं है। इस अफसर को संस्थान के अनुरोध पर और वायुसेना की सहमति से रोका गया है। वायुसेना में इस अफसर के लिए किसी संक्रियात्मक भूमिका की परिकल्पना नहीं है।

(घ) रक्षा अनुसंधान तथा विश्लेषण संस्थान में प्रतिनियुक्त सशस्त्र सेनाओं के 8 कार्मिकों ने सितंबर, 2000 से अब तक 38 विदेश यात्राएं की हैं। ये यात्राएं जर्मनी, अमरीका, इटली, कनाडा जैसे पड़ोसी देशों में सैनिक महत्व के और उनके अनुसंधान विषयों से जुड़े हुए सेमिनारों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए की गई हैं।

बैंकों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता

4867. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:**
श्री अनन्त नायक:
श्री तूफानी सरोज:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस समय चुनिंदा बैंकों के माध्यम से योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उद्यमियों को बैंकों से व्यवहार करने में आ रही कठिनाइयों और देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बैंकों द्वारा अपेक्षित प्राथमिकता नहीं देने की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त योजना को बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित न कराकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) 10वीं योजना के दौरान कायान्वित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापन/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम को 11वीं योजना के दौरान जारी रखा जा रहा है। 10वीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, प्रौद्योगिकी उन्नयन आधुनिकीकरण में लगी आवेदक यूनिटों को राज्य नोडल एजेंसियों जोकि राज्य सरकार के विभाग/निगम है, के जरिए इस मंत्रालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित था। 11वीं योजना में, इस क्षेत्र को अधिक समर्थन देने, आवेदनों का शीघ्र निपटान करने और इसके लाभ देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अधिक से अधिक पहुंचाने के उद्देश्य से बैंक/वित्तीय संस्थानों के जरिए स्कीम के कार्यान्वयन का विकेंद्रीकरण करने का निर्णय लिया गया है। योजना आयोग ने वार्षिक योजना 2007-08 के लिए बजट आबंटन अनुमोदित करते समय इस बात पर जोर दिया गया है कि स्कीम के लिए वित्तीय सहायता विकेंद्रीकृत तरीके से विभिन्न बैंकों के जरिए दी जाए।

(ग) से (ङ) इस स्कीम के तहत प्राप्त अधिकांश आवेदनों के मामले में, यह पाया गया है कि आवेदकों ने बैंक अथवा किसी और जरिए से आवधिक ऋण/चालू पूंजी ऋण आदि लिया है। इस प्रकार उद्यमी, परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन और आवधिक ऋण की मंजूरी के लिए भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निकट सम्पर्क में रहते हैं और इसलिए वे इनके लिए अधिक सुलभ है। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऋण की मंजूरी देते समय प्रस्ताव का मूल्यांकन करें, इसलिए मंत्रालय में दुबारा मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं होगा। स्कीम के विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन का उद्देश्य देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र पर जोर देने तथा व्यापक कवरेज करने और मूल्यांकन की प्रक्रिया, बैंक/वित्तीय संस्थानों के जरिए वित्तीय सहायता देने तथा उस पर निगरानी रखने के लिए विकेन्द्रित करने का है।

उपरोक्त स्कीम के तहत वितरण प्रक्रिया को विकेंन्द्रित करने का निर्णय मामलों का शीघ्र निपटान करने, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की व्यवहार्यता में सुधार करने तथा कार्यान्वयन की निगरानी को सुगम बनाने के लिए लिया गया। विकेंद्रित वितरण प्रक्रिया से मंत्रालय में केन्द्रीकृत स्तर पर स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मंजूरी देने में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। इसलिए विकेंद्रीकरण का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाएं समीप से उपलब्ध कराना, वर्तमान प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना तथा

उसे समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। तथापि उक्त विकेंद्रीकृत स्कीम इस मंत्रालय की सतत निगरानी में रहेगी। विकेंद्रीकृत प्रक्रिया द्वारा कुछ प्रगति कर लेने के बाद, बैंकों के जरिए इस स्कीम को कार्यान्वित करने की कार्यकुशलता और उपयुक्तता की समीक्षा की जाएगी।

मुंबई शहरी परिवहन परियोजना

4868. श्री मोहन रावले:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से मुंबई में यातायात और परिवहन की स्थितियों में सुधार करने के लिए मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) शुरु की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना की लागत का वहन केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक सरकार के हिस्से का इस हिस्सेदारी में कितना अनुपात होगा;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से की धनराशि का अनुमोदन करके इसे जारी कर दिया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा अपना अनुमोदन कब तक दिए जाने का प्रस्ताव है और अपने हिस्से की धनराशि को कब जारी करने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी हां। मुंबई उपनगरीय परिवहन परियोजना के चरण-I के रेल संघटक की कुल लागत 3125 करोड़ रु. है। इसका वित्त पोषण विश्व बैंक, महाराष्ट्र सरकार तथा रेल मंत्रालय द्वारा निम्नुसार किया जा रहा है:

* विश्व बैंक : 1613 करोड़ रु.
* महाराष्ट्र सरकार : 756 करोड़ रु.
* रेल मंत्रालय : 756 करोड़ रु.

चूंकि महाराष्ट्र सरकार मुंबई उपनगरीय परिवहन परियोजना के रेल संघटक का 50 प्रतिशत लागत वहन कर रही है, इसलिए विश्व बैंक के धन का रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच बराबर वहन किया जा रहा है।

(घ) जी, हां। रेल मंत्रालय ने पहले से ही मुंबई उपनगरीय परिवहन परियोजना स्वीकृत कर दी है तथा जैसे कार्य में प्रगति हो रही है वैसे-वैसे मंत्रालय अपने हिस्से का पैसा भी रिलीज कर रहा है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विदेशी कंपनियां

4869. श्री सुग्रीव सिंह: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दो द्वीपों को विदेशी कंपनियों को पट्टे पर देने का है जैसाकि दिनांक 28 मार्च, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वर्षों की संगत अवधि की तुलना में वर्ष 2006 और 2007 के दौरान अभी तक कितने पर्यटकों द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा की गई है; और

(घ) सरकार अंडमान और निकोबार को पर्यटन के लिए किस प्रकार विकसित करने जा रही है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के लिए पर्यटक आगमन के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

वर्ष	आने वाले पर्यटकों की संख्या
2004	1,09,582
2005	32,381
2006	1,27,631
2007 (अप्रैल 2007 तक)	42,618

(घ) द्वीपों की पारिस्थितिकी और वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के एकीकृत विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय, संघ राज्य प्रशासन को सहायता प्रदान करता आया है।

सरकारी उपक्रमों में सेवानिवृत्ति की आयु

4870. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लगातार लाभ कमा रहे सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्तिम निर्णय को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) जी हां। सरकार ने 20.4.2007 को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री को अधिकार दिया है कि वह निदेशक मण्डल को निदेशक मंडल स्तरों के कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से 60 वर्ष तक बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रस्तावों का अनुमोदन कर सकता है बशर्ते कि:

(1) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का संबंधित उद्यम ने इसकी वार्षिक लेखा परीक्षित खातों के अनुसार पिछले तीन वर्षों से लगातार निवल लाभ अर्जित किया है पिछले तीन वर्षों के दौरान इसकी निवल परिसंपत्ति सकारात्मक होनी चाहिए।

(2) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई बजटीय सहायता प्राप्त न की हो और भविष्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम द्वारा कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं की जाएगी और

(3) इन प्रस्तावों को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यम के निदेशक मंडल ने अनुमोदित कर दिया हो और इस पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया हो।

[हिन्दी]

रेलवे एजेन्टों की नियुक्ति

4871. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री वी.के. दुम्मर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा रेल यात्री सेवा एजेन्टों (आरटीएसए) और रेल पर्यटन एजेन्टों (आरटीए) की नियुक्ति हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या रेलवे ने ग्रामीण क्षेत्रों में किन्हीं रेल यात्री सेवा एजेन्टों (आरटीएसए) और रेल पर्यटन एजेन्टों (आरटीए) की नियुक्ति की है;

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने एजेन्टों को नियुक्त किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित लोगों को आरक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेल यात्री सेवा एजेंट तथा रेल पर्यटन एजेंटों की नियुक्ति रेल यात्री सेवा अभिकर्ता नियम, 1985 तथा रेल पर्यटन अभिकर्ता नियम, 1980 के साथ-साथ इनमें संशोधित तथा रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार की जाती है।

(ख) से (घ) रेल यात्री सेवा एजेन्टों तथा रेल पर्यटक एजेंटों की नियुक्ति आम तौर पर उन स्थानों पर की जाती है जिन शहरों में पर्याप्त आरक्षण संबंधी गतिविधियां होती है। बहरहाल, 2002-03 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में एक रेल यात्री सेवा एजेन्ट नियुक्त किया गया है।

(ङ) चरणबद्ध आधार पर लगभग 870 स्थलों पर संयुक्त यात्री आरक्षण प्रणाली-सह-अनारक्षित टिकटिंग प्रणालियों की व्यवस्था की जाएगी जो ग्रामीण क्षेत्रों को भी सेवित करेगी।

रसोई गैस सिलिन्डरों में मिलावट

4872. श्री पारसनाथ यादव:
श्री पंकज चौधरी:
श्री अजीत जोगी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को वर्ष 2006 के दौरान रसोई गैस सिलिन्डरों में मिलावट के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मिलावट को रोकने के साथ-साथ रसोई गैस सिलिन्डरों के भार को कम होने से रोकने के लिए कम्प्यूटर चिप लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा उक्त लागत का वहन किया जाएगा या फिर इस लागत के भार को उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने वर्ष 2006 के दौरान देश में एलपीजी सिलेन्डरों में अपमिश्रण के बारे में किसी शिकायत की रिपोर्ट नहीं दी है। तथापि, ओएमसीज ने वर्ष 2006 के दौरान अपने एलपीजी वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को कम वजन वाले सिलेंडरों की आपूर्ति करने से संबंधित शिकायतों के 56 मामलों की रिपोर्ट दी है। ओएमसीज द्वारा विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

(ख) से (च) घरेलू सिलेंडरों का विपथन रोकने के लिए कंप्यूटर चिप्स अर्थात् रेडियो आवृत्ति पहचान (आरएफआईडी) प्रणाली शुरू करने के प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

आयकर का भुगतान करने वालों के लिए रसोई गैस का मूल्य

4873. श्री अधीर चौधरी:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री निखिल कुमार:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सरकारी क्षेत्र की तेल की अनेक कम्पनियों से आयकर का भुगतान करने वालों से रसोई गैस के सिलिन्डरों का पूरा बाजार मूल्य लेने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव पर तेल कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ऐसे कदम से रसोई गैस के सिलिन्डरों की कालाबाजारी को बढ़ावा नहीं मिलेगा;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार का विचार रसोई गैस के सिलिन्डरों पर से राजसहायता को कम करने के लिए किसी अन्य योजना को अपनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) जी, नहीं। सरकार ने घरेलू एलपीजी ग्राहकों को भिन्न दरों पर राजसहायता प्राप्त एलपीजी की आपूर्ति करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को कोई अनुदेश नहीं दिए हैं।

(च) वर्तमान में एलपीजी सिलेन्डरों पर राजसहायता में कमी करने हेतु कोई अन्य योजना अपनाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(छ) उपर्युक्त (च) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

झारखंड में प्राप्त प्राकृतिक गैस

4874. श्री चन्द्रशेखर दूबे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने झारखंड में तेलगरिया-परबतपुट बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज की थी;

(ख) यदि हां, तो प्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा की खोज की गई है एवं तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा अनुमानतः कुल कितनी लागत का व्यय किया गया है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा तेलगरिया-परबतपुट बेसिन से गैस निष्कर्ष का कार्य शुरू करने में लगातार विलम्ब किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गैस निष्कर्ष का कार्य किस तिथि को शुरू किया जाएगा तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां। आयल एंड नेचुरल कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने अपना आरंभिक अन्वेषण कार्य और चार कूपों का वेधन करके मध्य परबतपुट, झरिया, झारखंड में सीबीएम ब्लॉक में 6 व कि.मी. के क्षेत्र में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) का होना सिद्ध किया है।

(ख) 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार झारखंड में मध्य परबतपुट, झरिया, सीबीएम ब्लॉक में 6 व.कि.मी. क्षेत्र में स्थानिक अनुमानित सीबीएम की मात्रा लगभग 9.19 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है।

इस क्षेत्र से सीबीएम उत्पादन की शुरुआत के लिए 14 क्षेतिज बहुआयामकूपों का वेधन करने और एक गैस संग्रह केन्द्र (जीसीएस) स्थापित करने की परियोजना 19.5.2006 को लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से यूएसए की मैसर्स एक्सप्रैस ड्रिलिंग सिस्टम्स के नेतृत्व वाले सपरिसंघ को प्रदान की गई है। वेधन स्थलों और जीसीएस के लिए पहचान की गई भूमि के अधिग्रहण में विलंब के कारण कार्य शुरू किया जाना है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, उक्त क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की गम्भीर समस्या रही है। इसके अतिरिक्त कोयला मंत्रालय द्वारा ओएनजीसी के सीबीएम ब्लाक की अतिव्याप्ति कर रहे कोयला खनन ब्लाक का अवार्ड मैसर्स इलैक्ट्रो-स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड को किए जाने में विलंब हो रहा है।

(घ) ओएनजीसी इस समय भूमि का अधिग्रहण करने के सभी प्रयास कर रही है और इसमें पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त कर ली गई है।

[अनुवाद]

जवानों को क्लब की सदस्यता की सुविधा देना

4875. श्री हरिसिंह चावड़ा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थल सेना, नौसेना और वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के परिवार के सदस्यों हेतु क्लब का प्रबंधन सरकारी धनराशि के माध्यम से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन क्लबों पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने तीनों सेनाओं के जवानों को भी क्लब की सदस्यता सुविधा देने का कोई प्रावधान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) सरकारी निधि से सशस्त्र सेना के वरिष्ठ अफसरों के परिवार के सदस्यों के लिए कोई क्लब नहीं चलाया जा रहा है। अफसरों के इस्तेमाल के लिए संस्थानों का प्रबंधन सदस्यों के अंशदान से न लाभ न हानि के आधार पर किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिक इन संस्थानों में इन रैंकों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बारासात-हासनाबाद रेल लाइन के दोहरीकरण की स्थिति

4876. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व रेलवे के अंतर्गत सियालदाह मंडल में बारासात-हासनाबाद खण्ड में रेल लाइन के दोहरीकरण संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की योजना है;

(ग) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि यह खंड सुंदरवन का प्रवेशद्वार (गेटवे) है और बांग्लादेश से इसकी निकटता के कारण इस खंड की विशेष स्थिति क्या है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वर्तमान में, बारासात-सोंधालिया (12.12 कि.मी.) को बारासात-हसनाबाद खंड के दोहरीकरण के चरण-I के रूप में स्वीकृत किया गया है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।

(ख) बारासात-केरिया कादमगाही (6.52 कि.मी) को 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) जी, हां।

(घ) कार्य में तेजी लाने के लिए, इस कार्य के बजट परिव्यय को 2006-07 के दौरान 1 करोड़ से बढ़ाकर 2007-08 के दौरान 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

कर्नाटक में पैदल पार पुल

4877. श्री मंजुनाथ कुन्नुरः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर पैदल पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ख) इस संबंध में किए गए कार्य में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुलों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और निधि की उपलब्धता तथा अन्य संबंधित प्राथमिकताओं पर आधारित वार्षिक कार्यक्रम के माध्यम से इसे निष्पादित किया जाता है। कर्नाटक राज्य में रायचूर, हुबली, बीजापुर, घाटप्रभा, हरिहर, हावेरी, भद्रावती तथा रानी बेन्नूर रेलवे स्टेशनों पर ऊपरी पुलों का निर्माण/विस्तार का कार्य जारी हैं। इन स्टेशनों पर कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं और पूरा होने का लक्ष्य दिनांक 31.3.2008 तक अथवा इससे पूर्व है।

[हिन्दी]

शहीदों की विधवाओं को सुविधाएं/सहायता

4878. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटीलः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री के.एस. रावः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसे बहादुर सैनिकों की विधवाओं की संख्या कितनी है जिनके पति युद्ध में दुश्मन के विरुद्ध की गई कार्रवाई में और देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद से लड़ते हुए मारे गए थे;

(ख) क्या सरकार को इन विधवाओं से उनके हक न दिए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जिम्मेदारी तय की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इन विधवाओं को राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार से मिलने वाली सुविधाएं, अवार्ड और उनके हक मिलते रहें;

(छ) क्या सरकार का विचार तत्काल राहत तथा हकदारियों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों हेतु अनिवार्य बनाए जाने के लिए एक कानून अधिनियमित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक विकास योजना

4879. श्री बाडिगा रामकृष्णाः क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अल्पसंख्यक विकास की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना पहले वाली योजना का ही संशोधित रूप है;

(ग) यदि हां, तो योजना के संशोधित स्वरूप का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर सरकार प्रस्तावित अल्पसंख्यक विकास योजना में जोर दे रही है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) वार्षिक योजना 2007-2008 में अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए मल्टी-सेक्टोरल विकास योजना हेतु एक प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह मल्टी-सेक्टोरल विकास योजना पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले पिछड़े जिलों के लिए अभिप्रेत है।

प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों का उपभोग

4880. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में इस समय प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों का अनुमानतः कितना उपभोग किया जाता है;

(ख) क्या प्रसंस्करण का स्तर विकसित और विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इंडिया इंक ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु कर राहत की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) मंत्रालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार अनुमान है कि वर्ष 2003-04 में 4,60,000 करोड़ रुपये मूल्य के प्रसंस्करण खाद्य का उपयोग किया गया और अनुमान है कि इसमें पैक किए हुए फल-सब्जियों, पैक किए हुए दूध आदि समेत प्राथमिक प्रसंस्करण खाद्य का हिस्सा 2,80,000 करोड़ रुपये मूल्य का है।

(ख) और (ग) भारत में प्रसंस्करण का स्तर विकसित और कुछ विकासशील देशों की तुलना में कम है। विकसित देशों में 60-70 प्रतिशत फिलीपीन्स में 78 प्रतिशत चीन में 23 प्रतिशत और थाइलैण्ड, मलेशिया और ब्राजील में 65-75 प्रतिशत की तुलना में भारत में प्रसंस्करण का स्तर फलों और सब्जियों के लिए 2 प्रतिशत समुद्री उत्पाद के लिए 26 प्रतिशत पॉल्ट्री के लिए 6 प्रतिशत और भैंस मांस के लिए 2 प्रतिशत है। कम प्रसंस्करण स्तर के कुछ प्रमुख कारण अपर्याप्त बुनियादी ढांचा विकास संबंधी सुविधाएं, अक्षम आपूर्ति श्रृंखला, पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण बुनियादी सुविधाओं की कमी, कृषि उपज की प्रसंस्करण योग्य किस्मों का अभाव, कच्चे माल का मौसमी स्वरूप, माल ढोने की उच्च लागत, बैंकों द्वारा आसान और रियायती दर पर ऋण/उधार देने की कमी, उच्च कराधान, उच्च पैकेजिंग लागत, ताजे खाद्यों के उपभोक्ता को प्राभमिकता देना आदि है।

(घ) और (ङ) उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया है कि अनुसंधान एवं विकास खर्च से संबंध में उपलब्ध 150 प्रतिशत की भारित छूट को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तक बढ़ाया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि कंपनियों को कर योग्य लाभ की संगणना में कटौती के माध्यम से अपने लाभों की कतिपय प्रतिशतता को अलग रखने की अनुमति दी जाए ताकि वे उसका इस्तेमाल अपनी प्रौद्योगिकी के उन्नयन अनन्य रूप से कर सकें।

इस वर्ष के बजट में, सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों और गैर-वाणिज्यिक अनुसंधान संस्थानों को उपलब्ध चुनिंदा वस्तुओं पर 5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और "शून्य" सीवीडी की रियायती दर का विस्तार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के यहां पंजीकृत सभी अनुसंधान संस्थानों तक कतिपय शर्तों के अधीन किया है। यह छूट खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध है।

रेलवे में मुस्लिमों को प्राथमिकता

4881. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अनन्त नायक:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रेलवे में रोजगारों में मुस्लिमों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 14 अप्रैल, 2007 के "दि हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इसके लिए संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो रेलवे का विचार मुस्लिमों को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता किस प्रकार देने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) इस मामले में नोडल मंत्रालय कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) और अल्प समुदाय मंत्रालय हैं। हाल ही में अल्प समुदायों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री जी के नए 15-सूत्री कार्यक्रम प्राप्त होने पर अल्प समुदायों के लिए पर्याप्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान अनुदेशों को दोहरा दिया गया था, इसलिए उनके खिलाफ भेदभाव की

किसी भावना की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके लिए यह एक उपबंध है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अलावा, अल्प समुदाय से संबंधित एक सदस्य को भर्ती बोर्ड में शामिल किया जाता है ताकि अल्प समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के हितों की देखभाल हो सके। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अल्प समुदायों के त्योहारों के दिन किसी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन नहीं हो ताकि उन समुदायों के उम्मीदवारों को रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से ऐसी परीक्षाओं में उपस्थित होने में कोई परेशानी न हो।

रसोई गैस की मांग और आपूर्ति

4882. श्री चेंगरा सुरेंद्रन:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री रनेन बर्मन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रसोई गैस की मांग कितनी है;

(ख) सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में संयंत्रवार रसोई गैस का कितना उत्पादन किया जाता है;

(ग) क्या रिलाइंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने सरकारी क्षेत्र की विपणन कंपनियों को की जाने वाली आपूर्ति में कमी की है और साथ ही सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को विक्रय की जाने वाली रसोई गैस के मूल्य में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में रसोई गैस की मांग को पूरा करने के लिए रसोई गैस का आयात करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) वर्ष 2006-07 (अनंतिम) के दौरान देश में एलपीजी की खपत 10855 हजार मीटरी टन थी।

(ख) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों का, संयंत्र-वार एलपीजी उत्पादन विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) मांग और उत्पादन के बीच के अंतर को भरने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां एलपीजी आयात कर रही हैं। वर्ष 2006-07 (अनंतिम) के दौरान एलपीजी का कंपनी-वार आयात निम्नवत है:-

कंपनी	एलपीजी का आयात (हजार मीटरी टन)
आईओसीएल	1558
एचपीसीएल	217
बीपीसीएल	192
निजी	321
योग	2288

विवरण

(टीएमटी)

एचपीसी-मुंबई	249
एचपीसी-विशाख	344
बीपीसी-मुंबई	429
बीपीसी-कोच्चि	397
एनआरएल-नुमालीगढ़	54
आईओसी-कोयाली	382
आईओसी-मथुरा	316
आईओसी-पानीपत	285
आईओसी-हल्दिया	201
आईओसी-बरौनी	259
आईओसी-गुवाहाटी	35
आईओसी-डिग्बोई	10
सीपीसीएल-मनाली	371
सीपीसीएल-नागपट्टीनम	28
बीआरपीएल-बोंगाईगांव	48
एमआरपीएल-मंगलौर	282
आरआईएल-जामनगर	2853

एस्सार-जामनगर	17
ओआईएल-दलिआजन	44
ओएनजीसी-अंकलेश्वर — गंधार	44
— हजीरा	499
— उरन	478
गेल-विजयपुर	411
बगाधिया	76
उसर	47
लकवा	25
औरैया	223
गंधार	250
योग	8454

केरल में रेल लाइन

4883. **श्री पन्नियन रवीन्द्रन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने चेंगानूर-पंडालम-अडुर कोट्टाराकाटा-कीलिमानूर-तिरुअनंतपुरम को जोड़ने वाली रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण किया है, जैसाकि पिछले रेल बजट में घोषणा की गई थी;

(ख) आज की तिथि तक इस कार्य की क्या स्थिति है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं पर कार्य तब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) 1997-98 में अडुर और कोटाराकारा के रास्ते कायमकुलम से त्रिवेंद्रम के बीच नई लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया है। अडुर के रास्ते कायमकुलम से कोटाराकारा के बीच नई लाइन के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि परियोजना स्वीकृत नहीं है।

खाद्य पार्क

4884. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश एवं प्रोद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) क्या उक्त परिषद का विचार विभिन्न राज्यों में खाद्य पार्क स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि का निवेश किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) ये खाद्य पार्क किन-किन राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं; और

(ङ) इस संबंध में तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नीतिगत समर्थन और योजना स्कीमों के जरिए हस्तक्षेप द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास का संवर्धन कर रहा है। मंत्रालय ने 10वीं योजना तक कार्यान्वित अपनी योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता देने के लिए देश में 56 खाद्य पार्क अनुमोदित किए हैं। मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विश्वसनीय और सुसंगत नीतिगत पहल के लिए एक नीति मंच के रूप में कार्य करने तथा उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अपेक्षित औद्योगिक और क्षेत्र विशेष पहल के बारे में सरकार को सलाह देने हेतु एक अंत:विधा और स्वायत्त निकाय, के समक्ष प्रस्तुत की है। योजनाबद्ध पहल के तहत देश में मेगा खाद्य पार्क संबंधी एक नई स्कीम प्रस्तावित है जिसमें सहायक बुनियादी सुविधाओं और सुस्थापित सप्लाई श्रृंखला समेत अधुनातम प्रसंस्करण सुविधाओं को शामिल करते हुए सुपरिभाषित कृषि/बागवानी प्रसंस्करण अंचल की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावित स्कीम का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक मंच पर लाने के लिए एक तंत्र किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हो। मंत्रालय ने देश में मेगा खाद्य पार्कों के लिए व्यवहार्यता अध्ययनों को आयोजित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। यह स्कीम 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश भर में 30 मेगा खाद्य पार्कों को सहायता देने की अन्तरिम परिकल्पना की गई है जिनके स्थलों का निर्धारण व्यवहार्यता अध्ययनों के जरिए किया जाएगा। खाद्य पार्कों/मेगा खाद्य पार्कों को वित्तीय सहायता देने समेत बुनियादी सुविधा विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए अपेक्षित 250 करोड़ रुपये में से 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

सामान्य तथा तत्काल कोटा

4885. श्री रामकृपाल यादव:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा जारी किए जाने वाले सामान्य कोटा तथा तत्काल कोटा की तुलनात्मक प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या रेलवे ने सामान्य कोटा के टिकटों की संख्या में कमी कर दी है तथा उन्हें तत्काल कोटा में परिवर्तित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान तत्काल कोटा के टिकटों की बिक्री से रेलवे को कितनी धनराशि का राजस्व अर्जित हुआ;

(ङ) क्या रेलवे सामान्य कोटा की स्लीपर क्लास की टिकटों की कमी के कारण यात्रियों के समक्ष आ रही समस्याओं के मद्देनजर सामान्य कोटा की स्लीपर क्लास की टिकटों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) गाड़ियों में आरक्षण प्राप्त करने के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि सामान्यत: 90 दिन है। बहरहाल, जो यात्री अल्प अवधि में अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं, की तत्काल यात्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए पांच दिन (यात्रा के दिन को छोड़कर) की अग्रिम आरक्षण अवधि के साथ तत्काल आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है। यात्रियों द्वारा पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दोनों सुविधाओं के अंतर्गत आरक्षण लिया जा सकता है। अत: इनमें केवल तुलनात्मक अग्रिम आरक्षण अवधि है तथा यात्रियों के लिए सामान्य स्थान में कोई कटौती नहीं की जाती हैं।

(घ) 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान तत्काल कोटे में टिकटों की बिक्री से रेलों द्वारा अर्जित राजस्व की राशि निम्नानुसार है-

2005-06	125.56 करोड़ रु.
2006-07	210.95 करोड़ रु.

(ङ) और (च) जिन गाड़ियों में काफी भीड़भाड़ होती है, रेलों द्वारा नियमित उपाय के रूप में तथा समय-समय पर अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए जाते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है।

अल्पसंख्यकों का विकास

4886. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) अल्पसंख्यों के शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग द्वारा ग्यारहवीं योजना हेतु गठित 'अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण'' सम्बन्धी कार्य-समूह की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन पर विचार किया जाएगा तथा जिन्हें योजना में शामिल किया जाएगा;

(ग) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कोई विशेष प्रावधान किए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत सरकार के पास गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उनके दैनिक जीवन स्तर में क्या प्रगति हुई है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (छ) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम में शिक्षा के अवसर बढ़ाने, आर्थिक कार्यकलापों व रोजगार में समान हिस्सा, अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार करने तथा सांप्रदायिक दंगों के निवारण व नियंत्रण की व्यवस्था है। इसमें उन योजनाओं में परिव्ययों एवं लक्ष्यों के 15 प्रतिशत के निर्धारण का भी प्रावधान है, जिनमें ऐसे लक्ष्यों का निर्धारण हो सकता है। वर्ष 2006-07 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और योजना की प्रगति की निकट से निगरानी की जा रही है।

''अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण'' पर कार्य समूह ने, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए

ग्यारहवीं योजना हेतु योजनाओं व कार्यक्रमों पर विचार किया था और अपनी सिफारिशों को, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिया है। ग्यारहवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम में वे योजनाएं शामिल हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को लक्षित करती हैं।

प्रमुख राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी व ग्रामीण अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अल्पसंख्यक जनसंख्या की प्रतिशतता

		अल्पसंख्यक	
		ग्रामीण	शहरी
1		2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6.16	34.38
2.	असम	51.27	9.52
3.	बिहार	46.24	42.22
4.	गुजरात	4.27	18.29
5.	हरियाणा	11.21	19.32
6.	कर्नाटक	11.03	34.58
7.	केरल	8.44	22.13
8.	मध्य प्रदेश	23.01	39.63
9.	महाराष्ट्र	29.21	40.77
10.	उड़ीसा	49.95	58.15
11.	पंजाब	5.28	6.21
12.	राजस्थान	14.54	22.98
13.	तमिलनाडु	14.14	24.45
14.	उत्तर प्रदेश	29.94	40.08
15.	पश्चिम बंगाल	38.17	20.30
	अखिल भारतीय	23.98	30.41

नोट-

1. यह अनुमान, अनुपात एवं गरीबों की संख्या (लकड़वाला समिति) पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में समाहित गरीबी अनुमानों की प्रणाली पर आधारित एन.एस.एस-55वें चक्र (1999-2000) के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों पर आधारित हैं।
2. गैर हिन्दू जनसंख्या की गरीबी के अनुपात के अनुमान के लिए पूरी जनसंख्या की गरीबी रेखा का उपयोग किया गया है।
3. गरीबी का अनुमान केवल प्रमुख राज्यों के लिए ही किया गया है। अन्य राज्यों के लिए नमूना आकार इतना नहीं है कि गरीबी का अनुमान लगाया जा सके।
4. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की अनुरूप संख्या उपलब्ध नहीं है।

केईएल से उत्पादों की खरीद

4887. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री पी.सी. थामस:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केईएल (केरल इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड) से रेलवे एवं रेलवे संगठनों को उत्पादों की आपूर्ति हेतु और अधिक क्रयादेश देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केईएल से उत्पादों की खरीद हेतु रेलवे एवं उसके संगठनों द्वारा दिए गए क्रय आदेशों का लागत-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा संसूचित वर्तमान नीति में यह उल्लेख किया गया था कि निविदाओं को, उधृत, क्षमता/ग्राहयता, निविदा में भाग लेत्रे वाले विभिन्न बोलीदाताओं के पिछले निष्पादन पर विधिवत विचार करते हुए मेरिट के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रकार आर्डर पाने के लिए केरल विद्युत और अलाइड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (के ई एल) सहित किसी भी फर्म को प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार खरीद पूर्वाधिकार विषय पर नोडल मंत्रालय के अनुसार 5 करोड़ रु. से 100 करोड़ रु. के बीच मूल्य वाली निविदाओं में ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को खरीद

पूर्वाधिकार अनुमेय है। के ई एल राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई होने के नाते खरीद पूर्वाधिकार की वर्तमान नीतियों के अंतर्गत नहीं आता है। यद्यपि, के ई एल को सभी रेलों के टेंडरों में भाग लेने में बढ़ावा दिया जाता है और मेरिट के आधार पर नियमित रूप से स्पलाई आर्डर दिए जा रहे हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्ष के दौरान केईएल से खरीद से वर्षवार क्रयादेश

रेलवे/उत्पादन इकाई	2004-05		2005-06		2006-07	
	क्रयादेशों की संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)	क्रयादेशों की संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)	क्रयादेशों की संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)
मध्य	15	24.22	30	141.69	15	24.86
पूर्व	22	78.7	06	25.46	04	159.00
उत्तर	05	14.08	09	48.77	21	87.26
पूर्वोत्तर	10	8.87	08	6.20	14	87.31
पूर्वोत्तर सीमा	06	6.34	13	22	10	78.43
दक्षिण	21	69.60	35	40.10	18	32.80
दक्षिण पूर्व	1	72.53	0	0	03	63.23
दक्षिण मध्य	18	56.06	10	69.46	06	4.02
पश्चिम	11	30.12	03	28.26	06	6.40
पूर्व मध्य	0	0	0	10.61	0	0
पूर्व तट	0	0	0	0	05	50.92
उत्तर पश्चिम	10	22.81	05	7.00	03	4.97
उत्तर मध्य	0	0	01	1.11	0	0
पश्चिम मध्य	0	0	03	16.19	04	18.96
दक्षिण पश्चिम	04	5.91	04	28.73	05	57.83
दक्षिण पूर्व मध्य	0	0	0	0	02	7.50
सडिका	07	668.88	08	4363.17	10	787.64
रेडिका	09	1909.74	06	684.96	08	2915.52

[हिन्दी]

ललितपुर-सिंगरौली रेल मार्ग

4888. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार टीकमगढ़-पन्ना के रास्ते ललितपुर-सिंगरौली रेल मार्ग का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे से लगातार अनुरोध करती रही है;

(ख) क्य उक्त रेल मार्ग को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश ने 2007-08 के दौरान ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली और महोबा-खजुराहो रेलवे लाइन और वर्ष 2007 के दौरान महोबा-खजुराहो को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोषों के आबंटन के लिए अनुरोध किया था।

(ख) से (घ) महोबा-खजुराहो खंड को 2007-08 में पूरा करने का लक्ष्य है। शेष भाग के लिए कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है और इसे आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।

बालाघाट से जबलपुर रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन

4889. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में नैनपुर के रास्ते बालाघाट से जबलपुर तक रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन हेतु आबंटित धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान बालाघाट-नैनपुर मार्ग पर शुरू किए गए आमान परिवर्तन कार्य हेतु प्रदान की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) बजट 2006-07 में गोंडिया-बालाघाट-नैनपुर-जबलपुर (बालाघाट-कटंगी शाखा लाइन सहित) (285 कि.मी.) आमान परिवर्तन परियोजना को 57.40 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया था। 2006-07 के दौरान परियोजना पर किया गया व्यय 72.52 करोड़ रु. था।

(ख) बजट 2007-08 में गोंडिया-जबलपुर (बालाघाट-कटंगी शाखा लाइन) (285 कि.मी.) आमान परिवर्तन योजना के लिए 60 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन/छूट

4890. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अल्पसंख्यकों के लिए नौकरियों में आरक्षण के प्रस्ताव सहित प्रोत्साहन एवं छूट की कोई विशेष पैकेज योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह पैकेज कब तक घोषित किए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) जून, 2006 में, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम घोषित किया गया है। योजनाओं के ब्यौरे वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। इस समय अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल लोगों को छोड़कर, सरकारी रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

4891. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर लगभग 70 प्रतिशत आयात निर्भरता के अगले 20 वर्षों में बढ़कर 85 प्रतिशत हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयात निर्भरता में वृद्धि के कारण देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से बहुत अधिक प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान मात्रा एवं मूल्य के संदर्भ में इन उत्पादों का कुल आयात बिल कितना रहा; और

(घ) देश में ऊर्जा सुरक्षित माहौल बनाने तथा आयात बिल कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) योजना आयोग की एकीकृत ऊर्जा नीति, अगस्त 2006 संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2031-32 तक आयात निर्भरता 90-93% तक हो जाएगी।

(ख) जी हां, परन्तु पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में भारी वृद्धि के बावजूद सरकार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ताओं पर ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रही है।

(ग) 2005-06 और 2006-07 के दौरान मात्रा और मूल्य के रूप में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात निम्न है-

मद	2006-07 (अनन्तिम)		2005-06	
	एमएमटी	करोड़	एमएमटी	करोड़
कच्चा तेल	110.9	219991	99.4	171702
उत्पाद	17.0	40389	13.4	27971
योग	127.9	260380	112.8	199673

(घ) देश में ऊर्जा सुरक्षा वातावरण पैदा करने और आयात बिल कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. एनईएलपी के विभिन्न दौरों के अंतर्गत अन्वेषण के लिए प्रदान करने हेतु अधिकाधिक क्षेत्रों का निर्धारण करना, अब तक एनईएलपी के अंतर्गत बोलियों के 6 दौर हो चुके हैं, जिनमें 162 अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए हैं और 37 खोजें हो चुकी हैं।
2. खोजे गये भण्डारों काक द्रुत विकास करना ताकि वाणिज्यिक उत्पादन किया जा सके,
3. विद्यमान क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने हेतु उत्प्रेरक तकनीकों का प्रयोग करना,
4. विद्यमान क्षेत्रों से निकासी घटक बढ़ाने हेतु वर्द्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) तकनीकों का प्रयोग करना, आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने 13651 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश से इस प्रयोजना के लिए 15 क्षेत्रों को लिया है, जिससे इन क्षेत्रों में तेल उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
5. पुराने क्षेत्रों में उत्पादन की गिरावट को रोकना,
6. हिस्सेदारी तेल प्राप्त करने हेतु विदेशों में अन्वेषण रकबों और उत्पादक परिसम्पत्तियों का अर्जन करना,
7. बायो गैस, एथेनोल आदि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग के माध्यम से तेल का प्रतिस्थापन करना।

भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण विमान सी-हैरियर की दुर्घटना

4892. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण विमान सी-हैरियर 5 अप्रैल, 2007 को गोवा से लगभग पांच मील दूर अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो हवाई दुर्घटना के कारण एवं परिस्थितियां क्या थीं; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) उस कारण तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए एक जांच बोर्ड का गठन किया गया है जिसकी वजह से दुर्घटना हुई।

(ग) ऐसी दुर्घनाओं को रोकने के लिए निर्धारित कार्यक्रमानुसार पायलटों को उचित प्रशिक्षण दिया जाता है और विमानों का रख-रखाव किया जाता है।

घरेलू पर्यटन को बढ़ावा

4893. श्री अनन्त नायक: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास घरेलू पर्यटन को विकसित करने तथा कुछ गंतव्य स्थलों को ''उत्कृष्टता के क्षेत्र'' के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थलों की पहचान की गई है तथा इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इन स्थलों का विकास कब तक कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटक पुलिस का गठन करने हेतु राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन पर राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पर्यटन मंत्रालय देश में घरेलू पर्यटन का संवर्धन और विकास कर रहा है। तथापि, वर्तमान में गंतव्यों को ''उत्कृष्टता के क्षेत्र'' के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघराज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया है कि वे पर्यटक केंद्रों पर पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटक पुलिस तैनात करें। कुछेक राज्यों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।

[हिन्दी]

अग्रिम रेल आरक्षण की अवधि

4894. श्री पंकज चौधरी:
श्री मिलिन्द देवरा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अग्रिम रेल आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह योजना सभी मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर गाड़ियों के लिए लागू हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या आरक्षण/रद्द कर प्रभारों में कमी किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) यात्रियों द्वारा अपनी यात्रा कार्यक्रम का अग्रिम योजना बनाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में रेल आरक्षण की अवधि को प्रायोजित तौर पर तीन महीने के लिए 1.3.2007 से 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। दिन के समय चलने वाली कतिपय एक्सप्रेस गाड़ियों जैसे ताज एक्सप्रेस जहां वर्तमान में अग्रिम आरक्षण के निम्नतर समय सीमा लागू है, के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे सम्पत्ति की चोरी

4895. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को रेलवे सम्पत्ति की चोरी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितने मामलों में जांच की गई है तथा इस संबंध में कितने लोगों को दण्डित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन कलैंडर वर्षों के दौरान रेलवे संपत्ति की चोरी के मामलों की संख्या तथा गिरफ्तार किए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
2004	12508	9752
2005	12925	10725
2006	10308	9507

उपर्युक्त उल्लिखित सभी मामलों को दर्ज किया गया है और इनकी जांच की गई है। गिरफ्तार व्यक्तियों को विभिन्न कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है।

[अनुवाद]

रेलवे की भूमि

4896. श्री सुकदेव पासवान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास देश में विशेषकर बिहार की अतिक्रमण की गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) भारतीय रेलवे के पास कुल भूमि क्षेत्र लगभग 4.32 लाख हेक्टेयर है जो कि पूरे भारत में फैला हुआ है। इसमें दूर-दराज के क्षेत्र भी शामिल हैं। इसमें से 31.03.2007 तक लगभग 1905 हेक्टेयर रेलवे भूमि अतिक्रमण में है। रेलवे के पास राज्य-वार डाटा नहीं होते हैं।

(ख) और (ग) रेलवे सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 और रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत अपनी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। इसके अलावा, रेलवे निवारक उपाय भी करती है ताकि रेलवे की अतिरिक्त भूमि अतिक्रमित न कर ली जाए। क्षेत्रीय मुख्यालयों तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। बहरहाल, अतिक्रमकों को बेदखल करते समय, रेलवे को कानून एवं व्यवस्था तथा मुकदमेबाजी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। अतिक्रमकों की बेदखली के लिए, रेलवे राज्य सरकार प्राधिकारियों पर आश्रित रहती है जिसमें पुलिस कर्मी भी शामिल है ताकि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इन सब बाधाओं के बावजूद रेलवे अतिक्रमणों से रेलवे भूमि को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास करती है।

मैसूर तथा बैंगलौर के बीच नई रेल सेवाएं

4897. श्री एम. शिवन्ना: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मैसूर तथा बैंगलौर के बीच बहुत ही कम रेलगाड़ियां चलती हैं तथा अपर्याप्त रेल सुविधाओं के कारण यात्रियों को कठिनाइयों एवं असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो मैसूर तथा बैंगलौर के बीच और अधिक रेलगाड़ियां चलाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, नहीं। मैसूर-बेंगलूर के बीच 7 जोड़ी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां, 6 जोड़ी यात्री गाड़ियां और एक जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां उपलब्ध हैं। इसके अलावा, मैसूर होकर यशवंतपुर-मंगलौर एक्सप्रेस को शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

सीधी जिले के सिंगरौली में डीआरएम कार्यालय

4898. श्री मानिक सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिंगरौली में वर्ष 1997 में डीआरएम कार्यालय का शिलान्यास किया गया था;

(ख) क्या उक्त कार्यालय ने अब तक भी कार्य करना शुरू नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जोनों/मंडलों के पुनर्गठन के दौरान, धनबाद मंडल में, कोयला लदान क्षेत्रों के एकीकृत नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए सिंगरौली मंडल के सृजन से संबंध में विचार करना औचित्यपूर्ण नहीं समझा गया था।

सौराष्ट्र में घटिया रेल सेवाएं

4899. श्री वी.के. ठुम्मर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौराष्ट्र के लोगों को रेल सेवाओं का पूरा लाभ मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सौराष्ट्र में रेलवे के विकास के लिए पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निजी क्षेत्र की इकाइयां

4900. श्री नरहरि महतो: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण के लिए देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में कौन-कौन सी निजी क्षेत्र की इकाइयां स्थापित की गई;

(ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया गया; और

(ग) इन राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी अपनी योजना स्कीम के तहत देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25 प्रतिशत की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम समेत दुर्गम क्षेत्रों में 33.33 प्रतिशत की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-3 के तहत सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को बढ़ी हुई दरों पर यानी 50 प्रतिशत की दर पर सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा नई यूनिटों के संवर्धन के मामले में 4.00 करोड़ रुपये है और बागवानी उपज के प्रसंस्करण के लिए यूनिटों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के मामले में 1.00 करोड़ रुपये है। पिछले 5 सालों के दौरान यानी वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इस स्कीम के तहत 22,644.69 लाख रुपये का अनुदान वितरित किया गया है जिसमें पश्चिम बंगाल के लिए 1183.26 लाख रुपये शामिल हैं। इस स्कीम के तहत सिक्किम स्थित किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से अनुदान प्राप्त नहीं किया है। लघु उद्योग मंत्रालय के अनुसार लघु उद्योगों पर तीसरी गणना (2001-02) के अनुसार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों से संबंधित सूचना निम्नलिखित अनुसार है:-

	श्रेणी	कार्यरत यूनिटों (खाद्य प्रसंस्करण) की कुल संख्या	स्थाई परिसम्पतियों का कुल बाजार मूल्य (लाख रुपये में)
	पंजीकृत		
1.	सिक्किम	67	203.35
2.	पश्चिम बंगाल	60	17417.56
	अपंजीकृत		
1.	सिक्किम	09	9.00
2.	पश्चिम बंगाल	19525	77440.38

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग द्वारा दर्ज औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों तथा जारी आशयपत्रों/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों के आधार पर, निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार पिछले तीन सालों के दौरान देश में 8,478 करोड़ रुपये की निवेश लागत से कुल 758 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना का प्रस्ताव है-

वर्ष	यूनिटों की संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये में)
2004	241	2047
2005	247	3072
2006	270	3355
कुल	758	8474

इसके अलावा, अगस्त, 1991 से सितम्बर, 2006 तक देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के तहत 40258 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 3417 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दर्ज किए गए हैं और 2,299 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 89 आशयपत्र/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

सरकार पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न अन्य योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इन स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, मानव संसाधन विकास, गुणवत्ता आश्वासन के संवर्धन, कोडेक्स मानकों और अनुसंधान तथा विकास तथा अन्य संवर्धनात्मक उपायों के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इन स्कीमों के तहत सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 10 प्रतिशत आबंटन निर्धारित है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद/सीमा शुल्क में कमी/छूट जैसे विभिन्न कर और अन्य राजकोषीय प्रोत्साहन तथा राहतें दी जाती है।

अग्नि-रोधी डिब्बे

4901. **श्री के.एस राव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अग्निकांड से संबंधित कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई तथा इन दुर्घटनाओं में कितने यात्री मारे गए;

(ख) रेलवे रिसर्च डिजाइनिंग एंड स्टैंड्डर्स आर्गनाइजेशन (आर डी एस ओ) द्वारा अग्निरोधी डिब्बों के विनिर्माण एवं उनके उपयोग तथा क्रियान्वयन के लिए तैयार किए गए विनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अग्निरोधी डिब्बों के विनिर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान करने संबंधी फ्रांस के प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार रेल अग्निकांडों में लोगों को बचाने के लिए अग्निरोधी डिब्बों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को अंतिम रूप देने एवं इसे लागू करने हेतु तुरन्त कार्रवाई शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) तोड़फोड़ के मामलों के अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान अग्नि के कारण परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या तथा इन दुर्घटनाओं में मारे गए यात्रियों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए यात्री
2004-05	10	-
2005-06	15	15
2006-07	04	-

(ख) रेल सवारी डिब्बों में अग्नि मंदन के उपाय बढ़ाने की दृष्टि से, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन ने रेल सवारी डिब्बों में उपयोग किए जाने वाले अग्नि रोधी फर्नीशिंग मदों/सामग्रियों के लिए विशिष्टियां विकसित की हैं अर्थात कोच की फ्लोरिंग के लिए कम्प्रेग बोर्ड, सीटों का साज-समान, पर्दे, रूफ सीलिंग, साइड की दीवारों के लिए लैमिनेटिड शीट्स तथा फ्रेम पैनलिंग, पी वी सी फ्लोरिंग तथा सीटों और बर्थों के लिए डैंसीफाइड थर्मल बोंडिड पोलीयेस्टर ब्लॉक।

(ग) 2004-05 के दौरान, भारतीय रेल तथा सोसाइटे नैशनल डेस चेमिनस के फ्रेर फ्रेंकाई (एस एन सी एफ) इंटरनेशनल ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें यात्री सवारी डिब्बों में आग से बचाव के क्षेत्र में सुधार में विशेषज्ञता/विशेषज्ञ से सलाह लेना शामिल है। एस एन सी एफ का प्रस्ताव अग्नि रोधी सवारी डिब्बों के निर्माण में तकनीकी सहायता के लिए था। एसएनसीएफ इंटरनेशनल द्वारा भारतीय रेल कर्मियों का प्रशिक्षण चालू बजट वर्ष में स्वीकृत किया गया है।

(घ) और (ङ) अग्नि मंदक फर्निशिंग सामग्री के विकास के माध्यम से डिब्बों में आग के बचाव के उपाय बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है। इस क्षेत्र में निरंतर सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा सवारी डिब्बों के लिए अग्नि मंदक सामग्री के निर्माण के लिए अधिक से अधिक संसाधन विकसित किए जा रहे हैं ताकि यात्री सवारी डिब्बों के विनिर्माण और अनुरक्षण के काम में आने वाली इस किस्म की सवारी डिब्बा विनिर्माण सामग्रियों को आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।

बीएचईएल का विस्तार कार्यक्रम

4902. श्री परसुराम माझी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) अपने क्रियाकलापों का व्यापक स्तर पर विस्तार करेगा;

(ख) यदि हां, तो विस्तार के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) क्या बीएचईएल का विचार अपनी गतिविधियों का विविधीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो वे नए क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनमें बीएचईएल का विचार अपने व्यापार में विस्तार करने का है; और

(ङ) बीएचईएल द्वारा अपने विस्तार एवं विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित निवेश की धनराशि का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) क्रमशः लगभग 1600 करोड़ रुपये तथा 3200 करोड़ रुपये के निवेश से अपनी विनिर्माण क्षमता को दिसम्बर, 2007 तक 6,000 मे.वा. प्रति वर्ष से 10,000 मे.वा. प्रति वर्ष तक तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 15,000 मे.वा. प्रति वर्ष तक विस्तार कर रहा है।

थर्मल/हाईड्रो/गैस आधारित विद्युत उत्पादन तथा औद्योगिक मोटर, आयल, रिग्स, वाइंड जेनरेटर आदि के लिए अपेक्षित उपस्करों के विनिर्माण करने के लिए क्षमता विस्तार की योजना बनाई गई है।

(ग) एवं (घ) बीएचईएल ने उभरते हुए बाजार की मांग को पूरा करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कदम उठाए हैं। इस संबंध में बीएचईएल ने अति महत्वपूर्ण थर्मल सेटों तथा विकसित श्रेणी के गैस टरबाइनों का विनिर्माण करने हेतु क्षमता बढ़ाने के लिए विश्व के प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रबंधकों के साथ गठजोड़ किया है।

11वीं योजना में विद्युत सृजन की पर्याप्त वृद्धि के लिए सरकार की घोषणा से, बीएचईएल ट्रांसमिशन एवं वितरण (टीएंडडी) व्यवसाय में अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है।

बीएचईएल विद्युत संयंत्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण, ओएंडएम और ओवरहॉलिंग में भी बढ़ रहे अवसरों का लाभ उठाने की योजना बना रहा है।

(ङ) विविधीकरण कार्यक्रम बाजार मांगों के अनुसार सतत आधार पर बनाये जाते हैं। हालांकि, 11वीं योजना में बीएचईएल का प्रस्तावित परिव्यय 3200 करोड़ रुपये है।

स्टेशनों पर टेलीफोन बूथों का आबंटन

4903. श्री ए. साईं प्रताप: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन बूथ आबंटन करने की अपनी नीति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और टेलीफोन बूथों के आबंटन के लिए किन-किन श्रेणियों की पहचान की गई है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या नए दिशानिर्देश/मापदंड अपनाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चंडीगढ़-लुधियाना रेल लाइन

4904. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चंडीगढ़-लुधियाना और चंडीगढ़-मुरिन्डा रेल लाइन पर कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) चंडीगढ़-लुधियाना नई लाइन परियोजना पर, चंड़ीगढ़-मोरिंडा लाइन के कार्य को पहले ही पूरा कर लिया गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। मोरिंडा-लुधियाना खंड पर भूमि अधिग्रहण, मिट्टी तथा पुल आदि संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

(ख) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

रेलगाड़ी में आर.पी.एफ. पर नक्सली हमला

4905. श्री भर्तृहरि महताब: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलियों ने 8 अप्रैल, 2007 को हावड़ा-गया यात्री रेलगाड़ी में रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ) के कार्मिकों पर हमला किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के हमलों की आशंका वाली ऐसी सभी रेलगाड़ियों में सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। 08.04.2007 को आसनसोल से झाझा जा रही गाड़ी नं. 213 अप (हावड़ा-मोकामा पैसेन्जर) में यात्रा कर रहे यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए मार्गरक्षक करने वाले रेल सुरक्षा बल मार्गरक्षक दल, जिसमें एक सहायक उप निरीक्षक तथा 4 कांस्टेबल थे, को गोला बारूद के साथ को तैनात किया गया था। लगभग 08.15 बजे जब गाड़ी घोरपारा रेलवे स्टेशन से चली तब आसनसोल-झाझा खंड में घोरपारा और नरगंजो रेलवे स्टेशनों के बीच 35 से 40 नक्सलवादियों (पुरुष और महिला दोनों) के एक ग्रुप द्वारा रे.सु.ब. मार्गरक्षक दल पर हमला किया गया और मार्गरक्षक दल से अस्त्र-शस्त्र छीन लिए गए और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई जिससे रेलवे सुरक्षा विशेष बल के 2 जवानों की मृत्यु हो गई। एक सहायक उप निरीक्षक और 2 कांस्टेबल गोली लगने से जख्मी हो गए जिन्हें आसनसोल और सियालदाह के अस्पतालों में भर्ती कराए गए थे। किसी भी यात्री को जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था। इस संबंध में राजकीय रेलवे पुलिस/झाझा द्वारा भारतीय दंड संहिता 333 और 396, 17 आपराधिक कानून अधिनियम और 27 अस्त्र-शस्त्र अधिनियम धाराओं के तहत अपराध सं. 11/07 दिनांक 08.04.2007 के माध्यम से 32/35 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया।

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है:

(1) उपरोक्त प्रभावित खंड में रेलवे सुरक्षा बल की कैश और गाड़ी मार्गरक्षक दल की संख्या में वृद्धि की गई है।

(2) रेलवे सुरक्षा बल कर्मी को काउंटर-इंसरजैंसी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि धात लगाकर किए जाने वाले हमलों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो सके।

(3) राज्य और केन्द्रीय सतर्कता एजेंसियों के साथ सतत संपर्क के माध्यम से प्रभावित खंडों में विद्रोही ग्रुपों की गतिविधियों से संबंधित गोपनीय सूचनाएं एकत्रित की जा रही है ताकि समय पर उचित कदम उठाए जा सकें।

(4) सतर्कता का आदान-प्रदान करने के लिए सिविल पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस और अन्य केन्द्रीय सतर्कता एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

रेलवे की आधुनिकीकरण योजनाएं

4906. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में चालू योजनावधि के दौरान अवसंरचना का उन्नयन करने में और अधिक खर्च करने का है और रेलवे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अवसंरचना का उन्नयन करने के लिए हाल ही में एक व्यापक आधुनिकीकरण योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(घ) इस कार्यक्रम के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता का अनुमान है;

(ङ) क्या रेलवे का विचार आधुनिकीकरण योजना का वित्त पोषण करने के लिए "स्पेशल पर्पज व्हीकल" शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) रेलवे कार्यक्रम और धनराशि की आवश्यकता से संबंधित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में उपरिपुल

4907 श्री अजीत जोगी:
श्री नवीन जिंदल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में कितने उपरिपुल हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार को रेल उपरिपुल का निर्माण करने हेतु राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2007-08 के दौरान राज्यवार कितने उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की योजना है; और

(ङ) इस संबंध में कितना खर्च होने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ग) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

विवरण

(क) छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली ऊपरी सड़क पुलों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम
1	2
1.	717/18-20, चुचैय्या पारा-बिलासपुर यार्ड पर ऊपरी सड़क पुल
2.	983/3-4, बैकुंठपुर-कटोरा पर ऊपरी सड़क पुल
3.	990/9, कटोरा-सुराजपुर पर ऊपरी सड़क पुल
4.	997/1-2, कटोरा सुराजपुर पर ऊपरी सड़क पुल
5.	826/34-36, उरकुरा-रायपुर पर ऊपरी सड़क पुल
6.	829/23-25, रायपुर यार्ड पर ऊपरी सड़क पुल
7.	834/47-835/1, सरोना यार्ड पर ऊपरी सड़क पुल

1	2
8.	826/9 बी-11बी, उरकुरा-सरोना पर ऊपरी सड़क पुल
9.	831/25 बी-27 बी, उरकुरा-सरोना पर ऊपरी सड़क पुल
10.	856/23-25, भिलाईनगर-भिलाई पर ऊपरी सड़क पुल
11.	866/17-19, दुर्ग यार्ड पर ऊपरी सड़क पुल
12.	945/9-10, भिलाई-कुसुमकसा पर ऊपरी सड़क पुल
13.	950/15-16, कुसुमकसा-दल्ली राजहरा पर ऊपरी सड़क पुल
14.	विस्तार 43-45, जी-पी केबिन पर ऊपरी सड़क पुल

(ग) से (ङ) ऊपरी/निचले पुल के प्रस्ताव पर जोनवार विचार एवं स्वीकृत किया जाता है। 2007-08 के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों एवं किए गए आबंटन का संक्षिप्त विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:

जोन	विगत में मार्च, 2006 तक प्राप्त प्रस्तावों, पहले ही स्वीकृत कार्यों की संख्या	2007-08 में स्वीकृत कार्यों की संख्या, 2006-7 के दौरान कार्यों के लिए प्राप्त प्रस्ताव	2007-08 के दौरान किया गया आबंटन अर्थात् अनुमानित व्यय (करोड़ रु. में)
मध्य रेलवे	18	0	11.85
पूर्व रेलवे	39	2	25.41
पूर्व मध्य रेलवे	46	5	122.95
पूर्व तट रेलवे	18	0	35.55
उत्तर रेलवे	67	14	37.6
उत्तर मध्य रेलवे	13	4	15.3
पूर्वोत्तर रेलवे	18	0	11.5
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	6	1	8.47
उत्तर पश्चिम रेलवे	11	7	17.32
दक्षिण रेलवे	146	40	60.3
दक्षिण मध्य रेलवे	67	12	66.32
दक्षिण पूर्व रेलवे	19	1	15.2
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	11	2	37.37
दक्षिण पश्चिम रेलवे	39	0	49.09
पश्चिम रेलवे	28	0	28.2
पश्चिम मध्य रेलवे	7	5	10.26
कुल	553	93	550.69

[अनुवाद]

ओएनजीसी और गेल द्वारा एलपीजी का विपणन

4908. **श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वच्छ रसोई गैस ईंधन को व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए ओएनजीसी और गेल को घरेलू एलपीजी का विपणन करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार और कंपनीवार मौजूदा डीलरो की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) प्रत्येक डीलर से राज्यवार/कितने लोग एलपीजी का लाभ उठा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सरकार ने फरवरी, 2005 में कुछ निबंधनों और शर्तों पर गेल इंडिया लिमिटेड (गेल), आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) तथा मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आर आई एल) को देश में उत्पादित एल पी जी के विपणन हेतु प्राधिकार प्रदान कर दिया था। इस प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों को अगस्त, 2005 में पुनः संशोधित किया गया।

वर्तमान में, उपलब्ध एलपीजी के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति देश में राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के रूप में की जाती है। वर्ष 2006-07 में कुल उपलब्ध एलपीजी के लगभग 92.5 प्रतिशत भाग जो राज सहायता प्राप्त एलपीजी के रूप में विपणन किया गया था। राजसहायता प्राप्त एलपीजी का विपणन कार्य तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) यथा इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (आईओसी) द्वारा किया जाता है। सरकारी राज सहायता के अलावा, तेल कंपनियां इस उत्पाद की राज सहायता के भार को आपस में बांटती है। नई कंपनियों ने वाणिज्यिक/औद्योगिक एलपीजी का विपणन तथा घरेलू एलपीजी पर राजसहायता भी चाही है।

नई कंपनियों के एलपीजी विपणन से संबंधित प्रचालनीय मुद्दों की जांच की गई और अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू एलपीजी पर राजसहायता प्रदान करने की वर्तमान व्यवस्था, जो देश में विपणन की गई कुल एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा बनाती है, पर विचार करते हुए, यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल एलपीजी विपणन करने वाली मौजूदा कंपनियों की सूची में विस्तार न किया जाए और गेल, ओएनजीसी तथा आर आई एल को दिए गए एलपीजी विपणन के प्राधिकार को वापस ले लिया जाए।

(ग) और (घ) दिनांक 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार, 3 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) नामतः आईओसी, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) देशभर में 9363 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालित कर रहीं थीं। इन डिस्ट्रीब्यूटरशिप के माध्यम से, ओएमसीज देश में 942.6 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान कर रहीं हैं। राज्यवार/कंपनीवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

दिनांक 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	योग
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	379	195	303	877
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	0	0	4
अरुणाचल प्रदेश	30	0	0	30
असम	227	15	9	251
बिहार	188	66	51	305
चंडीगढ़	20	4	5	29
छत्तीसगढ़	82	27	42	151

1	2	3	4	5
दादरा और नागर हवेली	0	0	1	1
दमन व दीव	0	0	2	2
दिल्ली	194	76	45	315
गोवा	8	17	28	53
गुजरात	313	109	118	540
हरियाणा	145	81	56	282
हिमाचल प्रदेश	88	13	19	120
जम्मू-कश्मीर	76	16	62	154
झारखंड	87	27	26	140
कर्नाटक	215	111	162	488
केरल	200	100	74	374
लक्षद्वीप	1	0	0	1
मध्य प्रदेश	296	131	143	570
महाराष्ट्र	231	367	399	997
मणिपुर	31	0	0	31
मेघालय	32	0	0	32
मिजोरम	25	0	0	25
नागालैंड	27	0	0	27
उड़ीसा	78	37	70	185
पांडिचेरी	9	4	5	18
पंजाब	253	98	74	425
राजस्थान	203	120	115	438
सिक्किम	7	0	0	7
तमिलनाडु	393	146	120	659
त्रिपुरा	29	0	0	29
उत्तर प्रदेश	701	279	181	1161
उत्तरांचल	130	16	23	169
पश्चिम बंगाल	294	74	105	473
अखिल भारत	4996	2129	2238	9363

विवरण II

दिनांक 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी किए गए कनेक्शनों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	योग
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	3760138	2154999	4439412	10354549
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	51452			51452
अरुणाचल प्रदेश	115772			115772
असम	1738719	50676	24161	1813556
बिहार	1568824	349829	315032	2233685
चंडीगढ़	201306	45507	66662	313475
छत्तीसगढ़	506135	154454	330634	991223
दादरा और नागर हवेली	0		29819	29819
दमन व दीव	0		26601	26601
दिल्ली	2598401	871603	552088	4022092
गोवा	6293	141571	244266	392130
गुजरात	2888488	1120559	1074982	5084029
हरियाणा	1516914	987952	583880	3088746
हिमाचल प्रदेश	973167	65056	142194	1180417
जम्मू-कश्मीर	370601	131773	825981	1328355
झारखंड	746836	116788	162524	1026148
कर्नाटक	2130674	1259391	1855455	5245520
केरल	2811394	1483883	752864	5048141
लक्षद्वीप	3007			3007
मध्य प्रदेश	2030806	765753	1080154	3876713
महाराष्ट्र	1401823	5667387	5364084	12433294
मणिपुर	205674			205674
मेघालय	101130			101130
मिजोरम	180841			180841

1	2	3	4	5
नागालैंड	129066			129066
उड़ीसा	513525	257177	625519	1396221
पांडिचेरी	105766	37153	91266	234185
पंजाब	2479232	1044627	884319	4408178
राजस्थान	1675120	1154256	1035830	3865206
सिक्किम	108928			108928
तमिलनाडु	5412736	2305693	1079705	8798134
त्रिपुरा	237814			237814
उत्तर प्रदेश	5794437	2533274	1363509	9691220
उत्तरांचल	1196483	169133	71213	1436829
पश्चिम बंगाल	3193230	645025	969962	4808217
योग	46754733	23513519	23992116	94260368

कोचीन में एलएनजी टर्मिनल

4909. **श्री पी.सी थामस:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन में प्रस्तावित एस.एन.जी. टर्मिनल के संबंध में सुरक्षा संबंधी समस्याएं उजागर की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने रक्षा आपत्तियों का समाधान करते हुए एल.एन.जी टर्मिनल के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्र से साथ यह मामला उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) जी, नहीं। कोचीन में एलएनजी टर्मिनल स्थापना के लिए जिम्मेदार कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) ने बताया है कि कोचीन में प्रस्तावित एलएनजी टर्मिनल के संबंध में कोई सुरक्षा समस्या नहीं उठाई गई है।

कोचीन एलएनजी टर्मिनल को शीघ्रातिशीघ्र चालू करने के लिए समय-समय पर केरल सरकार से संदर्भ मिलते रहे हैं।

(ङ) परियोजना पूर्व सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। पीएलएल और कोचीन पत्तन न्यास (सीपीटी) के बीच रियायत करार मसौदा अवरुद्ध हो गया है। सीपीटी के साथ-साथ एसईजेड के लिए सह-विकासकर्ता स्थिति के लिए भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। कोच्ची टर्मिनल की एनएलजी मांग को पूरा करने के लिए, पीएलएल गोरगोन परियोजना से दीर्घावधि आधार पर 2.5 मि.मी.ट.प्र. वर्ष एलएनजी की आपूर्ति के लिए आस्ट्रेलियाई आपूर्तिकर्ता से चर्चा कर रही है।

[हिन्दी]

बीना में तेल शोधन कारखाने की स्थापना

4910. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में बीना तेल शोधन कारखाना परियोजना के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार इस योजना में तेजी लाने के लिए कोई ठोस योजना तैयार कर रही है/उपाय कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस परियोजना के अंतर्गत कार्य में निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रगति हो रही है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ज) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा वर्ष 2006 से कार्यान्वित की जा रही बीना परियोजना में बीना, मध्यप्रदेश में 6 मि.मी.ट.प्र. वर्ष (एमएमटीपीए) की क्षमता वाली ग्रासरूट रिफाइनरी, वाडीनार में एकल मूरिंग समेत कच्चा तेल प्राप्ति प्रणाली है, वाडीनार में कच्चा तेल टर्मिनल और कच्चे तेल का परिवहन करने के लिए वाडीनार से बीना रिफाइनरी स्थल तक 935 कि.मी. लंबी क्षेत्रपार पाइपलाइन की स्थापना शामिल है। परियोजना की अनुमोदित लागत 10,378 करोड़ रु. है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

* मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न इकाइयों के लिए प्रक्रम लाइसेंसधारकों का अन्तिम रूप से चयन कर लिया गया है।

* सभी प्रक्रिया पैकेज प्राप्त कर लिए गए हैं और विस्तृत इंजीनियरिंग प्रगति पर है।

* स्थल ग्रेडिंग कार्य पूरा कर लिया गया है।

* सिविल और संरचनात्मक काम प्रगति पर है।

* विभिन्न इकाइयों के लिए उपकरण के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं।

(ङ) से (ज) परियोजना, कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है। अप्रैल, 2007 की स्थिति के अनुसार परियोजना की भौतिक प्रगति 15.5 प्रतिशत है, जबकि योजना 14.1 प्रतिशत की थी। परियोजना की निर्धारित समापन अवधि आरंभ तिथि से 48 महीने है (दिसम्बर 2009 तक समापन) परियोजना की प्रगति की बीपीसीएल के बोर्ड और पीएमसी द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

[अनुवाद]

माजुली द्वीप

4911. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या संस्कृति यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माजुली द्वीप को विश्व धरोहर दर्जा दिए जाने के संबंध में सूचना संकलित कर ली गई है और यूनेस्को को भेज दी गई है, जैसा कि आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो पैरावार तत्संबंधी स्थिति क्या है, विलम्ब के क्या कारण हैं, किस एजेंसी को कार्य सौंपा गया और इनको प्रस्तुत किए जाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या असम सरकार में माजुली की विधायी सुरक्षा से संबंध में अपने दायित्व को पूरा किया है और कानून के अंतर्गत एक प्राधिकरण का गठन किया है तथा प्रबंधन योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे गठित प्राधिकरण से सदस्य कौन-कौन हैं, कितना आवंटन किया गया है, क्या कार्यकलाप निर्धारित किए गए हैं, गत एक वर्ष के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की गई है और वर्ष 2007 के लिए क्या प्रस्तावित किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और वर्ष में लक्षित जवाबी कार्रवाई क्या रही?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) विश्व विरासत समिति ने विश्व विरासत का दर्जा प्रदान करने के लिए माजुली द्वीप का नामांकन राज्य पार्टी को भेजा था ताकि वे इस प्रस्ताव पर भूदृश्यों पर सट्टारासों का प्रभाव, वास्तुकला तथा चल विरासत की सूची, स्थल के कानूनी संरक्षण की स्थिति, सांस्कृतिक पर्यटन नीति आदि जैसी अतिरिक्त सूचना भेज सकें।

यद्यपि विश्व विरासत समिति की जुलाई, 2006 में आयोजित बैठक में विश्व विरासत समिति को उपरोक्त मदों पर सूचना भेज दी गई थी, समिति ने उपरोक्त मदों पर और विस्तृत सूचना प्रलेखन की मांग की है।

अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूचना के संकलन तथा उचित प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं मांगी है। राज्य सरकार के साथ भी विचार विमर्श किए गए थे तथा अपेक्षित सूचना एकत्र करने और फरवरी, 2008 से पहले इसे विश्व विरासत समिति को प्रस्तुत करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है जैसा कि प्रचालन दिशा निर्देशों के अधीन अपेक्षित है। इस संबंध में कार्य चल रहे हैं।

(घ) से (च) असम सरकार ने 'माजुली सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र अधिनियम, 2006' के नाम से एक विधान बनाया है जो विश्व विरासत समिति द्वारा यथा अपेक्षित माजुली द्वीप को कानूनी संरक्षण देगा। अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत माजुली सांस्कृतिक भूदृश्य के लिए एक प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव, असम होंगे। प्रबंधन प्राधिकरण का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

जैसाकि अधिनियम की धारा 19 मे प्रावधान है, नियमों को तैयार करने का कार्य अपने अन्तिम चरण में है। अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को आर्थिक सहायता तथा अग्रिम ऋण देने की व्यवस्था है। प्राधिकरण के पास माजुली के सांस्कृतिक संसाधनों को संरक्षित करने, प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन करने, विकासात्मक गतिविधियों का समन्वय तथा मॉनीटर करने, आपदा उपशमन के लिए उपाय करने तथा समग्र माजुली सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र के लिए जोखिम से जूझने संबंधी योजना बनाने की शक्तियां होंगी। अधिनियम में उपरोक्त कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पर्याप्त शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

विवरण

प्रबंधन प्राधिकरण का गठन-माजुली सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र अधिनियम, 2006

1.	मुख्य सचिव, असम या कोई अन्य अपर मुख्य सचिव जैसा कि सरकार द्वारा नामांकित किया जाए	:	अध्यक्ष
2.	आयुक्त एवं सचिव, असम सरकार, सांस्कृतिक कार्य विभाग	:	उपाध्यक्ष
3.	आयुक्त, अपर असम प्रभाग या समकक्ष रैंक का कोई अधिकारी जैसा कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए	:	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
4.	उप-प्रभागीय अधिकारी (सिविल), माजुली, विशेष रूप से माजुली सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र के लिए तैनात जिसका कार्यालय अधिनियम के अंतर्गत उसे सौंपे गये कार्यों के निष्पादन के लिए माजुली में स्थित हो।	:	कार्यकारी अधिकारी
5.	कार्यकारी समूह द्वारा स्वयं अपने में से नामित किए जाने वाले पांच, सदस्य	:	सदस्य

खान-पान सेवा

4912. श्री कैलाश मेघवाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे खान-पान सेवा को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उठाई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे खान-पान सेवा को लाभदायक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) केवल वर्ष 2004-05 के लिए खानपान आमदनी और हानियों का अद्यतन लेखा-जोखा रखा जाता है। वर्ष 2004-05 के लिए रेलों पर खानपान सेवाओं में 461.79 करोड़ रु. की हानि हुई।

(ग) भारतीय रेलों पर खानपान सेवाओं में सुधार करने तथा उनसे आमदनी को अधिकतम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं;

(1) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम जो सेवाओं को व्यवसाय से रूप में चलाते हैं, को रेलों की विभागीय खानपान सेवाओं के कर्मचारियों के साथ-साथ खानपान सेवाओं का अंतरण करना।

(2) निविदा प्रणाली के माध्यम से भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा खानपान ठेकों का आबंटन करना।

(3) नई तथा आधुनिक खानपान इकाइयों जैसे ऑटोमैटिक वैंडिंग मशीनें, वाटर वेडिंग मशीनें, फूड प्लाजा, फास्ट फूड सेंटर, मिल्क स्टॉलों को चालू करने की प्रक्रिया जारी है जो रेलवे के ग्राहकों को विभिन्न भोजन/पेयजल प्रदान करेगी तथा रेलों को अतिरिक्त राजस्व की आमदनी कराएगी।

[हिन्दी]

पुणे-नासिक मुम्बई क्षेत्र के लिए रेल लाइन का नवीकरण

4913. **श्री देविदास पिंगले:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के पुणे-नासिक मुम्बई क्षेत्रों के लिए रेल लाइन के नवीकरण हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी किलोमीटर लंबी लाइन का आमान परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान तैयार की गई योजना को स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलपथ का नवीकरण आयु एवं हालत आधारित मानदंड के अनुसार किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) पुणे से मुंबई और नासिक से मुंबई तक की लाइनें पहले ही बड़े आमान की है, इसलिए आमान परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(ग) से (ङ) लागू नहीं।

भारत और पाकिस्तान के बीच विमान सेवाएं

4914. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री संजय धोत्रे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री बापू हरि चौरे:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में दोनों देशों के बीच कितनी उड़ानें चलाई जा रही हैं; और

(घ) इस समझौते के पश्चात वृद्धि के लिए प्रस्तावित उड़ानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) दिनांक 1 दिसम्बर, 2003 को भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुई द्विपक्षीय वायु सेवा वार्ता के दौरान, उड़ानों की क्षमता पात्रता का यौक्तिकरण किया गया था तथा दोनों देशों के निर्दिष्ट एयरलाइनों को बी-747 की क्षमता तक के किसी भी प्रकार के विमानों द्वारा प्रति सप्ताह 12 उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति दी गई थी।

(ग) और (घ) भारत तथा पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन प्रति सप्ताह 12 उड़ानें तथा इंडियन एयरलाइन्स प्रति सप्ताह 01 उड़ान प्रचालित कर रही है।

[अनुवाद]

एफ.पी.आई. के लिए प्राधिकरण

4915. **श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछेक खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन नहीं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने डिब्बाबंद खाद्य वस्तुओं से जुड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कोई नोटिस जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी कंपनियों के कार्यकरण की जांच करने के लिए किसी प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे प्राधिकरण की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (च) डिब्बाबंद खाद्य वस्तुओं से जुड़ी खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होती हैं जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। उन्हें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित घरेलू मानदण्डों का पालन करना होता है। मानकों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों को समय-समय पर नोटिस जारी किए जाते हैं और उनके विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को दाण्डिक उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। डिब्बाबंद खाद्य वस्तुओं से जुड़ी खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों से भी आशा की जाती है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों अथवा इन वस्तुओं के आयात के मामले में आयातकर्ता देश के मानकों का पालन करें।

सरकार द्वारा 24.08.2006 को अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा कंपनियों/खाद्य कारोबारियों द्वारा खाद्य वस्तुओं के निर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने का उल्लेख है ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित हो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रशासन और प्रवर्तन हेतु नोडल मंत्रालय है, ने प्राधिकरण की स्थापना के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

[हिन्दी]

व्यापार मेले और प्रदर्शनियां

4916. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से अन्य देशों में भारतीय हस्तशिल्प के व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 के दौरान कितने व्यापार मेले, प्रदर्शनियां और रोड शोज आयोजित किए जाने का लक्ष्य है;

(ग) इसकी वजह से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है और कितने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र

4917. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न तेल कंपनियों ने जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से जुबली आयोग लागू किए गए थे और मजदूर ठेकेदारों सहित उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कंपनियों के साथ उक्त मजदूर ठेकेदारों के ठेक और नियुक्ति के बीच वास्तविक अंतराल कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने मेहसाना, गुजरात में अपने एक जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र (जेआरओ), जो 31.12.2000 को चालू किया गया था, को संग्रह निधि योजना के अधीन 15.4.2007 को एक लंबित आशयपत्र धारक को आवंटित किया है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीएल) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने अपना कोई जेआरओ लंबित एलओआई धारक को आवंटित नहीं किया है और उनका प्रचालन श्रम ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा है।

ओएमसीज ने श्रम ठेकेदारों की नियुक्ति और करार के बीच में किसी अंतराल की रिपोर्ट नहीं दी है।

केन्द्रीय सड़क निधि

4918. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे को रेल उपरिपुलों/अधोगामी पुलों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सड़क निधि (डीजल उपकर) से कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रेलवे, द्वारा उक्त निधि से राज्यवार कितने पुलों का निर्माण किया गया; और

(ग) विशेषकर हरियाणा में अधिकतर रेलवे क्रासिंगों पर अत्यधिक यातायात को देखते हुए रेलवे द्वारा सड़क उपरिपुलों का शीघ्र निर्माण करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊपरी पुलों/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क कोष से रेलवे को प्राप्त निधियों का आबंटन निम्नानुसार किया गया है:-

वर्ष	के.स.को. के तहत प्राप्त निधियां (करोड़ रु. में)	रेलवे द्वारा ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों से संबंधित कार्यों के लिए चिन्हित निधियां (करोड़ रु. में)
2004-05	401	251
2005-06	410.81	410.81
2006-07	710.86	435.86

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्यवार पूरे किए गए ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:-

राज्य	वर्ष-वार पूरे किए गए कार्य		
	2004	2005	2006
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	4	6	5
असम	1	0	0
बिहार	0	0	3
छत्तीसगढ़	0	0	0
दिल्ली	2	0	0
हरियाणा	0	0	2
झारखंड	0	2	4
कर्नाटक	2	1	1
केरल	0	6	0
मध्य प्रदेश	2	1	2
महाराष्ट्र	1	1	1
उड़ीसा	0	0	0
पंजाब	2	0	0
राजस्थान	1	0	0
तमिलनाडु	1	3	10
उत्तर प्रदेश	0	1	5
पश्चिम बंगाल	3	0	2
कुल	19	21	35

(ग) यदि यातायात घनत्व एक लाख अथवा अधिक टीवीयू- (टीवीयू एक इकाई जिसे समपार पर 24 घंटे में गुजरने वाली रेल गाड़ियों की संख्या और सड़क वाहनों की संख्या को गुणा करके प्राप्त किया जाता है) हो जाता है। तो रेलवे लागत में भागीदारी के आधार पर अन्यथा निक्षेप शर्तों पर मौजूदा समपारों के बदले ऊपरी सड़क/निचले सड़क पुलों का निर्माण करती है। दोनों ही मामलों में मौजूदा नियमों के तहत कतिपय प्रारंभिक पूर्व अपेक्षित शर्तों को विधिवत पूरा करते हुए संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किया जाना होता है। राज्य सरकारों से प्राप्त पात्र प्रस्तावों की जांच की जाती है और वार्षिक बजट के दौरान रेलवे द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके पश्चात नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करके राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से सामान्य आरेखण अभिकल्प और अनुमानित लागत को स्वीकृत किया जाता है। एक बार राज्य सरकार द्वारा निधि के लिए वचनबद्धता कर लिए जाने पर सामान्यत: रेलवे के हिस्से और पहुंच मार्गों के लिए कार्य संविदाओं को क्रमश: क्षेत्रीय रेलों और राज्य सरकारों द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। रेलवे बजट 2007-08 के दौरान हरियाणा से संबंधित 15 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है और सभी स्वीकृत ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्य में तेजी लाना राज्य सरकार के प्रयासों पर निर्भर करता है।

रेल बजट में घोषित ट्रेन सेवाओं के मार्ग

4919. **श्री कैलाश बैठा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल बजट में घोषित 31 ट्रेनों का मार्ग निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में बापूधाम मोतिहारी से वाराणसी तक के मार्ग पर शुरू की जाने वाली नई ट्रेन के मार्ग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे बापूधाम और सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेनों में रसोईयान उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित 2537/2538 बापूधाम (मोतिहारी)-वाराणसी(मंडुआडीह) एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) सगौली-बेतिया-नरकटियागंज-गोरखपुर-मऊ के रास्ते चलती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एच.ए.एल. द्वारा नए संयंत्रों की स्थापना

4920. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल) का कुल कारोबार कितना रहा और वर्ष 2006-07 के लिए इसका कितना अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या एच.ए.एल. का अपने व्यापार के संवर्धन के लिए नए संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) नए संयंत्रों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) विगत वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के कुल कारोबार और वर्ष 2006-07 के लिए इस कारोबार का अनुमानित विवरण इस प्रकार है:-

2003-04	-	3799.78 करोड़ रुपए
2004-05	-	4533.80 करोड़ रुपए
2005-06	-	5341.50 करोड़ रुपए
2006-07	-	7505.00 करोड़ रुपए (अनंतिम)

(ख) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा नये स्थानों पर संयंत्र की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

तट रक्षक स्टेशनों की स्थापना

4921. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने तट रक्षक स्टेशन स्थित हैं और इनके प्रमुख कार्य क्या हैं;

(ख) क्या और अधिक तटरक्षक स्टेशनों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनकी कब तक स्थापना हो जाएगी।

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) देश में तीस तटरक्षक स्टेशन तथा तटरक्षक वायु स्टेशन हैं। राज्य/संघ शासित प्रदेशवार संख्या निम्नवत है:-

राज्य/संघ शासित प्रदेश	तटरक्षक स्टेशनों/वायु स्टेशनों की संख्या
1	2
गुजरात	4
महाराष्ट्र	2
गोवा	2
कर्नाटक	1

1	2
केरल	4
दिल्ली	1
तमिलनाडु	4
पुडुचेरी	1
आंध्र प्रदेश	2
उड़ीसा	1
पश्चिम बंगाल	2
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4
दमन	1
लक्षद्वीप द्वीप समूह	1
कुल	30

तटरक्षक स्टेशन समस्त तटरक्षक आपरेशनों का निष्पादन करता है जिसमें समुद्री क्षेत्र में सभी संस्थापनाओं की सुरक्षा तथा संरक्षा करना, समुद्र में फंसे मछुआरों का बचाव करना, समुद्री परिवेश का संरक्षण तथा संरक्षा करना, तस्करी रोधी आपरेशनों में कस्टम तथा अन्य प्राधिकारियों की सहायता करना तथा समुद्री कानून को लागू करना शामिल है। यह प्राकृतिक आपदाओं, विनाश तथा राहत कार्यों में भी सहायता उपलब्ध कराता है तथा राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क स्थापित करता है। यह डिपो के रूप में कार्य करता है तथा आश्रित यूनिटों को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराता है। नए तटरक्षक स्टेशनों की स्थापना इनकी जरूरत के मूल्यांकन के आधार पर तथा अन्य संबद्ध कारकों को भी ध्यान में रखते हुए की जाती है।

[हिन्दी]

सवारी डिब्बा उपलब्ध कराने हेतु शुल्क में संशोधन/वृद्धि

4922. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने तीर्थयात्रियों/विवाह दल समूह में यात्रा करने वालों को सवारी डिब्बा उपलब्ध कराने हेतु यात्रा किराया और अन्य शुल्कों में संशोधन/वृद्धि किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में आज तक ऐसी संशोधन/वृद्धि किया है;

(ग) शुल्कों में संशोधन/वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) इन शुल्कों में कमी हेतु रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में कोई अधिवृद्धि संशोधन नहीं किया गया है।

(ग) यौक्तिकरण के भाग के रूप में अभिवृद्धि की गई है।

(घ) विशेष गाड़ियों/विशेष सवारी डिब्बों में बुकिंग प्रभारों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रक्षा बलों द्वारा भूमि/संपत्ति पर कब्जा

4923. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर में कई बागानों, कृषि भूमि, भवनों, पर्यटक स्थलों और औद्योगिक संपदाओं पर कब्जा किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेना जम्मू और कश्मीर के मनसर टूरिस्ट रिसोर्ट में आर्मी एविएशन कार्प्स की संस्थापना कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) ब्यौरे, सेना प्राधिकारियों और रक्षा संपदा महानिदेशालय से एकत्र किए जा रहे हैं और सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड में वेतन संशोधन का कार्यान्वयन

4924. **श्री सुनील खां:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) ने 17 मई, 2005 को जारी प्रेसिडेंशियल निदेशों के अनुसार अपने बोर्ड स्तरीय और बोर्ड से निचले स्तर के कार्यकारियों के लिए 01.01.1997 से प्रभावी वेतन संशोधन का कार्यान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 01.01.1997 से प्रभावी वेतन संशोधन के कारण देय बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीबीयूएनएल अपने आन्तरिक आय से अर्थात् अपने विभिन्न अनुषंगी कंपनियों से कोई सेवा शुल्क लिए बिना भुगतान कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बीबीयूएनएल ने अपने विभिन्न अनुषंगी कंपनियों से वर्ष 2002-03 में 215.37 लाख रुपये तथा 2003-04 में 171.43 लाख रुपये सेवा शुल्क लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) जी, हां। बीबीयूएनएल द्वारा वेतन संशोधन की बकाया राशि का भुगतान इसके आंतरिक सृजन से किया जाता है न कि सेवा शुल्क की वसूली से। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए आंतरिक सृजन क्रमशः 46.70 लाख रुपये तथा 368.56 लाख रुपये रहा है।

(च) और (छ) जी, हां। वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान प्राप्त सेवा शुल्क की राशि क्रमशः 215.37 लाख रुपये तथा 171.43 लाख रुपये है।

[हिन्दी]

समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना

4925. श्री रशीद मसूद: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल में समुद्री व्यापार में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(घ) क्या कोचीन पत्तन पर दुबई से आने वाले जहाज में फर्नीचर में छिपाए गए हथियार जब्त किए गए थे।

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सामुद्रिक परामर्श बोर्ड स्थापित करने का है;

(छ) यदि हां, तो कब तक; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) समुद्री सुरक्षा मजबूत बनाने के नीति में, प्रादेशिक समुद्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा समुद्री हित के अन्य क्षेत्रों में समुद्री परिसंपत्तियों की सतत तथा अनुवरत उपस्थित तथा उनके द्वारा निगरानी शामिल है। इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक बल के विभिन्न प्लेटफार्मों तथा उपस्करों का चरणबद्ध ढंग से समय-समय पर उन्नयन तथा संवर्धन किया जाता है। तटवर्ती पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने चैकपोस्टों को स्थापित करने तथा बाह्य चौकी स्थापित करने और उन्हें नावों तथा वाहनों से सुसज्जित करने के लिए तटीय राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को सहायता मुहैया कराने हेतु एक तटीय सुरक्षा योजना तैयार की गई है। भारत, हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती राज्यों के साथ नियमित रूप से वार्ता भी करता रहता है। समुद्र में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पोतों की आवाजाही, प्लेटफार्म सिगनेचर्स, अभ्यास, दीर्घकालिक सृजनात्मक कार्य तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं पर समन्वित गशत आदि से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान के क्षेत्र में हमारे समुद्री पड़ोसियों के साथ सहयोग भी इस रणनीति का एक भाग है।

(ग) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 (अक्तूबर, 2006 तक) के दौरान विभिन्न समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से आयात और निर्यात के जरिए भारत का व्यापार निम्नवत रहा है:-

आंकड़े करोड़ रुपये में (लगभग)

वर्ष	आयात	निर्यात
2004-2005	1,75,503	2,13,630
2005-2006	2,29,080	2,70,398
2006-2007 (अक्तूबर, 2006 तक)	3,75,133	2,07,563

(घ) और (ङ) जी, हां। पांच व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। बंदरगाह पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

(च) से (ज) समुद्री सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन करना सरकार के पास उपलब्ध विकल्पों में से एक है।

[अनुवाद]

'एवाक्स' (ए.डब्ल्यू.ए.सी.एस) को शामिल किया जाना

4926 श्री संतोष गंगवार:
श्री संजय धोत्रे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री बापू हरी चौरे:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने वायु वाहित चेतावनी एवं प्रणाली 'एवाक्स' को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में सरकार को सूचित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) इस समय भारतीय वायुसेना की ओर से वायुवाहित चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (अवाक्स) को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने वायुवाहित चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (अवाक्स) वायुसेना की अधिप्राप्ति करने के लिए पहले मार्च, 2004 में एक संविदा की थी।

[हिन्दी]

आईआरसीटीसी के अधिकारियों से विरुद्ध जांच

4927. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग और अन्य जांच एजेन्सियों द्वारा भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के कितने अधिकारियों के खिलाफ जांच की गई है; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वर्ष 2004 के दौरान, भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम के पांच पदाधिकारियों, 2005 के दौरान तीन पदाधिकारियों तथा 2006 के दौरान अठारह पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच आयोजित की गयी।

(ख) वर्ष 2004 में भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम के तीन पदाधिकारियों तथा 2005 में एक पदाधिकारी तथा 2006 में तीन कर्मियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्रवाई की गयी।

रक्षा सेनाओं में भर्ती

4928. श्री रामदास आठवले: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यशील जोनल भर्ती कार्यालयों, शाखा भर्ती कार्यालयों और अन्य भर्ती कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सेना के तीनों अंगों में की गई राज्यवार भर्ती का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों से उनके राज्यों में थल सेना में भर्ती के लिए खुली भर्ती रैली आयोजित करते हुए अनुरोध प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) सेना में भर्ती के लिए देश भर में विभिन्न स्थानों पर 11 क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय, 59 शाखा भर्ती कार्यालय, 2 गोरखा भर्ती डिपु और एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय है। नौसेना में 32 भर्ती परीक्षा केन्द्र हैं जिन्हें भर्ती के समय सक्रिय किया जाता है। इसी प्रकार वायुकर्मियों की भर्ती के लिए वायुसेना में 14 वायुकर्मी चयन केन्द्र हैं।

(ख) विगत वर्षों के दौरान तीनों सेनाओं में की गई भर्तियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) विगत आठ महीनों में विशेषकर भर्ती रैलियों का आयोजन करने के लिए दो अनुरोध-एक उड़ीसा के मुख्यमंत्री से और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री से प्राप्त हुए हैं।

एक भर्ती रैली 1 और 2 नवंबर, 2006 को उड़ीसा के बारीपाड़ा में और 8-9 जनवरी, 2007 को कोरापुट में आयोजित की गई थी। चालू भर्ती वर्ष के दौरान अरुणाचल प्रदेश के त्वांग और पश्चिमी कामेंग जिलों को कवर करने के लिए एक भर्ती रैली का आयोजन किए जाने की योजना बनाई गई है। गत एक वर्ष के दौरान सेना ने 204 खुली भर्ती रैलियों का आयोजन किया।

विवरण

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम	2004			2005			2006		
	सेना	नौसेना	वायुसेना	सेना	नौसेना	वायुसेना	सेना	नौसेना	वायुसेना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	5648	317	748	3525	268	419	1586	271	483
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	22	08	00	00	12	16	33	6	34
असम	1618	55	36	1160	54	74	557	37	82
अरुणाचल प्रदेश	82	00	00	79	00	00	43	00	00
बिहार	5707	588	2277	3134	391	1470	2582	323	1978
चंडीगढ़	04	01	02	2	00	6	00	5	32
छत्तीसगढ़	1072	21	16	643	13	127	335	7	32
दादरा एवं नगर हवेली	00	00	00	00	00	00	00	00	00
दमन एवं दीव	00	00	00	00	00	00	00	00	00
दिल्ली	1388	43	40	1031	38	41	547	15	86
गुजरात	2128	01	55	1773	05	181	510	2	121
गोवा	125	02	00	3	01	0	4	2	8
हरियाणा	2927	493	473	2521	327	889	1119	305	787
हिमाचल प्रदेश	2336	99	79	1846	136	97	818	105	170
जम्मू-कश्मीर	3261	55	297	2359	66	109	1187	112	206
झारखंड	1715	34	230	1168	29	150	629	27	289
कर्नाटक	4686	18	101	2026	28	140	950	18	97
केरल	2599	180	334	1645	91	490	848	41	153
लक्षद्वीप	00	00	00	00	00	0	15	00	00
मध्य प्रदेश	4011	68	103	3223	39	144	1125	36	50
महाराष्ट्र	6723	80	50	4932	62	143	1930	54	99
मणिपुर	371	38	43	210	45	99	163	24	75
मेघालय	119	05	03	87	02	1	53	0	5
मिजोरम	329	04	05	145	04	2	114	7	12
नागालैंड	528	16	02	415	10	2	206	10	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उड़ीसा	1814	198	225	1647	99	104	862	128	219
पांडिचेरी	06	00	01	3	00	4	15	00	24
पंजाब	7944	101	71	5380	112	222	2274	66	415
राजस्थान	5566	371	420	4630	302	756	2025	205	876
सिक्किम	64	15	01	5	09	23	8	11	0
तमिलनाडु	4492	49	127	3120	24	156	1149	34	42
त्रिपुरा	159	00	36	128	02	43	64	2	05
उत्तर प्रदेश	12650	656	848	9801	608	774	3640	573	1739
उत्तरांचल	4077	75	200	2049	95	371	1022	72	370
पश्चिम बंगाल	4258	193	217	3102	149	85	1275	109	139
नेपाल	1412	00	00	722	01	1	223	0	1
कुल	89841	3784	7040	62514	3021	7139	27911	2607	8614

टिप्पणी: सेना में भर्ती संबंधी आंकड़ों का रख-रखाव वित्तीय वर्ष के आधार पर और नौसेना और वायुसेना में कैलेंडर वर्ष के आधार पर किया जाता है।

गेल (जीएआईएल) द्वारा ढुलाई शुल्क की वसूली

4929. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड और एस्सार कंपनी ने गैस की खरीद के लिए वर्ष 1996 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके अनुसार एस्सार कंपनी को एचबीजे पाइपलाइन द्वारा गैस की धुलाई पर शुल्क देना था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ढुलाई शुल्क के रूप में एस्सार कंपनी पर कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) क्या गेल ने उक्त कंपनी से बकाया धनराशि की वसूली की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) उक्त कंपनी से बकाया धनराशि वसूलने के लिए गेल द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) ओएनजीसी और एस्सार के बीच एक संविदा 24.1.1990 को की गई थी जो 24.1.1990 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति पुष्ट आधार पर और 0.35 एमएमएससीएमडी फाल बैंक आधार पर करने के लिए थी। यह सम्पूर्ण संविदा मई 1992 में गेल द्वारा अधिकार में ले ली गई थी। 0.90 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति पुष्ट आधार पर करने के लिए एक अन्य संविदा दिनांक 1.1.1993 को गेल और एस्सार के बीच हस्ताक्षरित की गई थी।

तदनन्तर 0.35 एमएमएससीएमडी पुष्ट आधार पर आपूर्ति करने के लिए एस्सार के अनुरोध पर 17.7.1996 को एक पूरक करार पर गेल और एस्सार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें एस्सार 0.50 एमएमसीएमडी गैस से अधिक गैस के लिए परिवहन प्रभार देने के लिए राजी हो गई थी। यह पूरक करार इसकी घरेलू इकाई के लिए मुख्य करार के साथ जुड़ा हुआ था।

एस्सार ने फरवरी 1999 से परिवहन प्रभार की अदायगी रोक दी थी। 15.4.2001 की स्थिति के अनुसार, एस्सार के परिवहन प्रभार और सेवा प्रभार के कारण कुल बकाया राशि 124.55 करोड़ रुपये थी। इस संबंध में एस्सार ने दिनांक 4.5.2001 को अहमदाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी।

(ग) से (ङ) एस्सार स्टील लिमिटेड द्वारा दायर किया गया विशेष सिविल आवेदन, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 11.10.2005 को निपटाया गया था। गेल ने आदेश के विरुद्ध लैटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) की है जो अपीलीय न्यायालय के समक्ष गुण-दोष के आधार पर निपटान के लिए विचाराधीन है।

करों में कमी

4930. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:
श्री सुब्रत बोस:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007-08 के बजट में उत्पाद तथा केन्द्रीय बिक्री करों में कमी करके पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्री मूल्य में राहत दी गई है;

(ख) यदि हां, तो वार्षिक आधार पर उत्पाद तथा केन्द्रीय बिक्री करों में कमी के कारण तेल उत्पादक कंपनियों (ओएमसी) द्वारा कितना लाभ कमाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को कोई प्रस्ताव उक्त लाभ को उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) केन्द्रीय बजट 2007-08 में, पेट्रोल और डीजल पर यथा मूल्य उत्पाद शुल्क घटक 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत तक कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय बिक्री कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है। दिनांक 16.2.2007 को दिल्ली मूल्य पर पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में क्रमशः 2/- रुपये प्रति लीटर तथा 1/- रुपये प्रति लीटर की कमी के साथ संशोधन किया गया था। चूंकि पेट्रोल और डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से कम चल रहा है, इसलिए उनके मूल्यों में और कमी का संशोधन नहीं किया जा सकता।

(ख) पेट्रोल और डीजल के लिए उत्पाद शुल्क में कमी का अनुमानित वार्षिक प्रभाव लगभग 2700 करोड़ रु. है।

(ग) से (ङ) मार्च, 2007 से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में भारी वृद्धि हुई है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर ओएमसीज को संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में अल्प वसूलियां हुई हैं। संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में अनुमानित अल्प वसूलियां निम्नवत हैं:-

पेट्रोल	रु./प्रति लीटर	4.32
डीजल	रु./प्रति लीटर	3.69
पीडीएस मिट्टी तेल	रु./प्रति लीटर	14.11
घरेलू एलपीजी	रु./14.2 कि.ग्रा. सिलेंडर	160.71

[अनुवाद]

कर्नाटक की संस्कृति को बढ़ावा

4931. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक की संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) जी हां। संस्कृति मंत्रालय ने कर्नाटक सहित देश के विभिन्न राज्यों में संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु अनेक कार्यकलाप शुरू किए हैं। इन कार्यकलापों को मंत्रालय के सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कर्नाटक में संस्कृति के संरक्षण हेतु गत तीन वर्षों के दौरान दी गई अनुदान सहायता के ब्यौरे

क्र.सं.	मद	वर्ष	राशि (रु. में)
1	2	3	4
1.	**शताब्दी/वर्षगांठ स्कीम**		
	1. श्री सीता राम शास्त्री हुलीमंश स्मारक प्रतिष्ठान, उत्तर कन्नड़, कर्नाटक	2006-2007	75,000

1	2	3	4
2.	**भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार**		
	1. राज्य/संघ प्रशासन क्षेत्र अभिलेखागार भंडारों, सरकारी पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों को वित्तीय सहायता की स्कीम	2004-2007	13,12,500
	2. पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों के परिरक्षण हेतु वित्तीय सहायता	2004-2007	7,10,000
3.	**भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण**		
	1. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के कर्नाटक के लोगों की जैव-सांस्कृतिक रूप-रेखा का प्रलेखन तैयार करने में भागीदारी की है। इस दिशा में "भारत के लोग परियोजना" का कर्नाटक खण्ड एक संकेतक है।		
	2. इसके अलावा 1. क्षेत्रीय केन्द्र में भी कर्नाटक के लोगों की सांस्कृतिक विरासत के संग्रहण, संरक्षण तथा प्रसार के लिए क्षेत्रीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण अवस्थित है। 2. केन्द्र का एक क्षेत्रीय मानव-विज्ञान पुस्तकालय भी महत्वपूर्ण प्रकाशन आयोजित करके इस क्षेत्र की संस्कृति के संवर्धन के प्रयोजन से सेवारत है। इस क्षेत्रीय केन्द्र को 'प्रलेखन तथा प्रसार' योजना कार्यक्रम के तहत निधि आवंटित की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित राशि इस प्रकार है:	2004-2005	13,00,000
		2005-2006	27,00,000
		2006-2007	29,00,000
4.	**कर्नाटक में क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण**		
	1. केलाड़ी संग्रहालय एवं ऐतिहासिक अनुसंधान ब्यूरो	2004-2005	58,925
	2. कर्नाटक जनपद परिषद, बेंगलूर	2005-2006	1,00,000
	3 शंकरा फाउंडेशन, बेंगलूर	2005-2006	2,10,000
	4. श्री जयाचमाराजेन्द्र कलावीथि, मैसूर	2005-2006	2,00,000
	5. लोक साहित्य संग्रहालय, कन्नड़ अध्ययन संस्थान, शिमोगा	2006-2007	1,25,000
	6. सुत्तुर संग्रहालय, जगद्‌गुरु श्री शिवरेथेश्वरा महाविद्यापीठ, मैसूर	2006-2007	25,62,000
	7. विश्वविद्यालय संग्रहालय, मैसूर विश्वविद्यालय	2006-2007	33,30,000
5.	**राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय**		
	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बेंगलूर स्थित अपने क्षेत्रीय स्रोत केन्द्र के माध्यम से कर्नाटक राज्य में बच्चों और वयस्कों के लिए विभिन्न रंगमंच कार्यशालाएं तथा रंगमच पर सेमिनार आयोजित करते है।	2004-2005 2005-2006 2006-2007	27,98,630 21,81,615 43,82,828
6.	संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित चार प्रमुख स्कीमों के तहत व्यक्तियों अर्थात् विद्वानों/अध्येताओं को छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती है:-		
	1. विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की स्कीम।	2004-2005	22,37,000
	2. मंच, साहित्यिक तथा दृश्य कलाओं के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम	2005-2006	18,02,750
	3. संस्कृति से संबद्ध नये क्षेत्रों में वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम	2006-2007	20,90,000
	4. सांस्कृतिक कार्यकलापों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुसंधान सहायता हेतु वित्तीय सहायता		

7. संगीत नाटक अकादमी

संगीत नाटक के कार्यकलाप, कनार्टक सहित सभी राज्यों में राष्ट्रीय आधार पर संचालित किए जाते हैं।

1. संगीत नाटक अकादमी ने कर्नाटक राज्य की कुछेक प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं के कार्यकलापों/कार्यक्रमों/समारोहों में सहायता की।

वर्ष	संस्थाओं की संख्या	संस्तुत अनुदान की राशि
2005-2006	6	3,55,000/- रु.
2006-2007	7	4,05,000/- रु.

2. धारवाड़, पटना, रायपुर और पटियाला में आयोजित संगीत प्रतिभा जैसे अकादमी के विभिन्न उत्सवों में कर्नाटक राज्य से कलाकारों को प्रस्तुत किया। तेजपुर, असम में रंगमंच उत्सव तथा जम्मू, चेन्नै और नागपुर में नृत्य उत्सव आयोजित किए गए।

3. मुम्बई, दिल्ली, लखनऊ तथा चंडीगढ़ में डोरी, छाया तथा छड़ कठपुतली कला की परंपराओं की कला प्रस्तुतियां प्रायोजित की।

4. गत तीन वर्षों के दौरान संगीत नाटक अकादमी ने कर्नाटक की संस्कृति संस्थाओं को अनुदान दिए हैं जो इस प्रकार हैं:-

वर्ष	संस्थाओं की संख्या	संस्तुत अनुदान की राशि
2004-2005	21	4,95,000/-
2005-2006	22	5,85,000/-
2006-2007	27	8,85,000/-

5. अकादमी द्वारा कर्नाटक राज्य के संगीतज्ञों के किए गए विशेष प्रलेखन के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

    1. केलकरी संगीत विद्यालय का प्रलेखन।
    2. बलाप्पा येनागी: नाट्य संगीत एवं साक्षात्कार।
    3. संगमेश्वर गोरव: हिन्दुस्तानी गायन एवं साक्षात्कार।
    4. शेशगीरी इंडापुर: हिन्दुस्तानी गायन एवं साक्षात्कार।
    5. मृत्युंन्जय जी शेत्तर द्वारा पुतराज गविगलू का साक्षात्कार एवं प्रलेखन।
    6. सोमनाथ मर्दुर: हिन्दुस्तानी गायन एवं साक्षात्कार।
    7. बाले खान: हिन्दुस्तानी वाद्ययंत्र (सितार)।
    8. श्रीनिवास वी. जोशल: हिन्दुस्तानी वाद्ययंत्र (सितार)।
    9. चंद्रशेखर पौराणिकमठ: हिन्दुस्तानी गायन।
    10. वसंत कनकपुर: हिन्दुस्तानी वाद्ययंत्र (हामोर्नियम)।
    11. पंचाक्षरी स्वामी मट्टी गट्टी: हिन्दुस्तानी गायन एवं साक्षात्कार।
    12. गीता जावड़ेकर: हिन्दुस्तानी गायन।

8. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल

1. कर्नाटक के लोगों के बीच फील्ड कार्य किया तथा कर्नाटक के लोगों की भौतिक संस्कृति की 419 वस्तुओं के संग्रह को विकसित किया।
2. कर्नाटक से एक मंदिर कार अधिग्रहित की तथा अपने मुक्ताकाश प्रदर्शनी में इसे प्रदर्शित किया। कर्नाटक से भूटा आकृतियां एकत्रित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
3. अपनी स्थाई इंडोर प्रदर्शनी 'वीथि संकुल' तथा अनेक पत्रिकाओं तथा भ्रमणशील प्रदर्शनी 'भारत की प्रस्तर कला' तथा 'भारत के पावन उपवन' में कर्नाटक से संग्रहित वस्तुएं प्रदर्शित की।
4. अनेक कलाकार शिविर, कला एवं शिल्प प्रदर्शन कार्यशालाएं आयोजित की तथा संग्रहालय किन्नल, कर्नाटक की मृणपात्रकला तथा टेराकोटा ग्लास चित्रकारी एवं जुड़ाव कार्य प्रस्तुत किए।
5. एक लोक नाटिका 'यक्षगान' तथा प्रख्यात शास्त्रीय गायकों द्वारा शास्त्रीय कला प्रस्तुति का प्रदर्शन।
6. कर्नाटक के सांस्कृतिक मानचित्र और कर्नाटक की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर सेमिनार।
7. कर्नाटक की विरासत तथा इसके संरक्षण और कर्नाटक की हंगरी बईचवाल घाटी में अवर पेलियोलिथ संस्कृति पर व्याख्यान।

    इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, बजट आवंटन का एक बड़ा भाग प्रलेखन, परिरक्षण तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यकलापों पर खर्च करता है। राज्यवार संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर व्यय का कोई अलग शीर्ष नहीं है।

9. सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र

1. यह केन्द्र जागरूकता पैदा करने के लिए सेवाकालीन शिक्षकों/प्रशिक्षकों के लिए देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

2.

वर्ष	प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या
2004-2005	262
2005-2006	356
2006-2007	298

3. केन्द्र सांस्कृतिक प्रतिभा खोज स्कीम के तहत भारतीय संस्कृति के संवर्धन हेतु बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा है।

वर्ष	प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या
2004-2005	24
2005-2006	17
2006-2007	25

10. बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर

1. वर्ष 1995-98 के दौरान कर्नाटक में बेल्लारी तथा हासन में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थपना हेतु अनुदान जारी किया।

11. मंच कलाएं

सभी राज्यों में विभिन्न मंच कलाओं के संवर्धन हेतु स्कीमों का प्रावधान है। इन स्कीमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. विशिष्ट मंच कलाओं परियोजनाओं (वेतन अनुदान तथा निर्माण अनुदान) हेतु व्यावसायिक समूहों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।
2. सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान की स्कीम।
3. जनजातीय/लोक तथा संस्कृति के संवर्धन एवं प्रसार हेतु सहायता।

12. क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र

दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर तथा दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर कर्नाटक राज्य में लोक कला तथा संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यकलापों की देखरेख कर रहे हैं। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र निम्नलिखित विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

1. राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।
2. राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव।
3. गुरु-शिष्य परंपरा।
4. रंगमंच सुदृढ़ीकरण।
5. युवा प्रतिभावान कलाकार।

[हिन्दी]

समझौता एक्सप्रेस अग्निकांड की जांच

4932. श्री सजन कुमार:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री अधीर चौधरी:
श्री उदय सिंह:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 18 फरवरी, 2007 को समझौता एक्सप्रेस में लगी आग के कारणों की जांच पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी;

(ग) क्या मृतकों के परिजनों और घायल व्यक्तियों को रेलवे द्वारा यथाओचित क्षतिपूर्ति दे दी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मृत यात्रियों के आश्रितों द्वारा या पीडितों द्वारा रेल दावा अधिकरण में दायर दावों पर आबंटित डिक्री के बाद ही क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। अभी तक कोई क्षतिपूर्ति दावा दायर नहीं किया गया है। बहरहाल, रेलों ने प्रत्येक मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की राहत तथा प्रत्येक घायल पीड़ित को 50,000/- रु. की राशि की घोषणा की है। अभी तक 131.75 लाख रुपये की अनुग्रह राशि वितरित की गयी है।

[अनुवाद]

कंटेनर ट्रैफिक हेतु संशोधित नीति

4933. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कंटेनर ट्रैफिक की आवाजाही के लिए एक संशोधित नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त नीति का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण और कंटेनर यातायात के आयात-निर्यात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे पर भारतीय कंटेनर निगम (कॉनकर) के अलावा कंटेनर रेल गाड़ियां चलाने के लिए एक नई नीति के अंतर्गत जनवरी 2006 में विभिन्न आपरेटरों की उद्‌घोषणा की गयी थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अन्तर्देशीय कंटेनर और चल स्टॉक के लिए अधिक निवेश के विकास द्वारा आंतरिक भागों को और अधिक जोड़ना है। इससे कंटेनर ग्राहकों की सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा और कंटेनर यातायात में रेल भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

रक्षा सेनाओं के रनवे का उन्नयन/विस्तार

4934. श्री मनोरंजन भक्त: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डिगलीपुर, कैम्पबेल इत्यादि में स्थित रक्षा सेनाओं के रनवे का उन्नयन और विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्षा उद्देश्यों के लिए पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन के उन्नयन हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन के रक्षा एयर फील्ड होने के नाते उसमें रक्षा प्रयोजनों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

4935. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने देश में कई स्टेशनों का सौन्दर्यीकरण (फेसलिफ्ट) करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उद्देश्य हेतु जोनवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या स्टेशनों के सौन्दर्यीकरण (फेसलिफ्ट) के कार्य को शीघ्र करने हेतु जोनल रेलवे को कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) आधुनिकीकरण एवं अग्रभाग के सौंदर्यीकरण के प्रयोजन से वर्ष 2006-2007 के दौरान भारतीय रेल पर 334 स्टेशनों को पहले ही चिह्नित किया जा चुका है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) योजना शीर्ष "यात्री सुविधाएं" के तहत यात्री सुविधाओं के निर्माण/संवर्धन हेतु क्षेत्रीय रेलों को निधियां आवंटित की जाती हैं जिनमें रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण/अग्रभाग के सौंदर्यीकरण शामिल है। वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान इस योजना शीर्ष के तहत आवंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण/अग्रभाग के सौंदर्यीकरण से संबंधित सभी कार्यों पर शीर्ष स्तर पर निगरानी रखी जाती है ताकि इनके पूरा होने में तेजी लाई जा सके।

विवरण I

यात्री सुविधाओं के सुधार (टच एवं फील मदों सहित) हेतु चुनिंदा 334 स्टेशनों (प्रत्येक मंडल में 5) की जोनवार सूची

रेलवे	स्टेशनों का नाम
1	2
मरे (25)	सोलापुर, अहमदाबाद, गुलबर्गा, वाडि, दौंड, पुणे, कोल्हापुर, मिरज, सतारा, सांगली, छतरपति शिवाजी टर्मिनल, दादर, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, ठाणे, कल्याण, मनमाड़, नासिक रोड, भुसावल, खंडवा, अकोला, नागपुर, चंद्रपुर, वारहणा, बल्लारशाह, आमला
पूरे (20)	हावड़ा, बर्धमान, रामपुरहाट, बोलपुर, तारकेश्वर, सियालदाह, बिधाननगर रोड, दम दम जं. बारासात, राणाघाट, माल्दा, टाउन, भागलपुर जमालपुर, साहिबगंज, न्यू फरक्का, आसनसोल, दुर्गापुर, जसीडीह, मधुपुर, बैद्यनाथधाम
पूमरे (25)	पटना जं., राजेन्द्र नगर, आरा, बक्सर, मोकामा, समस्तीपुर, दरभंगा, रक्सौल, सीतामढ़ी, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, धनबाद कोडरमा, बरकाकना, डाल्टनगंज, पारसनाथ, मुगलसराय, सासाराम, गया, देहरी-ऑन-सोन, अनुग्रह नारायण रोड
पूतरे (15)	भुवनेश्वर, कटक, पुरी, ब्रह्मापुर, भद्रक, विशाखापत्तनम, विजनगरम, श्रीकाकुलम, रायगडा, दुवाडा, टिटलागढ़, कांताभांजी, केसिंघा, बोलनगीर, सम्बलपुर

1	2
उरे (27)	दिल्ली, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, मेरठ सिटी, कुरुक्षेत्र, लुधियाना, जालंधर शहर, अमृतसर, फिरोजपुर, जम्मू तवी, देहरादून, बरेली, मुरादाबाद, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, अम्बाला छावनी, चंडीगढ़, शिमला, भटिंडा, सहारनपुर, धुरी, लखनऊ, वाराणली, अयोध्या, रायबरेली, प्रयाग
उमरे (15)	आगरा कैंट, मथुरा, आगरा किला, राजा की मंडी, कोसीकलां, झांसी, ग्वालियर, बांदा, उरई, धौलपुर, सदर, मंडुआडीह, आजमगढ़, हल्द्वानी, लालकुआं, रूद्रपुर शहर, काशीपुर, मथुरा छावनी
पूसीरे (23)	बारपेटा रोड, गोलपारा टाउन, न्यू बोंगाईगांव, रंगिया, डिब्रूगढ़ टाउन, न्यू तिनसुकिया, मरियानी जं., न्यू जलपाईगुडी, किशनगंज, कटिहार, दार्जिलिंग, रायगंज, न्यूअलीपुरद्वार, कोकराझार, न्यू कूचबिहार, न्यूमल जं. गोसंईगांवघाट, गुवाहाटी, दीमापुर, लमडिंग जं. सिलचर होजई
उपरे (20)	अजमेर, उदयपुर शहर, आबू रोड, फलना, रानी, बीकानेर, हिसार, श्री गंगानगर, भिवानी, सिरसा, जयपुर रेवाड़ी, बांदीकुई, ढोसा, जोधपुर, जैसलमेर, पालि, मारवाड़, बारमेड, नागपुर
दरे (25)	चेंगलपट्ट,कटपाडि, अरक्कोणम, तांबरम, तिरत्तनी, ईरोड, कोयम्बतूर, पालाघाट, कालीकट, मंगलौर, एर्णाकुलम, त्रिचूर, कोल्लम, त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल, कन्याकुमारी, पांडिचेरी, वृद्धाचलम, तिरुचिरापल्ली जं., तंजावूर, कुम्बाकोणम, डिंडीगुल, मदुरै, तिरुनेवेली, तूतीकोरीन, विरुधनगर
(दमरे) (30)	अंगुल, विजयवाड़ा, राजामुंद्री, नल्लौर, ककिनाडा टाउन, हैदराबाद, सिकंदराबाद, काजीपेट, खम्माम, वारांगल, काचेगुडा, कुनूल टाउन, निजामाबाद, बसर, महबूबनगर, तिरुपति, गुंतकल, यारचूर, कुडाप्पा, अनंतपुर, गुंतुर, नलगोंडा, नांदयाल, नाडिकुडी, नरसारापेट, नांदेड, औरंगाबाद, जालान, परथनी, पारतूर
दपूरे (19)	खडगपुर, बालासौर, मिदनापुर, संतरागाछी, मेचेडा, टाटानगर, राउकेला, झारसुगुड, चक्रधरपुर, राजगंगपुर, बोकारी स्टील सिटी, पुरुलिया, बांकूड़, बिष्णुपुर, गरबेटा, रांची, हटिया, मूरी, रामगढ़ छावनी
दपूमरे (15)	बिलासपुर, रायगढ़, चम्पा, शहडोल, रायपुर, भाटापारा, तिलडा, भिलाई पावर हाउस, गोंडिया, राजनंदगांव, डोंगरागढ़, तुमसर रोड, छिंदवाड़ा
दपरे (15)	मैसूर, देवनगेरे, शिमौगा, टाउन, हसन, हवेरी, हुबली, बेलगाम, वास्को, होजपेट, बेल्लारी, बेंगलौर सिटी, यशवंतपुर, बैंगलौर कैंट, मांडया, तुमकुर
परे (30)	सूरत, वापी, नवसारी, बांद्रा टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल, वड़ोदरा, आनंद, नाडियाडा, भारूच, अंकलेश्वर, रतलाम, इंदौर, दाहोद, उज्जैन, चित्तौड़गढ़, अहमदाबाद, मणिपुर, गांधीधाम, न्यू भुज, पालनपुर, राजकोट, सुरेंन्द्रनगर, जामनगर, थान, वांकानेर, भावनगर, वेरावल, पोरबंदर, जूनागढ़, गांधीधाम
पमरे (15)	जबलपुर, कटनी, सतना, मैहर, सागौर, भोपाल, हाबीगंज, इटारसी, गुना, बीना, सवाईमाधोपुर, भवानी मंडी, बयाना, भरतपुर, गंगापुर शहर।

विवरण II

योजन शीर्ष "यात्री सुविधाएं" के अंतर्गत वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए जोनवार आवंटन इस प्रकार है:

रेलवे	आवंटन (करोड़ रुपयों में)	
	2006-07	2007-08
मध्य रेलवे	32.75	38.13
पूर्व रेलवे	44.61	53.20
उत्तर रेलवे	37.54	30.85
पूर्वोत्तर रेलवे	22.26	10.70
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	32.22	54.04
दक्षिण रेलवे	35.18	25.38
दक्षिण मध्य रेलवे	34.74	84.62
दक्षिण पूर्व रेलवे	10.44	6.98
पश्चिम रेलवे	28.49	41.77
पूर्व मध्य रेलवे	33.15	44.68
पूर्व तट रेलवे	13.44	18.69
उत्तर मध्य रेलवे	13.09	10.30
उत्तर पश्चिम रेलवे	17.23	23.02
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	19.36	21.08
दक्षिण पश्चिम रेलवे	12.40	19.41
पश्चिम मध्य रेलवे	12.95	8.98
मेट्रो रेलवे	1.25	1.46
जोड़	401.10	493.30

[हिन्दी]

ओएनजीसी प्रशिक्षण केन्द्र

4936. श्री श्रीचंद कृपलानी:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ओएनजीसी का विचार अन्य राज्यों में भी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थानों के नाम क्या हैं; और

(घ) इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) ओएनजीसी के प्रशिक्षण केन्द्रों के ब्यौरे निम्ननुसार हैं

क्र.सं.	प्रशिक्षण केन्द्र	स्थान
1.	**कार्यपालकों के लिए**	
1.	ओएनजीसी अकादमी	देहरादून (उत्तराखंड)
2.	इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टैक्नॉलॉजी (आईडीटी)	देहरादून (उत्तराखंड)
3.	इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम सेफ्टी हैल्थ एनवायरन्मैंट मैनेजमेंट (आईपीएसएचईएम)	गोवा (गोवा)
4.	इंस्टीट्यूट गैस प्रोडक्शन (टैक्नॉलॉजी) (आईओजीपीटी)	पनवेल (महाराष्ट्र)
5.	स्कूल ऑफ मैंटिनैंस प्रैक्टेसिज (एसएमपी)	वड़ोदरा
2.	**गैर-कार्यपालकों के लिए**	
1.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)	चेन्नै
2.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)	वड़ोदरा (गुजरात)
3.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)	सिवसागर (असम)
4.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)	पनवेल (महाराष्ट्र)
5.	स्टॉफ प्रशिक्षण संस्थान (एसटीआई)	राजामुंदरी (आंध्र प्रदेश)
6.	स्टॉफ प्रशिक्षण संस्थान (एसटीआई)	कैम्बे (गुजरात)

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सैनिक कल्याण बोर्ड

4937. श्री सुग्रीव सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राज्यवार कितने भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में कितने सैनिक कल्याण बोर्ड कार्य कर रहे हैं;

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न बोर्डों में दर्ज कितने भूतपूर्व सैनिक पुन: रोजगार प्राप्त कर सके हैं; और

(घ) देश में सैनिक कल्याण बोर्डों के कार्यकरण को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 32 राज्य सैनिक बोर्ड और 352 जिला सैनिक बोर्ड कार्यरत हैं।

(ग) सूचना विवरण-II में दी गई है।

(घ) सरकार ने राज्य सैनिक बोर्डों/जिला सैनिक बोर्डों में खाली पदों को भरने, ई-गवर्नेंस लागू करने और अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों के साथ कदम उठाए हैं।

विवरण I

राज्यवार पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	69808
2.	अरुणाचल प्रदेश	284
3.	असम	26109
4.	बिहार	64493
5.	छत्तीसगढ़	4259
6.	गोवा	1911
7.	गुजरात	19852
8.	हिमाचल प्रदेश	94951
9.	हरियाणा	220736
10.	जम्मू-कश्मीर	64162
11.	झारखंड	17401
12.	कर्नाटक	61606
13.	केरल	148244
14.	मध्य प्रदेश	35116
15.	महाराष्ट्र	159678
16.	मणिपुर	5624
17.	मेघालय	2136
18.	मिजोरम	4495
19.	नागालैंड	2454
20.	उड़ीसा	24918
21.	पंजाब	250023
22.	राजस्थान	133632
23.	सिक्किम	1147
24.	तमिलनाडु	115942
25.	त्रिपुरा	2078
26.	उत्तर प्रदेश	237282
27.	उत्तराखंड	116751
28.	पश्चिम बंगाल	55992
29.	अंडमान-निकोबार द्वीप-समूह	583
30.	चंडीगढ़	7840
31.	दिल्ली	35114
32.	पांडिचेरी	1570
	कुल योग	1986191

विवरण II

उन पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या जिनका पुनर्वास विभिन्न बोर्डों द्वारा जनवरी से दिसंबर, 2006 के दौरान किया गया है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	68
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	49

1	2	3
4.	बिहार	126
5.	छत्तीसगढ़	231
6.	गोवा	7
7.	गुजरात	87
8.	हिमाचल प्रदेश	338
9.	हरियाणा	381
10.	जम्मू-कश्मीर	63
11.	झारखंड	98
12.	कर्नाटक	114
13.	केरल	760
14.	मध्य प्रदेश	88
15.	महाराष्ट्र	730
16.	मणिपुर	49
17.	मेघालय	13
18.	मिजोरम	13
19.	नागालैंड	27
20.	उड़ीसा	32
21.	पंजाब	4640
22.	राजस्थान	806
23.	सिक्किम	32
24.	तमिलनाडु	66
25.	त्रिपुरा	3
26.	उत्तर प्रदेश	555
27.	उत्तराखंड	1019
28.	पश्चिम बंगाल	25
29.	अंडमान-निकोबार द्वीप-समूह	0
30.	चंडीगढ़	68
31.	दिल्ली	0
32.	पांडिचेरी	0
	कुल योग	10488

अन्तरदेशीय पाइपलाइन

4938. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतरदेशीय पाइपलाइनों और एलएनजी आयातों पर अधिक बल देने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) देश में प्राकृतिक गैस मौजूदा कमी और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, सरकार संक्रामी पाइपलाइनों के जरिए और एलएनजी के रूप में भी प्राकृतिक गैस के आयात का प्रयास कर रही है।

निम्नलिखित पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा सक्रिय किए जा रहे हैं:-

(1) ईरान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन परियोजना

(2) तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान पाइपलाइन परियोजना

(3) भारत म्यांमार पाइपलाइन परियोजना

एलएनजी के संबंध में, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) ने 25 वर्षों की अवधि के लिए 7.5 एमएमटीपीए एलएनजी के आयात के लिए रास गैस, कतर के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। रास गैस, कतर पहले ही 5 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति कर रही है और शेष 2.5 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति 2009 के मध्य से शुरू हो जाएगी।

गेल, आईओसी और बीपीएल ने 5 एमएमटीपीए एलएनजी के आयात के लिए 13 जून, 2005 को नेशनल ईरानियन गैस एक्सपोर्ट कंपनी (एनआईजीईसी) के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी आपूर्ति 2009 से शुरू करना निर्धारित है। इसके साथ ही इन पक्षकारों ने एलएनजी एसपीए के लिए पार्श्व-पात्र भी हस्ताक्षर कर दिया है, जिसके अनुसार एसपीए को प्रभावी बनाने हेतु एनआईजीईसी को अपनी मूल कंपनी, अर्थात नेशनल ईरानियन आयल कंपनी (एनआईओसी) का अनुमोदन प्राप्त करना था। एनआईजीईसी ने अभी तक एनआईओसी बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है।

पीएलएल कोच्चि में 205 एमएमटीपीए का एलएनजी टर्मिनल स्थापित कर रही है जिसे बढ़ाकर 5 एमएमटीपीए तक करने का प्रावधान है। पीएलएल अपने कोच्चि एलएनजी टर्मिनल के लिए ऑस्ट्रेलियाई आपूर्तिकर्ता से बात कर रही है, जो अग्रिम चरण में हैं।

गेल दाभोल एनएनजी टर्मिनल के लिए वर्ष 2009 के आगे दीर्घकालीन आधार पर एलएनजी के आयात के लिए एलएनजी के विभिन्न संभाव्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ बात कर रही है।

यात्री सेवा आयोग

4939. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का प्रस्ताव यात्रियों को और सुवधिाएं उपलब्ध कराने के लिए ''यात्री सेवा आयोग'' का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल यात्रियों को कब तक अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में किसी यात्री सेवा आयोग का गठन नहीं किया गया है, इसलिए, उक्त आयोग के पुनर्गठन का प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, रेल मंत्रालय में राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति है अर्थात यात्री सेवाएं समिति जो खान-पान/वेंडिंग स्टालों/पुस्तक स्टालों/पर्यटन सूचना केन्द्रों आदि के विभिन्न पहलुओं की जांच करती है और जिसका गठन बोर्ड के दिनांक 28.2.2007 के संकल्प सं. ईआरबी-1/2007/23/7 के तहत श्री परमेश्वर प्रसाद निराला, पूर्व विधायक, बिहार की अध्यक्षता में किया गया है। अध्यक्ष के अलावा, इस समिति में 6 अन्य सदस्य मौजूद हैं।

(ग) यह समिति सलाहकार स्वरूप की है और समिति की सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है बशर्ते धन एवं संसाधन की उपलब्धता के अध्यधीन वह व्यावहारिक हो।

एलोरा की गुफाएं

4940. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलोरा की गुफाओं में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है जैसा कि 3 जनवरी, 2007 के ''हिन्दुस्तान'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) एलोरा गुफाओं के इस राष्ट्रीय स्मारक को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) एलोरा गुफाओं में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने आरम्भ में प्रयोगात्मक आधार पर गुफा सं. 34 में प्रकाश की व्यवस्था की थी। तथापि, अजंता तथा एलोरा की गुफाओं के लिए नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल ने परम्परागत प्रकाश व्यवस्था को स्वीकृत नहीं किया था।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का चित्रित गुफाओं में की जाने वाली कोई भी प्रस्तावित प्रकाश व्यवस्था का उचित ढंग से डिजाइन किया जाए तथा विशेषज्ञों के पैनल की अगली बैठक में इसका ब्यौरा उन्हें प्रस्तुत किया जाए।

(घ) एलोरा गुफाओं के संरक्षण जेबीआईसी (बाह्य सहायता प्राप्त कार्यक्रम) के अंतर्गत किया जा रहा है। अब जेबीआईसी परियोजना का चरण-II चल रहा है।

भारीतय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नियमित संरक्षण, परिरक्षण तथा रखरखाव करने के अलावा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को गुफाओं का भू-तकनीकी अध्ययन करने तथा गुफाओं के संरक्षण और उनको प्राकृतिक विघटन से बचाने के लिए तरीकों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गुफाओं में पानी के रिसाव को रोकने के तरीकों की भी सिफारिश करेगा।

जैसाकि विशेषज्ञों के पैनल द्वारा पहले ही सुझाव दिया गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भूतल जल निकाली उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है जिससे गुफाओं में रिसाव के कम हो जाने की आशा है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि भूतल जल निकासी का डिजाइन केन्द्रीय जल वैद्युत अनुसंधान केन्द्र (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे द्वारा तैयार किया जाए।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को हानि

4941. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मंत्रालय के पास गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को उपलब्ध अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं के कारण हुई हानि का ब्यौरा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) रॉबो इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार विजन 2015 रिपोर्ट पर्याप्त फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं, खेत पर शीतागारों, शीत श्रृंखला, ढुलाई, पर्याप्त भण्डारण तथा विपणन सुविधाओं आदि के अभाव की वजह से उठाई-धराई के विभिन्न चरणों में प्रतिवर्ष 58,000 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि खाद्य उपज (फलों समेत) का नुकसान होता है। सरकार वित्तीय सहायता और अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों हेतु अपनी स्कीमों के जरिए नुकसान करने, मूल्यवर्धन करने और टिकाऊपन बढ़ाने के लिए खाद्य संबंधी बुनियादी ढांचा विकास को सृजन में मदद करती है।

वित्तीय सहायता के लिए निगरानी प्राधिकरण

4942. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को दी जा रही वित्तीय सहायता के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये सहायता स्व-सहायता समूहों तथा गैर-सरकारी संगठनों को भी दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी अपनी योजना स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए सहयता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। इस मंत्रालय द्वारा अनुदान दो किस्तों में जारी किया जाता है। पहली किस्त तब जारी की जाती है जब कार्यान्वयन एजेंसी अपने अंशदान और आवधिक ऋण का पूरा उपयोग कर लेने तथा इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बारे में राज्य नोडल एजेंसी द्वारा विधिवत प्रमाणित करने के बाद जारी की जाती है। अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने वाले निजी व्यक्ति, स्वतः सहायता समूह, गैस सरकारी संगठन आदि भी इस स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

कर्नाटक में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

4943. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन स्मारकों के रख-रखाव हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन स्मारकों से कितनी राजस्व की आय हुई?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) कर्नाटक में 507 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण तथा रख-रखाव हेतु आवंटित निधियां निम्नानुसार हैं:

2004-05	908.87 लाख रुपए
2005-06	1418.77 लाख रुपए
2006-07	1479.75 लाख रुपए
2007-08	1350.00 लाख रुपए

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन स्मारकों से अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:

2004-05	257.21 लाख रुपए
2005-06	257.94 लाख रुपए
2006-07	317.89 लाख रुपए

विवरण

कर्नाटक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

(धारवाड़ मंडल)

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	बनशंकरी मंदिर का चालुक्यकालीन पश्चिमी शिलालेख (शक 1015)	असुंडी	बेलगाम
2.	प्राचीन शिव मंदिर स्थित सामंतों के दो रथ शिलालेख जिसमें से एक 1086 शक का है	बैलहुंगल	बेलगाम
3.	कलियुग 4282 दिनांकित कदंब शिलालेख	बेलूर	बेलगाम
4.	वरीभद्रदेव मंदिर स्थित पश्चिमी चालुक्यकालीन शिलालेख (शक 992)	बेलावडी	बेलगाम
5.	कमीश्मनी के मालगोलाप के कोने में स्थित पुराना जैन मंदिर (कमला बस्ती)	बेलगाम किला	बेलगाम
6.	कमीश्नरी के माल गोदाम के बाहर स्थित पुराना जैन मंदिर	बेलगाम किला	बेलगाम
7.	बैरक के पास स्थित एक पुराने हिन्दू मंदिर के अवशेष	बेलगाम किला	बेलगाम
8.	सफा मस्जिद	बेलगाम किला	बेलगाम
9.	प्राचीन ईश्वर मंदिर का कन्नड शिलालेख (15वीं शताब्दी)	देगलवल्ली	बेलगाम
10.	वस्तीगुड के नाम से विख्यात मंदिर तथा 4 कदंब शिलालेख जिसमें से दो पर तारीख 4275 (1174 ई.) डली है	देगाव	बेलगाम बेलगाम
11.	नरसिंह मंदिर के दो कदंब शिलालेख जिन पर तारीख 4270 एवं 4272 डली है	हालसी	बेलगाम
12.	ब्रम्मदेव मंदिर का रट्टा टेवलेट जिस पर तारीख 1130 तथा 1178 डली है	हन्नीकेरी	बेलगाम
13.	पंचलिंगेश्वर मंदिर	हुली	बेलगाम
14.	पंचलिंगेश्वर मंदिर के दो स्तंभों के शिलालेख	हुली	बेलगाम
15.	शंकरदेव मंदिर में सोमेश्वर दयाल का पश्चिमी चालुक्य कालीन शिलालेख (शक 997)	कडरोली	बेलगाम

1	2	3	4
16.	प्राचीन जैन बस्ती स्थित रट्टा शिलालेख (शक 1127)	कडरोली	बेलगाम
17.	वसावा मंदिर का कदंब शिलालेख (कलियुग 4289)	किट्टूर	बेलगाम
18.	डालमिन के तीन ग्रुप	कोन्नूर	बेलगाम
19.	महालिंगेश्वर मंदिर का रट्टा शिलालेख (शक 1075)	कोन्नूर	बेलगाम
20.	जैन मंदिर का रट्टा शिलालेख (1009 एवं 1043)	कोन्नूर	बेलगाम
21.	11वीं सदी का ध्वस्त मंदिर	कोन्नूर	बेलगाम
22.	देवगिरी के यादव राजा का पंचलिंगदेव मंदिर की दीवार के सामने स्थित शिलालेख (शक 1145)	मनोली	बेलगाम
23.	कृष्णा में खंडहर के उडाचव्वा मंदिर स्थित शिलालेख (शक 1174)	मनोली किला	बेलगाम
24.	मल्लिकार्जुन मंदिर में विजय नगर के सदाशिव देवाराय का शिलालेख	मुरगोड	बेलगाम
25.	जंगल में स्थित प्राचीन जैन मंदिर	नन्दगाड	बेलगाम
26.	प्राचीन वासव मंदिर स्थित रट्टा सामंत कांतावीर्य का शिलालेख (दिनांकित शक 1141)	नेसार्गी	बेलगाम
27.	नारायणदेव मंदिर स्थित रट्टा शिलालेख (शक 1168)	पाडली	बेलगाम
28.	अंकुशेश्वर मंदिर स्थित रट्टा शिलालेख (शक 971 एवं 1010) तथा एक-दूसरे शिलालेख का टुकड़ा (शक 970)	सौनदत्ती	बेलगाम
29.	प्राचीन जैन मंदिर के दो शिलालेख (शक 797 तथा 902)	सौनदत्ती	बेलगाम
30.	जुम्मा मस्जिद	सम्पागांव	बेलगाम
31.	वासवेश्वर मंदिर स्थित शिलाहर शिलालेख (शक 1078)	शेडबल	बेलगाम
32.	सामेश्वर मंदिर के पास जल प्रपात स्थित रट्टा शिलालेख (शक 902)	सोगल	बेलगाम
33.	येल्लम्मा मंदिर स्थित कृष्णदेवरा का विजयनगर शिलालेख (शक 1436)	उगरगोल	बेलगाम
34.	मुक्तेश्वर का जैन मंदिर	वक्कुंड	बेलगाम
35.	कमलेश्वर मंदिर का कदंब शिलालेख (शक 1082)	गोलीहल्ली	बेलगाम

1	2	3	4
36.	हलशी स्थित मंदिर समूह (सुवर्णेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर, कलमेश्वरा मंदिर तथा भू-वराह मंदिर)	खानपुर, हलसी	बेलगाम
37.	बहमनी मकबरा	अस्तूर	वीदर
38.	बारिद शाही मकबरा	वीदर	वीदर
39.	बीदर किला	बीदर	वीदर
40.	मदरसा महमूद गबन	बीदर	वीदर
41.	अंबीगेर गुडी (1)	एहोल	बीजापुर
42.	अंबीगेर गुडी (2)	एहोल	बीजापुर
43.	गालगनाथ ग्रुप का एक मंदिर (1)	एहोल	बीजापुर
44.	गालगनाथ ग्रुप का एक मंदिर (2)	एहोल	बीजापुर
45.	गालगनाथ ग्रुप का एक मंदिर (3)	एहोल	बीजापुर
46.	गालगनाथ ग्रुप का एक मंदिर (4)	एहोल	बीजापुर
47.	गालगनाथ ग्रुप का एक मंदिर (5)	एहोल	बीजापुर
48.	बाडीगेरगुडी	एहोल	बीजापुर
49.	बासवन्ना	एहोल	बीजापुर
50.	बोयरगुडी	एहोल	बीजापुर
51.	बिलेगुडी	एहोल	बीजापुर
52.	चरंतीमठ (मुफीद्रवागुडी)	एहोल	बीजापुर
53.	चरंतीमठ (मुफीद्रवागुडी)	एहोल	बीजापुर
54.	देशयार गुडी	एहोल	बीजापुर
55.	डालमिन	एहोल	बीजापुर
56.	गलगनाथ	एहोल	बीजापुर
57.	गारडीगुडी	एहोल	बीजापुर
58.	गौडेरगुडी (1)	एहोल	बीजापुर
59.	गौडेरगुडी (2)	एहोल	बीजापुर
60.	गौडेर ईश्वरगुडी	एहोल	बीजापुर
61.	महा दुर्गा मंदिर	एहोल	बीजापुर

1	2	3	4
62.	क्रमांक 64 का हुचीमल्लीगुडी	एहोल	बीजापुर
63.	ईश्वर	एहोल	बीजापुर
64.	ईश्वरलिंग (1) ईश्वर लिंग परिसर	एहोल	बीजापुर
65.	ईश्वरलिंग (2) ईश्वर लिंग परिसर	एहोल	बीजापुर
66.	ईश्वरलिंग (3) ईश्वर लिंग परिसर	एहोल	बीजापुर
67.	ईश्वरलिंग (कोई स्थानीय नाम नहीं)	एहोल	बीजापुर
68.	मेगुरी जैन मंदिर	एहोल	बीजापुर
69.	ज्योतिर्लिंग मंदिर	एहोल	बीजापुर
70.	करेगुडी	एहोल	बीजापुर
71.	कोंटीगुडी	एहोल	बीजापुर
72.	मड्डीनगुडी (बासवन्ना-1)	एहोल	बीजापुर
73.	मड्डीनगुडी (बासवन्ना-2)	एहोल	बीजापुर
74.	योगी नारायण मंदिर	एहोल	बीजापुर
75.	बिना वेदी के मठ (विकास हाल)	एहोल	बीजापुर
76.	जैन गुफा (मीना बस्ती)	एहोल	बीजापुर
77.	कोई नाम नहीं पर वेनीपारगुडी का हिस्सा है।	एहोल	बीजापुर
78.	कोई नाम नहीं, वीरभद्र मंदिर के समीप	एहोल	बीजापुर
79.	राचीगुडी	एहोल	बीजापुर
80.	रामलिंग मंदिर	एहोल	बीजापुर
81.	राव फाडी (ब्रह्मानिकल गुफा)	एहोल	बीजापुर
82.	महादुर्गा मंदिर के दक्षिण पश्चिम में स्थित छोटा मंदिर	एहोल	बीजापुर
83.	पश्चिम तरफ कोटीगुडी से सटा मंदिर तथा मंदिर के भीतर शिलालेख टैबलट	एहोल	बीजापुर
84.	कोंटीगुडी से सटा सौरंगागुडी मंदिर	एहोल	बीजापुर
85.	क्रमांक 66 का ज्योतिर्लिंग परिसर	एहोल	बीजापुर
86.	कोंटीगुडी के सीप स्थित मंदिर, क्रमांक-47	एहोल	बीजापुर
87.	लडखन मंदिर के समीप स्थित मंदिर	एहोल	बीजापुर

1	2	3	4
88.	गांव के उत्तर-पश्चिम कोने के मैदान में स्थित मंदिर	एहोल	बीजापुर
89.	हुच्चापय्या मठ क्रमांक 270	एहोल	बीजापुर
90.	ल्डखन मंदिर	एहोल	बीजापुर
91.	दुर्गा मंदिर के उत्तर में स्थित मंदिर	एहोल	बीजापुर
92.	विशाल नंदीमंडल सहित शिव मंदिर	एहोल	बीजापुर
93.	लयंबकेश्वर मंदिर (काले संगमरमर का ईश्वर लिंग)	एहोल	बीजापुर
94.	मेगुटी पहाड़ी स्थित दो मंजिला जैन मंदिर और गुफा	एहोल	बीजापुर
95.	वीरभद्र मंदिर	एहोल	बीजापुर
96.	वेनियार गुडी (1)	एहोल	बीजापुर
97.	वेनियार गुडी (2)	एहोल	बीजापुर
98.	वेनियार गुडी (3)	एहोल	बीजापुर
99.	वेनियार गुडी	एहोल	बीजापुर
100.	महल (ईदगाह अइन उलमुख खां के मकबरे के पास)	ऐनापुर	बीजापुर
101.	पुराना दरवाजा	अमीनागढ़	बीजापुर
102.	पत्थर जिस पर लेख है	अरसीबीडी (गुदूर)	बीजापुर
103.	पत्थर जिस पर लेख है	अरसीबीडी (गुदूर)	बीजापुर
104.	पत्थर जिस पर लेख है	अरसीबीडी (गुदूर)	बीजापुर
105.	कुंड के पूर्वी छोर पर भूतनाथ ग्रुप का मंदिर	बादामी	बीजापुर
106.	पूर्वी छोर पर झील के उत्तर में स्थित मंदिर समूह	बादामी	बीजापुर
107.	भूतनाथ ग्रुप के पीछे स्थित लाकुलिशा मंदिर जहां वेदिका में बैठी हुई नग्न प्रतिमा है	बादामी	बीजापुर
108.	जैन एवं वैष्णव गुफाएं	बादामी	बीजापुर
109.	भूतनाथ मंदिरों के दक्षिण-पूर्व में खड़ी चट्टान के नीचे प्राकृतिक गुफा में स्थित विशाल अवशेष (कोष्ठार्थ गुफा)	बादामी	बीजापुर
110.	प्रस्तर शरण स्थली (शीदलापदी गुफा)	बादामी	बीजापुर
111.	भूतनाथ ग्रुप के मंदिरों के पीछे स्थित रिलीफ मूर्तियां	बादामी	बीजापुर
112.	दक्षिणी किला एवं पुरानी तोप	बादामी	बीजापुर

1	2	3	4
113.	उत्तरी किला के बुर्ज के नीचे क्नाल पर स्थित मंदिर	बादामी	बीजापुर
114.	उत्तरी किला और मंदिर	बादामी	बीजापुर
115.	झील के पूर्व में प्राकृतिक गुफा में स्थित आश्रम	बादामी	बीजापुर
116.	खंदक सहित प्राचीन चालुक्य कालीन किला दीवार के अवशेष	बादामी	बीजापुर
117.	शिलालेख	बेल्लूर	बीजापुर
118.	कालिका भवानी मंदिर	बेवूर	बीजापुर
119.	नारायण देव मंदिर	बेवूर	बीजापुर
120.	रामेश्वर मंदिर	बेवूर	बीजापुर
121.	शिलालेख	भैरामट्टी	बीजापुर
122.	अफजुलखान की बीबी का मकबरा	बीजापुर	बीजापुर
123.	अफजुखान का स्मारक	बीजापुर	बीजापुर
124.	अइन-उल-मुल्क का मकबरा	बीजापुर	बीजापुर
125.	अली-1 रौजा	बीजापुर	बीजापुर
126.	अली-2 रौजा	बीजापुर	बीजापुर
127.	अली शाहिद पीर की मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
128.	रैंपार्ट की सभी पुरानी तोपें	बीजापुर	बीजापुर
129.	अंबार खान	बीजापुर	बीजापुर
130.	अन्दू मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
131.	असार महल	बीजापुर	बीजापुर
132.	वटफल्ला खान की मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
133.	बुखारी मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
134.	वांद वावड़ी	बीजापुर	बीजापुर
135.	चोट असार मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
136.	चिंच दीदी मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
137.	दखनी ईदगाह	बीजापुर	बीजापुर
138.	रामालिंग मंदिर का बांध तथा इसके दो निकास चैनल जो दाहिने कोण से उत्तर की ओर बह रहा है तथा बिलकुल पूर्वी धार पर स्थित प्रवेश द्वार	बीजापुर	बीजापुर

1	2	3	4
139.	गगन महल	बीजापुर	बीजापुर
140.	अल्लापुर दरवाजे के पास स्थित धेवड़ी मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
141.	शहर एवं कीले के दरवाजे एवं दीवारें	बीजापुर	बीजापुर
142.	गोल गुंबज	बीजापुर	बीजापुर
143.	नववाग में औरंगजेब की बीबी की कब्र	बीजापुर	बीजापुर
144.	हरित प्रस्तर मकबरा	बीजापुर	बीजापुर
145.	गुमट वावडी	बीजापुर	बीजापुर
146.	हाजी हसन साहेब का मकबरा	बीजापुर	बीजापुर
147.	हसन गुलजार का मकबरा तथा रामलिंग के समीप का संगमरमरी मकबरे का पत्थर	बीजापुर	बीजापुर
148.	हैदर (उजप्ली) बुर्ज	बीजापुर	बीजापुर
149.	हैदर खान का मकबरा	बीजापुर	बीजापुर
150.	इब्राहिम-1 जामी मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
151.	इखलास खान की मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
152.	जहां बेगम की मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
153.	जल मंदिर	बीजापुर	बीजापुर
154.	जोड गुंबज	बीजापुर	बीजापुर
155.	जुम्मा मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
156.	कमारखी गुंबज	बीजापुर	बीजापुर
157.	इब्राहिम रौजा	बीजापुर	बीजापुर
158.	करीमुद्दीन की मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
159.	मक्का मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
160.	मोहतरी महल	बीजापुर	बीजापुर
161.	सिटी वाल के खंदक	बीजापुर	बीजापुर
162.	गोल गुंबज स्थित मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
163.	मस्जिद नं. 21 (चांद वावडी के पीछे)	बीजापुर	बीजापुर
164.	मस्जिद नं. 213	बीजापुर	बीजापुर

1	2	3	4
165.	मस्जिद नं. 366	बीजापुर	बीजापुर
166.	मोती दरगाह	बीजापुर	बीजापुर
167.	मुबारक खान का महल	बीजापुर	बीजापुर
168.	मुल्ला मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
169.	मुस्तफा खान की मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
170.	नव गुंबज	बीजापुर	बीजापुर
171.	नित्या नवारी मकबरा तथा मोती दरगाह के पास की मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
172.	पुरानी मस्जिद नं. 294	बीजापुर	बीजापुर
173.	शिलालेख स्लैब नं. 217 सहित ध्वस्त गेटवे	बीजापुर	बीजापुर
174.	सात महल (सात मंजिल)	बीजापुर	बीजापुर
175.	शाह नवाज खान का मकबरा	बीजापुर	बीजापुर
176.	सिकंदर शाह का मकबरा	बीजापुर	बीजापुर
177.	अरश महल के सामने का छोटा पैवेलियन	बीजापुर	बीजापुर
178.	छोटा मकबरा नं. 47	बीजापुर	बीजापुर
179.	सोनहरी मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
180.	पीर शैक हमीद खादिर का मकबरा	बीजापुर	बीजापुर
181.	चांद वावडी के पश्चिमी तट पर स्थित मकबरा नं. 22	बीजापुर	बीजापुर
182.	मकबरा नं. 48	बीजापुर	बीजापुर
183.	किले की दो अलग-अलग खंदकें जिन्हें स्थानीय तौर पर अरकिला के नाम से जाना जाता है।	बीजापुर	बीजापुर
184.	जल पैवेलियिन	बीजापुर	बीजापुर
185.	आर्किला में गिरिजाघर के दक्षिण स्थित जल पैवेलियन	बीजापुर	बीजापुर
186.	वाटर टावर सं. 61, 67, 91, 114, 115, 142, 286 तथा 289	बीजापुर	बीजापुर
187.	इब्राहिमपुर में कुआं	बीजापुर	बीजापुर
188.	याकुब डाबुलि का मस्जिद तथा गुम्बद सं. 204	बीजापुर	बीजापुर
189.	युसुफ का पुराना जामी मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर
190.	जंजीरी या मलिक जहान बेगम मस्जिद	बीजापुर	बीजापुर

1	2	3	4
191.	दत्तात्रेय का प्राचीन हिन्दू मन्दिर	छत्तारकी	बीजापुर
192.	आधुनिक बनसंकरी मंदिर के मुख्य द्वारा के दक्षिणी तरफ स्थित पुराना मंदिर (आंशिक तौर पर मिट्टी के अंदर दबा हुआ)	चेलचगुड	बीजापुर
193.	निकटवर्ती प्राचीन ढांचे सहित पुराना मंदिर, जो आधुनिक बनसंकरी मंदिर के बांयी तरफ का प्रवेश द्वार है।	चेलचगुड	बीजापुर
194.	बनसंकरी मंदिर में स्तंभश्रेणी सहित हौज	चेलचगुड	बीजापुर
195.	मेलगुडी नामक एक स्थानीय पहाड़ी के ऊपर स्थित पुराना जैन मंदिर	हालुर	बीजापुर
196.	दो वृहत् द्वारपाल और अहाते में खुलने वाले मुख्य प्रवेश द्वार सहित विश्वेश्वर मंदिर	हालुर	बीजापुर
197.	शिलालेख	हिप्पांगी	बीजापुर
198.	शिलालेख	कटगेरी	बीजापुर
199.	मस्जिद	कटीजापुर	बीजापुर
200.	सभी चार जल पैविलियन	कुमाटिगी	बीजापुर
201.	क्रम सं. 318 में जल पैविलियन	कुमाटिगी	बीजापुर
202.	बड़ी कमान तथा संबंधित तोरणपथ	महल बगायत	बीजापुर
203.	अफजल खान गुम्बद के दक्षिण में स्थित आयताकार बांध के ऊपर लघु मस्जिद	महल बगायत	बीजापुर
204.	शिवयोग मंदिर के निकट नागनाथ मंदिर	नगरालसामत	बीजापुर
205.	शिलालेख	नन्दीकेश्वरा	बीजापुर
206.	शिलालेख	नन्दवादी	बीजापुर
207.	किले की दीवारें	नवरासपुर	बीजापुर
208.	शिलालेख सहित शंकरलिंगा मंदिर	निम्बल	बीजापुर
209.	संगमेश्वर मंदिर के निकट चंद्रशेखर मंदिर	पट्टडकल	बीजापुर
210.	गांव से एक मील पश्चिम बदामी को जाने वाली सड़क के दक्षिण ओर डालमेन	पट्टडकल	बीजापुर
211.	गलगनाथा मंदिर	पट्टडकल	बीजापुर
212.	वीरूपाक्षा मंदिर	पट्टडकल	बीजापुर

1	2	3	4
213.	जैना मंदिर	पट्टडकल	बीजापुर
214.	जमबूलिंग मंदिर	पट्टडकल	बीजापुर
215.	कदासिद्देश्वरा मंदिर	पट्टडकल	बीजापुर
216.	काशी विश्वेश्वर मंदिर	पट्टडकल	बीजापुर
217.	शिलालेख सहित अखण्ड शिला स्तंभ	पट्टडकल	बीजापुर
218.	मल्लिकार्जुन मंदिर	पट्टडकल	बीजापुर
219.	पापनाथ मंदिर	पट्टडकल	बीजापुर
220.	संघमेश्वर मंदिर	पट्टडकल	बीजापुर
221.	श्री रामदेव मंदिर	तालीकोट	बीजापुर
222.	तेरवी गांव के दक्षिण-पश्चिम स्थित भट बावड़ी से ताज बावड़ी, बीजापुर तक जलसेतु	तेरवी	बीजापुर
223.	संगीत और नारी महल	तेरवी	बीजापुर
224.	बनशंकरी देवी मंदिर	अमरजेल	धारवाड़
225.	शंकरलिंग मंदिर	अमरजेल	धारवाड़
226.	अमृतेश्वर	अन्नीगेरी	धारवाड़
227.	कमलेश्वर मंदिर	बालमबीड	धारवाड़
228.	नगरेश्वर मंदिर अथवा अरवत्तु कम्बाडगुडी	बंकापुर	धारवाड़
229.	दीवार से घिरे परिसर में शिलालिखित स्मारक शिलाएं	बेटगिरी	धारवाड़
230.	मुक्तेश्वर मंदिर	चूडादान पुर	धारवाड़
231.	डोडाबाशप्पा मंदिर	डम्बल	धारवाड़
232.	सोमेश्वर मंदिर	डम्बल	धारवाड़
233.	दो किला प्रवेश द्वार (आंतरिक तथा बाहरी)	धारवाड़	धारवाड़
234.	सरस्वती मंदिर	गडग	धारवाड़
235.	सरस्वती मंदिर	गडग	धारवाड़
236.	गलगेश्वर मंदिर	गलगानाथ	धारवाड़
237.	किला तथा जलाशय के बीच दो अत्यधिक कलाकृतियुक्त पुराना क्षतिग्रस्त मंदिर के प्रवेश द्वार जो आंशिक रूप से मिट्टी के अंदर धंसे हुए हैं।	हंगल	धारवाड़

1	2	3	4
238.	तारकेश्वर मंदिर	हंगल	धारवाड़
239.	हंगल फोर्ट में वीरभद्र मंदिर	हरलाहल्ली	धारवाड़
240.	सोमेश्वर मंदिर	हंगल	धारवाड़
241.	कल्लेश्वरा	हरलाहल्ली	धारवाड़
242.	सिद्धेश्वरा मंदिर	हवेरी	धारवाड़
243.	शंकर लिंग मंदिर के बायीं ओर स्थित मुख्य द्वार पर झुके हुए दो उत्कीर्ण शिलाएं	होम्बल	धारवाड़
244.	जैन बस्ती	लकुंडी	धारवाड़
245.	काशी विश्वेश्वर मंदिर	लकुंडी	धारवाड़
246.	कुंभरेश्वर मंदिर	लकुंडी	धारवाड़
247.	मुश्किनभावी में मणिकेश्वर मंदिर	लकुंडी	धारवाड़
248.	मुश्किनभावी	लकुंडी	धारवाड़
249.	जैन मंदिर के निकट नागनाथ	लकुंडी	धारवाड़
250.	नानेश्वर मंदिर	लकुंडी	धारवाड़
251.	सर्वेश्वर मंदिर	नारेगल	धारवाड़
252.	शंकर लिंग मंदिर के भीतर शिलालेख	नारगुंड	धारवाड़
253.	कदम्बेश्वर मंदिर	रत्तीहल्ली	धारवाड़
254.	वासवन्ना देवी मंदिर	टम्बूर	धारवाड़
255.	चंद्रमौलेश्वरा मंदिर	ऊंकल	धारवाड़
256.	आद्रियुगीन स्थल	इवाथाली	गुलबर्गा
257.	गुलबर्गा किला और इसके अंदर स्थित महान मस्जिद	गुलबर्गा	गुलबर्गा
258.	हफ्त गुंबद (फिरोजशाह के गुंबद)	गुलबर्गा	गुलबर्गा
259.	आदियुगीन स्थल	राजनकुल्लूर	गुलबर्गा
260.	प्राचीन स्थल	उड़चन	गुलबर्गा
261.	बौद्ध स्तूप के प्राचीन उत्खनित स्थल अवशेष	कंगनहल्ली	गुलबर्गा
262.	मार्कण्डयेश्वरा मंदिर में शिलालेख	बेल्लूर	उत्तर कनारा
263.	मधुकेश्वर मंदिर परिसर के दक्षिण भाग में स्थित एक छोटे चबूतरे पर मौजूद तराशे हुए पत्थर	बनवासी	उत्तर कनारा

1	2	3	4
264.	मधुकेश्वर मंदिर	बनवासी	उत्तर कनारा
265.	मधुकेश्वर मंदिर में शिलालेख	बनवासी	उत्तर कनारा
266.	शिलाएं (वीरागल)	बेडाकानी	उत्तर कनारा
267.	वीरूपक्ष देवस्थान सहित अदिकनारायण देवस्थान	भटकल	उत्तर कनारा
268.	जेतप्पा नैकाना चंद्रनाथेश्वर बस्ती	भटकल	उत्तर कनारा
269.	जोशी शंकर नारायण देवस्थान	भटकल	उत्तर कनारा
270.	केतपयी नारायण देवस्थान	भटकल	उत्तर कनारा
271.	लकर कमाती नारायम देवस्थान	भटकल	उत्तर कनारा
272.	नरसिम्हा देवस्थान	भटकल	उत्तर कनारा
273.	पार्श्वनाथ बस्ती	भटकल	उत्तर कनारा
274.	रघुनाथ देवस्थान	भटकल	उत्तर कनारा
275.	शांतप्पा नायक तिरूमाला देवस्थान	भटकल	उत्तर कनारा
276.	तीन यूरोपीय कब्र	भटकल	उत्तर कनारा
277.	शिलालेख	बिलागी	उत्तर कनारा
278.	रत्नात्रेय बस्ती	बिलागी	उत्तर कनारा
279.	नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित शिव मंदिर	बिलागी	उत्तर कनारा
280.	वीरूपाक्षा मंदिर	बिलागी	उत्तर कनारा
281.	वीरभद्र मंदिर, शिलालेख तथा प्राचीन स्थल	गुधापुर	उत्तर कनारा
282.	चन्द्रनाथ बस्ती	हड्डावल्ली	उत्तर कनारा
283.	ग्रामदेव मंदिर के निकट तराशे हुए पत्थर	होसूर	उत्तर कनारा
284.	इंग्लिश स्कूल के सामने बाघ की मूर्ति	कुंटा	उत्तर कनारा
285.	मंकू-कूम्ता सड़क के दाहिने किनारे पर स्थित गुंबद	कुंटा	उत्तर कनारा
286.	किला	मिर्जन	उत्तर कनारा
287.	चतुर्मुखी बस्ती	नरबस्ती केरी अथवा गरसोप्पा	उत्तर कनारा
288.	शिलालेख	नरबस्ती केरी अथवा गरसोप्पा	उत्तर कनारा
289.	ब्राह्मणस्वामी मंदिर	नरबस्ती केरी अथवा गरसोप्पा	उत्तर कनारा
290.	वीरभद्र मंदिर	नरबस्ती केरी अथवा गरसोप्पा	उत्तर कनारा

1	2	3	4
291.	शिव मंदिर	सोमसागर	उत्तर कनारा
292.	राजगद्दी	सोंडा	उत्तर कनारा
293.	राजगद्दी के निकट मंदिर	सोंडा	रायचूर
294.	आदियुगीन स्थल	हेरीबंकल	रायचूर
295.	महादेव मंदिर	इंट्टागी	रायचूर
296.	प्राचीन टीला	कोप्पल	रायचूर
297.	गवीनाथ तथा पालकी गुंड्डू नामक टीले पर अशोक का शिला आदेश-पत्र	कोप्पल	रायचूर
298.	प्राचीन टीला	मास्की	रायचूर
299.	अशोक का शिला आदेश-पत्र	मास्की	रायचूर
बंगलौर मण्डल			
300.	पुराना डंगियन किला तथा गेट	बंगलौर	बंगलौर
301.	टीपू सुल्तान का पैलेस	बंगलौर	बंगलौर
302.	प्रागैतिहासिक स्थल	चिकाजल	बंगलौर
303.	किला	देवनाहल्ली	बंगलौर
304.	टीपू सुल्तान का जन्म पैलेस	देवन हल्ली	बंगलौर
305.	प्रागैतिहासिक स्थल	हेज्जाला	बंगलौर
306.	प्रागैतिहासिक स्थल	मनोगोन्दनाहल्ली	बंगलौर
307.	प्रागैतिहासिक स्थल	सेवनादुर्ग	बंगलौर
308.	कालेश्वरा स्वामी मंदिर	अम्वाली	बेल्लारी
309.	हम्पी का अवशेष तथा अनंतश्याना मंदिर	अनंतासयानागुडी	बेल्लारी
310.	कालेश्वरा स्वामी मंदिर	अंगुरू	बेल्लारी
311.	टीपू सुल्तान का ऊपरी किला तथा महल और नगलाचेरूवा	वेल्लेरी	बेल्लारी
312.	हेमाकुटा पहाड़ी पर जैन मंदिर समूह	हम्पी	बेल्लारी
313.	कदलेकालू गणेश मंदिर	हम्पी	बेल्लारी
314.	एकाश्म बैल	हम्पी	बेल्लारी
315.	ससविकल गणेश मंदिर	हम्पी	बेल्लारी

1	2	3	4
316.	विष्णुपद मंदिर	हम्पी	बेल्लारी
317.	कालेश्वरा स्वामी मंदिर	हायर हायडागल्ली	बेल्लारी
318.	कालेश्वरा स्वामी मंदिर	हुवीना हडागल्ली	बेल्लारी
319.	सती स्मारक समूह तथा इस निधि केश्वरा मंदिर	केदरमपुरा	बेल्लारी
320.	सरस्वती मंदिर	केदरमपुरा	बेल्लारी
321.	दन्नियाक के अहाते में बैड टावर	कमलापुरम	बेल्लारी
322.	मौहम्मदन मस्जिद के सामने एक बड़े क्षतिग्रस्त भवन का भूतल तथा दन्नलाक के अहाते का उत्तर पूर्वी चबूतरा	कमलापुरम	बेल्लारी
323.	भूमिगत वेदी कक्ष के पास एक महल का वेसमैंट	कमलापुरम	बेल्लारी
324.	दन्नाईका के अहाते में महल का वेसमैंट	कमलापुरम	बेल्लारी
325.	जनाना अहाते में रानी के महल का वेसमैंट	कमलापुरम	बेल्लारी
326.	ज्ञानजीते जैन मंदिर के पूर्व में भीम का गेटवे	कमलापुरम	बेल्लारी
327.	हम्पीरोड पर अष्टभुजाकार पैवेलियन के पास तीर्थ यात्रियों की भोजन शाला, खाने का स्थान	कमलापुरम	बेल्लारी
328.	चन्द्र शेखर मंदिर	कमलापुरम	बेल्लारी
329.	महल के पूर्व में गुम्बदीय गेटवे	कमलापुरम	बेल्लारी
330.	(1) हाथी शाला	कमलापुरम	बेल्लारी
	(2) हाथी शाला के पास गार्ड हाउस	कमलापुरम	बेल्लारी
331.	(1) हजारा रामचन्द्र मंदिर	कमलापुरम	बेल्लारी
	(2) राजा के श्रोता हाल की बेसमेंट	कमलापुरम	बेल्लारी
	(3) सिंहासन चबूतरा	कमलापुरम	बेल्लारी
332.	हाथीशाला के उत्तर-पूर्व में उत्कीर्ण लेख सहित जैन मंदिर	कमलापुरम	बेल्लारी
333.	ज्ञानाजीते जैन मंदिर	कमलापुरम	बेल्लारी
334.	वृहद जन स्नानघर या टैंक	कमलापुरम	बेल्लारी
335.	(1) वृहद पत्थर का द्रोण	कमलापुरम	बेल्लारी
	(2) वृहद पत्थर का दरवाजा		
	(3) पत्थर की कृत्रिम जन-प्रणाली तथा लघु भूमिगत देवी कक्ष		

1	2	3	4
336.	बड़ा भूमिगत मंदिर	कमलापुरम	बेल्लारी
337.	लोटस महल पैविलियन	कमलापुरम	बेल्लारी
338.	दान्नाईक अहाते में मस्जिद	कमलापुरम	बेल्लारी
339.	कमलापुरा से होसपेट की सड़क पर मौहम्मदन मकबरा तथा दरगाह	कमलापुरम	बेल्लारी
340.	दान्नाईक के अहाते में मौहम्मदन निगरानी टावर	कमलापुरम	बेल्लारी
341.	जनाना अहाता में उत्तरी निगरानी मीनार	कमलापुरम	बेल्लारी
342.	अष्टभुजीय स्नानागार	कमलापुरम	बेल्लारी
343.	अष्टभुजीय जल मंडप	कमलापुरम	बेल्लारी
344.	प्राचीन जल आपूर्ति योजना	कमलापुरम	बेल्लारी
345.	पट्टभीराम मंदिर	कमलापुरम	बेल्लारी
346.	रानी का स्नानागार	कमलापुरम	बेल्लारी
347.	अल्प महल के क्षतिग्रस्त भवन	कमलापुरम	बेल्लारी
348.	हसारा राम मंदिर के समक्ष क्षतिग्रस्त भवन	कमलापुरम	बेल्लारी
349.	पट्टभीराम मंदिर के पूर्वोत्तर में क्षतिग्रस्त कार स्ट्रीट	कमलापुरम	बेल्लारी
350.	जनाना अहाता में दक्षिण-पूर्व निगरानी मीनार	कमलापुरम	बेल्लारी
351.	जनाना अहाता में बाहर गारा पहिया समूह तथा दो स्तंभ	कमलापुरम	बेल्लारी
352.	पट्टभीराम मंदिर के पूर्व में अभिलेखों वाले दो लघु शिव मंदिर	कमलापुरम	बेल्लारी
353.	(1) जनाना अहाता में जल मंडप	कमलापुरम	बेल्लारी
	(2) जनाना अहाता में रक्षक घर		
	(3) जनाना अहाता में दीवारें तथा दरवाजे		
	(4) रंगा मंदिर		
354.	विजयनगर शहर की जल मीनार	कमलापुरम	बेल्लारी
355.	कृष्णा मंदिर	कृष्णापुरम	बेल्लारी

1	2	3	4
356.	नरसिंह प्रतिमा बड़ा लिंग मंदिर के निकट लिंग मंदिर	कृष्णापुरम	बेल्लारी
357.	नरसिंह प्रतिमा	कृष्णापुरम	बेल्लारी
358.	पार्वती और कार्तिकेय मंदिर	संदूर	बेल्लारी
359.	सूर्य नारायण मंदिर	मंगला	बेल्लारी
360.	कालेश्वर स्वामी मंदिर	मैलारा	बेल्लारी
361.	सूलई कुआं	मालपन्नानागुडी	बेल्लारी
362.	अशोक शिलालेख	नित्तूर	बेल्लारी
363.	नरसिंह स्वामी मंदिर	रंगापुरम	बेल्लारी
364.	सरस्वती मंदिर	सिंगनाथन हल्ली	बेल्लारी
365.	गोपाल कृष्णास्वामी मंदिर	तिम्मलापुर	बेल्लारी
366.	शिव मंदिर	तिम्मलापुर	बेल्लारी
367.	अशोक कालीन शिलालेख	उडियोगोलम्	बेल्लारी
368.	अच्युतराय (तिरूवेंगलनाथ) मंदिर	वेंकटपुरम	बेल्लारी
369.	तलारीगट्टू रोड पर किला मार्ग	वेंकटपुरम	बेल्लारी
370.	विट्ठल मंदिर के निकट उत्कीर्ण विष्णु मंदिर	वेंकटपुरम	बेल्लारी
371.	विष्णु मंदिर के निकट पहाड़ी की ओर जैन मंदिर	वेंकटपुरम	बेल्लारी
372.	तलारीगट्टू रोड के निकट मैदान में मंडप	वेंकटपुरम	बेल्लारी
373.	रघुनाथ स्वामी मंदिर	वेंकटपुरम	बेल्लारी
374.	सूलई बाजार में संबद्ध क्षतिग्रस्त टैंग	वेंकटपुरम	बेल्लारी
375.	दो मंजिला मंडप	वेंकटपुरम	बेल्लारी
376.	सूलई बाजार के उत्तरांत में विष्णु मंदिर मं. 1	वेंकटपुरम	बेल्लारी
377.	विष्णु मंदिर नं. 2 (उपरोक्त के अंत में)	वेंकटपुरम	बेल्लारी
378.	विट्ठल मंदिर के दक्षिण दरवाजे के सामने विष्णु मंदिर नं. 3	वेंकटपुरम	बेल्लारी
379.	(1) विट्ठल मंदिर (2) किंग्स बैलेंस	वेंकटपुरम	बेल्लारी
	(3) विट्ठल मंदिर के पूर्वोत्तर में प्राचीन शिव मंदिर		
	(4) विट्ठल मंदिर के पश्चिम में भव्य स्तम्भों वाला क्षतिग्रस्त दरवाजा		

1	2	3	4
380.	श्री विजयनारायण मंदिर	गुंडलूपेट	चामराजनगर
381.	श्री अर्केश्वर मंदिर	हाले अलूर	चामराजनगर
382.	श्री रामेश्वर मंदिर	नरसमंगल	चामराजनगर
383.	गौरीश्वर मंदिर	येजान्दुर	चामराजनगर
384.	अमृतेश्वर मंदिर	अमृतपुरा	चिकमंगलूर
385.	वीरनारायण मंदिर	बेलावाड़ी	चिकमंगलूर
386.	विद्याशंकर मंदिर	शृंगेरी	चिकमंगलूर
387.	अशोक कालीन उत्कीर्ण लेख	ब्रह्मगिरि	चित्रदुर्ग
388.	प्रागैतिहासिक स्थल	ब्रह्मगिरि	चित्रदुर्ग
389.	प्रागैतिहासिक स्थल	चन्द्रावली	चित्रदूर्ग
390.	पहाड़ी पर किला तथा मंदिर	चित्रदूर्ग	चित्रदूर्ग
391.	जातिंगी रामेश्वर मंदिर और उत्कीर्ण लेख	रामेश्वर पहाड़ी	चित्रदूर्ग
392.	अक्का तंगी मंदिर और अशोक कालीन उत्कीर्ण लेख इम्मेतम्मन गुंडू	सिद्धपुरा	चित्रदूर्ग
393.	डोलमेन मंडल	डोडामोलाते	कुर्ग (कोडागू)
394.	किला और विशाल चिनाई हाथी	मरकारा	कुर्ग (कोडागू)
395.	राजा की गद्दी	मरकारा	कुर्ग (कोडागू)
396.	आंगन में तीन पत्थर निर्मित जैन मंदिर तथा एक उत्कीर्ण लेख	मुल्लूर	कुर्ग (कोडागू)
397.	डोलमेन मंडल	सुलीमोलते	कुर्ग (कोडागू)
398.	कालेश्वर स्वामी मंदिर	बागली	देवनगिरि
399.	किला	चेन्नागिरि	देवनगिरि
400.	कालेश्वर मंदिर	हालावागलू	देवनगिरि
401.	हरिहरेश्वर मंदिर	हरिहरन	
402.	शाह जी का मकबरा	होदीगिरि	देवनगिरि
403.	मल्लिकार्जुन मंदिर	कुरुवट्ठी	देवनगिरि
404.	भीमेश्वर मंदिर	नीलगुंडा	देवनगिरि
405.	मुसाफिरखाना और होंडा	सतेबन्नूर	देवनगिरि

1	2	3	4
406.	पहाड़ी, किला और क्षतिग्रस्त महल	उच्चंगीदुर्ग	हसन
407.	चन्नेकेशव मंदिर	अराकिरि	हसन
408.	ईश्वर मंदिर	अरसीकेरे	हसन
409.	केशव मंदिर और उत्कीर्ण लेख	बेलूर	हसन
410.	लक्ष्मीदेवी मंदिर	डोड्डागड्डावली	हसन
411.	आदिनाथ बस्ती	हलेविद	हसन
412.	होयसलेश्वर मंदिर	हलेविद	हसन
413.	केदारेश्वर मंदिर	हलेविद	हसन
414.	पार्श्वनाथ मंदिर	हलेविद	हसन
415.	शांतिनाथ बास्ती	हलेविद	हसन
416.	कल्याणी टैंक	हुलीकिर	हसन
417.	बुचेश्वर मंदिर	कोरवांगल	हसन
418.	किला तथा तहखाने	मंजराबाद	हसन
419.	नागेश्वर और चेन्नकेशव मंदिर	मोसले	हसन
420.	लक्ष्मीनरसिंह मंदिर	नुग्गेहल्ली	हसन
421.	सदाशिव मंदिर	नुग्गेहल्ली	हसन
422.	अक्कन बस्ती	श्रवणबेलगोला	हसन
423.	चन्द्रगुप्त बस्ती	श्रवणबेलगोला	हसन
424.	चानुन्दराया बस्ती	श्रवणबेलगोला	हसन
425.	गोमतेश्वर प्रतिमा	श्रवणबेलगोला	हसन
426.	उत्कीर्ण लेख	श्रवणबेलगोला	हसन
427.	पार्श्वनाथ बस्ती	श्रवणबेलगोला	हसन
428.	रामलिंगेश्वर मंदिर तथा उत्कीर्ण लेख	अवनी	कोलार
429.	हैदरअली का जन्म स्थल	बूंदीकोट	कोलार
430.	प्रागैतिहासिक स्थल	हुंकुंडा	कोलार
431.	कोलरम्भा मंदिर	कोलार	कोलार
432.	सोमेश्वर मंदिर	कोलार	कोलार

1	2	3	4
433.	मकबरा (हैदरअली के पिता का मकबरा)	कोलार	कोलार
434.	भोगनन्दीश्वर मंदिर	नंदी	कोलार
435.	टीपू का महल	नंदी	कोलार
436.	प्राचीन जैन अवशेष	आरतीपुरा	मांडया
437.	मल्लिकार्जुन मंदिर	बसराल	मांडया
438.	पंचलिंगेश्वर मंदिर	गोबिन्दहल्ली	मांडया
439.	लक्ष्मीनारायण मंदिर	होसाहालालू	मांडया
440.	पंचकूला बस्ती	कामदाहल्ली	मांडया
441.	लक्ष्मीनरसिंह स्वामी मंदिर	मरेहल्ली	मांडया
442.	नारायणस्वामी मंदिर	मेरकोटे	मांडया
443.	सौम्यकेशव मंदिर	नामंगला	मांडया
444.	लक्ष्मीनारायण मंदिर	सिंधघाट	मांडया
445.	प्राचीन महल स्थल तथा अवशेष	श्रीरंगपटना	मांडया
446.	कर्नल बैली का तहखाना	श्रीरंगपटना	मांडया
447.	दरिया दौलताबाद	श्रीरंगपटना	मांडया
448.	टीपू सुल्तान की कब्र वाला गुम्बज	श्रीरंगपटना	मांडया
449.	जुमा मस्जिद (मस्जिदे आला)	श्रीरंगपटना	मांडया
450.	ओबेलिस्क स्मारक और किला दीवारें, ब्रीच के निकट	श्रीरंगपटना	मांडया
451.	वह स्थान जहां टीपू सुल्तान की लाश मिली थी	श्रीरंगपटना	मांडया
452.	नरसिंह मंदिर में श्री कान्श्वि मूर्ति	श्रीरंगपटना	मांडया
453.	श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर	श्रीरंगपटना	मांडया
454.	थामसइन्मैन्स काल कोठरी	श्रीरंगपटना	मांडया
455.	नम्बी नारायण मंदिर	तोन्नुर	मांडया
456.	सिद्लू मल्लिाकर्जुन मंदिर	बेटडपुर	मैसूर
457.	प्रागैतिहासिक स्थल	कित्तूर	मैसूर
458.	लक्ष्मीकांत मंदिर	मुल्लूर	मैसूर

1	2	3	4
459.	श्री श्रीकटेश्वर मंदिर	नन्जनगुड	मैसूर
460.	केशव मंदिर	सोमनाथपुर	मैसूर
461.	कीर्तिनारायण मंदिर	तलकद	मैसूर
462.	वैद्येश्वर मंदिर	तलकद	शिमोगा
463.	जैन मंदिर (शांतिनाथ बसाड़ी)	बंडालिके	शिमोगा
464.	सोमेश्वर मंदिर	बंडालिके	शिमोगा
465.	त्रिमूर्तिनारायण मंदिर	बंडालिके	शिमोगा
466.	देवगंगातालाब, बासवनवयाने	नागर	शिमोगा
467.	भेरून्देश्वर मंदिर	बेलीगावी	शिमोगा
468.	केदारेश्वर मंदिर	बेलीगावी	शिमोगा
469.	त्रिपुरेन्तेश्वर मंदिर	बेलीगावी	शिमोगा
470.	सोमनाथ स्वामी मंदिर	बेलीगावी	शिमोगा
471.	किला और रेणुका मंदिर	चन्द्रगुट्टी	शिमोगा
472.	बस्ती और उत्कीर्ण लेख	हुमचा	शिमोगा
473.	अथोरेश्वर मंदिर	इक्केरी	शिमोगा
474.	किला	कावलेदुर्ग	शिमोगा
475.	रामेश्वर मंदिर	केलाडी	शिमोगा
476.	कैतभेश्वर मंदिर	कुढत्तूर	शिमोगा
477.	पार्श्वनाथ बसाडी	कुढत्तूर	शिमोगा
478.	रामेश्वर मंदिर	कुढत्तूर	शिमोगा
479.	रामेश्वर मंदिर	कुडली	शिमोगा
480.	मंदिर एवं शिलालेख	कुप्पागड्डे	शिमोगा
481.	उत्कीर्णित स्तंभ	मालावल्ली	शिमोगा
482.	ब्रह्मदेव स्तंभ सहित जैन बस्ती	मेलागी	शिमोगा
483.	मल्लिकार्जुन एवं रामेश्वर मंदिर	नादकलसी	शिमोगा
484.	किले के बाहर महल स्थल	नगर	शिमोगा
485.	शिवप्पा नायक का किला	नगर	शिमोगा

1	2	3	4
486.	उत्कर्णित स्तंभ	तालगुंडा	शिमोगा
487.	प्राणवेश्वर मंदिर	तालगुंडा	शिमोगा
488.	मंदिर और शिलालेख	उदरी	दक्षिण कनारा
489.	कोटकेरी जैन बस्ती के सामने स्थित स्तंभ	बप्पानाड	दक्षिण कनारा
490.	सुल्तान का तोपखाना	बोलूर	दक्षिण कनारा
491.	मंगलादेवी मंदिर	मंगरौल	दक्षिण कनारा
492.	जमालाबाद किला	नाडा और लैला	दक्षिण कनारा
493.	चन्नीगाराय मंदिर	अरालागुप्पे	तुमकूर
494.	किला	मधुगिरी	तुमकूर
495.	ओन्नाकेशव मंदिर	नंगलापुरा	तुमकूर
496.	जूमा मस्जिद	सीरा	तुमकूर
497.	मलिक रिहान दरगाह	सीरा	तुमकूर
498.	काठली बस्ती जिसमें जैन मंडल के दो ध्वस्त पत्थर, एक छोटा शिव मंदिर जिसमें एक लिंग तथा एक छोटा पत्थर का आयताकार मंदिर है	होसल	उडुपी
499.	आसपास के खंडहरों की प्राचीन ढलान सहित अनंतपद्मनाथ मंदिर	करकाल	तुमकूर
500.	चतुर्मुख मंदिर	करकाल	उडुपी
501.	गोमतेश्वर की जैन प्रतिमा	करकाल	उडुपी
502.	हरियानगडी स्थित विशाल मनस्तंभ (जिसे हैलागडी कहा जाता है)	करकाल	उडुपी
503.	मुडाविदरी स्थित चौतार महल का भीतर आंगन	मरपाडी	उडुपी
504.	मुडाविदरी स्थित 17 जैन मकबरे	प्रान्त्य	उडुपी
505.	वीरूपाक्षा मंदिर तथा बाजार, कर्नाटक	हम्पी	बेल्लारी
506.	प्रागैतिहासिक मानकृति	कुमटी	बेल्लारी
507.	केदारेश्वरा मंदिर	नंगलापुरम	तुमकुर

[हिन्दी]

बुलेट ट्रेन सेवा

4944. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कुछ शहरों में बुलेट ट्रेन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति में इस सेवा को शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि देश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी प्रत्येक क्षेत्र में उच्च गति के एक-एक गलियारे के लिए व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन किया जाए। उच्च गति गलियारों के निर्माण के लिए किसी भी खंड की पहचान नहीं की गयी है।

(ग) 250 किमी./घंटा और इससे अधिक गति वाली उच्च गति की रेलगाड़ियों को शुरू करने के लिए रेलपथ, चल स्टाक आदि सहत पृथक समर्पित अवसंरचना की आवश्यकता है। इस तरह की गाड़ियों को भारतीय रेल के नेटवर्क पर नहीं चलाया जा सकता है।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों के लिए राजसहायता प्राप्त उड़ानें

4945. डा. राजेश मिश्रा:
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरतार मध्यपूर्व/खाड़ी देशों तथा चेन्नई के बीच राजसहायता प्राप्त विमान भाड़े के साथ उड़ान शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

टिकट केन्द्रों का खोला जाना

4946. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा शुरू की गयी टिकटों की बिक्री 'कैश आन डिलीवरी' प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे ने देश में 5,000 नए टिकट काउंटर खोलने का निर्णय लिया है जिसमें से 50% निजी फर्मों के स्वामित्व तथा प्रबंधन में रहेंगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) निजी फर्मों को रेलवे टिकट काउंटर खोलने की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) इस तरह की कोई योजना आईआरसीटीसी द्वारा शुरू नहीं की गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोसी नदी पर रेलवे पुल

4947. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के अंतर्गत खड़गपुर-मिदनापुर रेल लाइन पर कोसी नदी पर दूसरे रेल पुल के निर्माण को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित पुल को कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) कोसी पुल के दोहरीकरण (पुल संख्या 154 पर डायवर्सन संरेखण पर उप संरचना और इस्पात अधिसंरचना वाले एक नए पुल का निर्माण करके) के कार्य को 26.64 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत पर वर्ष 2007-08 के बजट में शामिल कर लिया गया है। इस पुल के कार्य को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम की परियोजनाएं

4948. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के बोर्ड ने गैस उत्पादन को बढ़ाने, समेकित विद्युत उत्पादन तथा पारेषण परियोजना के क्रियान्वयन तथा नई पाइपलाइनों के निर्माण सहित कुछ प्रस्तावों का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत संयंत्र को कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) बोर्ड ने गैस उत्पादन को सुदृढ़ बनाने और एकीकृत विद्युत उत्पादन (740 मे.वा.) और समनुरूपी 400 के.वी. ट्रांसमिशन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अन्वेषण और उत्पादन (ईएण्डपी) क्रियाकलापों हेतु एक त्वरित योजना अनुमोदित की है। एकीकृत उत्पादन और ट्रांसमिशन परियोजना ओएनजीसी के एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज (आईएलएण्डएफएस) और त्रिपुरा सरकार के जरिए क्रियान्वित की जानी है। इस परियोजना में वेधन और लगभग 736 करोड़ रुपये के व्यय से पल्लाटाना, त्रिपुरा में प्रस्तावित विद्युत परियोजना को गैस की आपूर्ति करने के लिए पाइपलाइनों के निर्माण सहित भूतल सुविधाओं का विकास शामिल हैं।

(ग) पूरी परियोजना को 2011 की तृतीय तिमाही के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण तथा संवर्धन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुसमर्थन

4949. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण तथा संवर्धन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुसमर्थन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) भारत सरकार ने 30 मार्च, 2007 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति अधिकार अभिसमय पर हस्ताक्षर किए है। अभिसमय के प्रावधान केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं और इनकी मानीटरिंग निशक्तजन अधिनियम, 1995 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति और केन्द्रीय कार्यकारी समिति द्वारा की जाती है।

निजी होटल प्रबंधन संस्थान

4950. श्री नवीन जिन्दल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में काफी अधिक संख्या में निजी होटल प्रबंधन संस्थान बिना किसी संबद्धता या मान्यता के कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें किसी विश्वविद्यालय या नेशनल काउन्सिल आफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नालाजी से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक किए जाने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि निजी संस्थानों द्वारा होटल प्रबंधन शिक्षा को मानकीकृत किया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पर्यटन मंत्रालय ऐसी सूचना नहीं रखता है।

(ख) और (ग) एआईसीटीई अधिनियम के अनुसार, उनसे पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, सरकार का कोई नया तकनीकी संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त अथवा निजी (स्व वित्तपोषित) संस्थान अथवा किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा असम्बद्ध संस्थान शुरू नहीं किया जाएगा और कोई नया पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम शुरू नहीं किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग तकनालाजी परिषद (एनसीएचएमसीटी) होटल प्रबंधन में डिग्री पाठ्यक्रमों की पेशकश करती है। निजी होटल प्रबंधन संस्थान, विभिन्न शर्तों के अधीन, एनसीएचएमसीटी से सम्बद्धन प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) एनसीएचएमसीटी के अधीन होटल प्रबंधन शिक्षा का मानकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है, और इसके साथ सम्बद्धन प्राप्त करने वाले ये प्राइवेट होटल प्रबंधन संस्थान ऐसे मानकीकरण से लाभ प्राप्त करेंगे।

कार्गो एयरलाइनों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

4951. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री मनोरंजन भक्त:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार घरेलू कार्गो एयरलाइन संचालनों में विदेशी एयरलाइनों को मौद्रिक साझेदारी की अनुमति देने तथा समुद्री जहाज, हेलीकाप्टर संचालनों में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा रख-रखाव, मरम्मत और पूरी जांच संबंधी सुविधाओं की अनुमति देने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लेने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

वायुयान रख-रखाव परियोजना

4952. श्री पन्नियन रवीन्द्रन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिरूवनन्तपुरम में एयर इंडिया की प्रस्तावित वायुयान रख-रखाव परियोजना पर कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त इकाई के लिए अपेक्षित भूमि राज्य सरकार द्वारा दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना कब तक पूरी कर ली जाएगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) यद्यपि केरल राज्य सरकार ने 15 एकड़ भूमि एयर इंडिया को उपलब्ध कराई है, उन्होंने इस भूमि से कुछ विद्यमान ढांचों व उपकरणों को नहीं हटाया है। एयर इंडिया इस विषय को राज्य सरकार प्राधिकारियों के समक्ष उठा रही है तथा खाली भूमि पर कब्जा प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य आरम्भ हो पाएगा। इसके पश्चात परियोजना का कार्य पूरा होने में लगभग 20 महीनों का समय लगेगा।

ट्रिपल एण्ड डबल स्टेक कन्टेनर ट्रेन सेवा

4953. श्री राम कृपाल यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डीजल मार्गों पर ट्रिपल स्टेक कंटेनर ट्रेन सेवा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विद्युत मार्गों पर डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन सेवा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या रेलवे द्वारा इन कंटेनरों का परीक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त दोनों सेवाओं से कितने अतिरिक्त राजस्व के सृजन की संभावना है;

(च) उन कारखानों के नाम क्या है जहां ऐसे कंटेनरों का विनिर्माण किए जाने की संभावना है; और

(छ) इन सेवाओं के लिए कितने अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) डीजल खंडों पर ट्रिपल कंटेनर और विद्युत खंडों पर डबल स्टैक कंटेनर रेल सेवाओं के लिए मार्ग चिन्हित किए जा रहे हैं। इससे

पारवहन की न्यूनतम लागत पर थ्रुपुट बढ़ाने और बिना चल स्टाक, इंजन उपयोगिता और मार्ग को बढ़ाए बिना प्रारंभिक यातायात की मात्रा बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

(च) और (छ) डबल स्टैक और ट्रिपल स्टैक के लिए कंटेनरों का प्रापण रेलवे द्वारा नहीं किया जाएगा। इनका प्रापण परिचालक अथवा सेवा उपयोगकर्त्ता द्वारा किया जाएगा।

कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

4954. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष रूप से उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं तथा उन संस्थाओं के क्या नाम हैं, जो राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार इन केन्द्रों को चला रहे हैं;

(ख) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान इन केन्द्रों को प्रदान की गई सहायता का केन्द्रवार तथा राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन केन्द्रों के कितने प्रशिक्षुओं ने वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार अपना व्यवसाय शुरू किया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) गैर-सरकारी संगठन अर्थात् ''पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक कल्याण संघ, पश्चिम बंगाल'' द्वारा जिला बालासोर, उड़ीसा में चलाए गए एक कंप्यूटर केन्द्र को 2005-06 और 2006-07 के दौरान 5,77,800/- और 3,04,650/- रुपए क्रमशः की राशि का सहायता अनुदान जारी किया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा केन्द्र का निरीक्षण किया जाता है और रिपोर्ट में अवसंरचना और स्टाफ की सुलभता, पाठ्यक्रम विषय-वस्तु, प्रविष्ट प्रशिक्षुओं/निरीक्षण के समय उपस्थित प्रशिक्षुओं की संख्या का ब्यौरा होता है।

(ङ) इस तरह के डाटा का रखरखाव नहीं किया जाता।

हेरिटेज ट्रेन

4955. श्री अनन्त नायक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न मार्गों पर वर्तमान में चल रही हेरिटेज ट्रेनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये हेरिटेज ट्रेनें अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी और हेरिटेज ट्रेनें शुरू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन हेरिटेज ट्रेनों में खान-पान सेवा में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) फिलहाल निम्नलिखित छह धरोहर गाड़ियां चल रही है:

(1) दिल्ली कैंट और अलवर के बीच फेयरी क्वीन सर्विस

(2) दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर न्यू जलपाईगुड़ी-दार्जिलिंग

(3) निलगिरी माउंटेन रेलवे पर मेट्टुपलयम-उडगमंडलम

(4) कालका-शिमला रेलवे पर कालका-शिमला

(5) मथेरान लाइट रेलवे पर नेरल-मथेरान

(6) कांगड़ा वैली रेलवे पर पठानकोट-जोगिंदर नगर

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) फेयरी क्वीन सर्विस में खानपान के लिए भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम जिम्मेदार है। विशेष अनुरोध पर अन्य धरोहर गाड़ियों में भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा खानपान सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

[हिन्दी]

स्टेशनों पर सीसीटीवी तथा कैमरा लगाना

4956. श्री पंकज चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष मुम्बई में रेलगाड़ी में तथा हाल में समझौता एक्सप्रेस में बम धमाकों की घटना के मद्देनजर प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टीवी (सीसीटीवी) तथा कैमरा लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 के दौरान किन-किन रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी तथा कैमरे लगाये जाने हैं तथा इन पर कितना खर्च आएगा; और

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यवार किन-किन रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी तथा कैमरे लगाए गए हैं तथा इन पर कितना खर्च हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) उन रेलवे स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं जहां 2007-08 के दौरान क्लोज-सर्किट टेलीविजन और कैमरे लगाए जाने प्रस्तावित हैं:

धनबाद, गोमोह, कोडरमा, बरकाकाना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बरौनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, नरकटियागंज, रक्सौल, मोतिहारी, बनमांखी, समस्तीपुर, मुगलसराय, गया, पटना, राजेन्द्र नगर, चेन्नई सेंट्रल (विस्तार) चेन्नई बीच, माम्बलम, ताबंरम, कटपाडि, विल्लुपुरम, तिरूचिरापल्लि, कोयम्बतूर, कालीकट, ईरोड, पालघाट, मंगलौर, सेलम, कोट्टायम, कोल्लोन, चेंगनापोर, तिरूनेलवेलि, मुंबई मंडल के 73 उपनगरीय रेलवे स्टेशन, पुणे, चंद्रपुर, विशाखापत्तनम, खोरधा रोड, पुरी, भुवनेश्वर, कटक, भद्रक, बहरामपुर, पालसा, सम्बलपुर, जबलपुर, यशवंतपुर, बेंगलूरू छावनी, हिंडूर, मैसूर, वास्को-डि-गामा, होसपेट, बेल्लारी, कानपुर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा किला, छपरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ जंक्शन, मथुरा छावनी, बरेली शहर, कासगंज, काठगोदाम, हैदराबाद, काजीपेट, वारंगल, खम्माम, अनंतपुर, तिरूपति, गुंतकल, रायचूर, काचेगुडा, नलगोंडा, नंदयाल, राजमुंद्री, नेल्लोर, औरंगाबाद, कटिहार, अलीपुरद्वार जंक्शन, न्यू कूचबिहार, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ टाउन और लमडिंग, चर्चगेट से विरार तक मुंबई उपनगरीय के 30 स्टेशन, विरार, वड़ोदरा, आनंद, गोधरा, अंकलेश्वर, भरूच, नाडियाड, मणिनगर, साबरमती, मेहसाणा, पालमपुर, गांधीधाम, भुज, इंदौर, जामनगर, भावनगर, गांधीग्राम, पोरबंदर, जूनागढ़, वेरावल, आसनसोल, कोलकाता टर्मिनल, दम दम जंक्शन, जयपुर, रेवाड़ी, जोधपुर, मुनाबाव, भिवानी, बीकानेर, उदयपुर सिटी, अजमेर, बिलासपुर, रायपुर, गोंदिया, रांची, हटिया, मूरी, खड़गपुर, टाटा, नई दिल्ली, दिल्ली मेन, गाजियाबाद, लुधियाना, अमृतसर, मुरादाबाद, हापुड़, बरेली, देहरादून, हरिद्वार, लखनऊ, वाराणसी, फिरोजपुर, सराय रोहिल्ला, चंडीगढ़, अम्बाला कैंट, सहारनपुर, हजरत निजामुद्दीन, जम्मू तवी, जालंधर सिटी, अम्बाला सिटी। इनके संबंध में लगभग 34,99,10,006 रुपये व्यय होने की संभावना है।

(ग) उन रेलवे स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं जहां 2006-07 के दौरान क्लोज सर्किट टेलीविजन और कैमरे लगाए गए हैं:

राज्य	रेलवे स्टेशन	उपगत व्यय
बिहार	पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर	27,32,000.00 रुपये
तमिलनाडु	चेन्नई एगमोर, त्रिवेंद्रम, एर्माकुलम, त्रिचूर	42,00,00.000 रुपये
महाराष्ट्र	मनमाड़, नासिक रोड, नागपुर, दादर, कुर्ला, ठाणे, कल्याण, वाशी, नांदेड़	18,52,058.00 रुपये
उड़ीसा	विशाखापत्तनम	1,98,100.00 रुपये
कर्नाटक	बेंगलूरू सिटी	25,42,200.00 रुपये
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद, नैनी, आगरा, छावनी, झांसी, प्रयाग	56,21,383.00 रुपये
मध्य प्रदेश	ग्वालियर, भोपाल	12,76,000.00 रुपये
पश्चिम बंगाल	हावड़ा (पुराना परिसर), सियालदह, कोलकाता के 17 मेट्रो स्टेशन, न्यू जलपाईगुडी	23,38,000.00 रुपये
दिल्ली	हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली मेन	7,25,000.00 रुपये

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां

4957. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या क्या है जिनका वर्ष 2005-06 के दौरान अपने सेवा काल के दौरान निधन हो गया;

(ख) क्या मृत कर्मचारियों/अधिकारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के ऐसे कितने मामले अनुमोदन के लिए अभी भी लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जायेगी।

[अनुवाद]

राधिकापुर से रायगंज तक रेल लाइन

4958. श्री सुकदेव पासवान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस तथ्य की जानकारी है कि पर्याप्त निधि के अभाव में राधिकापुर से रायगंज की बड़ी लाइन का निर्माण कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने हेतु रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रायगंज के रास्ते राधिकापुर से बरसोई (54 कि.मी.) तक के खंड पर कार्य पूरा हो गया है और इसे 26.02.2006 को यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी रेलगाड़ियों में यात्रियों को सुविधाएं

4959. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने राजधानी रेलगाड़ियों का शुभारंभ समय पर उनके आगमन तथा प्रस्थान, उनमें अच्छी यात्री सुविधाएं, उत्तम खान-पान के वायदों के साथ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान में इन रेलगाड़ियों की स्थिति यात्री सुविधाएं, खान-पान तथा डिब्बों के संबंध में अच्छी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार राजधानी एक्सप्रेस के पुराने डिब्बों के स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए डिब्बे लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन रेलगाड़ियों में यात्रियों को अच्छी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां, रेलवे की राजधानियों को राष्ट्रीय राजधानी से सीधे जोड़ने के लिए राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां शुरू की गई हैं।

(ख) से (ङ) जी नहीं। राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में खानपान और अन्य सेवाएं भारतीय रेल खानपान एवं निपटान निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा जिसकी स्थापना इस समय स्टेशनों पर और गाड़ियों में इन सेवाओं को बेहतर बनाने और इनका व्यावसायीकरण करने के लिए भारतीय रेल के एक अंग के रूप में की गयी है, मुहैया करायी जाती है। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम खानपान व्यवसाय की मानक प्रक्रियाओं को अपना रहा है ताकि इन गाड़ियों में यात्रियों को बेहतर गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्यप्रद खानपान सेवाएं मुहैया करायी जा सके। राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के सवारी डिब्बों की स्थिति संतोषजनक है। बहरहाल; रेलवे द्वारा इन गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के सवारी डिब्बों को धीरे-धीरे जर्मनी से प्राप्त की गयी प्रौद्योगिकी के आधार पर तैयार किए गये आधुनिक स्टैनलेस स्टील के सवारी डिब्बों से बदला जा रहा है। ये सवारी डिब्बे उन्नत चालन गुणवत्ता वाले, बेहतर परिवेश और अधिक परिष्कृत माइक्रो प्रोसेसर आधारित एवं वातानुकूलित हैं जो कि यात्रा के दौरान काफी आराम पहुंचायेंगे। इस समय नई दिल्ली-मुंबई राजधानी, निजामुद्दीन-मुंबई अगस्त क्रांति राजधानी, नई दिल्ली-

हावड़ा राजधानी और नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां इन उन्नत नए सवारी डिब्बों के साथ चल रही हैं। धीरे-धीरे अन्य राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के सवारी डिब्बों को इन सवारी डिब्बों से बदला जायेगा। राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के सवारी डिब्बों का बिजली विभाग द्वारा अपेक्षित मानक के अनुसार अनुरक्षण किया जाता है। बिजली विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी बिजली उपस्कर जिनमें वातानुकूलित यूनिट, रोशनी, पंखे, पैंट्री उपस्कर आदि शामिल होते हैं, सही स्थिति में हैं।

(च) इन गाड़ियों के लिए खानपान एवं बेड रोल सेवाओं के क्षेत्र में बेहतर सेवा प्रदाताओं की सेवाएं ली जाती हैं। खानपान एवं बेड रोल सेवाओं में ब्रांडेड सामग्री और अन्य संबद्ध मदों का उपयोग किया जाता है। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटम निगम और भारतीय रेल अपने अधिकारियों के माध्यम से लगातार निरीक्षण और औचक जांचें कराते रहती है ताकि यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाती रहें।

भारत-अमरीका रक्षा परियोजनाओं की प्रगति

4960. श्री भर्तृहरि महताब: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत-अमरीका सैन्य सहयोग की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो भारत-अमरीका रक्षा नीति समूह द्वारा परियोजनाओं की रूपरेखा में कितनी प्रगति की गई है;

(ग) क्या भारत-अमरीका सैन्य सहयोग में कोई नए परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) भारत-अमरीका रक्षा सहयोग की रक्षा नीति समूह (डीपीजी) तथा विभिन्न उप-समूहों द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। इसकी पिछली बार समीक्षा 10 अप्रैल, 2007 को दिल्ली में आयोजित भारत-अमरीका रक्षा संयुक्त कार्यकारी समूह (डीजेडब्ल्यूजी) की बैठक में की गई थी। रक्षा नीति समूह में लिए गए निर्णयों के संबंध में प्रगति दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक रही है। ़ारत, अमरीका तथा जापान की पासिंग एक्सराइसज में भारत का सहभागी होना तथा अमरीका में आयोजित होंने वाली एक्सरसाइज रेड फ्लेग नेलिस में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने हेतु अमरीका द्वारा भारत को नियंत्रण देना 8वीं रक्षा नीति समूह के निर्णय पर आधारित सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से कुछेक हैं। इन दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग होना एक सतत् प्रक्रिया है। रक्षा सहयोग के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों के संबंध में निर्णय पारस्परिक हितों के आधार पर लिया जाता है।

गैस के विपणन हेतु गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. में समझौता

4961. डा. एम जगन्नाथ: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड ने कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन से गैस निकालने तथा उसका विपणन करने के लिए हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) गेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के बीच 15 मार्च, 2007 को संयुक्त रूप से अन्वेषण करने और सहयोग के संभावित क्षेत्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया गया है।

गैस के निष्क्रमण आर विपणन के लिए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान है।

(क) उत्तरी क्षेत्र में गैस ले जाने के लिए गेल की एचवीजे/डीवीपीएल पाइपलाइन प्रणाली पर आरआईएल द्वारा क्षमता बुकिंग।

(ख) प्राकृतिक गैस की आपस में सहमत मात्रा का विपणन।

(ग) आरआईएल और गेल के बीच आपस में सहमत निबंधनों और शर्तों पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाइपलाइन क्षमता की हिस्सेदारी।

(घ) राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विकास और ऐसे अवसरों की जांच करना जो उनके संबंधित, विद्यमान और योजित प्रेषण तथा वितरण नेटवर्कों में इष्टतम उपयोग, हिस्सेदारी और अंतरसम्पर्क हेतु उपलब्ध हो सकते हैं।

समझौता ज्ञापन की मंशा पहचाने गए क्षेत्रों में सहयोग के लिए पूरी अवधि का और कानूनी रूप से बाध्य करार करने के लिए और अधिक वार्ताओं को सुकर बनाने हेतु दिशानिर्देश और सिद्धांत स्थापित करना है।

कोच्चि तेल शोधन कारखाने हेतु भूमि का अधिग्रहण

4962. श्री पी.सी. थामस: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड (केआरएल) हेतु अधिग्रहण की गई भूमि के विस्थापितों ने केआरएल में नौकरियों संबंधी वे मुद्दे उठाए हैं जिन पर भूमि-अधिग्रहण के समय सहमति हुई थी;

(ख) ऐसे लोगों के कितने आश्रितों को इस संबंध में दावेदार माना जा रहा है जिनकी भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अधिग्रहण किया गया है;

(ग) क्या एर्णाकुलम में जिला कलेक्टर द्वारा हाल ही में बुलाई गई बैठक में इन दावेदारों की पहचान करने तथा वैध पाए गए दावेदारों को पहचान-पत्र देने का निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन लोगों को नौकरियां दिया जाना किस चरण में है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष 1989 से पूर्ववर्ती कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड के लिए भूमि अधिग्रहीत के विस्थापितों ने केआरएल (अब कोच्चि रिफाइनरीज भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की एक इकाई है) में परियोजना संबद्ध ठेका कार्यों में रोजगार के मुद्दे उठाए हैं।

(ख) से (घ) दिनांक 12.04.07 को एर्नाकुलम के जिला समाहर्त्ता द्वारा ली गई एक बैठक में, तहसीलदार को केआरएल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहीत व्यक्तियों के आश्रितों का पता लगाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

इसके अलावा, कोच्चि रिफाइनरी भूमि विस्थापितों के लिए पहचान पत्र जारी करने के लिए सहमत हो गई है ताकि ठेकेदार को कोच्चि रिफाइनरी में परियोजना संबंधी विभिन्न ठेका कार्यों में भूमि विस्थापितों को नियुक्त करने में उनका सहजता से पता लगाया जा सके।

बंगलौर-सत्यमंगला रेल लाइन का सर्वेक्षण

4963. श्री एम. शिवन्ना: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बंगलौर-सत्यमंगला रेल लाइन का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो कराए गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि आवंटित तथा खर्च की जा चुकी है; और

(घ) उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) बेंगलूरू से गटेवाडी तक (बेंगलूरू छोर से) तथा सत्यमंगलम से बेन्नारी तक (सत्यमंगलम छोर से) लाइन का सर्वेक्षण आयोजित किया गया है। बहरहाल, सत्यमंगलम वन क्षेत्र के गट्टेवाडी और बेन्नारी (58 किमी.) के बीच सर्वेक्षण तमिलनाडु के वन विभाग से अनुमति न प्राप्त होने के कारण रूका हुआ है। यह मामला अब केन्द्रीय सशक्ति समिति, नई दिल्ली के विचाराधीन है।

(ग) 2007-08 के दौरान आबंटित धन 1.0 करोड़ रुपए है। 31.03.2007 तक इस परियोजना पर 28 लाख रुपए का व्यय किया गया है।

(घ) सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए अपेक्षित अनुमति प्राप्त होने के बाद ही आगे सर्वेक्षण संभव हो सकेगा।

राष्ट्रीय डिनोटिफाइड जनजाति, घुमन्तु एवं अर्ध-घुमन्तु जनजाति आयोग (एनसीडीएनटी) में रिक्तियों का भरा जाना

4964. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय डिनोटिफाइड जनजाति, घुमन्तु एवं अर्ध घुमन्तु जनजाति आयोग (एनसीडीएनटी) के सुचारू कार्यकरण हेतु कितने पदों की स्वीकृति दी गई है;

(ख) अब तक कितने पद भरे जा चुके हैं;

(ग) क्या आयोग आज की तारीख तक सभी स्वीकृत पदों को नहीं भर पाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सभी स्वीकृत पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) राष्ट्रीय अनधिसूचित जनजाति, खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जनजाति आयोग के लिए 30 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(ख) से (घ) शुरू में 20 पद भरे गए थे। इनमें से निदेशक (अनुसंधान) और उपनिदेशक (अनुसंधान) का पद रिक्त हो गया। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोग द्वारा कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

शांति अभियानों तथा आपदा प्रबंधन सहयोग हेतु भारत और जर्मनी के बीच समझौता

4965. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शांति अभियानों और आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए जर्मनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जैसा कि दिनांक 21 अप्रैल, 2007 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो हस्ताक्षर किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान हस्ताक्षरित सभी रक्षा सौदों को मंजूरी दी जा चुकी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी के साथ शांति अभियानों और आपदा प्रबंधन के आपसी सहयोग पर किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं जैसाकि दिनांक 21 अप्रैल, 2007 के 'राष्ट्रीय सहारा' में उल्लेख किया गया है। तथापि, भारत-जर्मनी उच्च रक्षा समिति की 20 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित पहली बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आपदा प्रबंधन और शांति स्थापना अभियानों में अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते, पिछले एक वर्ष के दौरान किसी रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

[अनुवाद]

इंटरनेशनल रेल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट

4966. श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार इंटरनेशनल रेल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संस्थान की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे का विचार देश के विभिन्न भागों में भी ऐसे संस्थानों को खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेल मंत्रालय भारत में अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे नीति प्रबंधन संस्थान की स्थापना संबंधी यूआईसी (अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन) की पहल का समर्थन कर रहा है।

(ख) रेलवे उद्योग प्रतिभा को बरकरार रखने और विश्वव्यापी रेल परिचालनों सहित अन्य भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए रेल प्रबंधकों को तैयार करने के उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की जा रही है। भारत में इस संस्थान की स्थापना विश्व व्यापी रेल प्रणाली के प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए यूआईसी (अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन) द्वारा की जा रही है।

(ग) यह संस्थान 2010 तक भारत में पूर्ण रूप से कार्य करने लगेगा। यद्यपि यह 2005 से परिचालित हो गया है और 2005 तथा 2006 में पेरिस और बड़ौदा में दो भागों में दो कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

(घ) से (च) चूंकि इस संस्थापना की स्थापना यूआईसी द्वारा की जा रही है, इसलिए देश के अन्य भागों में सरकार द्वारा इस प्रकार के संस्थान स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत-अमरीका नौसेना अभ्यास

4967. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान के द्वीप ओकनावा में 6 अप्रैल से 11 अप्रैल, 2007 तक भारत और अमरीका का संयुक्त नौसेना अभ्यास, जिसका कोड नाम मालाबार था, आयोजित किया गया था तथा 16 अप्रैल, 2007 को टोक्यो बे में अमरीकी नौसेना तथा जापानी समुद्री स्व-रक्षा बल का एक त्रिपक्षीय अभ्यास भी आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यासों के आयोजन का क्या उद्देश्य है;

(ग) ओकीनावा में पिछले अभ्यास पर कुल कितना व्यय हुआ;

(घ) किस देश ने इन अभ्यासों पर व्यय किया;

(ङ) क्या भारत और अमरीका के बीच निकट भविष्य में समुद्री सहयोग बढ़ाने के बारे में एक प्रणाली पर सहमति हुई है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रणाली को कब तक स्थापित कर दिया जाएगा तथा इसके द्वारा क्या भूमिका निभाए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) ऐसे संयुक्त अभ्यासों के आयोजन का उद्देश्य परस्पर सहयोग बढ़ाना तथा दूसरी नौसेना के अनुभवों से, खासतौर से उनके पास उपलब्ध उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, लाभ प्राप्त करना है। इससे आपदा प्रबंधन जैसी परिस्थितियों में आवश्यकता के समय परस्पर संचालन-योग्य क्षमता भी सुकर हो जाती है।

(ग) और (घ) यह अभ्यास उत्तरी प्रशांत महासागर में कुछ भारतीय नौसैनिक पोतों की विदेशी तैनाती में तारतम्य बैठाने के बारे में था, जिसमें पांच पोतों की छह देशों की यात्रा शामिल थी। संयुक्त अभ्यास सहित इस विदेशी तैनाती में कुल 5.81 करोड़ रुपए (लगभग) का व्यय हुआ था। इसके अतिरिक्त, अभ्यास के दौरान विदेशी नौसैनिक पोतों के प्रचालन पर हुआ व्यय इसमें भाग लेने वाले संबंधित देशों द्वारा वहन किया गया था।

(ङ) और (च) समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक भारत-अमरीकी ढांचे पर दोनों सरकारों के बीच सहमति हो गई है। इस ढांचे में समुद्री डकैती को रोकने/प्रत्युत्तर देन और शस्त्रों तथा नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग, समुद्री प्रदूषण को रोकने, समुद्र में खोज और बचाव संक्रियाएं करने, प्रौद्योगिकी सहयोग आदि के माध्यम से समुद्री क्षमता को बढ़ाने की बात पर बल दिया गया है।

[हिन्दी]

अपमिश्रित हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति

4968. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को कतिपय जोनों में इसके प्रयोग हेतु अपमिश्रित हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे क्रांसिग पर उपरि पुलों/अधोगामी पुलों का निर्माण

4969. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर कर्नाटक में निर्माणाधीन उपरि पुलों/अधोगामी पुलों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे क्रांसिग पर उपरि पुलों/अधोगामी पुलों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) रेलों को राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 93 प्रस्ताव औचित्यपूर्ण और व्यवहारिक पाए गए जिन्हें 2007-08 के निर्माण कार्यक्रम के दौरान स्वीकृत किया गया था। उन स्वीकृत कार्यों का रेलवेवार ब्यौरा संलग्न विवरण (कालम-3) में दिया गया है। रेलों द्वारा राज्य सरकारों से उन समपारों जहां यातायात घनत्व 1 लाख गाड़ी वाहन इकाई अथवा उससे अधिक हो, के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के लिए ठोस प्रस्ताव प्रायोजित करने के लिए निरंतर आग्रह किया जाता है।

विवरण

(क) (1) देश में भारतीय रेल पर लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत ऊपरी सड़क पुलों/निचली सड़क पुलों का ब्यौरा

जोन	31.12.06 को स्वीकृत कार्य (ओ ओ टी सहित)	2007-08 के निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृत	2007-08 के दौरान आवंटन (करोड़ रुपए में)	2006-07 के दौरान पूरे किए कार्यों की सं.
मरे	18	0	11.85	1
पूरे	41	2	25.41	2
पूमरे	51	5	122.95	3
पूतरे	18	0	33.55	1
उरे	81	14	37.6	2
उमरे	17	4	15.3	4
पूर्वोत्तर	18	0	11.5	0
पूसीरे	7	1	8.47	0
उपरे	18	7	17.32	1
दरे	186	40	60.3	10
दमरे	79	12	66.32	4
दपूरे	20	1	15.2	4
दपूमरे	13	2	37.37	0
दपरे	39	0	49.09	1
परे	28	0	28.2	2
पमरे	12	5	10.26	0
जोड़	646	93	550.69	35

(2) कर्नाटक राज्य में पड़ने वाले कार्य जो लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत हैं

क्र.सं.	स्वीकृति का वर्ष	कार्य का नाम	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4
1.	1995-96	होजपेट-कारीगानारू: होजपेट-गुंतकल लाइन पर किमी 145/6-7 पर समपार सं. 85 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	व्यावहारिकता अध्ययन प्रगति पर है। संरेखण को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

1	2	3	4
2.	1999-2000	व्हीलर रोड पर बेंगलुरू पूर्व पर किमी पर 348/5-6 समपार सं. 138 के स्थान पर सड़क पुल	अधिसंरचना के गर्डरों की ढलाई के साथ नींव खुदाई प्रगति पर है। एक ओर पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है। दूसरी ओर बी एम पी द्वारा अभी भूमि सौंपी जानी है।
3.	1999-2000	व्हाइटफील्ड-बेंगलुरू शहर में व्हाइटफील्ड स्टेशन के समीप किमी 333/1-2 पर मौजूदा समपार सं. 132 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	रेलवे के शेष हिस्से के लिए निविदा सौंप दी गई है। कार्य शुरू हो गया है। आई ई टी पैनल की ढलाई प्रगति पर है।
4.	1999-2000	पांडवपौडा-बेंगलुरू-मैसूर खंड पर किमी 119/6-7 पर समपार सं. 95-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	रेलवे हिस्से के लिए उपसंरचना पूरी हो गई है। राज्य सरकार को पहुंच मार्गों का कार्य खुद पूरा करने के लिए कहा गया है।
5.	2000-01	बेलगाम और साम्ब्रे के बीच किमी 611/13-14 पर समपार सं. 388-ए के स्थान ऊपरी सड़क पुल (लोंडा-मिरज खंड)	सामान्य व्यवस्था आरेखण एवं अनुमान की स्वीकृति राज्य सरकार के पास अभी भी लंबित है। लागत में भागीदारी के बारे में निगम के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है।
6.	2000-01	बी वाई पी एल-बी एन सी ई खंड पर किमी 345/44-346/1 पर समपार सं. 136-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	संशोधित सामान्य व्यवस्था आरेखण, विस्तृत अनुमान एवं संरचनात्मक आरेखणों की प्रतीक्षा है।
7.	2000-01	बिरूर: बिरूर-शिमौगा टाउन पर किमी 3/13-14 पर समपार सं. 2 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	सामान्य व्यवस्था आरेखण एम ओ एस आर टी एच द्वारा अनुमोदित हैं। अनुमान संरचनात्मक आरेखण बनाए जा रहे हैं और अभी प्राप्त होने हैं।
8.	2000-01	भद्रावती: बिरूर-शिमौगा टाउन पर किमी 47/78-1 पर समपार सं. 34 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	बाईपास के कारण यातायात घनत्व में गिरावट आने के कारण कार्य फिलहाल रोक दिया गया है।
9.	2000-01	हेब्बल: हेब्बल-यशवंतपुर खंड पर किमी 12/000-100 पर समपार सं. 6 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल (निगम रोड)	नींव खुदाई कार्य पूरा हो गया है और अधिसंरचना गर्डरों की ढलाई प्रगति पर है।
10.	2000-01	मैसूर: मैसूर-चामराजनगर खंड किमी 2/6-7 पर समपार सं. 3 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	सामान्य व्यवस्था आरेखण, नक्शे एवं अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
11.	2000-01	मद्दूर: मद्दूर-हाणकेरे खंड पर किमी 74/000-100 पर समपार सं. 59 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	तटबंध ए1, पाया पी1 और पी2 की नींव पूरी हो गई है। शेष कार्य प्रगति पर है। एक छोर पर पहुंच मार्ग का कार्य शुरू किया गया है, दूसरे छोर पर कर्नाटक सरकार द्वारा भूमि अभी सौंपी जानी है।
12.	2000-01	बेंगलुरू सिटी: कृष्णाराजपुरम-वैय्यापन्नाहल खंड पर किमी 343/2-3 पर समपार सं. 134-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	राज्य सरकार के सामान्य व्यवस्था आरेखण के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
13.	2000-01	मैसूर: मैसूर चामराजनगर खंड पर किमी 1/10-11 पर समपार सं. 1 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	सामान्य व्यवस्था आरेखण अनुमोदित हैं। अनुमान स्वीकृत है। निविदा दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।
14.	2000-01	शिमौगा टाउन: शिमौगा-शिमौगा टाउन खंड पर किमी 62/11-12 पर समपार सं. 48 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	संशोधित सामान्य व्यवस्था आरेखण अनुमोदित हैं। अनुमान की जांच कर ली गई है और हस्ताक्षर हेतु राज्य सरकार के पास भेजे गए हैं। संरचनात्मक आरेखण अनुमोदित हैं। रेलवे हिस्से की निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
15.	2000-01	भद्रावती: मसाराहल्ली-भद्रावती खंड पर किमी 43/10-11-1×30.0 मीटर + 2×18.0 मीटर पी एस सी गार्डर पर समपार सं. 32 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	संशोधित सामान्य व्यवस्था आरेखण अनुमोदित हैं। अनुमान की जांच कर ली गई है और हस्ताक्षर हेतु राज्य सरकार के पास भेजे गए हैं। संरचनात्मक आरेखण अनुमोदित हैं। रेलवे हिस्से की निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
16.	2000-01	भद्रावती: शिमौगा-बिदारे खंड (जिला रोड) पर किमी 45/13-14 पर समपार सं. 33 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	फिलहाल यातायात घनत्व में गिरावट के कारण कार्य रोक दिया गया है।
17.	2000-01	मैसूर: मैसूर-बेलागोला खंड पर 4/11-12 पर समपार सं. 5 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	ऊपरी सड़क पुल/निचली सड़क पुल बाईपास रोड के निर्माण के कारण टीवीयू घटकर 36099 रह गया है। अब राज्य सरकार निक्षेप शर्तों पर कार्य शुरू करना चाहती है।
18.	2000-01	हवेरी: ब्याडागी-हवेरी खंड (राष्ट्रीय राजमार्ग) पर किमी 389/8-9 पर समपार सं. 234 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	उपसंरचना का कार्य पूरा हो गया है। रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ठेका जनवरी, 2007 में समाप्त कर दिया गया था और शेष कार्य पूरा करने के लिए अभी नई एजेंसी निर्धारित की जानी है।
19.	2000-01	चामराजनगर: मारायल-गंगावाडि चामराजनगर खंड पर किमी 57/9-10 पर समपार सं. 53 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	सामान्य व्यवस्था आरेखण अनुमोदित है और स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के पास भेजा गया है। संरचनात्मक आरेखण अनुमोदित हैं। निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है। कार्य शुरू हो गया है।
20.	2000-01	देवेरगुड्डा: देवेरगुड्डा-ब्याडगी खंड पर किमी 371/5-6 पर समपार सं. 222 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	उपसंरचना का कार्य पूरा हो गया है। संविदा जनवरी 07 में समाप्त हो गई थी और शेष कार्य पूरा करने के लिए अभी नई एजेंसी निर्धारित की जानी है।
21.	2000-01	दावनगेरे: दावनगेरे-हरिहर खंड पर किमी 334/14-15 पर समपार सं. 207 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	समपार सं. 208 पर ऊपरी सड़क पुल पूरा होने पश्चात इस ऊपरी सड़क पुल का कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल राज्य सरकार ने यह कार्य त्याग दिया है।
22.	2000-01	टोलाहंस: टोलाहंस-दावनगेरे खंड पर किमी 322/8-9 पर समपार सं. 197 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल (अब निचला सड़क पुल)	संशोधित सामान्य व्यवस्था आरेखण अनुमोदित है। संशोधित अनुमान की जांच हो गई है और प्रति-हस्ताक्षर के लिए मुख्य इंजीनियर/लो नि वि को प्रस्तुत किया गया है और संरचनात्मक आरेखणों की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
23.	2000-01	हरिहर: दावनगेरे-हरिहर खंड पर किमी 337/2-3 पर समपार सं. 208 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	प्रस्ताव ऊपरी सड़क पुल से संशोधित करके निचली सड़क पुल किया गया है, तत्पश्चात ऊपरी सड़क पुल के मूल प्रस्ताव को वापस अपनाने का निर्णय लिया गया है क्योंकि जलनिकासी की समस्या के कारण निचली सड़क पुल व्यावहारिक नहीं है।
24.	2000-01	नांजनगुड टाउन: नांजनगुड टाउन-चिन्नाडागुडी खंड पर किमी 25/8-9 पर समपार सं. 19 के स्थान पर निचला सड़क पुल	सामान्य व्यवस्था आरेखण अनुमोदित। संशोधित अनुमान अनुमोदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है।
25.	2000-01	शिमौगा टाउन: हरनाहल्लि-शिमौगा टाउन खंड पर किमी 63/15-54/1 पर समपार सं. 49 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	इस दौरान राज्य सरकार ने इस ऊपरी सड़क पुल को त्याग दिया है।
26.	2000-01	लोंडा-मिरज खंड पर किमी 611/5-6 पर समपार सं. 385 के स्थान पर बेलगाम-साम्ब्रे के बीच निचला सड़क पुल	लागत में राज्य के हिस्से का वित्तपोषण करने के लिए शहर आयुक्त/बेलगाम से पुष्टि अभी प्राप्त होनी है।
27.	2000-01	बेलगाम-खन्नापुर खंड के बीच किमी 607/13-14 पर समपार सं. 381 के स्थान पर बेलगाम-खन्नापुर के बीच ऊपरी सड़क पुल	सामान्य व्यवस्था आरेखण अनुमोदित हैं। रेलवे हिस्से के के लिए निविदा आमंत्रित की गई हैं।
28.	2000-01	बेल्लारी-हद्दीनागुंडी: बेल्लारी-होजपेट लाइन पर किमी 209/12-13 पर समपार सं. 114 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	नया सामान्य व्यवस्था आरेखण एवं अनुमान अभी राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।
29.	2004-05	तिमकुर यार्ड: समपार सं. 40 एवं 41 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	रेलवे हिस्से के लिए निविदा सौंप दी गई है। दोनों तटबंधों के लिए नींव कार्य प्रगति पर है।
30.	2006-07	बनसंद्रा-हेब्बल-एस ए-वाई पी आर लाइन पर किमी 212/600-700 पर समपार सं. 142 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	नया सामान्य व्यवस्था आरेखण एवं अनुमान अभी राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।
31.	2006-07	बेंगलुरु-तुमकुर खंड में किमी 7/500-600 पर समपार सं. 4 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	नया सामान्य व्यवस्था आरेखण एवं अनुमान अभी राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।
32.	2006-07	बेंगलुरु-मैसूर: समपार सं. 5 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	नया सामान्य व्यवस्था आरेखण एवं अनुमान अभी राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।
33.	2006-07	बेंगलुरु-तुमकुर: समपार सं. 4 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	नया सामान्य व्यवस्था आरेखण एवं अनुमान अभी राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।
34.	2006-07	बेंगलुरु मंडल: दुर्घटना संभाव्य क्रासिंगों पर प्रबलित कंक्रीट सीमेंट बक्सों के साथ निचली सड़क पुल-12 अदद	नया कार्य है। सामान्य व्यवस्था आरेखण बनाए जा रहे हैं।

इसके अलावा, निक्षेप शर्तों पर 34 अन्य कार्य और बीओटी के तहत 1 कार्य स्वीकृत हैं जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है और नियोजन एवं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

आदर्श स्टेशन के रूप में भिवानी जंक्शन

4970. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भिवानी जंक्शन को एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो भिवानी जंक्शन पर ए टी एम, प्लाज्मा स्क्रीन इनफारमेशन डिस्पले आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) भिवानी जंक्शन पर वे सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जो कि एक आदर्श स्टेशन पर उपलब्ध होनी चाहिए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) 20.04.2007 से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पहले से ही एटीएम मशीनें स्थापित की गयी हैं। पंजाब नेशनल बैंक के एक अन्य एटीएम की संस्थापना के लिए स्थल की पहचान की गयी है। कई बार प्लाज्मा स्क्रीन की व्यवस्था के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। 12 नयी निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं तथा प्रस्ताव की रसीदों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 12.06.2007 निर्धारित की गयी है। स्टेशन पर तत्काल सूचना प्रदर्शन बोर्ड की सुविधा प्रदान की गयी है।

(ग) भिवानी रेलवे स्टेशन पर माडल स्टेशन के मौजूदा मानदंडों के अनुसार वांछनीय सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रस्ताव की योजना बनायी गयी है।

स्टेशनों पर पी.आर.एस. काउंटरों पर डिजिटल बोर्ड लगाना

4971. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश में सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बुकिंग की जानकारी देने तथा इनके रद्द करने आदि की जानकारी देने के लिए पी आर एस काउंटरों में डिजिटल बोर्ड लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विशेषकर दक्षिण रेलवे में सभी रेलवे स्टेशनों पर ये सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) कुछ बड़े रेलवे स्टेशनों की यात्री आरक्षण प्रणाली संबंधी स्थानों पर स्थान (अकोमोडेशन) की स्थिति को दर्शाने के लिए डिजीटल बोर्ड संस्थापित किए गए हैं। इनका प्रावधान और विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है जो स्टेशन की कोटि, मांग, धन की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एन्नौर में एल.एन.जी. टर्मिनल की स्थापना

4972. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने एन्नौर, चैन्नई में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा, इसकी अनुमानित लागत तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) एलएनजी टर्मिनल की कब तक स्थापना कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) जी, हां। तमिलनाडु सरकार एन्नौर में एलएनजी टर्मिनल की स्थापना करने के लिए अनुरोध करती रही है।

5 एमएमटीपीए तक विस्तारणीय 2.5 एमएमटीपीए क्षमता का एक एलएनजी टर्मिनल इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा एन्नौर में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। 2.5 एमएमटीपीए की आरंभिक क्षमता के लिए वित्तपोषण लागत को छोड़कर पूंजी व्यय अगस्त, 2005 के अनुसार 338 मिलियन अमरीकी डालर बनता है।

प्रौद्योगिकीय वाणिज्यिक व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है, करार शीर्षों पर भावी ग्राहकों के साथ हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, परियोजना और गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों के संबंध में प्रारूप एमओयू पर तमिलनाडु सरकार के

साथ चर्चा कर ली गई है तथा भूमि और अन्य सुविधाओं के आबंटन के लिए प्रारूप एमओयू पर एन्नौर पोर्ट लिमिटेड और टिडको (टीआईडीसीओ) के साथ चर्चा हो गई है। एन्नौर के समीप एक उपयुक्त भूखण्ड की पहचान कर ली गई है। निवेश निर्णय, एलएनजी के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था करार के बाद लिया जाएगा।

यद्यपि यह परियोजना 57 महीनें में पूरी की जा सकती है तो भी टर्मिनल की स्थापना करने के लिए लक्षित तारीख परियोजना के लिए दीर्घकालिक एलएनजी व्यवस्था करार के बाद ही निर्धारित की जाएगी।

[हिन्दी]

पैसेन्जर रेलगाड़ियों के नए नाम रखना

4973. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कुछ रेलगाड़ियों के नाम लोकप्रिय ब्रान्डों पर रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ब्रान्ड नामों के प्रयोग से रेलवे द्वारा कितना राजस्व अर्जित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस योजना का और विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जिन ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों के कोई निर्धारित नाम नहीं हैं, उनके लिए नयी योजना के अंतर्गत विज्ञापन के लिए प्रयास किया जा रहा है जिसमें गंतव्य स्थल तक गाड़ी के नाम बोर्डों, आरक्षण चार्ट, कोच संकेत स्लिप, बैड रोल कवर्स, आरक्षण टिकट, सवारी डिब्बों के पैनल, गाड़ियों की घोषणाएं आदि शामिल हैं। दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा इस परियोजना पर पायलट परियोजना के रूप में कार्य किया जा रहा है जिसके अंतर्गत तीव्र ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों, एक साप्ताहिक तथा दो साप्ताहिक शामिल हैं। इस योजना के तहत तीन महीने की अवधि के लिए 9,92,000/- रुपए के लिए कुरकुरे के ब्राण्ड नाम के लिए एक योजना बनायी गयी है। आशा है जब यह योजना विज्ञापन के बाजार में लोकप्रिय हो जायेगी इस योजना के माध्यम से मोटी आमदनी होगी।

(ग) और (घ) फीडबैक के आधार पर अन्य ऐसी गाड़ियों में इस योजना के विस्तार के बारे में विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

ग्रीनफील्ड एयरपोर्टस

4974. श्री संतोष गंगवार:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा तैयार की जा रही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार विशेषकर कम लागत वाली एयरलाइंस के इस्तेमाल के लिए नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) वर्तमान में नए हवाईअड्डों को सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) माध्यम से संवर्धित किया जा रहा है। मोपा (गोवा) में, बैंगलोर के समीप देवनहल्ली में तथा हैदराबाद के समीप शमशाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों वाले हवाईअड्डों को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बैंगलोर तथा हैदराबाद में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा इनके अगले वर्ष के मध्य तक प्रचालनिक होने की आशा है।

पाकयोंग (सिक्किम), कोहिमा के समीप चीथू (नागालैंड), इटानगर (अरुणाचल प्रदेश), कन्नुर (केरल) तथा पुणे के समीप चाकन (राजगुरुनगर) तथा पनवेल के समीप नवी मुम्बई (महाराष्ट्र) में संबंधित राज्य सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा भी नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का प्रस्ताव दिया गया है।

ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं निर्धारित हैं तथा अन्तिम स्वीकृति के लिए विचार किए जाने से पूर्व प्रस्तावों को निर्धारित शर्तों के अनुरूप होना चाहिए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बी.बी.यू.एन.एल. की धनराशि

4975. श्री सुनील खां: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) ने 31 मार्च, 2004 को एक अनुसूचित बैंक के पास 2,072.13 लाख रुपये की राशि का फिक्स्ड डिपाजिट रखा था;

(ख) यदि हां, तो बीबीयूएनएल ने इस धनराशि को कहां से अर्जित किया जबकि अपनी विभिन्न अनुषंगियों द्वारा धनराशि के अर्जन पर कर लगाने के अतिरिक्त उसकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है; और

(ग) अनुसूचित बैंक के फिक्स्ड डिपाजिट खाते में इतनी बड़ी धनराशि पड़े होने के बावजूद बीबीयूएनएल की विभिन्न अनुषंगियों द्वारा तरलता की समस्याओं का सामना करने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फिक्स्ड डिपाजिट राशि में निम्नलिखित शामिल है: (1) जेसप एंड कंपनी लिमिटेड की विनिवेश (शेयरों की बिक्री) प्रक्रिया (1573.88 लाख रुपये)। यह मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालयाधीन है। यह राशि बीबीयूएनएल के पास है तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शेयरों की बिक्री के विरुद्ध निर्णय होने की स्थिति में इसे वापिस करना पड़ेगा। (2) शेष राशि में भारत सरकार को भुगतान न की गई निधियां (योजना एवं गैर-योजना) संबंधित सहायक कंपनियों द्वारा उनकी चल रही परियोजनाओं के लिए लंबित उपयोगिता शामिल है।

सरकार द्वारा जारी की गई निधियां "योजना" तथा "गैर-योजना" शीर्षों के अंतर्गत विशिष्ट मंजूरी के लिए है। इनका उपयोग केवल लक्षित उद्देश्यों के लिए किया जाना अपेक्षित होता है तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, न तो "योजना" और न ही "गैर-योजना" निधियों का उपयोग सहायक कंपनियों की सामान्य कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता।

आरक्षण सुविधाएं

4976. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में राज्य-वार कितने रेलवे आरक्षण केन्द्र, यूटीएस, बुकिंग कार्यालय, प्राधिकृत ट्रेवल एजेंट तथा हाल्ट कन्ट्रेक्टर हैं;

(ख) क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के प्रत्येक जिले तथा उप-मंडलीय मुख्यालयों में रेल-आरक्षण सुविधाओं, यूटीएस, सिटी बुकिंग कार्यालय तथा प्राधिकृत रेलवे आरक्षण एजेंटों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे द्वारा देश में रेलवे आरक्षण कार्यालयों के सुचारू कार्यकरण हेतु अनियमित बिजली आपूर्ति वाले क्षेत्र में कोई व्यवस्था की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) 1391 स्थलों पर चालू है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है (पी आर एस के बारे में सूचना रेलवार संकलित की जाती है और राज्यवार नहीं।) यू टी एस 925 स्थलों पर चालू है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। (यू टी एस के बारे में सूचना रेलवार संकलित की जाती है और राज्यवार नहीं।

767 रेल यात्री सेवा अभिकर्ता और 31 रेल पर्यटन एजेंट उपलब्ध हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

भारतीय रेल पर लगभग 1917 हाल्ट स्टेशन हैं जिनमें से अधिकांश पर हाल्ट ठेकेदार तैनात हैं। भारतीय पर 57 शहर बुकिंग एजेंसियां/आउट एजेंसियां कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति के अनुसार देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र मुहैया कराया जाना है। इस समय देश में 535 जिलों में पी आर एस उपलब्ध हैं और शेष जिलों में स्वीकृत हैं। यू टी एस के संबंध में ऐसी कोई नीति नहीं है, बहरहाल, मोटे तौर पर जनता के लिए यू टी एस सुविधाएं मुहैया कराने हेतु "ई" कोटि के स्टेशनों तक सभी स्टेशनों पर यू टी एस सुविधाएं स्वीकृत की गई हैं। रेल यात्री सेवा अभिकर्ता, रेल पर्यटक अभिकर्ता, शहर बुकिंग एजेंसी/आउट एजेंसियां मांग के अनुसार उपलब्ध कराई जाती हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। रेल आरक्षण कार्यालयों में निर्बाध सेवाएं मुहैया कराने के लिए स्थानीय बिजली आपूर्ति विफल होने के मामले में निर्बाध बिजली आपूर्ति (यू पी एस), डीजल जेनरेटर सेटों और विद्युतीकृत मार्गों पर शिरोपरि बिजली लाइन से (1 के वी ए से अनधिक) प्रभरण के विस्तार द्वारा बिजली आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं।

विवरण I

(पी.आर.एस. के बारे में सूचना रेलवार संकलित की जाती है और राज्यवार नहीं)

क्र.सं.	रेलवे	स्थलों की संख्या
1.	मध्य रेलवे	95
2.	पूर्व तट रेलवे	54
3.	पूर्व मध्य रेलवे	120
4.	पूर्व रेलवे	96
5.	कोंकण रेलवे	9
6.	उत्तर मध्य रेलवे	50
7.	पूर्वोत्तर रेलवे	76
8.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	74
9.	उत्तर रेलवे	203
10.	उत्तर पश्चिम रेलवे	60
11.	दक्षिण मध्य रेलवे	116
12.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	42
13.	दक्षिण पूर्व रेलवे	54
14.	दक्षिण रेलवे	148
15.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	53
16.	पश्चिम मध्य रेलवे	42
17.	पश्चिम रेलवे	99
	जोड़	1391

विवरण II

(यू.टी.एस. के बारे में सूचना रेलवार संकलित की जाती है और राज्यवार नहीं)

क्र.सं.	रेलवे	स्थलों की संख्या
1	2	3
1.	मध्य रेलवे	142
2.	पूर्व तट रेलवे	22
3.	पूर्व मध्य रेलवे	66
4.	पूर्व रेलवे	71
5.	उत्तर मध्य रेलवे	18
6.	पूर्वोत्तर रेलवे	10
7.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	15
8.	उत्तर रेलवे	117
9.	उत्तर पश्चिम रेलवे	10
10.	दक्षिण मध्य रेलवे	150
11.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	40
12.	दक्षिण पूर्व रेलवे	47
13.	दक्षिण रेलवे	101
14.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	44
15.	पश्चिम मध्य रेलवे	13
16.	पश्चिम रेलवे	59
	जोड़	925

विवरण III

(रेलयात्री सेवा अभिकर्त्ता और रेल पर्यटक अभिकर्त्ता के बारे में सूचना रेलवार संकलित की जाती है और राज्यवार नहीं)

क्र.सं.	रेलवे	रेलयात्री सेवा अभिकर्त्ताओं की संख्या	रेल पर्यटक अभिकर्त्ताओं की संख्या
1	2	3	4
1.	मध्य रेलवे	105	01
2.	पूर्व तट रेलवे	06	00
3.	पूर्व मध्य रेलवे	22	00
4.	पूर्व रेलवे	18	00
5.	उत्तर मध्य रेलवे	09	01

1	2	3	4
6.	पूर्वोत्तर रेलवे	11	00
7.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	22	00
8.	उत्तर रेलवे	158	19
9.	उत्तर पश्चिम् रेलवे	33	00
10.	दक्षिण मध्य रेलवे	55	00
11.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	10	00
12.	दक्षिण पूर्व रेलवे	18	00
13.	दक्षिण रेलवे	122	03
14.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	39	01
15.	पश्चिम मध्य रेलवे	21	00
16.	पश्चिम रेलवे	118	06
	जोड़	767	31

[हिन्दी]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में हाइड्रोकार्बन भंडार

4977. श्री रशीद मसूद: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने अंडमान और निकोबार में हाइड्रोकार्बन के बड़े भंडारों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय विदेशी कंपनियों ने एनईएलपी के अंतर्गत लाइसेंस लेने के पश्चात् तेल और गैस की खोज का कार्य आरंभ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा उक्त भंडारों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने वर्ष 1980 में अंडमान अपतट में गैस के छोटे भंडार खोजे थे।

एएन-1-1 कुंए ने 1.78 से 1.92 लाख घन मीटर प्रति दिन की दर से बहाव के साथ गैस की विद्यमानता सिद्ध की। तत्स्थान गैस की मात्रा 116.5 मिलियन मीट्रिक घन मीटर होने का अनुमान था।

(ग) और (घ) अब तक आयोजित एनईएलपी के छह दौरों में, अंडमान निकोबार गहरे समुद्री क्षेत्रों में निम्नलिखित ब्लाक प्रदान किए गए हैं-

ब्लाक	प्रचालक	परिसंघ %
एएन-डीडब्ल्यूएन-2002/1	ओएनजीसी	ओएनजीसी-100
एएन-डीडब्ल्यूएन-2002/2	ओएनजीसी	ओएनजीसी-100
एएन-डीडब्ल्यूएन-2003/2	ईएनआई	ईएनआई-40
		ओएनजीसी-45
		गेल-15
एएन-डीडब्ल्यूएन-2003/1	ओएनजीसी	ओएनजीसी-100

ईएनआई इंडियन लि. एक विदेशी कम्पनी है जो उपर्युक्त चार ब्लाकों में से एक ब्लाक में प्रचालक है।

(ङ) से (छ) इस समय अंडमान निकोबार अपतट क्षेत्रों में विकसित भंडार नहीं हैं।

नकली एल.पी.जी. सिलेंडर

4978. श्री रामदास आठवले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़े पैमाने पर नकली एलपीजी सिलेंडर चलन में है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान विशेषकर दिल्ली में ऐसे कितने मामले सामने आए; और

(ग) नकली एलपीजी सिलेंडरों के चलन को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने देश में बड़े पैमाने पर नकली एलपीजी सिलेण्डरों के चलन की सूचना नहीं दी है। फिर भी, पिछले वर्ष ओएमसीज द्वारा नकली सिलेण्डरों के कुछ मामले पकड़े गए थे। ओएमसीज ने वर्ष 2006-2007 के दौरान दिल्ली में 6 नकली सिलेण्डर पकड़े हैं।

(ग) ओएमसीज ऐसे निर्माताओं से एलपीजी सिलेण्डर खरीदती हैं, जो तेल उद्योग तकनीकी समिति (ओआईटीसी) द्वारा अनुमोदित हैं और जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और मुख्य नियंत्रक विस्फोटक (सीसीओई) से मान्य विनिर्माण लाइसेंस प्राप्त है। बीआईएस निर्माण प्रक्रिया पर कड़ा नियंत्रण रखता है। ओएमसीज द्वारा खरीदे गये एलपीजी सिलेण्डर अपेक्षित गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।

बाटलिंग संयंत्र पर वितरकों/ट्रांसपोर्टरों से प्राप्त एलपीजी सिलेण्डरों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता की अनिवार्य जांच की जाती है ताकि नकली और जर्जर सिलेण्डर चलन में न आने पायें। घटिया/नकली सिलेण्डर मिलने पर, उन्हें जब्त कर लिया जाता है और तत्पश्चात् उन्हें तोड़-मरोड़/कुचल दिया जाता है ताकि वे दोबारा चलन में न आने पायें।

नकली एलपीजी उपकरण के किसी आपूर्तिकर्त्ता के खिलाफ की जा सकने वाली कानूनी कार्यवाही के अलावा, यदि किसी वितरक के पास कोई नकली उपकरण मिले अथवा वह वितरण प्रणाली में ऐसे उपकरण को शामिल करें, तो विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपकरण की जब्ती, पहले और दूसरे अपराध के मामले में जुर्माना और दाण्डिक दर से वसूली का और तीसरे अपराध के मामले में डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति का प्रावधान है।

पड़ोसी देशों द्वारा सीमाओं/नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी

4979. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी देशों द्वारा सीमाओं/नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी के कारण कई परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इसके परिणामस्वरूप जान और माल का राज्य-वार कितना नुकसान हुआ; और

(ग) इन परिवारों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया तथा उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) पश्चिम क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर नवंबर, 2003 के बाद गोलीबारी की दो घटनाएं हुई हैं। तथापि, सीमावर्ती लोगों की जान-माल की कोई हानि नहीं हुई है। पूर्वी सीमा पर गोलीबारी की चार घटनाएं हुई हैं जिनमें चार सिविलियन मारे गए थे।

(ग) ऐसी गोलीबारी की घटनाओं को मुआवजे की राशि और पुनर्स्थापना के उपाय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, जम्मू-कश्मीर के मामले में इस राशि की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी व्यय के तहत की जाती है।

निर्यातोन्मुखी रिफाइनरी

4980. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जाम नगर स्थित निजी क्षेत्र की एक रिफाइनरी को निर्यातोन्मुखी इकाई का दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की कुछ तेल रिफाइनरियों को भी ऐसा दर्जा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को निजी क्षेत्र की उक्त रिफाइनरी से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कला और संस्कृति को बढ़ावा देना

4981. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा दे रही है और उसका विस्तार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा किए गए कार्यकलापों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक केन्द्रों को आवंटित की गई धनराशि और किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु संस्कृति मंत्रालय की अनेक स्कीमें हैं नामत:

(1) विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं हेतु व्यावसायिक समूहों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।

(2) भवन निर्माण/उपस्करों की खरीद हेतु सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता।

(3) जनजातीय/लोक कलाओं तथा संस्कृति के संवर्धन एवं प्रसार हेतु वित्तीय सहायता।

(4) युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति।

(5) उत्कृष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ शिक्षावृत्ति।

उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न संस्थान, अकादमियां तथा क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र कला और संस्कृति के संवर्धन के क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं। उपर्युक्त स्कीमों के तहत तथा संस्थानों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपने कार्यकलापों को जारी रखने के लिए अनेक संख्या में व्यक्तियों तथा संगठनों को सहायता दी जाती है।

सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र हैं जिन्हें देश में लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित करते हैं:-

(1) राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम,

(2) प्रलेखन,

(3) गुरु शिष्य परंपरा,

(4) रंगमंच सुदृढ़ीकरण, और

(5) युवा प्रतिभावान कलाकार।

(घ) वर्ष 2006-07 के लिए आवंटित निधियों तथा विभिन्न सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा किए व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	आवंटित निधियां/बजट (लाख रु. में)	वर्ष 2006-07 के दौरान व्यय (लाख रु. में)
1.	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	129.68	129.68
2.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर	150.57	150.57
3.	दक्षिण-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	134.27	133.65
4.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	301.47	301.47
5.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	252.85	250.49
6.	उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	166.16	166.14
7.	पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	175.00	174.00
	कुल	1310.00	1306.00

पायलटों/इंजीनियरों की लाइसेंसिंग नीति

4982. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुणवत्तापरक जनशक्ति के आमेलन की अनुमति देने के लिए पायलटों और इंजीनियरों की वर्तमान लाइसेंसिंग नीति को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पायलटों और इंजीनियरों की लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) विमानन कार्मिकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पायलटों व इंजीनियरों को लाइसेंस प्रदान करने की नीति को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(ख) और (ग) नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) की भूमिका व कार्यों की समीक्षा करने के लिए सरकार ने श्री एम.के. काव, भूतपूर्व सचिव (नागर विमानन) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने पायलटों व इंजीनियरों की लाइसेंसिंग प्रणाली पर अनेक सिफारिशें की हैं। इनमें शामिल हैं-कौशल परीक्षाओं के लिए सेम्यूलेटरों का प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रीय लाइसेंसिंग प्रणाली को ग्रहण करना, मानक करारों पर पाठ्यक्रम आरम्भ करना आदि। समिति ने पायलटों व इंजीनियरों के प्रशिक्षण मानकों में सुधार लाने के लिए भी अनेक सिफारिशें की हैं। सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय ने पायलटों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पायलटों हेतु उचित ग्राउंड प्रशिक्षण तथा विशिष्ट हैलीकाप्टर प्रचालनों के लिए विशेष प्रशिक्षण आरम्भ किए हैं।

यात्रियों के लिए सुविधाएं

4983. श्री मंजुनाथ कुन्नुर:
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के जाजपुर-क्योंझर रोड रेलवे स्टेशन, पंजाब के होशियारपुर रेलवे स्टेशन और कर्नाटक में कुछ रेलवे स्टेशनों पर रेलवे द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाएं/सुख-सुविधाएं संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) उड़ीसा के जाजपुर-क्योंझर रोड रेलवे स्टेशन, पंजाब के होशियारपुर रेलवे स्टेशन और कर्नाटक के सभी रेलवे स्टेशनों पर निर्धारित मानकों के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं। भारतीय रेल में स्टेशनों पर सुविधाओं का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और इसे स्टेशन पर संभाले जाने वाली यात्रियों की संख्या और धन की उपलब्धता तथा कार्य की सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाता है।

निजी एयरलाइन्स द्वारा उड़ानें रद्द करना

4984. डा. राजेश मिश्रा:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निजी एयरलाइन्स द्वारा उड़ानों में विलम्ब करने, उन्हें रद्द करने और यात्रियों को अन्य प्रकार से उत्पीड़न करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार ने दोषी एयरलाइन्स को दंड देने तथा उड़ान में विलम्ब/रद्द करने हेतु यात्रियों को मुआवजा देने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। 2005 से 2006 के दौरान अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों के विरुद्ध कुल 138 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो

मुख्य रूप से समान के लापता/खोने, उड़ान के विलम्ब/रद्द होने के मामले में टिकटों की कीमत की वापसी आदि से संबंधित हैं।

(ग) से (च) सभी एयरलाइनों को सलाह दी गई है कि उन्हें अपने संबंधित वेबसाइट पर उनके द्वारा यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं, निःशुल्क व शुल्कयुक्त को सुस्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए ताकि यात्री हवाई टिकट बुक कराने से पूर्व इन सेवाओं से अवगत हो सकें। सरकार समय-समय पर ऐसी सलाहों पर एयरलाइनों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करती है ताकि यात्री एयरलाइन विशेष द्वारा कराई जा रही सेवाओं के स्तर से अवगत हो सके।

अन्य देशों के साथ समझौते

4985. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सहित विश्व के पांच प्रमुख देश जो विश्व तेल उत्पादन के पचास प्रतिशत का उपभोग करते हैं, ने अपने हितों की रक्षा के लिए कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा अमरीका, चीन, जापान और कोरिया के साथ किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते से भारत को उचित मूल्य पर तेल और प्राकृतिक गैस प्राप्त करने और अन्य चार देशों से सहयोग पाने में किस प्रकार से सहायता मिलेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) चीन, भारत, जापान, कोरिया गणतंत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन देशों की तेल की खपत विश्व का लगभग आधा हिस्सा बैठती है, उन देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 16 दिसम्बर, 2006 को बीजिंग, चीन में हुई जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा, स्थायित्व और वहनीयता के प्रोन्नयन के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। अपने संयुक्त बयान में सभी इस बात पर सहमत थे कि निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया जाए ताकि उनकी सामूहिक ऊर्जा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाया जा सके।

(1) साफ और वैकल्पिक ऊर्जा जैसे साफ कोयला, नाभिकीय ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र सहित नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक व्यापक प्रयोग करने के लिए ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाना।

(2) ऊर्जा संरक्षण और क्षमता बढ़ाना जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और वहनीय विकास को प्राप्त करने में सहायता करने में लागत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तेल भंडारों के कार्यनीतिक भंडारण पर सहयोग सुदृढ़ करना।

(4) तेल बाजार के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए जानकारी को बेहतर ढंग से बांट कर बाजार में आंकड़ों को पारदर्शिता में सुधार लाना।

(5) ऊर्जा दक्षता, वैकल्पिक ऊर्जाओं और परिवहन सहित क्षेत्रों में पांच देशों के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच व्यापक और गहरे सहयोग को प्रोत्साहित करना।

उपर्युक्त उपायों से ऊर्जा सुरक्षा में भारत को सहायता मिलने की आशा है।

कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति

4986. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की धीमी प्रगति प्रगति को देखते हुए सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु चलाए गए सभी कार्यक्रमों को तेजी से कार्यान्वित करना सुनिश्चित करने तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति और उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं का आकलन करने के लिए पाक्षिक बैठक करनी शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय से यह पता चला है कि कई योजनाएं लक्ष्य से पीछे चल रही हैं क्योंकि ये योजनाएं केन्द्र द्वारा प्रायोजित होती हैं और राज्य सरकारें इन्हें कार्यान्वित करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो बार-बार होने वाली इन बैठकों से कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को सुधारने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में किस हद तक सहायता मिलेगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) इस मंत्रालय का अधिदेश समाज के अलाभान्वित वर्गों अर्थात् अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक विकास और वृद्ध व्यक्तियों व मादक पदार्थ दुरुपयोग के पीड़ितों की समाज रक्षा हेतु कार्य करना है। विभिन्न कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की आवधिक समीक्षा केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारियों और नामित एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय/क्षेत्रीय बैठकों, आवधिक निरीक्षण के माध्यम से की जाती है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय, निधियों के पूर्ण और उपयुक्त उपयोग की निगरानी हेतु राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सके।

तिरूवनंतपुरम रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

4987. **श्री पन्नियन रवीन्द्रन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिरूवनंतपुरम रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) किए गए/किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना अनुमानित व्यय होगा; और

(ग) प्रस्तावित कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) तिरूवनंतपुरम रेलवे स्टेशन उन चुनिंदा स्टेशनों में से एक है जिसे विश्व स्तर के स्टेशन के रूप में विकसित किया जायेगा। आधुनिकीकरण की योजना पर कार्रवाई की गयी है। आधुनिकीकरण का ब्यौरा अभी मुहैया कराया जाना है क्योंकि विश्व स्तर के स्टेशनों को एक कंसलटैंसी के जरिए विकसित किए जाने की योजना बनायी जा रही है जिसके लिए कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी गयी है। आधुनिकीकरण को सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए किए जाने की योजना है। इन सभी मामलों में रेलवे वाणिज्यिक उपयोग के लिए जमीन और आकाश क्षेत्र मुहैया कराएगी। प्रस्तावित आधुनिकीकरण कितनी समयावधि में पूरा हो जाएगा, यह अभी तय नहीं किया गया है।

नशा-मुक्ति केन्द्र खोलना

4988. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान विभिन्न राज्यों में नशा-मुक्ति केन्द्र खोलने हेतु काफी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा उनमें से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और राज्य-वार ऐसे केन्द्रों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में ऐसे नए केन्द्रों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नशा-मुक्ति केन्द्रों को खोलने के लिए प्राप्त और मंजूर प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) नशा-मुक्ति केन्द्रों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन एक जारी प्रक्रिया है और यह गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रस्तुत छमाही प्रगति रिपोर्ट/राज्य सरकार या मंत्रालय द्वारा नामित किसी अधिकारी की सिफारिश पर आधारित होती है।

विवरण

वर्ष 2005-06 व 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों व मंजूर किए गए प्रस्तावों की सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या		मंजूर प्रस्तावों की संख्या	जारी अनुदान लाख रुपए
	2005-06	2006-07		
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	7	2	1	1.35
अरुणाचल प्रदेश	2	0	1	4.56
असम	8	8	1	3.82
बिहार	9	7	-	-

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	2	2	-	-
दिल्ली	1	1	-	-
गुजरात	5	2	-	-
हरियाणा	0	2	1	1.35
हिमाचल प्रदेश	4	4	-	-
झारखंड	1	4	-	-
कर्नाटक	17	17	3	7.45
केरल	1	3	-	-
मध्य प्रदेश	6	49	1	1.92
महाराष्ट्र	1	18	1	2.48
मणिपुर	4	6	-	-
मेघालय	4	1	-	-
मिजोरम	1	2	-	-
नागालैंड	2	5	-	-
उड़ीसा	4	5	-	-
पंजाब	5	3	1	3.05
राजस्थान	10	19	-	-
तमिलनाडु	4	7	2	5.53
त्रिपुरा	0	1	-	-
उत्तरांचल	3	1	1	3.62
उत्तर प्रदेश	6	2	2	2.70
पश्चिम बंगाल	2	6	-	-

चालक रहित लड़ाकू विमान 'लक्ष्य' की परीक्षण उड़ान

4989. **श्री पंकज चौधरी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चालक रहित लड़ाकू विमान 'लक्ष्य' की परीक्षण उड़ान संचालित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परीक्षण उड़ान के क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) डिजिटल पायलटलैस टार्गेट एयरक्राफ्ट, लक्ष्य को आटोनोमस मोड में, उड़ाने और इंजन के कार्य-निष्पादन का

क्रमशः एक टाउ कन्फिगरेशन के साथ और एक स्टो कन्फिगरेशन के साथ मूल्यांकन करने के लिए एकीकृत परीक्षण रेंज, बालासोर में 3-5 जनवरी, 2007 और 5-9 मार्च, 2007 के दौरान दो 'लक्ष्य' विकास अभियान संचालित किए गए थे। दोनों ही अभियानों ने मिशन के मुख्य उद्देश्य पूरे किए।

केरोसिन की आपूर्ति

4990. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005 में समाज के विभिन्न तबकों को केरोसीन की मांग तथा विभिन्न मूल्य पर इसकी उपलब्धता का आकलन करने का एक वौनिक अध्ययन करने हेतु राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अध्ययन को पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अपमिश्रण, कम तोल और पी जी एस की जगह केरोसीन की अन्यत्र आपूर्ति को रोकने हेतु देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पोलीपैक में केरोसीन की आपूर्ति शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(च) सरकार द्वारा देश में जरूरतमंद उपभोक्ताओं को गैर अपमिश्रित केरोसीन की आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मिट्टी तेल की वास्तविक मांग आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने की दृष्टि से सरकार ने राष्ट्रीय अनुप्रयोग आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन सी ए ई आर) के माध्यम से इस विषय पर दिसम्बर, 2004 में एक अध्ययन कराया था। एन सी ए ई आर ने अक्तूबर, 2005 प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में वितरण के लिए दिये जाने वाले मिट्टी तेल की 2004 में कुल लीकेज/विपथन 38.6% होने का अनुमान लगाया है। एनसीएईआर द्वारा की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) से (च) आरंभ में चुनिंदा बाजारों में परीक्षण आधार पर छोटे पैकों में मिट्टी तेल की बिक्री आरंभ करने की योजना है जिससे ग्राहकों द्वारा छोटे पैकों में उत्पाद की स्वीकार्यता का निर्धारण किया जा सके। यह परिकल्पित है कि 1 लीटर के छोटे पैकों में मिट्टी तेल उन ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाएगा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

मिट्टी तेल में मिलावट नहीं की जाती है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल और पेट्रोल/डीजल के बीच उच्च मूल्य अंतर तथा इन उत्पादों के पेट्रोल/डीजल में आसानी से घुल जाने के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा मिट्टी तेल की कालाबाजारी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। पीडीएस मिट्टी तेल के विपथन को नियंत्रित करना एक सतत प्रक्रिया है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय समय-समय पर मिलावट को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की पुनरीक्षा करती रहा है। लक्षित लाभार्थियों के लिए राजसहायता प्राप्त पीडीएस मिट्टी तेल के वितरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल की कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी मिट्टी तेल (प्रयोग पर प्रतिबंध और उच्चतम मूल्य का निर्धारण) आदेश, 1993 के द्वारा ये प्रावधान किए है कि डीलर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर पी डी एस मिट्टी तेल नहीं बेच सकते हैं और पी डी एस मिट्टी तेल डीलरों को भण्डार के स्थान सहित व्यापार के ध्यानाकर्षी स्थान पर बोर्ड पर स्टाक एवं मूल्य लिखकर अवश्य दर्शाना चाहिए।

(2) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल नेटवर्क का आमूल चूल सुधार करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना का अनुमोदन किया है। यह अत्यधिक रियायती उत्पाद वास्तव में अभीष्ट लाभार्थियों को रियायती मूल्यों पर वांछित मात्राओं में उपलब्ध कराया जाए और द्वितीयतः इस प्रकार मिलावट के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल के विपथन को नियंत्रित, कम और अंततः समाप्त किया जा सके। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि उप थोक केन्द्रों को आपूर्तियां सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की प्रत्यक्ष निगरानी और उत्तरदायित्व के अंतर्गत की जाएंगी। यह योजना 2 अक्तूबर, 2005 से देश में 414 ब्लाकों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है। प्रायोगिक योजना को 30.06.2007 तक आगे बढ़ाया गया है।

(3) रियायती मिट्टी तेल का विपथन/चोरी को रोकने के मद्देनजर और पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने वाले टैंक ट्रकों के संचलन की निगरानी करने हेतु सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को सभी टैंक ट्रकों पर वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जी पी एस) आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रणाली स्थापित करने का परामर्श दिया है। इस प्रणाली की अनिवार्य विशेषता यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एस के ओ को ले जाने वाले वाहन पर एक उपकरण लगा होता है और इसके आपूर्ति स्थान से जाने और गन्तव्य तक पहुंचने तक इसका वास्तविक समय आधार पर पता लगाया जा सकता है।

(4) वाहन ईंधनों में मिलावट रोकने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को विभिन्न उपाय करने को कहा है जिसमें अपमिश्रकों में मार्कर प्रणाली आरंभ करना सम्मिलित है। ओएमसीज ने 1.10.2006 से अखिल भारत आधार पर मिट्टी तेल में मार्कर प्रणाली आरंभ कर दी है। नई प्रणाली के अंतर्गत सभी डिपुओं में मिट्टी तेल में मार्कर प्रणाली आरंभ कर दी है। नई प्रणाली के अंतर्गत सभी डिपुओं में मिट्टी तेल में मार्कर डाला जा रहा है। यह प्रणाली संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में परिवहन ईंधनों में मिलावट नियंत्रित करने और अंततः समाप्त करने के लिए विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी का आरंभ किए जाने की द्योतक है। मार्कर की उपस्थिति से मिट्टी तेल में मार्कर प्रणाली आरंभ करने के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए एमएस/एचएसडी नियंत्रण आदेश, 2005, मिट्टी तेल नियंत्रण आदेश, 1993 तथा एमडीजी 2005 को संशोधित किया गया है। मार्कर प्रणाली की प्रगति की निगरानी हेतु मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। साथ ही साथ निजी क्षेत्र में तेल विपणन कंपनियों से भी मिट्टी तेल में मार्कर आरंभ करने के लिए कहा गया है, जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा किया जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की सिफारिशें

1. हालांकि प्रत्येक राज्य में मिट्टी तेल की निगरानी प्रणाली के दो या तीन स्तर हैं, यह प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल के रिसावों और विपथन को नियंत्रित करने के लिए निष्प्रभावी है। इसके परिणामस्वरूप लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य के दुगने से अधिक मूल्य पर बाजार से मिट्टी तेल खरीदने के लिए विवश होना पड़ता है। इसलिए निगरानी प्रणाली के पूर्णतः सुधार करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

2. हम यह सोचते है कि गांवों में पंचायती राज संस्थानों और नगरीय क्षेत्रों में प्रयोक्ता समितियों को सम्मिलित करके समस्या कुछ हद तक सुलझाई जा सकती है। तथापि यह सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि परिवारों के लिए अभीष्ट मिट्टी तेल खुदरा विक्रेताओं के यहां सही समय और सही मात्रा में पहुंचे।

3. हालांकि अधिकांश बी पी एल परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अपनी पूरी हकदारी खरीद करने में समर्थ हैं। कुछ परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अपनी पूरी हकदारी खरीद करने में समर्थ नहीं है। इसका कारण गरीबी है। दिहाड़ी कमाने वाले व्यक्ति के लिए एक बार में पांच लीटर मिट्टी तेल खरीदना भी कठिन है। लगभग आधे परिवार अपनी पूरी हकदारीं एक बार में नहीं खरीद सकते और बाकी अन्य लकड़ी, फसल अपशिष्ट उपलों इत्यादि जैसे सस्ते ईंधनों का प्रयोग करते हैं।

4. सरकार को बी पी एल परिवारों को मिट्टी तेल के वितरण की बारम्बारता की जांच करनी चाहिए और इसे बी पी एल कार्डधारकों के लिए मासिक/पाक्षिक आधार से साप्ताहिक आधार में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे दिहाड़ी कमाने वाले लोगों को अपनी साप्ताहिक हकदारी लेने में मदद मिलेगी।

5. राज्य विशिष्ट शुल्क कुछ राज्यों में बहुत अधिक हैं पर यह समस्या राज्य स्तर के कार्यान्वयन से आंशिक रूप से सुलझाई जाती है। पर वैट के कार्यान्वयन से मूल्य उन राज्यों में कम हो गए हैं यहां राज्यस्तर के शुल्क उच्च थे पर ये वहां बढ़ गए हैं जहां राज्य स्तर से कर कम थे।

6. मिट्टी तेल मूल्यों में कोई अंतर और अंतः राज्य भिन्नता नहीं होनी चाहिए। राज्यों को पूरे राज्य में मिट्टी तेल का समान खुदरा बिक्री मूल्य रखने पर विचार करना चाहिए।

7. भिन्न राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार के कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल का आबंटन

करने के लिए भिन्न मानदंडों का पालन करती हैं। आमतौर पर आबंटन इस बात पर निर्भर करता है कि क्या परिवार के पास एल पी जी कनेक्शन है या नहीं। तथापि हमने यह पाया कि विभिन्न प्रकार के कार्डधारकों की मिट्टी तेल की आवश्यकता उनकी खपत के वर्तमान स्तर से अधिक है। अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण बी आर एल कार्ड धारकों की औसत वर्तमान आवश्यकता उनकी खपत के उनके वर्तमान स्तर से 18 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार ए पी एल और अन्य कार्ड धारकों के लिए वर्तमान आवश्यकता क्रमशः 13 और 24 प्रतिशत अधिक है। नगरीय क्षेत्रों में बी पी एल, ए पी एल और अन्य कार्ड धारकों की वर्तमान आवश्यकता खपत के उनके वर्तमान स्तर से क्रमशः 12.7 और 18 प्रतिशत अधिक है।

8. परिवारों को मिट्टी तेल से वर्तमान मांग (पूरी न की गई मांग को मिलाकर) सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल की बिक्री की लगभग 93 प्रतिशत है। उचित निगरानी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल वितरण में रिसावों को बन्द करके और राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल के दोबारा आबंटन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल की बिक्री का वर्तमान स्तर मिट्टी तेल की पूरी न की गई मांग को पूरा करेगा।

9. जहां तक, ताप (खाना पकाना और पानी गर्म करना) का संबंध है मिट्टी तेल की मांग मूल्य के प्रति संवेदनशील है। रोशनी के लिए मिट्टी तेल की मांग मूल्यों में परिवर्तन के बारे में परिवर्तित नहीं होगी। चूंकि मिट्टी तेल की लगभग 61 प्रतिशत खपत रोशनी के लिए है इसलिए मिट्टी तेल की मांग पर मूल्य में परिवर्तन का अधिक प्रभाव नहीं होगा। मिट्टी के तेल के मूल्य में एक प्रतिशत वृदिध ताप के लिए मिट्टी तेल की मांग 0.23 प्रतिशत और समग्र मिट्टी तेल मांग 0.11 प्रतिशत कम करेगी। इस प्रकार मिट्टी तेल की मांग सापेक्ष रूप से मूल्य की दृष्टि से लोचहीन है। मिट्टी तेल में वृद्धि से कुछ ग्रामीण परिवार अन्य गैर-वाणिज्यिक ईंधनों जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, उपलों इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग मिट्टी तेल की जगह एल पी जी का उपयोग करेंगे। तथापि मिट्टी तेल मूल्यों में परिवर्तन यदि क्रमिक है और यह दो या तीन वर्षों में नहीं किया जाता, तो मिट्टी तेल की मांग और कम नहीं होगी।

10. परिवारों को मिट्टी तेल के वितरण में उसी पद्धति का पालन किया जाना चाहिए जिसका अनाजों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किया जाता है। सभी ए पी एल कार्ड धारक परिवारों को मिट्टी तेल बाजार मूल्य (सरकार को आर्थिक लागत के रूप में) पर खरीदना चाहिए और रियायती सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल केवल बी एल, अन्नपूर्णा, अंत्योदय इत्यादि के कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

11. सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल कुछ तटीय राज्यों में मछली पकड़ने के लिए आपूर्त किया जाता है। केरल अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आबंटन से मछुआरा समुदाय को मिट्टी तेल की बड़ी मात्रा प्रदान कर सकता है। मछली पकड़ने के लिए मिट्टी तेल की आवश्यकता गैर-सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य पर आपूर्त की जा सकती है।

12. ए पी एल कार्ड धारकों को राजसहायताओं के अधिकार क्षेत्र से निकालने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल में वर्तमान मिट्टी तेल राजसहायता की 41.2 प्रतिशत बचत होगी। यदि रिसाव को नियंत्रित किया जाता है तो यह बचत सरकार के बी पी एल परिवारों के लिए रियायती मिट्टी तेल का मूल्य निम्न स्तर पर रखने के लिए पर्याप्त सम्भावना दे सकती है।

निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

4991. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा' योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और खर्च की गई;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उसके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और उपलब्धियां हासिल हुईं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने निःशक्त बच्चे कवर हुए?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) कोई नई योजना हाल ही में शुरू नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) तथापि, एक योजना 1974 में प्रारम्भ की गई थी और फिलहाल इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। योजना मांग आधारित है और लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया जाता। योजना के अंतर्गत व्यय और लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2004-05, 2005-06, 2006-07 के दौरान आईईडीसी की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत व्यय और शामिल लाभार्थी

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05		2005-06		2006-07	
		वर्ष के दौरान व्यय (लाख रुपए)	वर्ष के दौरान शामिल लाभार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान व्यय (लाख रुपए)	वर्ष के दौरान शामिल लाभार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान व्यय (लाख रुपए)	वर्ष के दौरान शामिल लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	113.33	1319	39.02	463	292.05	1517
2.	अरुणाचल प्रदेश					0	
3.	असम	39.13	350	39.61	471	14.04	
4.	बिहार	2.22	50	5.29	4460	0	
5.	छत्तीसगढ़	19.81	198	7.45		15.62	
6.	गुजरात	765.87	35100	690.66	38247	1302.46	40720
7.	गोवा					0	
8.	हरियाणा	81.75	12673	76.49	432	39.64	
9.	हिमाचल प्रदेश			502.86		0	
10.	झारखंड					0	
11.	कर्नाटक	772.91				1606.01	21302
12.	केरल	349.33	35679		37338	409.35	35046
13.	मध्य प्रदेश	150.31	73750	1518.5	74623	4.82	65249
14.	महाराष्ट्र	184.75	2022	92.07	344	377.3	1912
15.	मणिपुर	130.69		18.41	1680	0	
16.	मेघालय	1.64				0	
17.	मिजोरम	61.46		50.27	3753	53.14	4524
18.	नागालैंड	18.54		4.18	1800	7.72	

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	उड़ीसा	215.2	3000	79.99	1301	156.03	
20.	पंजाब					0	
21.	राजस्थान	68.76	2300	103.04	2633	16.46	
22.	सिक्किम					11.07	527
23.	तमिलनाडु	320.42	2471	149.87	2321	277.6	2766
24.	त्रिपुरा					12	1700
25.	उत्तर प्रदेश	50.38		50.2	732	17.73	
26.	पश्चिम बंगाल	168.93	38325	598.08	38325	450.6	105921
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	7.85	1069	17.01	1069	0	
28.	दादरा व नगर हवेली					0	
29.	दमन व दीव					0	
30.	चंडीगढ़					0	
31.	दिल्ली	104.81	2033	49.91	1470	89.23	2358
32.	पांडिचेरी	11.72	60	4.94	60	9.97	66
	कुल	3657.51	210399	4147.96	211522	5128.61	283608

*उपलब्ध प्रगति रिपोर्ट/प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार।

नदी बेसिन में अन्वेषण

4992. श्री अनन्त नायक: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) को कृष्णा और गोदावरी बेसिन का विकास करने का काम सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक काम में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या उड़ीसा में किसी अन्य नदी बेसिन पर इसी प्रकार का विकास अथवा दोहन/अन्वेषण कार्य शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ओएनजीसी अथवा किसी अन्य तेल कंपनी किस अन्य नदी बेसिन पर इसी प्रकार का काम शुरू किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) को देश में अपने प्रचालनात्मक क्षेत्रों में अन्वेषण और उत्पादन क्रियाकलाप करने का काम सौंपा गया है, जिनमें कृष्णा-गोदावरी बेसिन, जमीनी और अपतटीय, जिनके अंतर्गत नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी-6 दौर) के तहत छह अन्वेषण ब्लाक समेत 22 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) क्षेत्र और 30 पेट्रोलियम खनन लाइसेंस (पीएमएल) क्षेत्र सम्मिलित हैं।

(ख) ओएनजीसी ने 8231 लाइन किलोमीटर (एलकेएम) 2 आयामी (2डी) भूकम्पीय आंकड़ों, 10359 वर्ग कि.मी. 3 आयामी भूकम्पनीय आंकड़ों का अर्जन किया है और अब तक 13 कूपों का वेधन किया है। ब्लाक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 में चार खोजें की गई हैं। सभी खोजें वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए निर्धारण के अधीन हैं। वाणिज्यिक्ता का पता लगाने के बाद उनकी विकास योजना पर विचार किया जाएगा।

1.4.2007 की स्थिति के अनुसार ओएनजीसी ने केजी जमीनी में 384 अन्वेषणात्मक और 57 विकासकूपों, केजी उथले जल में 101 अन्वेषणात्मक और 3 विकास कूपों और केजी गहन जल में 45 अन्वेषणात्मक और 2 विकास कूपों का वेधन किया है।

(ग) जी, हां। सरकार ने उड़ीसा तट से परे महानदी और उत्तर पूर्व तट (एनईसी) बेसिन में 20 अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए हैं।

(घ) अब तक उड़ीसा तट से परे 20958 एलकेएम 2 डी भूकम्पीय 15990 वर्ग किलोमीटर 3डी भूकम्पीय अर्जन और 20 प्रदान किए गए ब्लाकों में 14 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन पूरा किया जा चुका है। इन बेसिनों में आठ खोजें की गई हैं। अपतटीय क्षेत्रों में ओएनजीसी ने 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार 10947 एलके 2डी और 13224 वर्ग किलोमीटर 3डी आंकड़े प्राप्त किये है। अब तक ओएनजीसी ने अपतटीय ब्लाकों में तीन अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया है जिसके परिणामस्वरूप ब्लाक एमएन-एसएन-2000/2 में गैस की खोज हुई है, इससे महानदी बेसिन भारत के हाइड्रोकार्बन नक्शे पर आ गया है।

(ङ) कावेरी बेसिन, प्राणहिता गोदावरी बेसिन और गंगा घाटी बेसिन अन्य ऐसे नदी बेसिन हैं जहां विभिन्न कम्पनियों द्वारा अन्वेषण कार्य आरम्भ किया गया है।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन के अलावा ओएनजीसी और अन्य तेल कम्पनियां कैम्बे, राजस्थान, असमशेल्फ, एएफबी, गंगा हिमालयन अग्रभूमि, बंगाल सेबिन, महानदी, कावेरी, विन्ध्य, दक्षिण टीवा बेसिनों और अंडमान-निकोबाद अपतट सहित देश के पूर्वी और पश्चिमी तट से परे के अपतटीय भागों में अन्वेषण कर रही है।

[हिन्दी]

ट्रेनों में फूड पैकेट योजना

4993. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा देश में रेलयात्रियों को उपलब्ध खान-पान सुविधाओं में आ रही निरन्तर गिरावट को देखते हुए एक नई फूड पैकेट योजना शुरू की गई है, जैसाकि दिनांक 21 अप्रैल, 2007 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में इस योजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे फूड की गुणवत्ता की जांच की जा रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (च) रेलवे द्वारा भोजन की कोई भी नई पैकेट योजना शुरू नहीं की गई है। रेलवे स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में रेल यात्रियों को लंबे समय से जनता खाना (सस्ता भोजन) उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें पूरियां, रसेदार आलू और अचार शामिल होता है। यही परंपरा अपनायी जा रही है ताकि यात्रियों को शीघ्र, पहले से पैक किया गया गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

[अनुवाद]

जैव-ईंधन के उत्पादन में निवेश

4994. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएपीआरआई) द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारत में जैव-ईंधन के उत्पादन में अधिक निवेश करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्ययन में इस भय को दूर किया गया है कि जैव-ईंधन उत्पादन से कृषि उत्पादन में कमी आएगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की अध्ययन पर क्या प्रतिक्रिया है और ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, नहीं। अमरीका स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारत में जैव-ईंधन के उत्पादन में अधिक निवेश के लिए आग्रह करने की कोई जानकारी इस मंत्रालय को नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

युद्ध में हताहत हुए लोगों के लिए समान कल्याण पैकेज

4995. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री ए. साईं प्रताप:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न परिस्थितियों में 'रक्षा कर्मियों की मृत्यु के मामले में दी जा रही सुविधाओं/सहायता और मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ख) करगिल संघर्ष के दौरान तथा घुसपैठियों/आतंकवादियों से मुकाबला करते समय मारे गए और घालय हुए सैनिकों के निकट संबंधियों को दिए गए कल्याण पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय सेना ने करगिल संघर्ष के दौरान मारे गए और घायल हुए सैनिकों के निकट संबंधियों को दी गई ''अधिक राशि'' के समान सभी तरह के युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए सरकार से एक ''समान कल्याण पैकेज'' देने की मांग की है जैसाकि दिनांक 24 अप्रैल, 2007 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) उक्त पैकेज में अनुमानित कितनी राशि व्यय होने की संभावना है; और

(च) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) आतंकवादियों द्वारा मारे गए सशस्त्र सेना कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह-प्रतिपूर्ति के मामले को छोड़कर वही लाभ दिए जाते हैं जो युद्ध अथवा युद्ध जैसी स्थिति में मारे गए कार्मिकों के परिवारों को स्वीकार्य हैं। युद्ध/युद्ध जैसी संक्रियाओं में मारे गए कार्मिकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तथा आतंकवादियों अथवा आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई, आदि में मारे गए कार्मिकों के परिवारों को 7.5 लाख रुपए अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है।

कारगिल संघर्ष के दौरान चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त किए गए नि:शक्त सैनिकों को निम्नलिखित पैकेज दिए जाते हैं:

(1)	रिहायशी यूनिट	5.00 लाख रुपए
(2)	माता-पिता सहायता	2.00 लाख रुपए
(3)	बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता अधिकतम 2 बच्चों तक 1.00 लाख रु. प्रति बच्चे के हिसाब से	2.00 लाख रुपए

अन्य आपरेशनों के चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त किए गए नि:शक्त सैनिकों को सेना केंद्रीय कल्याण निधि से 1 लाख रुपए मिलता है। सैनिकों के बच्चों को शिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति, पुस्तकों की 250/- रुपए तक कीमत, पहले वर्ष के दौरान 810/- रुपए तक वर्दी की कीमत तथा उसके बाद 350/- रुपए तथा वस्त्रादि की कीमत पहले वर्ष के लिए 250/- रुपए तथा बाद के वर्षों के लिए 150/- रुपए दिए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) उनसे आपरेशन विजय तथा अन्य चालू आपरेशनों के निकटतम संबंधियों को भुगतान किए जाने वाले प्रतिपूर्ति पैकेज में विषमता दूर किए जाने के लिए कहा गया है। उक्त पैकेज में 622.77 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय किए जाने की संभावना है। युद्ध/युद्ध जैसी संक्रियाओं तथा प्रति-विद्रोही आपरेशनों में मारे गए रक्षा कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को 10 लाख रुपए की एक समान अनुग्रह राशि दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ चर्चा करके विचार किया जा रहा है।

विवरण

विभिन्न परिस्थितियों में रक्षा कार्मिकों की मृत्यु के मामले में निकटतम संबंधी को मुहैय्या कराई जा रही सुविधाओं/सहायता तथा क्षतिपूर्ति का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

1. सामान्य परिस्थितियों में/प्राकृतिक कारणों की वजह से मृत्यु के लिए:-

परिवार पेंशन: 7 वर्षों के लिए अंतिम आहरित वेतन के 50% की दर पर साधारण परिवार पेंशन तथा उसके बाद आजीवन/पुनर्विवाह तक अंतिम आहरित वेतन के 30% की दर पर।

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान:

सेवा की अवधि	राशि
(1) 1 वर्ष से कम	दोगुना वेतन
(2) 1 से 5 वर्ष	छह गुणा वेतन
(3) 5 से 20 वर्ष	बीस गुणा वेतन
(4) 20 वर्ष से अधिक	अधिकतम 33 वर्ष के अध्यधीन प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने का वेतन अथवा 3.5 लाख रु. इनमें से जो भी कम हो।

सेना सामूहिक बीमा निधि: अफसरों के निकटतम संबंधी को 15 लाख रु. तथा अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए 7.5 लाख रुपए।

रक्षा सेवा अफसर भविष्य निधि: मृतक के खाते में संचित निधि

2. सैन्य सेवा के कारण/उसकी वजह से उसमें वृद्धि होने के कारण हुई मृत्यु।

परिवार पेंशन: मृतक द्वारा आहरित अंतिम संगणनीय परिलब्धियों के 60% की दर पर विशेष परिवार पेंशन।

अनुग्रह राशि: वास्तविक ड्यूटी के निर्वाह के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए।

अन्य लाभ: जैसे मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान, सेना सामूहिक बीमा निधि, रक्षा सेवा अफसर भविष्य निधि उपर्युक्त जैसे ही रहेंगे।

3. युद्ध, युद्ध जैसे आपरेशनों, सीमा पर झड़पों तथा आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में मृत्यु के लिए।

परिवार पेंशन: मृतक द्वारा आहरित अंतिम संगणनीय परिलब्धियों के समान उदारीकृत परिवार पेंशन।

अनुग्रह राशि

(1) सीमा पर झड़पों, आतंकवादियों/उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों में मृत्यु के लिए 7.50 लाख रुपए।

(2) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, युद्ध जैसी संक्रियाओं में, जिन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया गया हो, शत्रु की कार्रवाई के दौरान मृत्यु के लिए 10 लाख रुपए।

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान, सेना सामूहिक बीमा निधि, डीएसओपी जैसे अन्य लाभ उपर्युक्त जैसे ही होंगे।

4. केवल आपरेशन विजय (कारगिल) के सभी युद्ध हताहतों के निकटतम संबंधियों को राष्ट्रीय रक्षा निधि से एक व्यापक पैकेज का भुगतान किया जाता है। इसके ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

घातक रूप से हताहत

(क)	अनुग्रह राशि (केंद्र सरकार)	-	10.00 लाख रु.
(ख)	आवास इकाई (राष्ट्रीय रक्षा निधि)	-	5.00 लाख रु.
(ग)	माता-पिता सहायता (राष्ट्रीय रक्षा निधि)	-	2.00 लाख रु.
(घ)	बच्चों की शिक्षा सहायता (राष्ट्रीय रक्षा निधि)	-	अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रति बच्चा 1 लाख रुपए की दर से 2.00 लाख रुपए
	कुल	-	19.00 लाख रु.

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिकों को शिक्षा रियायतें, व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में सीटों के आबंटन में प्राथमिकता, सैनिक और मिलिट्री स्कूलों में आरक्षण, युद्ध स्मारक हास्टलों में आवास, रेल/हवाई यात्रा रियायतें, कैंटीन स्टोर सुविधाएं, पारगमन सुविधाएं आदि सहित व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

केरल के लिए रेल सेवा

4996. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को देश के अन्य भागों में रह रहे केरल के लोगों और पर्यटकों को केरल से मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली और कानपुर के लिए अपर्याप्त रेल सेवाओं के कारण हो रही परेशानी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों से केरल के लिए अधिक और रेलगाड़ियां चलाने के बारे में रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) 2007-2008 के दौरान तिरूवंतपुरम-मुंबई गरीब रथ चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए ग्रीष्मकाल 2007 के दौरान केरल-मुंबई के बीच 52 ग्रीष्कालीन विशेष रेलगाड़ियां और केरल-दिल्ली के बीच

22 ग्रीष्मकालीन रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। अहमदाबाद के रास्ते गाड़ी संख्या 6311/6312 तिरूवनंतपुरम-बीकानेर एक्सप्रेस का भार 2 स्लीपर और 1 वातानुकूलित 3 टियर सवारी डिब्बे लगाकर 18 से बढ़कर 21 कर दिया गया है।

विदेशों में राइट्स की परियोजनाएं

4997. श्री चंद्रकांत खैरे: *क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या राइट्स ने विदेशों में कुछ परियोजनाओं का काम लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय विदेशों में कितनी परियोजनाएं चल रही हैं;

(घ) इन परियोजनाओं से राइट्स को कुल कितनी आय हुई है;

(ङ) इस समय कितने प्रस्ताव निष्पादन की स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(च) क्या विदेशों में राइट्स की कुछ परियोजनाएं स्थगित कर दी गई;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या राइट्स के अधिकारियों ने संबंधित देशों के साथ आवश्यक सुरक्षा और संरक्षा के मुद्दे पर बात कर ली है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राइट्स द्वारा विदेशों में और परियोजनाओं को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राइट्स द्वारा विभिन्न देशों जिनमें अफगानिस्तान, अंगोला, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, बोट्सवाना, कोलम्बिया, इथोपिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, जार्डन, केन्या, मलेशिया, माली, मोजांबिक, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, सेनेगल, श्रीलंका, सुडान, तंजानिया, टर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूगांडा और वियतनाम प्रमुख हैं में 87 परियोजनाएं शुरू की गयी हैं। इनमें से 44 परियोजनाएं चल रही हैं।

(ग) इस समय 43 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

(घ) राइट्स को पिछले तीन वर्षों में इन परियोजनाओं से लगभग 308 करोड़ रुपये की कुल आमदनी हुई है।

(ङ) 8 परियोजनाओं में राइट्स ने अपना प्रस्ताव दिया है जो विभिन्न ग्राहकों के विचाराधीन है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) जी हां, राइट्स द्वारा विदेशों में अपनी परियोजनाओं को ग्रहण करने के दौरान सामान्य संरक्षा और सुरक्षा से संबंधित सावधानियां बरती जाती हैं। ग्राहकों के साथ अनुबंधित ठेकों में अपेक्षित संरक्षा और सुरक्षा को शामिल किया जाता है। तथापि विदेशी परियोजनाओं के लिए नियुक्त किए गए राइट्स के कर्मियों को स्थानीय भारतीय दूतावास, उच्चायोग के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने की हमेशा हिदायत दी जाती है।

(झ) राइट्स एक व्यावसायिक संगठन होने के नाते भारतीय/अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना विरत पोषण एजेंसियों अर्थात् एक्जिम बैंक, विदेश मंत्रालय, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक और दूतावासों आदि के साथ संपर्क के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में नयी परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयासरत रहती है और ग्राहकों द्वारा मांगी गयी खुली निविदा प्रतिस्पर्धा में भी भाग लेती है।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों के लिए एनजीओ को अनुदान में कटौती

4998. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एनजीओ को दिए गए अनुदान में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वित्तीय संकट और इन एनजीओ द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे संस्थानों के सामने आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) उन गैर-सरकारी संगठनों जिन्होंने पिछले सात वर्षों से इस मंत्रालय से अनुदान प्राप्त किया है, पर दो वर्ष के अंतराल पर सहायता अनुदान में 5% की कटौती करने का निर्णय लिया गया है, तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं को छूट दी गई है। धीरे-धीरे वर्तमान गैर-सरकारी संगठनों को आत्मनिर्भर बनाने और सेवा रहित क्षेत्रों में नए गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों का उन्नयन

4999. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोटा मंडल में कोटा, बूंदी और बारां रेलवे स्टेशनों तथा झालावाड जिले में स्थित रेलवे स्टेशनों के उन्नयन और सौंदर्यीकरण संबंधी विकास योजनाओं और इनके लिए किए गए धनराशि संबंधी प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यों में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए इन कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त क्षेत्रों में गत तीन वर्षों से जारी किन्तु अभी तक पूरे न हुए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) चालू निर्माण कार्य निम्नानुसार हैं:

कोटा: नया बुकिंग कार्यालय [21.80 लाख रुपए-पूरा करने की लक्ष्य तिथि (टीडीसी)- 31.07.2007], प्लेटफार्म संख्या 5 पर सुविधाओं का उन्नयन (19.13 लाख रुपए-टीडीसी-30.07.2007), प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 पर पूरा सायवान (200 लाख रुपए-टीडीसी 31.12.2008) तथा नया ऊपरी पैदल पुल (128 लाख रुपए-टीडीसी-31.03.2008)

बारां: माल शेड के क्षेत्र में एसफाल्टिंग की योजना (36 लाख रुपए-टीडीसी-31.03.2008)

बूंदी: माल लदान प्लेटफार्म के लिए सड़क पर एसफाल्ट बिछाना (16.5 लाख रुपए-कार्य पूरा किया गया) तथा माल प्लेटफार्म पर एसफाल्ट बिछाना (29.38 लाख रुपए-टीडीसी-31.03.2008)

चौमहला: प्लेटफार्म संख्या 1, 2 और 3 के प्लेटफार्म सतह का विस्तार और सुधार (22 लाख रुपए-कार्य पूरा किया गया)

तालावली: फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग की व्यवस्था कर के प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 में सुधार करना (1.9 लाख रुपए-टीडीसी-31.12.2007)

झालावार रोड: 24/26 सवारी डिब्बों वाली गाड़ियों के लिए प्लेटफार्म के विस्तार का कार्य (27 लाख रुपए-टीडीसी-31.12.2007) तथा नए स्टेशन भव का निर्माण (14.07 लाख रुपए का कार्य पूरा किया गया)

भवानी मंडी: प्लेटफार्म संख्या 1 पर कोटा पत्थर की फ्लोरिंग की व्यवस्था करना (2 लाख रुपए-कार्य पूरा किया गया) परिपथन के क्षेत्र में सुधार (1.98 लाख रुपए-कार्य पूरा किया गया) कोच गाइडिंग तथा मूविंग डिस्प्ले बोर्डों की व्यवस्था (29.57 लाख रुपए-कार्य पूरा किया गया) तथा फ्लड लाइट मास्ट की व्यवस्था (3.72 लाख रुपए-कार्य किया गया)

(घ) कोटा मंडल पर इस तरह का कोई कार्य नहीं है।

ऐतिहासिक दस्तावेज

5000. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अभिलेखागार में पड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण सुचारू रूप से नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दस्तावेजों के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में ऐतिहासिक दस्तावेजों के परिरक्षण और संरक्षण हेतु पर्याप्त पूर्वोपाय करके उनका समुचित रूप से परिरक्षण किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे गए इन दस्तावेजों के परिरक्षण हेतु भंडारण क्षेत्र में अनुकूल व्यवस्था, धूम्रीकरण, उचित आंतरिक रख-रखाव तथा पुनरुद्धार संबंधी संरक्षण (रासायनिक उपचार तथा सुदृढ़ीकरण) जैसे परिरक्षण संबंधी सभी संभव उपाय किये जाते हैं।

जैव कृषि

5001. **श्री पी.सी. थामस:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास जैव कृषि से उत्पादित खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण, संरक्षण और प्रमाणीकरण को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिसमें जैव कृषि से उत्पादित खाद्य पदार्थों का निर्माण करने वाली यूनिटें शामिल हैं, को वित्तीय सहायता देता है। वैसे जैव उत्पादों के उत्पादन, संवर्धन, बाजार विकास और प्रमाणन के लिए ''राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना'' नामक एक नई स्कीम लागू करने के लिए कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में एक जैव खेती सेल की स्थापना की गई है। इस परियोजना के तहत ताजे और प्रसंस्कृत फल और सब्जियों जैसी अनेक बागवानी उपजों और चाय, काफी, मसाले, तिलहन और दालों आदि को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा लागू किए जा रहे राष्ट्रीय जैव उत्पादन कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं-

(1) जैव उत्पादन और प्रमाणन स्कीम के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार करना।

(2) प्रमाणित जैव उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया निर्धारित करना।

(3) प्रमाणित करने वाली एजेंसियों का प्रत्यायन।

(4) राष्ट्रीय जैव उत्पादन कार्यक्रम के दस्तावेजों को अद्यतन करना।

(5) समूह प्रमाणन की शुरूआत करना, प्रशिक्षण के जरिए जागरूकता कार्यक्रम।

देश में रेल इंजन के कारखाने

5002. **श्री एस.के. खारवेन्थन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क). क्या रेलवे के पास देश में डीजल/विद्युत रेल इंजन के कारखाने स्थापित करने के लिए नए प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है, इसकी अनुमानित लागत और तत्संबंधी उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(ग) नए कारखानों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां। 2006-07 के पूरक बजट में एक डीजल इंजन रेल कारखाना लगाने का अनुमोदन दिया गया है और एक विद्युत रेल इंजन कारखाना लगाने का प्रस्ताव रेलवे बजट 2007-08 में शामिल किया गया है।

(ख) डीजल रेल इंजन कारखाना मरहोवरा, बिहार में और विद्युत रेल इंजन कारखाना, मधेपुरा, बिहार में लगाना प्रस्तावित है। डीजल रेल इंजन लोको कारखाने की प्रत्याशित लागत 2052.58 करोड़ रुपए और विद्युत रेल इंजन कारखाने की प्रत्याशित लागत 12931.57 करोड़ रुपए हैं। डीजल रेल इंजन कारखाने की उत्पादन क्षमता 150 रेल इंजन प्रतिवर्ष और बिजली रेल इंजन कारखाने की उत्पादन क्षमता 120 रेल इंजन प्रतिवर्ष है।

(ग) डीजल रेल इंजन कारखाने के पूरा करने की संभावित समय 4 वर्ष और विद्युत रेल इंजन कारखाने का 3 वर्ष है।

बीबी नगर-नल्लापड्डु रेल लाइन का दोहरीकरण

5003. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बीबी नगर-नल्लापड्डु रेल लाइन परियोजना के दोहरीकरण का कार्य स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) नल्लापडु-पागीदिपाली-बीबीनगर लाइन के दोहरीकरण के लिए एक सर्वेक्षण 1998-99 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार इस 243 किमी. लंबी लाइन के दोहरीकरण की लागत 0.973% प्रतिफल दर के साथ 304.37 करोड़ रुपये आंकी गयी थी। परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति को ध्यान में रखते हुए चालू परियोजनाओं के भारी बकाया कार्य और संसाधनों के अभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

टिकट प्रतिदाय नियम

5004. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता आयोग ने टिकट प्रतिदाय नियमों को प्रयोक्ता हितैषी और सरल बनाने के लिए रेलवे को निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे समय-सारणी

5005. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे समय सारणी क्षेत्रीय भाषाओं विशेषकर तमिल में भी प्रकाशित होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे समय सारणी को तमिल और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) जोनल रेलवे द्वारा प्रकाशित समय सारणी तमिल, तेलगू, मलयालम, मराठी, बंगाली और असमिया में रिलीज की जाती हैं। ये प्रतिवर्ष सामान्यतः जुलाई के महीने में रिलीज की जाती हैं।

विमानपत्तनों के निर्माण के लिए मानदण्डों में छूट

5006. श्री संतोष गंगवारः
श्रीमती नीता पटैरियाः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक ही शहर में दो अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को अनुमति देने वाले कतिपय मानदण्डों में छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में निर्णय के कब तक लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) हवाईअड्डा अवसंरचना पर प्रचलित नीति के अनुसार सामान्यतः मौजूदा हवाईअड्डे के 150 किलोमीटर की वैमानिक दूरी के भीतर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण की अनुमति नहीं है। जब कभी एक ही शहर में या उसके समीप किसी दूसरे हवाईअड्डों को अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो दो हवाईअड्डों के बीच यातायात के वितरण के लिए मानदण्ड स्पष्ट रूप से उल्लेखित होते हैं।

[हिन्दी]

आरक्षण काउंटरों पर छापे

5007. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के प्रमुख वाणिज्यिक प्रबंधक और सतर्कता संगठन ने ब्रेक वेनों और आरक्षण काउंटरों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिक सामान लादने आदि के लिए क्या शास्ति लगाई गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान अधिक सामान के लदान और अन्य अनियमितताओं में लिप्त अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे ने क्या ठोस कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) ब्रेकवेन और आरक्षण काउंटरों पर अनियमितताओं को रोकने के लिए वाणिज्य और सतर्कता विभाग के द्वारा औचक जांचे की जाती हैं। जांचों का ब्यौरा क्षेत्रीय रेलों से इकट्ठा किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

रेलगाड़ियों में लूटपाट

5008. श्री रशीद मसूद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सिग्नलों के साथ छेड़-छाड़ करके रेलगाड़ियों को रेलवे लाइन पर ही रोक कर लूटने के प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मार्गों पर ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं; और

(ग) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेलवे द्वारा किये जा रहे उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान वर्ष 2007 (अप्रैल) के दौरान 03 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

रेलवे	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	मार्ग का नाम
मध्य	1	14.04.2007 को लगभग 22.00 बजे 10 से 15 अज्ञात व्यक्तियों ने वारदात करने के विचार के साथ गाड़ी सं. 1012 अप कोल्हापुर-छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई महालक्ष्मी एक्सप्रेस को रोकने के लिए पुणे मंडल के पुणे-मिरज खंड में भिलावाडि रेलवे स्टेशन के अप-होम सिगनल के साथ छेड़छाड़ की थी। बहरहाल, गाड़ी में मार्गरक्षण ड्यूटी हेतु तैनात रेल सुरक्षा बल की सजगता के कारण अपराधी कोई वारदात करने में विफल रहे।
उत्तर मध्य	1	13/14.04.2007 की रात में कुछ शरारती तत्वों ने सिगनल प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करके बीना-ललितपुर खंड में मोहासा स्टेशन के समीप गाड़ी सं. 2621 डाउन को रोका था। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल ने गाड़ी में वारदात करने के उनकी कोशिश को विफल कर दिया।
दक्षिण मध्य	1	17/16.402.007 के बीच की रात में शरारती तत्वों द्वारा सिगनल तार में व्यवधान के कारण गाड़ी सं. 6340 नागरकोइल-छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई एक्सप्रेस होम सिग्नल छिलीछर्ला पर रूक गई थी। रेल सुरक्षा बल मार्गरक्षी कर्मचारियों को उक्त गाड़ी के एस-5 कोच में यात्री कर रही श्रीमती एस. सुंद्रम नामक एक महिला यात्री से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने छिगीछर्ला होम सिगनल पर उनकी लगभग 25,000/- रुपये की कीमत की लगभग साढ़े तीन तोले की सोने की जंजीर खींच ली थी।

(ग) रेलवे द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

* रेल सुरक्षा बल औसतन प्रतिदिन लगभग 2230 गाड़ियों का मार्गरक्षण कर रहा है।
* रेलों पर अपराधों को नियंत्रित करने में राजकीय रेल पुलिस के प्रयासों में मदद करने के लिए रेल सुरक्षा बल रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 और रेल अधिनियम 1989 में संशोधनों के बाद औसतन प्रतिदिन लगभग 1450 गाड़ियों का मार्गरक्षण कर रहा है।
* अपराधों को नियंत्रित करने की प्रभावी नीतियां बनाने और अपराध रूझानों का चर्चा करने के लिए राजकीय रेल पुलिस और रेल पुलिस अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

रेलवे क्रासिंगों पर पुलों का निर्माण

5009. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे क्रासिंगों पर उपरि पुलों/अधोगामी पुलों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन पुलों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) जी, हां। प्रत्येक वर्ष रेलों को ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के निर्माण हेतु अनेक प्रस्ताव मिलते हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले पुष्ट प्रस्तावों अर्थात् राज्यों द्वारा उनके हिस्से की लागत वहन करने, ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल पूरा होने पर समपार बंद करने की वचनबद्धता, पहुंच मार्गों के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की अग्रिम कार्रवाई, अतिक्रमणों को हटाने की व्यवस्थाएं और यातायात के मार्गपरिवर्तन आदि से सहमत होना, पर विचार और रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृत किया गया हो।

स्वीकृत कार्यों तथा चालू और नवस्वीकृत कार्यों के लिए 2004-05 से 2006-07 के दौरान आवंटित निधियां इस प्रकार हैं:

राज्य	2004-05		2005-06		2006-07	
	स्वीकृत	आवंटित निधि (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत	आवंटित निधि (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत (पूरक सहित)	आवंटित निधि (करोड़ रुपयों में)
आंध्र प्रदेश	1	24.22	4	17.19	25	26.31
असम	0	1.10	0	1.38	0	0.21
बिहार	5	44.8	2	197.22	4	158.45
छत्तीसगढ़	0	4.36	1	9.93	3	14.41
दिल्ली	0	0.78	0	0.61	0	0.07
गुजरात	1	2.06	6	3.71	6	14.73
हरियाणा	0	12.29	9	14.55	2	26.80
झारखंड	0	22.20	0	16.04	0	8.20
कर्नाटक	1	24.28	0	26.71	5	27.70
केरल	0	13.67	8	10.38	7	6.09
मध्य प्रदेश	0	9.13	0	7.50	3	9.17
महाराष्ट्र	2	8.83	4	14.05	4	20.07
उड़ीसा	0	3.35	1	9.49	0	12.00
पांडिचेरी	3	0.13	0	1.50	0	0.45
पंजाब	0	12.53	0	9.00	7	11.88
राजस्थान	0	6.69	0	3.34	4	5.78
तमिलनाडु	5	28.52	6	25.87	33	17.25
उत्तर प्रदेश	4	14.75	5	19.24	17	43.89
पश्चिम बंगाल	1	17.25	1	22.76	2	32.31
जोड़	23	251.00	47	411.00	122	435.77

रसोई गैस का बिक्री मूल्य

5010. श्री रामजीलाल सुमनः
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निजी क्षेत्र में उत्पादित रसोई गैस को सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों को बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिक्री मूल्य का निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आधार पर नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके मूल्य निर्धारण के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान तत्संबंधी औसत बिक्री मूल्य कितना रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की तुलना में इसकी कीमत कितनी रही?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों में उत्पादित एलपीजी को घरेलू उपभोक्ताओं को बेचने के लिए खरीदती हैं।

(ख) और (ग) बिक्री मूल्य, "पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002" में यथा सूत्रबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर आयात समता मूल्य पर तय किया जाता है। मूल्य में सम्मिलित मुख्य तत्व हैं-पोत पर्यन्त निःशुल्क लागत, प्रीमियम/छूट, समुद्री भाड़ा, बीमा, समुद्रीय घाटा, घाट-शुल्क और बन्दरगाह प्रभार। सभी रिफाइनरियों को जिनमें निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां भी शामिल हैं, एलपीजी के लिए दी गई कीमत उसी सूत्र द्वारा तय की जाती है।

(घ) जामनगर बन्दरगाह पर निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों से 2006-07 के दौरान एलपीजी की औसत खरीद कीमत 24,313 रुपये प्रति मीटरी टन थी। एलपीजी की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में औसत पोत पर्यन्त निःशुल्क कीमत 499.43 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन थी।

[अनुवाद]

प्रादेशिक सेना में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की भर्ती

5011. श्री सुग्रीव सिंहः क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रादेशिक सेना में ऐसे कुछ उग्रवादियों को भर्ती किया है जो स्वेच्छा से इसमें आए हैं अथवा कुछ ऐसों को भर्ती किया है जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रादेशिक सेना में भर्ती के लिए क्या मानदण्ड हैं और इन आत्मसमर्पण किए हुए उग्रवादियों के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से 156 स्वेच्छा से समर्पण कर चुके सत्यनिष्ठ उग्रवादियों, जिन्होंने विद्रोह को दबाने में सुरक्षा बलों के साथ कार्य किया था, को वर्ष 2004 में प्रादेशिक सेना में भर्ती किया गया था।

(ग) प्रादेशिक सेना में भर्ती, प्रादेशिक सेना विनियम 1948 के अनुसार की गई थी तथा आयु, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक तथा चिकित्सा संबंधी कुछेक मानदण्डों में छूट दी गई थी।

छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव

5012. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिकतर छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि भवनों का रख-रखाव आवश्यकतानुसार नहीं है और राज्य उन्हें उनके अनुरूप अनुदान या तो प्रदान नहीं कर रहे हैं या फिर समय पर जारी नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग की लड़कियों और लड़कों हेतु छात्रावासों की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय सहायता केवल छात्रावासों की बिल्डिंगों के निर्माण/विस्तार के लिए ही राज्य सरकारों को जारी की जाती है और इन छात्रावासों के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

रेडियो रिसीवरों के लिए भुगतान

5013. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स बिन रेडियो कम्यूनिकेशन्स, आस्ट्रेलिया द्वारा आपूर्तित रेडियो रिसीवर, संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण बोर्ड के निरीक्षण के दौरान चल नहीं पाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खराब रेडियो रिसीवरों के लिए अब तक किये गए भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(घ) निरीक्षण से पहले अदायगी करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन गलतियों को दूर करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। दो बड़ी विसगंतियां देखने में आई हैं जो घटिया किस्म के एन्टीना मास्टों की सप्लाई किए जाने तथा रेडियो रिसीवर की संवेदनशीलता संविदा के अंतर्गत निर्धारित तकनीकी मानदंड के अनुरूप न होने से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) संविदा के प्रावधानों के अनुसार विक्रेता को 1,295,040 अमरीकी डालर (80% मूल्य) का भुगतान किया गया है। शेष भुगतान रिलीज नहीं किया गया है।

(ङ) दिसंबर, 2005 में विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए एंटीना मास्टों के दो नए आदिरूप स्वीकार कर लिए गए हैं तथा विक्रेता से कहा गया था कि उपस्कर के सेंसटिविटि मानदण्ड में सुधार करने के लिए रेडियो रिसीवर कार्ड 3500 आई में कतिपय संशोधन करें। संशोधित कार्ड के साथ उपस्कर को स्वीकार कर लिया गया है तथा यह मैसर्स भारत में इलैक्ट्रानिक्स लि., गाजियाबाद (उ.प्र.) में प्रयोगशाला परीक्षण के अध्यधीन है और अब सेना के विभिन्न कमान क्षेत्रों में इसकी फील्ड मानीटरी की जा रही है।

काकीनाडा में ओ.एन.जी.सी. की रिफाइनरी

5014. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक तेल रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओएनजीसी बोर्ड ने इस परियोजना के लिए सिद्धान्ततः अपना अनुमोदन एवं मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना संबंधी कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) जोकि ओएनजीसी की सहायक कम्पनी है, के जरिए आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में निर्यातोन्मुख रिफाइनरी स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है, बशर्ते कि संयुक्त उद्यम (जेवी) स्थापित करके प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के भीतर वह तकनीकी वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य पाई जाए।

(ग) से (ङ) व्यवहार्यता रिपोर्ट के आरम्भिक मसौदे में यह सिफारिश की गई है कि परियोजना के अर्थ-तंत्र में सुधार लाने के लिए परिशोधन क्षमता 7.5 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 15.0 एमएमटीपीए करने की जरूरत है। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के जरिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करते समय भारत के पूर्वी तट में वर्तमान रिफाइनरियों के योजनाबद्ध विस्तार के साथ सहयोगी कम्पनियां अर्थात् हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)-विशाखापट्टनम, चेन्नै पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)-चेन्नै और इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) की प्रस्तावित पारादीप रिफाइनरी, ओएनजीसी के सहयोग से एमआरपीएल में प्रस्तावित रिफाइनरी के लिए इसकी निवेश योजना पर निर्णय लेने के लिए समग्र ढंग से अन्तिम रूप से विचार किया जाए।

[हिन्दी]

आकाश प्रक्षेपास्त्र प्रणाली

5015. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना के अधिकारियों ने आकाश प्रक्षेपास्त्र प्रणाली पर आपत्ति उठाई है जैसा कि दिनांक 26 अप्रैल, 2007 के 'हिन्दुस्तान' में, समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण विफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसमें क्या खामियां पाई गईं;

(ङ) क्या सेना विशेषज्ञों और डीआरडीओ के दावों में अन्तर है;

(च) यदि हां, तो क्या सेना में आकाश प्रक्षेपास्त्र की तैनाती पर विचार किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधियों ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा आयोजित आकाश मिसाइल प्रणाली के विकास परीक्षणों में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया और प्रणाली के निष्पादन में सुधार के लिए प्रयोक्ता की सूचनाएं मुहैया कराई।

(ग) से (ङ) विकास चरण के कुछ परीक्षण पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए थे। प्रयोक्ता परीक्षणों के शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है।

(च) सेना में आकाश मिसाइल प्रणाली शामिल करने के लिए सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ट्रिपल डेकर कंटेनर ट्रेनें

5016. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-पुणे के बीच ट्रिपल डेकर कंटेनर ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे ने आटोमोबाइल उद्योग की मांग को मान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य किन मार्गों पर ट्रिपल डेकर कंटेनर ट्रेन चलाई जायेगी;

(घ) कौन-कौन सी सामग्रियों की ढुलाई की जायेगी और और इससे कितनी आय होने की संभावना है; और

(ङ) ट्रिपल डेकर कंटेनरों के लिए कौन से रेल इंजन का उपयोग किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) डीजल खंड पर ट्रिपल डेकर कंटेनर गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है। यह सेवा सामग्री विशेष के लिए नहीं होगी।

रेलवे प्रशुल्क प्राधिकरण

5017. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार लाइन हाल लागत के तार्किक सूचकांक से संबद्ध किराया प्रणाली तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार रेलवे में प्रशुल्क और किरायों के बेहतर प्रबंधन के लिए योजना आयोग के साथ परामर्श करके रेल प्रशुल्क प्राधिकरण की भी स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रो टेक-2007

5018. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन, पेट्रो टेक-2007 हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार वहनीय दरों पर ऊर्जा की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बहुआयामी रणनीति तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, साम्यता और पारिस्थितिकी विषय पर 7वां अन्तर्राष्ट्रीय तेल एवं गैस सम्मेलन और प्रदर्शनी पेट्रोटेक-2007 का आयोजन 15-19 जनवरी, 2007 के दौरान नई दिल्ली में किया गया।

(ख) पेट्रोटेक-2007 ने एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया जहां विश्व भर के तेल एवं गैस उद्योग व्यावसायिकों ने आदान-प्रदान किया और हाईड्रोकार्बनों के अन्वेषण, दोहन और संरक्षण में वृद्धि करने के लिए कार्यनीतियों और प्रौद्योगिकियों पर विचार-विमर्श किया। तेल एवं गैस उद्योग के अपस्ट्रीम और डाऊनस्ट्रीम दोनों क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श हेतु लिए गए मुख्य बिन्दु निम्नलिखित थे-

* हाईड्रोकार्बन अन्वेषण
* गहरे और अत्यधिक गहरे पानी में अन्वेषण और विकास
* एकीकृत जलाशय प्रबन्धन
* उभरते ऊर्जा विकल्प
* रिफाइनरी प्रचालन और इष्टतमीकरण इत्यादि।

(ग) पेट्रोटेक घटनाओं के विषय में विचार-विमर्श से उद्योग को नई प्रौद्योगिकियां अपनाने और भावी रास्ते खोजने में सहायता मिलती है। शिष्टमण्डलों/प्रतिभागियों ने अपने-अपने संगठनों में विचार-विमर्श के सुसंगत हिस्से को क्रियान्वित करने के लिए ध्यान में रख लिया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। ऊर्जा सुरक्षा की उपलब्धि हेतु भारत की कार्यनीति को भारत सरकार के एक प्रलेख "हाईड्रोकार्बन संकल्पना-2025" में शामिल किया गया है।

* बर्धित घरेलू उत्पादन और विदेश में इक्विटी आयल में निवेश के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करके ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
* हाईड्रोकार्बन क्षेत्र का विकास एक ऐसे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी उद्योग के रूप में करना जिसकी बैंचमार्किंग इस उद्योग के सभी पहलुओं में प्रौद्योगिकी का उन्नयन और क्षमता निर्माण के जरिए विश्व में सर्वोत्तम क्षेत्र की प्रति की जाएगी।
* कार्यनीतिक और रक्षा दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए देश के लिए तेल सुरक्षा सुनिश्चित करना।

[हिन्दी]

विश्व पर्यटन केन्द्र के रूप में भारत

5019. श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डब्ल्यूटीटीसी ने आगामी दशकों के लिए भारत की एक प्रमुख विश्व पर्यटन केन्द्र के रूप में पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटन पर और अधिक धनराशि खर्च करने और पर्यटन के लिए संसाधन जुटाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) डब्ल्यूटीटीसी के "द 2007 ट्रेवल एण्ड टूरिज्म इकोनोमिक रिसर्च" दस्तावेज के अनुसार निजी यात्रा एवं पर्यटन, कारोबारी यात्रा, यात्रा एवं पर्यटन मांग में अनुमानित वृद्धि के संदर्भ में, वर्ष 2008-2017 के दौरान, भारत की विश्व के प्रमुख 10 देशों में पहचान की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने, 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के 2,900 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में, 9,290 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

मुक्त आकाश नीति के अंतर्गत समझौता

5020. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुक्त आकाश नीति के अंतर्गत नए देशों के साथ समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा ऐसे समझौते की शर्तें तथा निबन्धन क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ओएनजीसी इंजीनियरों द्वारा त्यागपत्र

5021. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ओएनजीसी के इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ओएनजीसी छोड़ने वाले इंजीनियरों तथा अन्य तकनीकी कार्मिकों की संख्या कितनी है;

(ग) ओएनजीसी द्वारा इस संबंध में क्या निदानात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या प्रतिभाशाली इंजीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों को ओएनजीसी द्वारा फास्ट ट्रैक कैरियर ग्रोथ दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां।

(ख) इंजोनियरों तथा तकनीकों कार्मिक की संख्या निम्नानुसार है जो पिछले तीन वर्षों के दौरान ओएनजीसी से त्यागपत्र दे कर गए हैं-

वर्ष	संख्या
2004	46
2005	110
2006	298

(ग) से (ङ) इंजीनियरों तथा तकनीकी कार्मिक को बनाए रखने के लिए, ओएनजीसी ने निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए हैं-

(1) प्रतिभावना कर्मचारियों के लिए फास्ट ट्रैक कैरियर विकास के अवसर।

(2) पुरस्कार/पारितोषिक योजनाओं की शुरूआत।

(3) निष्पादन कार्यपालकों को परामर्श, मार्गदर्शन व कार्य के प्रशिक्षण के साथ-साथ नई क्षमताओं और योग्यताओं का विकास।

(4) निर्णय लेने में शामिल करने के लिए अवसर प्रदान करना।

(5) व्यापार क्षेत्र के अग्रणियों का विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम व प्रबंधन पाठ्यक्रम के माध्यम से विकास करना।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों को सांविधिक बकाए का भुगतान

5022. **श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री रशीद मसूद:
श्री सुनील खां:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बंद पड़े उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन/मजूरी की सभी सांविधिक बकाया राशियां जारी कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के कर्मचारियों को सांविधिक बकाया राशियों को समय पर जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अपने कर्मचारियों को अपने संसाधनों में से नियमित रूप से मजूरी/वेतन तथा सांविधिक दस्तावेजों का भुगतान करना अपेक्षित है। तथापि, यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम पर्याप्त संसाधन जुटाने में

असमर्थ रहते हैं, तो सरकार वेतन/मजूरी तथा सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों को गैर-योजना ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण/घाटा उठाने वाले कदमों को मजूरी व वेतन तथा सांविधिक देयताओं के भुगतान के लिए 1804.21 करोड़ रुपए स्वीकृत किए है, ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान सरकार ने 305.51 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

मजूरी/वेतन एवं सांविधिक देयताओं के लिए बजटीय सहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	मंत्रालय/उद्यम	केन्द्रीय सरकारी	मजूरी/वेतन		जोड़	सांविधिक देयताएं		जोड़	कुल जोड़
			2004-05	2005-06		2004-05	2005-06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	-	-	-	32.76	10.00	42.76	42.76
2.	रसायन एवं पैट्रो रसायन विभाग	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	4.50	-	4.50	-	18.80	18.80	23.30
3.		बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	-	0.61	0.61	-	5.00	5.00	5.61
4.	भारी उद्योग विभाग	एन्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लि.	-	-	0.00	32.12	7.22	39.34	39.34
5.		भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लि.	18.15	23.40	41.55	27.57	15.60	43.17	84.72
6.		भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि.	1.23	2.10	3.33	0.72	0.18	0.90	4.23
7.		भारत पम्प एण्ड कंप्रैशर्स लि.	2.06	1.84	3.90	12.01	3.41	15.42	19.32
8.		भारत वैगन इंजिनियरिंग कंपनी	5.78	5.42	11.20	3.32	0.70	4.02	15.22
9.		हिन्दुस्तान केबल्स लि.	34.27	62.79	97.06	70.84	25.75	96.59	193.65
10.		हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि.	1.71	8.81	10.52	1.35	4.17	5.52	16.04
11.		एच एम टी वाचेज	15.72	31.88	47.60	14.71	4.51	19.22	66.82
12.		इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	7.32	1.46	8.78	26.32	0.68	27.00	35.78
13.		नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	2.48	0.58	3.06	1.42	0.13	1.55	4.61
14.		नेपा लि.	5.34	7.67	13.01	7.52	6.34	13.86	26.87
15.		प्रागा टूल्स लि.	2.21	2.56	4.77	0.76	-	0.76	5.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.		त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	6.52	1.63	8.15	11.28	1.15	12.43	20.58
17.		तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	3.76	2.48	6.24	1.30	0.54	1.84	8.08
18.		रिचर्डसन एण्ड क्रुडास	0.74	-	0.74	0.87	-	0.87	1.61
19.		सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया	6.61	-	6.61	4.94	-	4.94	11.55
20.		बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि.	0.60	1.85	2.45	3.67	0.10	3.77	6.22
21.		ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि.	-	-	0.00	1.11	-	1.11	1.11
22.		एच एम टी होल्डिंग कंपनी	-	-	0.00	6.65	-	6.65	6.65
23.		एच एम टी मशीन टूल्स लि.	1.69	-	1.69	36.59	5.62	42.21	43.90
24.		एच एम टी बियरिंग लि.	-	-	0.00	1.42	-	1.42	1.42
25.		एच एम टी चिनार वाचेज*	4.99	3.15	8.14	0.04	1.10	1.14	9.28
26.		टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	-	-	0.00	4.07	-	4.07	4.07
27.		हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन	12.25	-	12.25	113.40	-	113.40	125.65
28.	नौवहन मंत्रालय	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.	12.00	18.00	30.00	-	44.53	4.453	74.53
29.	इस्पात मंत्रालय	हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कंस्ट्रक्शन लि.	71.89	-	71.89	-	-	0.00	71.89
30.	कपड़ा मंत्रालय	नैशनल टैक्स्टाईल्स कारपोरेशन	257.17	264.00	521.17	-	-	-	521.17
31.		ब्रिटिस इंडिया कारपोरेशन लि.	18.00	18.00	36.00	-	-	-	36.00
32.		बर्ड जूट एण्ड एक्सपोर्ट लि.	0.35	4.85	5.20	-	-	-	5.20
33.		नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन लि.	112.00	159.50	271.50	-	-	-	271.50
		कुल जोड़	609.34	622.58	1231.92	416.76	155.53	572.29	1804.21

*इसके अलावा वर्ष 2005-06 के दौरान 8.83 करोड़ रुपए की राशि अलग से अनुमोदित की गई थी।

विवरण II

वर्ष 2006-07 के दौरान मजूरी/वेतन एवं सांविधिक देयताओं के लिए बजटीय सहायता

स्वीकृत राशि

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम	(करोड़ रुपए)
1	2	3
1.	भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लि.	1.01
2.	एण्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लि.	27.65

1	2	3
3.	बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि.	1.95
4.	भारत वैगन एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी लि.	8.38
5.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	71.04
6.	एच एम टी (एम टी) लि.	13.92
7.	एच एम टी वाचेज लि.	40.47
8.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म कंपनी लि.	13.12
9.	एच एम टी (होल्डिंग) कम्पनी	11.61
10.	एच एम टी (चिनार) लि.	12.61
11.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	14.27
12.	नेपा लि.	11.94
13.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	0.67
14.	त्रिवेणी स्ट्रक्चलर्स लि.	4.87
15.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	4.30
16.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि.	15.80
17.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज	30.46
18.	हिन्दुस्तान स्टील वकर्स	21.44
	जोड़	305.51

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में नियुक्ति

5023. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष तथा पर्याप्त कर्मचारियों के बिना कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग में अध्यक्ष तथा पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इनकी नियुक्ति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या संवैधानिक संस्था होने के बावजूद आयोग को पर्याप्त शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार ने आयोग के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 24.02.2004 को तीन वर्षों के लिए किया गया था। आयोग के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार-विमर्श कर रही है। आयोग के स्टाफ की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (छ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्टाफ

क्र.सं.	पद	संस्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	सचिव	01	01
2.	संयुक्त सचिव	01	01
3.	पुलिस उप महानिरीक्षक	01	0
4.	उप सचिव/निदेशक (सीएसएस)	01	01
5.	विधि अधिकारी	01	0
6.	सहायक निदेशक (कार्यक्रम)	01	0
7.	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	01	0
8.	अवर सचिव	01	02
9.	प्रधान निजी सचिव	01	01
10.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	01	01
11.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	01	01
12.	अनुभाग अधिकारी	04	04
13.	निजी सचिव	02	02
14.	सहायक	03	01
15.	निजी सहायक	03	02
16.	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	05	03
17.	अपर श्रेणी लिपिक	04	02
18.	अवर श्रेणी लिपिक	07	03
	संयुक्त संवर्ग पद		
1.	निदेशक	10	08
2.	उप निदेशक	05	04
3.	सहायक निदेशक	10	06
4.	अनुसंधान अधिकारी	10	09
5.	वरिष्ठ अन्वेक्षक	17	13
6.	अन्वेक्षक	19	10
	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राज्य कार्यालय (क्षेत्रीय कार्यालयों) में स्टाफ		
1.	कार्यालय अधीक्षक	08	07
2.	निजी सहायक	08	05
3.	आशुलिपिक	03	01
4.	अपर श्रेणी लिपिक	10	09
5.	अवर श्रेणी लिपिक	19	16

[अनुवाद]

तेल की खोज के लिए नई तकनीक

5024. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री रविन्द्र कुमार राणा:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी देश में कम उत्पादन वाले तेल कूपों में माइक्रोबाइनल इन्हान्स्ड आयल रिकवरी तकनीक का उपयोग करती रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी प्रौद्योगिकी के द्वारा देश में कम उत्पादन वाले ऐसे तेल कूपों से तेल निकासी में कितनी वृद्धि हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी हां, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) कम उत्पादन करने वाले कुछ कुओं से तेल उत्पादन बढ़ाने हेतु सूक्ष्मजैविक वर्द्धित तेल निकासी (एमईओआर) विधि का प्रयोग कर रही है।

(ग) अब तक ओएनजीसी के 31 कुंओ में 40 जाबों में इस हफ एड पफ विधि से लगभग 17000 घन मीटर तेल की वृद्धि हुई है। तेल के कुंओं में पैराफिन निक्षेप समस्या को नियंत्रित करने में पैराफिन तोड़क जीवाणु के प्रयोग से मदद मिली है और उनकी उत्पादकता बढ़ी है।

माल ढुलाई यातायात का निष्पादन

5025. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने 2006-07 के दौरान माल ढुलाई यातायात के निष्पादन का कोई आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष के दौरान अपने निष्पादन में सुधार करने वाले जोनों के नाम क्या हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक जोन द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे में माल ढुलाई यातायात के निष्पादन में सुधार के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) 2006-07 के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा लदान किए गए माल यातायात का जोनवार प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

रेलवे जोन	लदान प्रदर्शन (मिलियन टन में)
1	2
मध्य	52.89
पूर्व	48.81
पूर्व मध्य	65.25
पूर्व तट	83.92
उत्तर	34.01
उत्तर मध्य	6.00
पूर्वोत्तर	2.02
पूर्वोत्तर सीमा	11.46
उत्तर पश्चिम	10.94
दक्षिण	31.07
दक्षिण मध्य	62.23
दक्षिण पूर्व	99.01
दक्षिण पूर्व मध्य	109.12
दक्षिण पश्चिम	42.76
पश्चिम	41.97
पश्चिम मध्य	25.89
जोड़*	727.35

*कोंकण रेलवे शामिल नहीं है।

उत्तर, पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा को छोड़कर शेष सभी जोनों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2006-07 के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया है।

(घ) 2006-07 के दौरान माल यातायात से प्रत्येक जोन द्वारा अर्जित राजस्व (अनुमानित) नीचे दिया गया है:

रेलवे जोन	माल यातायात से अर्जित राजस्व (अनुमानित) (करोड़ रु. में)
1	2
मध्य	3145.51
पूर्व	1375.73
पूर्व मध्य	2814.21
पूर्व तट	4022.79
उत्तर	3141.61
उत्तर मध्य	3474.30
पूर्वोत्तर	758.06
पूर्वोत्तर सीमा	1101.00

1	2
उत्तर पश्चिम	1439.54
दक्षिण	1531.17
दक्षिण मध्य	4110.00
दक्षिण पूर्व	3831.75
दक्षिण पूर्व मध्य	3756.44
दक्षिण पश्चिम	1410.01
पश्चिम	3216.70
पश्चिम मध्य	2775.98
जोड़	41904.80

(ङ) कुछ माल यातायात प्रोत्साहन योजनाएं, जो कि पिछले वर्ष के दौरान शुरू की गई थीं, को मालभाड़ा प्रदर्शन के लिए संशोधित किया गया था। उच्चतम श्रेणी को श्रेणी-220 से श्रेणी-210 तक घटा दिया गया है। लौह अयस्क और खनिजों के आधार मालभाड़े को भी घटा दिया गया है।

निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक स्मारक

5026. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कुतुब मीनार तथा देश के कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों को रैम्प तथा ब्रेल संकेतों के साथ निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पहचान किए गए स्मारकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश के सभी विश्व विरासत स्मारकों तथा अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय किया है।

(ग) इस प्रकार की सुविधाओं का प्रावधान एक सतत् प्रक्रिया है जो बजटीय प्रावधान की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि

5027. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल तथा डीजल के मूल्यों में वृद्धि करने का जैसा कि दिनांक 27 अप्रैल, 2007 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप तेल कंपनियों के लाभ में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जैसा कि राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ है, दिनांक 15.5.2007 तक पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए वर्तमान में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय

5028. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की प्राथमिकता सामाजिक क्षेत्र में व्यय को ज्यादा महत्व देने एवं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय के साथ विकास को बढ़ावा देने की है;

(ख) यदि हां, तो क्या दसवीं योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्त्री-पुरुष समानता के विकास के लिए निगरानी किए जाने योग्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूजित जनजातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों हेतु विशेष रूप से शिक्षा और नियोजन में अवसरों की पूर्ण समानता का प्रावधान है।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र

5029. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुखः क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के उत्थान के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इन केन्द्रों को सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन केन्द्रों को प्रदान किए गए अनुदानों के उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रदत्त अनुदान के लिए संगठन द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत प्रदत्त अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	जारी अनुदान (रुपयों में)	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	जारी अनुदान (रुपयों में)	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	जारी अनुदान (रुपयों में)	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	जारी अनुदान (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	1	291324	वर्तमान वर्ष के लिए कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है।	
आंध्र प्रदेश	16	11325312	17	13744028	17	11615423		
असम			1	1306224	1	1726956		
बिहार	2	3351559	2	3649896	3	5224666		
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	1	222420		
दिल्ली	4	3298150	4	3365042	4	1898600		
गोवा	2	1382792	2	1397950	0	0		
गुजरात	2	2731320	1	1365660	1	1337400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	1	186395	1	0	1	187489		
जम्मू-कश्मीर	1	111590	1	113760	1	503190		
झारखंड	1	597215	1	637020	0	0		
कर्नाटक	9	9133417	11	11896399	8	6606598		
मध्य प्रदेश	2	646353	3	969529	3	1436343		
महाराष्ट्र	4	4963738	5	6204672	4	3584754	वर्तमान वर्ष के लिए कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है।	
मणिपुर	3	3342952	3	3446721	4	6605638		
मेघालय	2	1951516	2	1961334	2	980667		
उड़ीसा	3	1859351	6	3718702	6	4534519		
राजस्थान	0	0	1	94060	0	0		
तमिलनाडु	2	1915927	2	2056824	3	3031506		
उत्तर प्रदेश	14	12156531	16	15206535	15	14218556		
उत्तरांचल	0	0	1	782253	0	0		
पश्चिम बंगाल	3	4521309	3	5026078	3	1471774		
कुल	72	64760759	83	76942687	78	65477823		

[अनुवाद]

निजी तथा विदेशी कंपनियों को तेल की खोज का ठेका

5030. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ नए स्थानों पर तेल की खोज के लिए विदेशी तथा निजी कंपनियों को ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय तथा सुरक्षा मानदण्डों की अनदेखी किए जाने का माम्मला सरकार की जानकारी में आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी हां, भारत सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के छठे दौर के अंतर्गत तेल और गैस की खोज के लिए 52 ब्लाक विभिन्न कंपनियों को 2 मार्च, 2007 को प्रदान किए और उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए, इनमें से 34 ब्लाक विदेशी और निजी कंपनियों को अकेले अथवा अन्य कंपनियों के साथ उनके परिसंघ को प्रदान किए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार विदेशी और निजी कंपनियों/प्रचालकों द्वारा पर्यावरण एवं सुरक्षा मानकों की उपेक्षा/अनदेखी के किसी मामले की खबर नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निजी और विदेशी कंपनियों को सौंपे गए ब्लाक-एनईएलपी-6 दौर

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	प्रचालक	परिसंघ के सदस्य
1	2	3	4
	गहरा समुद्र		
1.	केके-डीडब्ल्यूएन-2004/1	ओएनजीसी	ओएनजीसी (45%)-कैर्न इंडिया लि. (40%)-टाटा (15%)
2.	केके-डीडब्ल्यूएन-2004/4	आरआईएल	आरआईएल (100%)
3.	केके-डीडब्ल्यूएन-2004/7	आरआईएल	आरआईएल (100%)
4.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/1	आरआईएल	आरआईएल (100%)
5.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/2	आरआईएल	आरआईएल (100%)
6.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/3	आरआईएल	आरआईएल (100%)
7.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/4	आरआईएल	आरआईएल (100%)
8.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/5	आरआईएल	आरआईएल (100%)
9.	एनईसी-डीडब्ल्यूएन-2004/1	सैन्टोस	सैन्टोस इंटरनेशनल आपरेशन्स प्रा. लि. (100%)
10.	एनईसी-डीडब्ल्यूएन-2004/2	सैन्टोस	सैन्टोस इंटरनेशनल आपरेशन्स प्रा.. लि. (100%)
	उथला अपतट		
11.	सीबी-ओएसएन-2004/1	फोकस	फोकस (10%) न्यूबरी (90%)
12.	एमबी-ओएसएन-2004/1	जीएसपीसी	जीएसपीसी (20%)-आईओसी (20%)-गेल (20%)-एचपीसीएल (20%)-पेट्रोगैस (20%)
13.	एमबी-ओएसएन-2004/2	पेट्रोगैस	पेट्रोगैस (20%)-जीपीएसपीसी (20%)-आईओसी (20%)-गेल (20%)-एचपीसीएल (20%)
14.	पीआर-ओएसएन-2004/1	कैर्न एनर्जी लि.	कैर्न एनर्जी (10%)-कैर्न इंडिया (25%)-ओएनजीसी (35%)-टाटा (30%)
15.	केजी-ओएसएन-2004/1	ओएनजीसी	ओएनजीसी (55%)-बीजीईपीआई (45%)
	जमीनी		
16.	एमजेड-ओएनएन-2004/1	ओआईएल	ओआईएल (75%)-संटेरा (10%)-शिव-वाणी (15%)
17.	एमजेड-ओएनएन-2004/2	एनएएफटीओजीएजेड	एनएएफटीओजीएजेड (10%)-आरएनआरएल (10%)-ज्योपेट्रोल (10%)-आरईएल (10%)
18.	एए-ओएनएन-2004/1	ओआईएल	ओआईएल (85%)-शिव-वाणी (15%)
19.	एए-ओएनएन-2004/2	ओआईएल	ओआईएल (90%)-संटेरा (10%)

1	2	3	4
20.	एए-ओएनएन-2004/3	एस्सार आयल	एस्सार एनर्जी (90%)-एस्सार आयल (10%)
21.	एए-ओएनएन-2004/4	एनएएफटीओजीएजेड	अदानी इंटरप्राईजेज (35%)-अदानी पोर्ट (20%)-एनएएफटीओजीएजेड (10%)-जेसी (मुंबई) (35%)
22.	एए-ओएनएन-2004/5	एस्सार आयल	एस्सार एनर्जी (90%)-एस्सार आयल (10)
23.	एसआर-ओएनएन-2004/1	प्राईज पेट्रोलियम	प्राईज पेट्रोलियम (10%)-जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. (90%)
24.	आरजे-ओएनएन-2004/1	जीएसपीसी-गेल	जीएसपीसी (20%)-गेल (20%)-एचपीसीएल (20%)-हैलोवर्दी (पानामा) (10%)-नीतिफायर (न्यू देहली) (10%)-सिल्वरवेव (म्यांमार) (10%)-बीपीसीएल (10%)
25.	आरजे-ओएनएन-2004/2	ओआईएल	ओआईएल (75%)-ज्योग्लोबल (25%)
26.	आरजे-ओएनएन-2004/3	ओआईएल	ओआईएल (60%)-ज्योग्लोबल (25%)-एचपीसीएल (15%)
27.	सीबी-ओएनएन-2004/1	ओएनजीसी	ओएनजीसी (50%)-जीएसपीसी (40%)-हेरामेक (10%)
28.	सीबी-ओएनएन-2004/2	ओएनजीसी	ओएनजीसी (50%)-जीएसपीसी (40%)-संटेरा रेस. लि. (10%)
29.	सीबी-ओएनएन-2004/3	ओएनजीसी	ओएनजीसी (40%)-जीएसपीसी (35%)-एनसर्च (25%)
30.	सीबी-ओएनएन-2004/4	ओएनजीसी	ओएनजीसी (50%)-जीएसपीसी (40%)-हेरामेक (10%)
31.	सीबी-ओएनएन-2004/5	एनएएफटीओजीएजेड	अदानी इंटरप्राईसेज (35%)-अदानी पोर्ट (20%)-एनएएफटीओजीएजेड (10%)-वैलस्पन (35%)
32.	डीएस-ओएनएन-2004/1	ज्योग्लोबल	ज्योग्लोबल रिसोर्सिज (बार्बाडास) (100%)
33.	केजी-ओएनएन-2004/1	ओआईएल	ओआईएल (90%)-ज्योग्लोबल (10%)
34.	केजी-ओएनएन-2004/2	जीएसपीसी	जीएसपीसी (40%)-गेल (40%)-पेट्रोगैस (20%)

सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नियुक्त रक्षा कार्मिकों की समस्याएं

5031. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अथवा विद्रोह-रोधी कार्यों में तैनात रक्षा कार्मिकों की समस्याओं तथा राज्य सरकारों के संबंध में उनकी घरेलू समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने रक्षा कार्मिकों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकारों से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सरकार को रक्षा कार्मिकों की समस्याओं की जानकारी है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों से यह अनुरोध किया गया है कि वे जिला और राज्य स्तर दोनों के जिला कलक्टरों, पुलिस-अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को रक्षा कार्मिकों और उनके परिवारों की शिकायतों और समस्याओं के प्रति अधिक सक्रिय रहने तथा उन पर तत्परता से कार्रवाई करने का निर्देश दें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे एक ऐसा तंत्र बनाएं जिसमें जिला स्तर पर कलक्टर और राज्य स्तर पर नामित एक वरिष्ठ अधिकारी ऐसी शिकायतों के निवारण की समय-समय पर समीक्षा करे।

राज्य सरकारों से प्राप्त प्रत्युत्तर सकारात्मक तथा उत्साहवर्धक है।

[हिन्दी]

अतिथि देवो भवः

5032. श्री रघुवीर सिंह कौशलः क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या "अतिथि देवो भवः" अभियान के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण में पर्यटन से संबंधित क्रियाकलापों को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों का राज्यवार तथा क्रियाकलाप-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रशिक्षुओं के लिए कोई निगरानी तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम के हमेशा जारी रहने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (च) 'अतिथि देवो भव:' चल रहे अभियान का उद्देश्य सामाजिक जागरुकता पैदा करना और स्टेकहोल्डरों को संवेदनशील बनाना है। वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में इस अभियान के पहले दो चरणों में सात शहरों यथा हैदराबाद, दिल्ली, गोवा, मुंबई, औरंगाबाद, जयपुर, और आगरा को, जहां सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण दिया गया तथा मास माडिया अभियान चलाया गया, कवर किया गया। तीसरे चरण में वर्ष 2006-07 में देश में विरासतीय स्मारकों और पर्यटन रुचि वाले स्थानों के संरक्षण के विषय में जागरुकता पैदा करने के लिए स्वदेशी मास मीडिया में एक राष्ट्रव्यापी जागरुकता अभियान शुरू किया गया।

सेवा प्रदाताओं के लिए चल रही क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत, सेवा प्रदाताओं/स्टेकहोल्डरों को भारत पर्यटन कार्यालयों और होटल प्रबंध संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है।

[अनुवाद]

तेल एवं गैस की खोज

5033. श्री चंद्रकांत खैरेः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशी तथा घरेलू कंपनियों की मदद से देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि में इस कार्य में लगी कंपनियों द्वारा इन खोजों पर वर्षवार, राज्यवार तथा कंपनीवार कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या पेट्रोलियम पदार्थों तथा प्राकृतिक गैस की खोज में अभी तक हुई उपलब्धियां इस कार्य पर व्यय की गई राशि के अनुपात में कम हैं;

(घ) यदि हां, तो पेट्रोलियम पदार्थों तथा प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार का किस तरीके से बेहतर परिणाम प्राप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस के आयात पर विदेशी मुद्रा सहित कितना व्यय किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) दो राष्ट्रीय तेल कंपनियों अर्थात ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल), के अतिरिक्त आठ विदेशी और बारह भारतीय कम्पनियां देश में तेल और गैस के अन्वेषण में लगी हुई हैं। विदेशी और भारतीय कम्पनियों को अन्वेषण में आकृष्ट करने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) मुख्य नीति-ढांचा है। अन्वेषण पर राज्यवार विगत तीन वर्षों में कम्पनियों द्वारा किया गया खर्च संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अन्वेषण कार्यकलाप सम्भावना स्वरूप के होते हैं और इन कार्यकलापों के निष्कर्षों को सीधे तौर पर मापा नहीं जा सकता।

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक विकास गैस के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

- एनईएलपी के क्रमिक दौरों के अंतर्गत बड़े रकबे दे कर देश में तेल और गैस के लिए अन्वेषण की गति को तेज करना।
- नई खोजों के त्वरित विकास के जरिए उत्पादन बढ़ाना।
- ईओआर/आईओआर तकनीकों को लागू करके वर्तमान क्षेत्रों से प्राप्ति में वृद्धि करना।
- रुग्ण कुओं को कृत्रिम लिफ्ट पर रखना।
- अन्वेषण करके और वैकल्पिक स्रोतों जैसे सीबीएम द्वारा प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को पूरा करना।

(ङ) विगत तीन वर्षों में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च की गई विदेशी-मुद्रा की राशि निम्नानुसार है-

	(बिलियन अमरीकी डालर)		(रुपये करोड़ों में)
	कच्चा तेल	पीओएल	एलएनजी
2003-04	18.3	2.1	36.00
2004-05	26.0	3.3	1696.05
2005-06	36.6	6.3	3253.48

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्वेषण पर किया गया राज्यवार व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	2003-04				2004-05				2005-06			
		ओएनजीसी	ओआईएल	संयुक्त उद्यम*	योग	ओएनजीसी	ओआईएल	संयुक्त उद्यम*	योग	ओएनजीसी	ओआईएल	संयुक्त उद्यम*	योग
1.	हिमाचल प्रदेश	9.12			9.12	13.26			13.26	14.73			14.73
2.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	14.51	9.47	7.18	31.16	11.80	5.11	14.04	30.95	22.79	2.50	6.89	32.18
3.	आंध्र प्रदेश	96.51	3.75	1.88	102.14	79.37	10.00	1.48	90.85	85.53	77.04	0.38	162.95
4.	असम	302.00	264.86	40.46	607.32	207.00	272.99	60.96	540.95	302.89	269.19	31.63	603.71
5.	बिहार	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
6.	गोवा	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
7.	गुजरात	222.49		416.53	639.02	201.91		102.03	303.94	227.01		50.13	277.14
8.	महाराष्ट्र	0.00	0.80		0.80	0.00	3.61		3.61	0.00	0.02		0.02
9.	उड़ीसा	0.00	5.02	1.35	6.37	0.00	8.69		8.69	0.00	16.57		16.57
10.	राजस्थान	6.46	10.84	335.33	352.63	4.45	25.72	406.58	436.75	9.88	13.74	105.06	128.68
11.	तमिलनाडु	153.13	1.18		154.31	231.71	1.08		232.79	328.80	42.69		371.49
12.	त्रिपुरा	60.66			60.66	58.21			58.21	50.94			50.94
13.	पश्चिम बंगाल	38.68		1.98	40.66	14.19			14.19	4.86			4.86
14.	अरुणाचल प्रदेश		12.02	3.03	15.05		6.94	21.65	28.59		35.85	166.64	202.49

*टिप्पणी: संयुक्त उद्यम में पीएससीज समय के अंतर्गत ओएनजीसी व ओआईएल द्वारा किया गया व्यय जुड़ा हुआ है।

उड़ानों के विलम्ब पर क्षतिपूर्ति/समायोजन

5034. श्री नरहरि महतो: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया का गत खराब कार्य निष्पादन अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तकनीकी खराबियों से कितने विमान प्रभावित हुए हैं तथा इनके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एयर इंडिया अपने यात्रियों को समायोजित करने/क्षतिपूर्ति प्रदान करने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल): (क) जी, नहीं। वास्तव में जबरदस्त प्रतियोगिता और ईंधन के तेजी से बढ़ते हुए दामों के बावजूद, पिछले पांच वर्षों के दौरान एअर इंडिया अपने उत्पादों में सुधार और अपनी बाजार नीतियों की अगुवाई में निरंतर लाभ अर्जित कर रही है।

(ख) एक समयावधि के दौरान विभिन्न घटकों/कलपुर्जों के खराब/अनुपयोज्य होने, पक्षियों के चकराने से इंजन की क्षति, टायर फटने, द्रव रिसाव, दबाव फटने आदि के कारण विमानों में तकनीकी बाधाएं घटित हुई हैं।

(ग) से (ङ) एयर इंडिया का यह हमेशा से प्रयास रहा है कि विलम्ब होने की स्थिति में यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। तत्काल यात्रियों को भोजन, वाहन, होटल आवास, लाउंज आदि के उपयोग के रूप में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में यात्रियों को सभी सम्भव सुविधाएं सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं। उड़ानों की विलम्बताओं की सीमा के आधार पर यात्रियों को, यदि सीटें उपलब्ध हों तथा एअरलाइंस के खर्चे में समायोजित होता है, तो अन्य वाहकों में स्थानांतरित किया जाता है अथवा एअर इंडिया की अगली उड़ान में यात्रा आगे बढ़ाई जाती है।

सी.एस.डी का कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम

5035. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कैण्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सी.एस.डी) के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम को शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक सी.एस.डी के कितने डिपो को शामिल किया गया है;

(ग) इस पर अभी तक किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के द्वारा सी.एस.डी डिपो/कैण्टीन के कार्यकरण में किस हद तक सुधार हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) जी, हां। कैंटीन स्टोर विभाग के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम को दो चरणों में किया गया है। कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम की क्षमता का परीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए मुख्यालय, बेस डिपो, मुंबई क्षेत्र और खड़की डिपो में चरण-1 में एक प्रायोगिक परियोजना चलाई गई थी। यह कार्य वर्ष 2001 में पूरा किया गया था। कैंटीन स्टोर विभाग ने चरण-I के विषय-क्षेत्र का विस्तार 8 डिपुओं तक किया था। चरण-I के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, चरण-II में ऑनलाइन कार्यकलाप चलाने के लिए सभी 34 डिपुओं में वेब आधारित वास्तुकला संबंधी कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया गया था। दोनों चरणों पर कुल मिला कर 9.1 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

(घ) कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम में बेहतर सामान सूची प्रबंधन, जवाबदेही, पारदर्शिता और ग्राहक संसतुष्टि के जरिए कैंटीन स्टोर विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार किए जाने की परिकल्पना की गई है।

ओ.एन.जी.सी द्वारा किया गया व्यय

5036. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) अपनी नीति के अनुरूप अपने सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम तथा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों पर व्यय करने के अपने उत्तरदायित्व में पीछे छूट रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इसकी नीति का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उक्त शीर्षों पर राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है तथा वास्तविक रूप से कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) इस कमी के क्या कारण है तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भविष्य में अपनी नीति के अनुसार राशि व्यय करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) ओएनजीसी की नीति के अनुसार नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमों के लिए शुद्ध लाभ का 0.75 प्रतिशत आबंटन किया जाता है। शुद्ध लाभ के 0.75 प्रतिशत आबंटन को देखते हुए किए गए खर्च में कुछ कमी है।

(ख) नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के संबंध में ओएनजीसी की नीति विवरण-I में और इन कार्यक्रमों पर 2003 से 2006 तक किया गया खर्च विवरण-II में दिया गया है।

(ग) प्रस्तावों की जांच उनके गुण-दोषों और सीएसआर नीति के आधार पर किया जाता है। कार्य केन्द्रों और अन्य एजेंसियों से ओएनजीसी के पास आये विभिन्न प्रस्तावों के समुचित आकलन के पश्चात कार्यक्रमों पर धन खर्च किया जाता है।

ओएनजीसी अपनी नैगम सामजिक दायित्व (सीएसआर) नीति के अनुसार अपने नैगम विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा कर रहा है।

(घ) ओएनजीसी ने सीएसआर के बजटीय आबंटन का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं-

(1) ओएनजीसी-पुरा ट्रस्ट पहले ही त्रिपुरा में एक पुरा परियोजना को प्रचलित कर चुका है और उसकी योजना उन राज्यों में ऐसी ही पुरा परियोजनाएं प्रारंभ करने की है, जहां उसका प्रचालन हो रहा है और जहां गैस के पर्याप्त निष्क्रिय कुएं हैं।

(2) जल प्रबंधन मोर्चे पर ओएनजीसी को पौराणिक नदी "सरस्वती" के अवशिष्ट गहरे जल स्रोत का पता लगाने में कुछ सफलता मिली है। ओएनजीसी इस परियोजना में और भी धन लगाना चाहती हैं।

(3) स्वास्थ्य रक्षा के अधीन ओएनजीसी का प्रस्ताव मुंबई और असम में सिलचर में सरकारी अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन लगाने का है। इसी प्रकार ओएनजीसी की असम के लिए एक सचल कैंसर निदान दान में देने की योजना है।

(4) शिक्षा के क्षेत्र में, ओएनजीसी का त्रिपुरा में इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स को सहायता देने का प्रस्ताव है।

विवरण I

ओएनजीसी की निगम नागरिकता नीति

1. ओएनजीसी समूह का निगम नागरिकता वक्तव्य (सीसीएस)

ओएनजीसी समूह की कंपनियों जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिकों की तरह समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देंगी तथा देश में जल प्रबंधन और आपदा राहत को सहायता प्रदान करेंगी।

2. ओएनजीसी की निगम नागरिकता प्रक्रिया (सीसीपी)

निगम नागरिकता वक्तव्य को कार्यान्वयन करने हेतु ओएनजीसी समूह की कंपनियां

2.1 निम्नलिखित फोकस क्षेत्रों में अधोलिखित पैरामीटरों पर चयनित सामुदायिक परियोजनाओं को बढ़ावा देंगी:

* कॉरपोरेशन और समाज की भागीदारी से अंशदान;
* समाज की भलाई पर परियोजना के चिरस्थायी प्रभाव; और
* कॉरपोरेट छवि को बढ़ाने हेतु प्रक्रियागत विश्वसनीयता

2.2 फोकस क्षेत्रों में राष्ट्रीय मामलों को समर्थन देना, तथा

2.3 मूल्यों, तुष्किरण एवं पहचान बनाना।

3. बजट प्रावधान/निधियों का आबंटन

3.1 ओएनजीसी की निगम नागरिकता नीति का कार्यान्वयन दो स्तरों पर किया जाएगा:

* निगम तथा
* कार्य केन्द्र

3.2 ओएनजीसी प्रतिवर्ष एसईडीपी के लिए विगत वर्ष के विशुद्ध लाभ के 0.75% के समकक्ष निधियों का आबंटन करेगा। कुल राशि में से, सभी फोकस क्षेत्रों में अधोलिखित आबंटन किया जाएगा: कार्य केन्द्रों एवं प्रचालन क्षेत्रों और उनके आस-पास के क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिए 40% तथा निगम कार्यक्रमों को लिए 60%।

3.3 प्रत्येक कार्य केन्द्र के लिए वार्षिक बजट आबंटन का अनुमोदन उस कार्य केन्द्र में निगम कार्य एवं अन्य किसी संगत कारक के प्रत्यक्ष अनुपात में कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक प्रमुख कार्यकारी का अधिकार क्षेत्र एक कार्य केन्द्र का गठन करेगा। अबतक कार्यकलापों के लिए, तट बेस को कार्य केन्द्र के रूप में अपनाया जाएगा।

3.4 अप्रयुक्त निधि, यदि कोई है, को "निगम कार्यक्रम" खाता के अंतर्गत अगले वर्ष आगे बढ़ाया जाएगा अर्थात कार्य केन्द्र खाता के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों को निगम खाता में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा जिसे संचयी रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।

4. फोकस क्षेत्र

4.1 निगम स्तर

* निगम स्तर पर आपदा राहत प्रबंधन, राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन परियोजनाओं पर बल दिया जाएगा।
* सभी परियोजनाओं को 2.5 लाख रुपए से अधिक वित्तीय विवक्षा केवल निगम स्तर पर अनुमोदित की जाएगी। ऐसे प्रस्तावों को कार्य केन्द्रों से प्राप्त-अनुमोदन के लिए निगम कार्यालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

4.2 कार्य-केन्द्र स्तर पर

4.2.1 कार्य केन्द्र स्तर पर, फोकस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी पर जोर देते हुए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ-साथ पेयजल तथा उद्यमशीलता परियोजनाएं हैं। इन क्षेत्रों में बजट आबंटन का वितरण अधोलिखित अनुक्रमों पर किया जाएगा:

1. शिक्षा विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी - 35%
2. पेयजल सहित स्वास्थ्य सुरक्षा - 30%
3. उद्यमशीलता योजनाएं - 25%
4. अन्य - 10%

4.2.2 शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उद्यमशीलता शीर्षों के लिए नई परियोजनाओं पर मोटे तौर पर बजट का 75% खर्च किया जाएगा तथा शेष 25% पूर्व में शुरू की गई एवं पूरी की गईं परियोजनाओं के अनुरक्षण एवं रख-रखाव पर व्यय किया जाएगा।

टिप्पणी: उद्यमशीलता योजनाओं को जिला उद्योग केन्द्रों जैसी राज्य एजेंसियों के सहयोग में विकसित किया जा सकता है।

4.2.3 एसईडीपी के अंतर्गत अधोलिखित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है:

1. आधारभूत ढांचागत विकास
2. राष्ट्रीय/राज्य राहत निधियां
3. स्थानीय निकायों को सीधे रूप से भुगतान अथवा सब्सिडी
4. दान
5. धार्मिक कार्य

टिप्पणी: विशेष गतिविधि के बजट के अंतर्गत, प्रचालनों के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त सड़कों/फसलों का पुन: स्थापन को शामिल किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, किसी भी संगठन को एक वर्ष से अधिक एमईडीपी अनुदान नहीं दिया जाएगा।

5.0 कर्मचारी भागीदारी:

* ओएनजीसी प्रायोजित विद्यालय, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्लब, महिला समिति इत्यादि को एसईडीपी में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये।
* राष्ट्रीय कैडेट कॉर्पस, भारत स्काइट्स एवं गाईड्स, जूनियर रेडक्रास तथा ऐसे संगठनों को ओएनजीसी विद्यालयों में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तथा एसईडीपी में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
* ओएनजीसी कर्मचारियों को समुदाय में स्वैच्छिक रूप से योगदान करने के रूप में योजनाओं में वैयक्तिगत रूप से बढ़-चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए।

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान ओएनजीसी द्वारा आरंभ किए गए सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत किया गया राज्यवार खर्च

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कार्य केन्द्र	2003-2004	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
असम	सिल्चर	21.45	5.00	5
	जोरहाट	50.00	15.84	35.19
	नाजिरा/शिवसागर	117.71	84.66	84.21
		189.16	105.50	124.4
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	20.12	25.00	24.94

1	2	3	4	5
त्रिपुरा	अगरतला	44.05	97.98	59.51
तमिलनाडु	चेन्नई	20.00	24.99	38.93
आंध्र प्रदेश	राजमुन्द्री	59.98	42.28	58.00
पांडिचेरी	कराईकल	13.65	68.30	103.80
महाराष्ट्र	मुंबई	62.10	26.30	84.61
	उरान			5.81
गुजरात	हाजिरा	18.81	9.61	20.98
	अंकलेश्वर	41.23	20.81	59.83
	मेहसाना	54.35	30.67	60.00
	अहमदाबाद	54.72	60.70	60.00
	कैम्बे	4.80	5.00	5.00
	बडौदा	13.82	14.72	22.91
		187.73	141.51	228.72
राजस्थान	जोधपुर	-	-	4.45
उत्तरांचल	देहरादून	25.66	20.30	16.76
	कुल	622.45	512.16	3151.57
निगम स्तरीय खर्च		1471.86	3934.24	2401.64
ओएनजीसी का खर्च (लाख रुपए में)		2094.31	4446.40	3151.57

भूमि बैंक

5037. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को आवास में वृद्धि को सुसाध्य बनाने तथा भूमि के और अधिक वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देने के लिए भूमि बैंकों का सृजन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव पर विभिन्न एजेंसियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) वर्ष 2010 तक देश में कितने अनुमानित कमरे बनेंगे?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को, पर्यटन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थलों/भूमि बैंकों की पहचान करके होटल आवास को प्रोत्साहन करने हेतु प्रोएक्टिव भूमि नीति सृजित करने की सलाह दी है। चूंकि भूमि राज्य का एक विषय है राज्यों द्वारा स्वयं इस संबंध में आवश्य कार्रवाई की जानी है।

(घ) होटलों का निर्माण निजी क्षेत्र का कार्य है। वर्ष 2010 तक देश में बनने वाले कमरों की संख्या के बारे में वास्तविक अनुमान लगाना संभव नहीं है।

श्रीपेराम्बुदूर में पायलट अकादमी की स्थापना

5038. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या नागर विमानन मंत्री श्रीपेराम्बुदूर में वैमानिक विज्ञान तथा प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना के बारे में 30 नवम्बर, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1437 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना का तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त संस्थान की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) फरवरी, 2007 में तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के एक दल ने राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों के साथ दिनांक 21.2.2007 को श्रीपेराम्बुदूर में तमिलनाडु सरकार द्वारा राजीव गांधी वैमानिक विज्ञान व पायलट प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना के लिए निर्धारित स्थल का प्राथमिक अध्ययन किया ताकि सामान्य उपयुक्तता का आकलन किया जा सके। विभिन्न कारकों यथा निचला क्षेत्र होना, औद्योगिक इकाइयों से घिरा हुआ होना, उसका आकार व प्रकार रनवे, एप्रन, टैक्सी वे तथा सहायक अवसंरचना के लिए पर्याप्त न होना, के कारण उक्त अकादमी के लिए यह स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया है। स्थान की अनुपयुक्तता को दर्शाती व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तमिलनाडु राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता

उड़ानों के दौरान भोजन

5039. श्री प्रशान्त प्रधान: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स (आईए) अपनी उड़ानों के दौरान भोजन के लिए प्राइवेट कैटरर्स को लगाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 और 2007 के दौरान श्रीनगर दिल्ली सेक्टर में लगाये गये कैटरर्स के नाम हैं और उन्हें क्या कार्य सौंपा गया है;

(ग) क्या उक्त सेक्टर के लिए पिछले साल की खानपान ग्रीष्मकालीन समय सारिणी को हाल ही में बदल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने श्रीनगर में किसी खानपान उपलब्धकर्ता को नहीं लगाया है क्योंकि श्रीनगर से किसी भोजन की व्यवस्था नहीं की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आयुध निर्माणियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करना

5040. श्री राकेश सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस पहल का उद्देश्य लगातार हो रही सेवानिवृत्ति और नियुक्ति पर प्रतिबंध द्वारा हुई कर्मचारियों की कमी को पूरा करना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा नियुक्ति पर पिछले 23 वर्षों से लगे हुए प्रतिबंध को समाप्त करने का विचार किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) जहां तक भर्ती पर प्रतिबंध की समाप्ति के मुद्दे का संबंध है, ऐसे मामलों में निर्णय, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और इसके निदेशालय की ओर से सक्षम विभाग-कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा लिए जाते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय मूल के लोगों द्वारा विमानन क्षेत्र में निवेश

5041. श्री पी.एस. गढ़वी:
डा. राजेश मिश्रा:
श्री जे.एम. आरुन रशीद:

क्या **नागर विमानन मंत्री** भारतीय मूल के लोगों द्वारा विमानन क्षेत्र में निवेश के बारे में 14 दिसम्बर, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3258 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को भारतीय घरेलू एयरलाइन्सों में निवेश करने संबंधी निर्णय को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले को अंतिम रुप कब तक दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) इस मामले को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

नागर विमानन के प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण

5042. श्री बाबू लाल मरांडी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रांची जिले के द्वारा तण्ड, हेथु, छोटा, घाघरा, होंडरू में नागर विमानन के प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पट्टेधारकों को भूमि के लिए मुआवजा दिया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अधिग्रहित की गई भूमि का उपयोग नागर विमानन के लिए किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) विगत हाल में नागर विमानन के उद्देश्य से रांची जिले में कोई अधिग्रहित नहीं की गई है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बेगमपेट विमानपत्तन का विस्तार

5043. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेगमपेट विमानपत्तन पर यातायात में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक गन्तव्य के लिए उड़ानों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) विमानपत्तन के विस्तार की मौजूदा स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) बेगमपेट हवाईअड्डा, हैदराबाद से विभिन्न हवाईअड्डों के लिए रोजाना घरेलू उड़ानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अहमदाबाद-4, बैंगलोर-20, भुवनेश्वर-2, चैन्नई-20, कोचीन-3, कोयम्बतूर-3, दिल्ली-17, गोवा-1, गुवाहाटी-1, जयपुर-2, कोलकाता-6, मुंबई-19, नागपुर-4, पुणे-3, राजमुंदरी-1, तिरुवनन्तपुरम-1, तिरुपति-4, विजयवाड़ा-2, विशाखापत्तनम-05।

अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों (साप्ताहिक) का ब्यौरा निम्नानुसार है:- एमस्टर्डम-11, बैंकाक-2, कोलम्बो-7, दमन-1, दोहा-7, दुबई-15, फ्रैंकफर्ट-7, जेद्दाह-3, क्वालालम्पुर-6, कुवैत-2, मस्कट-6, शारजाह-07, सिंगापुर-8।

(ग) 10600 फुट तक रनवे का विस्तार तथा एक समय पर 13 विमानों की व्यवस्था हेतु एप्रन के विस्तार का कार्य पूरा हो गया है। सुरक्षा होल्ड क्षेत्र तथा एयरोब्रिज कारीडोर के विस्तार सहित टर्मिनल भवन के विस्तार व आशोधन का कार्य पूरा हो गया है।

[अनुवाद]

एल.ओ.आई. को खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

5044. श्री अधीर चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.ओ.पी. के दिनांक 27 दिसम्बर, 2004 के पत्र पी-19011/1/04-आई.ओ.सी. के जारी होने से पहले आई.बी.पी. ने दिनांक 20 मार्च, 2007 के अपने पत्र सं. एल- 21011/1/63/06 आई.ओ.सी. के माध्यम से लंबित एल.ओ.आई. धारकों को खुदरा बिक्री केन्द्र शुरू करने के लिए अपना अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया है;

(ख) क्या एम.ओ.पी. ने दिनांक 27.12.2004 के अपने उक्त पत्र के माध्यम से तेल विपणन कंपनियों को इस विषय के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश जारी करने से पहले 01 अप्रैल, 2002 से 30 अगस्त, 2004 के बीच अंतरिम अवधि के दौरान संबंधित तेल कंपनी की चयन समिति द्वारा लिए गए हस्ताक्षर के नतीजे रोकने के भी अनुदेश दिए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या दिनांक 20.03.2007 के पत्र में दिए गए निर्देश ऐसे मामलों पर भी लागू हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो आई.बी.पी. द्वारा रोके गए नतीजों की घोषणा के मामले पर अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) इस मंत्रालय ने दिनांक 20.03.2007 के अपने पत्र सं. एल-2111/1763/2006-आईओसी द्वारा आईबीपी कं. लिमिटेड (आईबीपी) के 114 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों को चालू करने के प्रस्ताव को अपनी अनापत्ति दे दी है, जिनके लिए इस मंत्रालय के दिनांक 27.12.2004 के पत्र सं. पी-19011/1/2004-आईओसी से पूर्व आशय पत्र (एलओआईज) जारी दिए गए थे।

(ख) से (घ) इस मंत्रालय ने दिनांक 27.12.2004 के पत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को "भू-स्वामित्व" श्रेणी के तहत डीलरशिपों का आबंटन अस्थायी रूप से निलंबित करने की सलाह दी थी। तत्पश्चात दिनांक 17.02.2005 के पत्र द्वारा, इस मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आबंटन में अस्थायी निलंबन केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा जो खुले विज्ञापनों का सहारा लिए बिना किए जा रहे थे। आईबीपी ने बताया है कि नवम्बर, 2002 से फरवरी, 2003 के बीच जिन 13 स्थलों के संबंध में साक्षात्कार लिए थे और विभिन्न कारणों से आशय पत्र जारी नहीं किए जा सके थे, उन्हें उक्त (क) में यथा संदर्भित 114 मामलों में शामिल नहीं किया गया है और इस प्रकार दिनांक 20.03.07 के पत्र में दिए निदेश इन 13 मंत्रालय के दिनांक 27.12.04 के पत्र के कारण परिणामों को रोके जाने का ऐसा कोई मामला कार्पोरेशन की जानकारी में नहीं है।

[हिन्दी]

आयुध निर्माणियों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

5045. श्री राकेश सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयुध निर्माणियों में अनुकम्पा के आधार पर वर्षवार कितने आवेदकों ने नियुक्ति की मांग की है;

(ख) इनमें से कितने प्रतिशत आवेदकों को वर्ष-वार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के नियमों को आसान बनाने का है ताकि आयुध निर्माणियों में काम करते समय मरने वाले कर्मचारियों के ज्यादातर आश्रितों को नियुक्ति का लाभ मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) और (ख) आयुध निर्माणियों में अनुकम्पा के आधार पर नौकरी चाहने वाले आवेदकों की वर्षवार संख्या और जिन्हें नौकरी दी गई है उन आवेदकों का वर्षवार प्रतिशत इस प्रकार है:-

वर्ष	संगत वर्ष (01 जनवरी से 31 दिसंबर तक) के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार वर्ष में विचार किए गए पिछले वर्षों से लंबित आवेदनों की संख्या	कुल उम्मीदवार जिन पर वर्ष में विचार किया गया (कालम 2 और 3)	उन आवेदकों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई है	उन आवेदकों का प्रतिशत जिन्हें वर्ष के दौरान नौकरी दी गई है
2003	856	254	1110	136	12.25
2004	1018	751	1769	220	12.43
2005	688	1344	2032	297	14.61
2006	675	1319	1994	232	11.63

(ग) और (घ) अनुकंपा के आधार पर नौकरी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से समय-समय पर यथा संशोधित का.ज्ञा. सं. 14014/6/94-स्था.(डी) दिनांक 09 अक्तूबर, 1998 के तहत जारी अनुकंपा के आधार पर नौकरी की स्कीम में निर्धारित मानदंडों के अनुसार समूह 'ग' और 'घ' के किन्हीं पदों में सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत पड़ने वाली रिक्तियों के 5 प्रतिशत के अधिकतम तक सरकारी सेवकों के आश्रितों को उपलब्ध कराई जाती है।

एयर इंडिया के लिए नए विमान

5046. श्री पारसनाथ यादवः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया ने अपने विमानों का नाम राज्यों के नाम पर रखने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। जब कभी नए विमान एअर इंडिया को डिलीवर किए जाते हैं तो उनके नाम भारत के राज्यों के आधार पर वर्णक्रम में रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

उड़ान के दौरान मनोरंजन की व्यवस्था

5047. श्री किसनभाई वी. पटेलः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार उड़ान के दौरान मनोरंजन की व्यवस्था करने का है जैसाकि दिनांक 23, अप्रैल, 2007 के द टाइम्स ऑफ इण्डिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी विमानों में कब तक ऐसी व्यवस्था किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स का इसके 42 नये ए320 किस्म के विमान पर उड़ानगत मनोरंजन प्रणाली लगाने का प्रस्ताव है जिसकी डिलीवरी जून 2007 से मार्च 2010 के बीच की जानी है। प्रणाली में प्रत्येक सीट के लिए अलग-अलग टेलीविजन के साथ 1300 थेल्स की व्यवस्था है तथा इसमें छः विडियो तथा 12 आडियो चैनल आफर किए गए हैं।

(ग) इस समय इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड के पास उपलब्ध वर्तमान विमानों में उड़ानगत मनोरंजन प्रणाली प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नये ए320 किस्म के विमान का परीक्षण जिसमें नई मनोरंजन प्रणाली प्रदान की जाएगी, इनकी डिलीवरी मार्च 2010 में की जाएगी।

अध्यक्ष महोदयः सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): बिहार के बारे में शीला दीक्षित को बर्खास्त किया जाये। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

(इस समय श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन, श्री रबिन्दर कुमार राणा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदयः हमें एक एनाउंसमेंट करने दीजिए। हमें चेयर से एक दूसरे विषय के बारे में एनाउंसमेंट करनी है। कृपया इसकी अनुमति दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह इस विषय के बारे में नहीं है, दूसरे विषय के बारे में है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01½ बजे

(इस समय, श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन, श्री रबिन्दर कुमार राणा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, जैसाकि आपको विदित है कि आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जरूर है, बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। हम इसका सम्मान करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमको एक दफा बोलने दीजिए। दूसरे विषय के बारे में हम एक एनाउंसमेंट कर रहे हैं।

अपराह्न 12.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

डी.वी.डी. गीतांजलि को जारी करने के लिए कार्यक्रम तथा 1857 एक यश गाथा—ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, जैसा कि आपको विदित है कि आज सायं 5.15 बजे, संसदीय ज्ञानपीठ भवन में बालयोगी सभागार में डीवीडी गीतांजलि जो कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के हिन्दी गीतों का संग्रह है, को जारी करने के उपलक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

इसके अलावा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ की स्मृति में आज सायं 1930 बजे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 1857-एक यश गाथा नामक ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है। सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित हो सकें इसलिए सभा आज 10 मई, 2007 को सायं 5.00 बजे स्थगित होगी।

मुझे आशा है कि सभा इस बात से सहमत होगी।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02¼ बजे

(इस समय, श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन', श्री रबिन्दर कुमार राणा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02¾ बजे

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे गोवा के मारमुगाओ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री अलीमाऊ चर्चिल का दिनांक 8 मई, 2007 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 8 मई, 2007 से स्वीकार कर लिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा कल 11 मई, 2007 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 11 मई, 2007/21 वैशाख, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री संतोष गंगवार श्री धर्मेन्द्र प्रधान	502
2.	श्री थावरचन्द गेहलोत श्री चंद्रकांत खैरे	503
3.	श्री हेमलाल मुर्मू	504
4.	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	505
5.	श्री रशीद मसूद	506
6.	श्री बसुदेव आचार्य	507
7.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	508
8.	श्री रामदास आठवले श्री रायापति सांबासिवा राव	509
9.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	510
10.	श्री तथागत सत्पथी	511
11.	श्री जोवाकिम बखला	512
12.	श्री रामजीलाल सुमन श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	513
13.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा श्री श्रीचन्द कृपलानी	514
14.	डा. टोकचौम मैन्या श्री एस. अजय कुमार	515
15.	श्री एस.के. खारवेनथन	516
16.	श्री बापू हरी चौरे श्री संजय धोत्रे	517
17.	श्री सज्जन कुमार डा. राजेश मिश्रा	518
18.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	519
19.	श्री मनोरंजन भक्त	520
20.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	521

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	4945, 5041
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	4906
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4873, 4881, 4948, 4951
4.	अग्रवाल, श्री धीरेंद्र	4875
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	4862, 4885, 4968, 4998, 5023
6.	आठवले, श्री रामदास	4928, 4978
7.	बैठा, श्री कैलाश	4842, 4919
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	4865
9.	बर्मन, श्री रनेन	4882
10.	भक्त, श्री मनोरंजन	4934, 4951
11.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	4841, 4918, 4970
12.	बोस, श्री सुब्रत	4930
13.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	4844, 4935
14.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	4857
15.	चक्रवर्ती, श्री अजय	4876, 4942
16.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	4882, 4887
17.	चौरे, श्री बापू हरी	4914, 4926
18.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	4866
19.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	4875
20.	चिन्ता मोहन, डा.	4930, 4980
21.	चौधरी, श्री पंकज	4872, 4984, 4956, 4989
22.	चौधरी, श्री अधीर	4873, 4932, 5044
23.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	4949

1	2	3
24.	देवरा, श्री मिलिन्द	4860, 4894, 4967, 4984
25.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	4929, 4979, 5009, 5029
26.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	4904
27.	धोत्रे, श्री संजय	4914, 4926
28.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	4874
29.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	4868, 4891
30.	गढ़वी, श्री पी.एस.	5041
31.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	4940, 4994
32.	गंगवार, श्री संतोष	4926, 4974, 5006
33.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	4914, 4926
34.	जगन्नाथ, डा. एम.	4906, 4961, 4982, 4991, 5014
35.	जय प्रकाश, श्री	5018
36.	जिंदल, श्री नवीन	4843, 4907, 4932, 4950
37.	जोगी, श्री अजीत	4872, 4907
38.	कनोडीया, श्री महेश	4865
39.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4966, 4997, 5016, 5033
40.	खां, श्री सुनील	4863, 4924, 4975, 5022
41.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	4888
42.	खन्ना, श्री अविनाश राय	4983
43.	खारवेनथन, श्री एस.के.	4920, 5002, 5022, 5031
44.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4847, 4922, 4999, 5019, 5032
45.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	4936

1	2	3
46.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	4889
47.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	4877, 4943, 4983
48.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	5010
49.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	4859
50.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	4910
51.	महतो, श्री नरहरि	4900, 5034
52.	महताब, श्री भर्तृहरि	4905, 4960
53.	माझी, श्री परसुराम	4902
54.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	4849
55.	माने, श्रीमती निवेदिता	4940, 4994
56.	मरांडी, श्री बाबू लाल	5042
57.	मसूद, श्री रशीद	4925, 4977, 5008, 5022
58.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	4890
59.	मेघवाल, श्री कैलाश	4881, 4912, 4933, 4966, 5036
60.	मेहता, श्री आलोक कुमार	4867
61.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	4867
62.	मिश्रा, डा. राजेश	4945, 4984, 5041
63.	मंडल, श्री अबु अयीश	4864
64.	मुर्मू, श्री हेमलाल	4867, 4927, 4976, 5007
65.	नरहिरे, श्रीमती अर्चना	4936
66.	निखिल कुमार, श्री	4873
67.	नायक, श्री अनंत	4867, 4881, 4955, 4992, 4893
68.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	4839, 4959, 4990, 5017, 5028
69.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	4852, 4971, 5005, 5026, 5038

1	2	3
70.	पाण्डा, श्री प्रबोध	4880, 4947
71.	पाण्डेय, डा, लक्ष्मीनारायण	4838, 4916, 4917, 4973
72.	पासवान, श्री सुखदेव	4896, 4958
73.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	4865
74.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4915, 4967, 5035, 5037, 5047
75.	पटेल, श्रीमती नीता	5006
76.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	4984
77.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	5027
78.	पिंगले, श्री देविदास	4913
79.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	4837
80.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	4916, 4974
81.	प्रधान, श्री प्रशान्त	5039
82.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4840
83.	राई, श्री नकुल दास	4858
84.	राजगोपाल, श्री एल.	5037
85.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	4853
86.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4879, 4946, 4985, 5021
87.	राणा, श्री रबिन्दर कुमार	5024
88.	राव, श्री के.एस.	4878, 4901
89.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4941, 5003, 5019
90.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	4886, 4964
91.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	4883, 4952, 4987
92.	रावले, श्री मोहन	4886, 4964
93.	रावत, श्री धनसिंह	4835

1	2	3
94.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	4891, 4969, 5000, 5020, 5030
95.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	5043
96.	रेड्डी, एम. श्रीनिवासुलु	4938, 4982, 5012
97.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	4846, 4878, 4944
98.	साई प्रताप, श्री ए.	4903, 4995
99.	सज्जन कुमार, श्री	4932
100.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4848, 4894, 4951, 4986, 5018
101.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	4911
102.	सरोज, श्री तूफानी	4867
103.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	4908
104.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	4892
105.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	4845, 4923
106.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	4837
107.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	4867
108.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4906, 4948, 4951, 4995
109.	शिवन्ना, श्री एम.	4897, 4963
110.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4914, 4965, 4993, 5015, 5027
111.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	4856, 4931
112.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4878, 4944
113.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	4935
114.	सिंह, श्री चन्द्रभान	4895, 4957
115.	सिंह, श्री दुष्यंत	4884
116.	सिंह, श्री गणेश	4836
117.	सिंह, श्री मानिक	4898

1	2	3
118.	सिंह, श्री राकेश	5040, 5045
119.	सिंह, श्री सुग्रीव	4869, 4937, 4981, 5011, 5024
120.	सिंह, श्री उदय	4932
121.	सुब्बा, श्री एम.के.	4855
122.	सुगावनम, श्री ई.जी.	4851, 4921, 4972, 5004
123.	सुमन, श्री रामजीलाल	4930, 4980, 5010
124.	सुरेन्द्र, श्री चेंगरा	4882, 4949
125.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	4850, 4865, 4932
126.	थामस, श्री पी.सी.	4887, 4909, 4962, 5001
127.	तुम्मर, श्री वी.के.	4871, 4899
128.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	4916, 4973
129.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4861, 4954, 4988, 5013, 5025
130.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	4871
131.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	4933, 4996
132.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4858, 4873, 4881, 4948, 4995
133.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	4854
134.	यादव, श्री पारस नाथ	4872, 5046
135.	यादव, श्री राम कृपाल	4885, 4953
136.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	4870, 4873, 4939

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	521
संस्कृति	:	509, 519
रक्षा	:	508
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	512, 516, 517
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	507
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	502, 506, 510, 511, 513
रेल	:	503, 505, 514, 515, 520
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	504
पर्यटन	:	518

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	4861, 4914, 4945, 4952, 4974, 4982, 4984, 5006, 5020, 5034, 5038, 5039, 5041, 5042, 5043, 5046, 5047
संस्कृति	:	4839, 4854, 4864, 4865, 4911, 4931, 4940, 4943, 4981, 5000, 5026
रक्षा	:	4837, 4860, 4866, 4875, 4878, 4892, 4920, 4921, 4923, 4925, 4926, 4928, 4934, 4937, 4960, 4965, 4967, 4979, 4989, 4995, 5011, 5013, 5015, 5031, 5035, 5040, 5045
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	4867, 4880, 4884, 4900, 4915, 4941, 4942, 5001
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	4856, 4863, 4870, 4902, 4924, 4975, 5022
अल्पसंख्यक मामले	:	4862, 4879, 4886, 4890
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	4838, 4845, 4846, 4855, 4872, 4873, 4874, 4882, 4891, 4908, 4909, 4910, 4917, 4929, 4930, 4936, 4938, 4948, 4961, 4962, 4972, 4977, 4978, 4980, 4985, 4990, 4992, 4994, 5010, 5014, 5018, 5021, 5024, 5027, 5030, 5034, 5036, 5044
रेल	:	4835, 4836, 4840, 4842, 4843, 4844, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4857, 4858, 4859, 4868, 4871, 4876, 4877, 4881, 4883, 4885, 4887, 4888, 4889, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4901, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4912, 4913, 4918, 4919, 4922, 4927, 4932, 4933, 4935, 4939, 4944, 4946, 4947, 4953, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4963, 4966, 4968, 4969, 4970, 4971, 4976, 4983, 4987, 4993, 4996, 4997, 4999, 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5008, 5009, 5016, 5017, 5025
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	4847, 4949, 4954, 4964, 4986, 4988, 4991, 4998, 5012, 5023, 5028, 5029
पर्यटन	:	4841, 4869, 4893, 4916, 4950, 5019, 5032, 5037.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/27/27/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स श्री इन्टरप्राइजेज प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।